खण्ड-392, अंक-2
सोमवार, 13 चैत्र, शक संवत् 1911
(3 अप्रैल, 1989 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1989)

खण्ड 392 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1989

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1–2
गणपूर्ति के संबंध में निर्देश	3
प्रश्नोत्तर	5–102
नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	102–103
उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में अनियमित नियुक्तियों से उत्पन्न आक्रोश के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	103–104
गोरखपुर जिले के विकास क्षेत्र घुघली के ग्राम मंगलपुर पटरौली में हुए भीषण अग्निकांड के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	104
स्वास्थ्य विभाग में परिवहन सेल के कर्मचारियों के साथ नकदीकरण एवं चिकित्सा अवकाशों में धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	104
जनपद बाराबंकी के त्रिवेदी गंज ब्लाक के खण्ड विकास अधिकारी के भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	105
जनपद गाजीपुर के कासिमाबाद ब्लाक में कासिमाबाद से सहाबुद्दी-बलेशर तक तथा डिहवा से सिपहां तक के मार्ग को पक्का करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	105
जनपद बलिया के नोटीफाइड एरिया रसड़ा की सफाई एवं सीवर व्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	106
जनपद फैजाबाद के साकेत महाविद्यालय में अराजक तत्वों द्वारा छात्रों के अपमान आदि के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	106
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	106–107
गोंडा हत्याकांड एवं करहना हत्याकांड के दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध आश्वासन के बावजूद मुकदमा न चलाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	107–111
प्रथम सत्र 1989 के पांचवें गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 36 का उत्तर लम्बित रखने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	111–112
आश्वासन के बावजूद राजकीय देयों की वसूली में किसानों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	112–114
राष्ट्रपति पदक प्राप्त भूतपूर्व नौसैनिक अधिकारी श्री बृजमोहन शर्मा, मेरठ के साथ घटित घटना के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	114–115
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (अधिनियम बन गया) ..	115
उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उपलोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1989 (अधिनियम बन गया)	115

विषय	पृष्ठ-संख्या
माया पत्रिका के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना के संबंध में जानकारी की मांग	115–116
विशेषाधिकार समिति के अष्टम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों के संबंध में सदन द्वारा दिनांक 5 अक्टूबर, 1988 को स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार श्री जयपति नाथ की शास्ति	116–117
गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिये सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	117–118
उत्तर प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता विधेयक, 1989 (पुर:स्थापित किया गया) जारी	118
वन (संरक्षण) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 (पुर:स्थापित किया गया) जारी	118
उत्तर प्रदेश समान बेसिक शिक्षा, पाठ्यक्रम उपकरण एवं शुल्क विधेयक, 1989 (पुर:स्थापित किया गया) जारी	118
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	119–142
उत्तर प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता विधेयक, 1989 (अस्वीकृत) ..	142–154
वन (संरक्षण) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 (अस्वीकृत)	154–161
उत्तर प्रदेश समान बेसिक शिक्षा, पाठ्यक्रम उपकरण एवं शुल्क विधेयक, 1989 (जारी)	161–164
श्री भगौती सिंह के लखनऊ फैजाबाद रोड पर रास्ता जाम में फसने के कारण सदन की कार्यवाही में भाग न ले पाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	164–166
उत्तर प्रदेश समान बेसिक शिक्षा, पाठ्यक्रम उपकरण एवं शुल्क विधेयक 1989 (जारी)	166–173
न्यायालय फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 (पारित) ..	173–177
उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1989 (पारित)	177–186
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड में काय करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्राप्त नाम निर्देशन पत्र एवं कार्यक्रम की सूचना	186
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	136
जनपद गोरखपुर में पुलिस कर्मियों द्वारा शासकीय आदेशों एवं सदन में मुख्य मंत्री द्वारा दी गई घोषणा के विरुद्ध कार्य करने से उत्पन्न स्थिति के के संबंध में वक्तव्य का स्थगन	186–187
दिनांक 22 मार्च, 1989 को जनपद एटा थाना जसरथपुर के ग्राम पहाड़पुर में एक ही परिवार के 5 व्यक्तियों को जिन्दा जला दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	187–189

विषय	पृष्ठ-संख्या
दिनांक 15 फरवरी, 1989 को नैनीताल जनपद के जसपुर स्थित उत्तर प्रदेश राजकीय स्पिनिंग मिल्स की दो यूनियन के कर्मचारियों के बीच गोली चलने के फलस्वरुप 9 व्यक्तियों की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	189–192
जनपद मथुरा थाना राया के गांव कुम्हा में होली खेलती महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार किये जाने एवं एक महिला की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एवं उ0 प्र0, बिहार सीमा पर बिहार सरकार द्वारा उ0 प्र0 के हास्थ नगर मौजे में बिहार मिलिट्री पुलिस और गुण्डों द्वारा 2601 एकड़ भूमि पर खड़ी फसल पर अवैध कब्जा कराने के फलस्वरुप जनता में व्याप्त भय एवं आक्रोश के सम्बन्ध में वक्तव्यों का स्थगन	193
कुमारी कटोरी देवी द्वारा पुलिस उत्पीड़न के विरुद्ध लगभग छब्बीस सौ तेरह दिन से विधान भवन के समक्ष किये जा रहे अनसन एवं धरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य	194–198
दिनांक 4 मार्च, 1989 को खतौली जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस द्वारा जनप्रतिनिधियों की निर्मम पिटाई एवं लाठी चार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य	198–201
विद्युत परिषद द्वारा सीमेंट के विद्युत खम्भों की खरीद में करोड़ों रुपये का घोटाला किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य का स्थगन ..	201
दिनांक 27 फरवरी, 1989 को जनपद गोण्डा के इटियाथोक के थानाध्यक्ष द्वारा पूरे सिधारी के ग्राम प्रधान एवं एक किसान को पीटने एवं अपमानित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	202–204
आगरा स्थित राजा बलवन्त सिंह महाविद्यालय में चालू कृषि मृत्य लागत परियोजना को वाराणसी ले जाने के निर्णय से पश्चिमी जिलों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में वक्तव्य	204–206
सिचाई विभाग के इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल डिप्लोमा इन्जीनियर्स संघ के पदाधिकारियों द्वारा दिनांक 15 मार्च, 1989 से आम हड़ताल की धमकी दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	206–208
शुगर मिल नबावगंज जिला गोण्डा के बन्द कर दिये जाने से लगभग 1500 मजदूरों के बेरोजगार हो जाने एवं गन्ना किसानों का बकाया भुगतान न होन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा का व्यपगत किया जाना	208
बुन्देलखड के समस्त जनपदों तथा इलाहाबाद एवं मिर्जापुर जनपद के कुछ भागों मे सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा ..	208–222
प्रदेश के बेरोजगार इंजीनियरों द्वारा 3 नवम्बर, 1988 से विधान भवन के समक्ष दिये जा रहे धरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा का स्थगन	222
टिहरी बांध के धसने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा ..	222–225
प्रदेश में आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस जारी करने एवं उनके नवीनीकरण में उत्पन्न जटिलताओं के विषय में चर्चा का स्थगन	226
नत्थियां	227–248

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 3 अप्रैल, 1989

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ, में 11 बजकर 7 मिनट पर दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अकबर अहमद (डम्पी), श्री ..	नैनीताल
अचल सिंह, श्री, ..	फतेहपुर
अजीत कुमार सिंह, श्री ..	कानपुर
अमर चन्द्र, श्री, ..	आगरा
अमिताभ लवानियां, श्री ..	आगरा
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री ..	बरेली
अम्बिका सिंह, श्री ..	बस्ती
अरविन्द तिवारी, श्री ..	जालौन
अरुण प्रताप सिंह, श्री ..	गोण्डा
अलमेलु अम्माल, कुमारी ..	वस्ती
अशोक सेहरा, श्री ..	आगरा
आर० एन० पाठक, श्री ..	कानपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री ..	बहराइच
कनक सिंह, श्री ..	गाजियाबाद
कमला साहनी, श्रीमती ..	बस्ती
कमलेश कुमार पाठक, श्री ..	इटावा
कल्लू राम रत्नाकर, श्री ..	मिर्जापुर
किरन पाल सिंह, श्री ..	बुलन्दशहर
किशन लाल दिलेर, श्री ..	अलीगढ़
कृष्ण कुमार, श्री ..	फैजाबाद
कृष्णवीर सिंह कौशल, डा० ..	आगरा
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री ..	सीतापुर
गोपाल दास यादव, श्री	इलाहाबाद
गोपी नाथ दीक्षित, श्री ..	उन्नाव
चेतराम गंगवार, श्री ..	बरेली
जफर अली नकवी, श्री, ..	लखनऊ
जयदीप सिंह बरार श्री ..	बरेली
जय नारायण शर्मा, श्री ..	मेरठ
जागन सिंह, श्री ..	रामपुर
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
देव कुमार यादव, श्री ..	बांदा
नरेन्द्र पाल सिंह, श्री ..	बरेली
नरेन्द्र सिंह चौधरी ..	कानपुर
निर्भय पाल शर्मा, श्री ..	सहारनपुर
निसार हुसैन, श्री ..	रामपुर
पारसनाथ यादव, श्री ..	जौनपुर
पुरुषोत्तम लाल, श्री ..	इलाहाबाद
पुष्पा देवी, श्रीमती ..	बदायूं
प्रदीप माथुर, श्री ..	मथुरा
प्रभु दयाल, प्रधान ..	मेरठ
फजले मसूद, श्री ..	देवरिया
फागू चौहान, श्री ..	आजमगढ़
बल्देव सिंह आर्य, श्री ..	उत्तरकाशी
बाबू लाल, श्री ..	गोण्डा
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री ..	फर्रुखाबाद
भगौती सिंह, श्री ..	लखनऊ
मनोहर लाल, श्री ..	उन्नाव
मलिकमोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती
मुलायम सिंह यादव, श्री ..	इटावा
रघुवीर सिंह यादव, श्री ..	मैनपुरी
रफीक अहमद, श्री (उर्फ रफ्फन)	बरेली
रमाकान्त, श्री ..	आजमगढ़
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री ..	रायबरेली
राजित प्रसाद यादव, श्री ..	वाराणसी
राजेन्द्र शर्मा, श्री ..	मेरठ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री ..	एटा
राजेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री ..	बुलन्दशहर
राम सजीवन, श्री ..	बांदा
रिछपाल सिंह बन्सल, श्री ..	मेरठ

विजय लक्ष्मी, श्रीमती .. बलिया
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री .. गोरखपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री .. मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सोन, श्री .. आगरा
शतरुद्र प्रकाश, श्री .. वाराणसी
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर कानपुर
शिवानन्द नौटियाल, डा0 .. चमोली
शेर बहादुर सिंह . फैजाबाद
श्रीनाथ सिंह, श्री .. वाराणसी
संजय सिंह, डा0 . सुल्तानपुर
सतीश अजमानी, श्री .. खीरी
सत्यपाल सिंह, श्री .. शाहजहांपुर
सतीश चन्द्र, श्री .. आगरा
सरजू प्रसाद सरोज, श्री .. प्रतापगढ़
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री .. खीरी
सुखदा मिश्रा, श्रीमती .. इटावा
सुखपाल पाण्डेय, श्री .. बस्ती
सुनील शास्त्री, श्री .. गोरखपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री .. सहारनपुर
सुरेन्द्र नाथ अवस्थी, श्री .. बाराबंकी
सुरेन्द्र बहादुर, सिंह, श्री .. रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री .. अलीगढ़
सैयद अली अशरफी, श्री .. पीलीभीत
सैयद सईदुल हसन, श्री .. बुलन्दशहर
हर नारायण सिंह, श्री .. रायबरेली
हरशरन सिंह, श्री .. मेरठ
हितेश कुमारी, श्रीमती .. बुलन्दशहर

सत्यमेव जयते

गणपूर्ति के सम्बन्ध में निर्देश

(कोरम पूरा न होने के कारण सदन की कार्यवाही विलम्ब से शुरू होने पर।)

श्री अध्यक्ष—

ऐसा प्रतीत होता है कि अब किसी को रुचि नहीं रह गयी है। 10 मिनट तक घंटी बजती रहे, यह बड़े अफसोस की बात है।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री नरेश चन्द्र)—

मान्यवर, दो दिन अवकाश था इस कारण कुछ माननीय सदस्यों को आने में विलम्ब हुआ है। अवकाश के कारण ऐसा है, जिसके लिये खेद है।

श्री अध्यक्ष—

अगर आपके मंत्री मण्डल के सभी माननीय सदस्य ही आ गये होते तो कोरम पूरा हो जाता।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, उनका विनियोग विधेयक तो पास हो ही गया है।

श्री नरेश चन्द्र—

माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी आपके प्रश्न तो बराबर आते ही रहे हैं।

हिन्दी भवन

प्रश्नोत्तर

सोमवार, दिनांक 3 अप्रैल, 1989

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के विभिन्न वर्गों के शिक्षकों के वेतनमान पुनरीक्षण हेतु नवम्बर 1988 में गठित समिति की रिपोर्ट का विवरण ।

राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के विभिन्न वर्गों के शिक्षकों के वेतनमान पुनरीक्षण हेतु नवम्बर, 88 में किसी समिति का गठन किया गया है ? यदि हां, तो समिति का टर्म आफ रेफरेंस क्या है ? क्या उसकी रिपोर्ट शासन को मिल गई है ? यदि हां, तो क्या उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा की जायेगी ?
यदि रिपोर्ट नहीं आई है, तो कब तक प्राप्त होने की सम्भावना है ?

शिक्षा खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)---

जी हां ।

प्रदेश के विभिन्न वर्गों के शिक्षकों (प्राइमरी विद्यालयों से उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयो के स्तर तक) के वेतनमानों का पुनरीक्षण करना तथा पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण के फार्मूले की संस्तुति करना ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यथा शीघ्र ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, यह सरकार जिस चीज को टालना चाहती है उसके लिये समिति गठित कर दी जाती है । राज्य कर्मचारियों के लिये एक समता समिति का गठन कर दिया गया । उसकी रिपोर्ट, 31 मार्च तक अवश्य जानी चाहिये थी, मगर अब अप्रैल भी शुरू हो गया है और उसकी रिपोर्ट का पता नहीं है । इसी तरह इस समिति का भी, जिसका जिक्र मैंने अपने प्रश्न में किया है वही हाल है इस समिति का गठन 15 नवम्बर, 1988 को किया गया था और उसके टर्म्स आफ रेफरेन्स में भी यह बात कही गयी थी कि इसकी रिपोर्ट यथाशीघ्र प्राप्त हो जायेगी । आज जो मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में अपना जवाब दिया है इसमें भी यही कहा है कि यथा शीघ्र इसकी रिपोर्ट आ जायेगी । मान्यवर, 4 महीने के अन्तराल के बाद भी वही शब्द "यथा शीघ्र" आज भी अपने स्थान पर है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीया शिक्षा मंत्री जो कोई निर्धारित तिथि बताने का कष्ट करेंगी, कि कब तक यह रिपोर्ट आ जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

मान्यवर, यह समस्या अत्यन्त महत्वपूर्ण है । मैं माननीय सदस्य को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने इस संबंध में शासन का ध्यान आकर्षित किया है । मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहती हूं कि शासन को भी इस विषय में काफी चिन्ता है और उसकी तरफ से कोई ढिलाई नहीं की जा रही है । मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये यह भी बताना चाहती हूं कि इस समिति की बैठकें बराबर हो रही हैं। 24-11-88 25-11-88, 9-12-88, 26-12-88, 10-1-89, 13-1-89, 16-1-89

.....(व्यवधान).....

फरवरी और मार्च में कई बैठकें हुई, अप्रैल मास में भी बैठकें हुई हैं और यह समिति अपनी

बैठकें बराबर कर रही हैं। लगातार बैठकें करके इस बात का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि समिति की रिपोर्ट शीघ्र से शीघ्र तैयार हो सके।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

हम दोनों ने गलतिया की हैं। वह भी अध्यापिका रही हैं और मैं भी अध्यापक रहा हूं। अध्यापक को बोलने की आदत होती है। मैंने तो बोलने का अपना लालच संवरण कर लिया, लेकिन वह नहीं कर पायीं और इतना अधिक इसमें बेमतलब बता गईं। मैंने मंत्री जी से मात्र यह पूछा था कि यथाशीघ्र में चार महीने वैसे ही बीत गये और अब फिर 'यथा शीघ्र' कहा जा रहा है, तो क्या वह अब यथाशीघ्र को किसी तिथि में परिवर्तित करके बताएंगी तो मैं जानना चाहता हूं कि इस यथाशीघ्र का तात्पर्य क्या है, क्या वह कोई तिथि निर्धारित करने की कृपा करेंगी ?

दूसरी बात यह है कि टर्म्स आफ रेफरेन्स के बारे में क्योंकि अध्यापकों ने जो अपना दिया है, उसमें है उनका प्रारम्भिक वेतनमान, चयनवेतनमान, पुनरीक्षण वेतनमान और सी0 टी0 कैडर का डायिक कैडर डिक्लेयर कर दिया जायेगा, तो क्या इन सभी मुद्दों पर समिति विचार कर रही है या नहीं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, हमारे सम्मानित सदस्य को स्वयं इस विषय में पूर्ण ज्ञान है, वह उच्चतम कोटि के विद्वान हैं। 15-11-88 को जो संकल्प प्रकाशित हुआ है, उसके ऊपर संकेत दिया, उसका पूर्ण ज्ञान है। 15-11-88 को जो सरकार की ओर से विज्ञप्ति निकली है, उसमें जो प्वाइन्ट्स हैं, समिति के वेतन निर्धारित करने हैं, उसके लिये यह गाईड लाइन्स हैं। इसमें उनकी नीति विषयक संकेत दिये गये हैं। उसके अन्तर्गत ही जो भी उचित वेतनमान होंगे वह शिक्षकों को दिये जायेंगे। आज्ञा हो तो गाईडलाइन्स आपको पढ़कर मैं सुना दूं, हालांकि माननीय सदस्य उसके विषय में पूर्ण रूप से अवगत हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

जुलाई में नया सत्र शुरू होने वाला है यानी उस समय से अध्यापक अपने पढ़ाई काय में लग जायेंगे, किन्तु रिपोर्ट लागू होने से उसी समय से आन्दोलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। असन्तोष जितना व्याप्त है उसको देखते हुए आशंका इस बात की है कि सत्र प्रारम्भ से ही वह आन्दोलित हो जायें और जुलाई से ही शिक्षा सत्र डिस्टर्ब होगा तो क्या सरकार स्पष्ट आश्वासन देगी कि शिक्षा सत्र शुरू होने से पूर्व वह रिपोर्ट आ जावेगी और आकर वह संस्तुति लागू भी हो जायंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

अभी शुरू में जैसा कि निवेदन किया इस सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जा रही है। शीघ्रातिशीघ्र किया जायगा और जहां तक शिक्षा सत्र का सम्बन्ध है, मैं आपके सहयोग से –पक्ष औरविपक्ष के सहयोग से और विद्वतजन के सहयोग से इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं होने दूंगी और एक जुलाई से हमारे बाल बच्चों का शिक्षा सत्र, उनकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

माननीय मंत्री जी ने यह शीघ्र शब्द का प्रयोग बार बार किया, और माननीय ओझा जी ने बतालन का प्रयास किया कि समिति के सम्बन्ध में जो स्थिति बनी है उसको देखते हुए जुलाई में पुनः अध्यापक आन्दोलन करने वाले हैं, अध्यापकों में पुनः असन्तोष व्याप्त है; इसलिये अगला शिक्षा सत्र ठीक से चल सके, उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न

न हो, क्या मंत्री जी बताएंगे कि यथा शीघ्र की अवधि क्या होगी ? और मंत्री जी ने बताया कि जो कमेटी है वह लगभग 11 बार बैठक कर चुकी है, तो उनको इस बात की भी जानकारी होगी कि उसके किस बिन्दु पर क्या परेशानी है ? तो दूसरा प्रश्न यह है कि मंत्री जी यह भी बताएं कि वह कौन सी कठिनाई है, जिसके कारण 11 बार बैठक करने के बावजूद रिपोर्ट सामने नहीं आने पा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

ग्यारह बार नहीं 19 वार बैठ चुकी हैं। बड़ी सहानुभूति पूर्वक यह बहस हो रही है; जो अध्यापकगण हैं उनके प्रतिवेदन लिये जा रहे हैं इसमें समय लगता है, अब इसमें यथाशीघ्र नहीं अतिशीघ्र निर्णय होने वाला है।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय---

यथा शीघ्र का मतलब होता है, सात दिन। माननीय मंत्री जी बार-बार यथाशीघ्र कहती हैं तो आप इनसे यथाशीघ्र की परिभाषा दिलवादें।

श्रीमती स्वेरूप कुमारी बख्शी---

मान्यवर, मैंने निवेदन कर दिया अतिशीघ्र और अतिशीघ्र का मतलब यह है कि किसी भी प्वाइन्ट के ऊपर देर न की जाय इसमें त्वरित गति से कार्यवाही की जाए।

श्री शारदानन्द अंचल---

माननीय मंत्री जी यथाशीघ्र को बीमारी के रूप में ले रही हैं लगता है यह बीमारी हल नहीं होगी, मान्यवर, मेरी बात को सही मानते हुए कि समिति के सदस्यों में गम्भीर मतभेद है और ग्यारह बार बैठक होने के बाद भी अन्तिम निर्णय लेने का काम समिति नहीं कर पाई, तो हम चाहेंगे कि समिति को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि जुलाई के प्रथम सप्ताह तक समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

आपकी भावना का आदर करते हुए समिति को निर्देश दिए जायेंगे कि शीघ्रातिशीघ्र इसमें निर्णय लेकर शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य कई खड़े हो गये हैं अब इसको खत्म करें। काफी समय हो गया।

(व्यवधान)

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय---

अन्धे क आगे रोना, अपना दीदा खोना, वाला सवाल है।

नागरिक एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री नरेश चन्द्र)---

मंत्री जी ने अतिशीघ्र कह दिया है इससे ज्यादा और कोई शब्द नहीं हो सकता है।

श्री माता प्रसाद पाण्डे---

मान्यवर, जो शिक्षकों के वेतन के पुनरीक्षण की समस्या विचाराधीन है उसमें इस प्रकार के प्रश्न भी विचाराधीन हैं जो कि अध्यापक विधान परिषद् के और विधान सभा के सदस्य, हो जायेंगे, वह पांच वर्ष तक अध्यापक का भी वेतन लेते हैं और विधायक का भी ; तो क्या इसमें कुछ सुधार किया जायगा।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

दुबारा प्रश्न कह दें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

माान्यवर, जो अध्यापक विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्य हो रहे हैं वह पांच बर्ष तक अध्यापक का भी वेतन लेते हैं और विधायक का भी, इस तरह से वह दोहरा वेतन लेते हैं, तो क्या इसमें सुधार होगा ? कि एक बार विधायक हो जाने के बाद उसको पांच वर्ष तक एक ही वेतन दिया जाए, विधायक को अध्यापक का वेतन न दिया जाए।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

जो प्रस्तुत प्रश्न है उससे यह संबंध नहीं रखता है। दूसरी बात मैं यह जानकारी देना चाहूंगी, जहां तक मेरी जानकारी है जो हमने गाइड लाइन दी हैं उसके संबंध में जहां तक उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षकों का, प्राइमरी जूनियर शिक्षकों का प्रश्न है वह उससे पूर्णतः संतुष्ट हैं। तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं- जिसके कारण हमारे शिक्षक संतुष्ट हैं नम्बर-1, प्राइमरी स्कूलों वं सहायक अध्यापकों जिनका वर्तमान वेतनमान 385-560 है उनका वेतनमान पुनरीक्षित करके प्रारम्भिक वेतनमान 1000-1350 होगा। तो मान्यवर, मैं समझती हूं कि इससे वह जरूर संतुष्ट होंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

यह किसने पूछा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

मान्यवर, यह कहा गया कि उनमें बड़ा असंतोष है। जो क्रांतिकारी स्टेप्स लिये गये हैं उनमें यह भी है कि माध्यमिक शिक्षा में केवल दो संवर्ग कर दिय जायेंगे। एक तो बी0एड0 ग्रेड और दूसरा प्रवक्ता ग्रेड। सी0 टी0 ग्रेड जो था उसको केन्द्र के अनुसार, उसकी परंपराओं के अनुसार उसको बिलकुल कट कर दिया गया है। कोई भी वेतनमान ऐसा नहीं होगा जिसमें 100 रुपये से कम एक्स्ट्रा पैसा मिले। तो यह जो क्रान्तिकारी कदम उठाये गये हैं उनसे अध्यापकों में कोई असंतोष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं आया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मैने जो पूछा था उसका उत्तर ही नहीं दिया अनावश्यक पढ़कर मंत्री जी सुनाने लगीं। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो गाइड लाइंस दी गयीं थीं क्या सरकार ने सिद्धान्ततः स्वीकार की हैं। जो अधिसूचना है उसके 2(7) के अनुसार क्या जो संस्कृत के अध्यापक हैं उनका वतन पुनरीक्षित किया जायगा। जैसे आपने बताया कि 365 वाले वतनक्रम को 1100 कर दिया हैं तो क्या संस्कृत पाठशालाओं में जो कार्यरत अध्यापक हैं उनके लिये कोई गाइड लाइंस दी गयी हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि संस्कृत के जो अध्यापक प्रथमा, मध्यमा, उत्तमा, शास्त्री कक्षाओं में पढ़ाते हैं तो इनको जिस कक्षा के बराबर माना गया है उसी के अनुरूप समान वेतन देने के लिये कोई नीति घोषित करने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

इसके विषय में विचार किया जा रहा है।

धारा 5 (अ) के अन्तर्गत बनाई गई महायोजना में सभी ग्रामों को सम्मिलित किया जाना

*2--श्री सतीश चन्द्र (अनुपस्थित)--

क्या नगर विकास मंत्री को यह ज्ञात है कि फिरोजाबाद नगर में उत्तर प्रदेश रेगुलेशन्स आफ बिल्डिंग आपरेशन अधिनियम, 1958 की द्वारा 3 के अन्तर्गत घोषित विनियमित क्षेत्र के कुछ गांव उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के अन्तर्गत बनाई गई महायोजना में सम्मिलित नहीं किये गये और उनमें कोई भू-उपयोग आवंटित नहीं किया गया हैं ? ऐसी स्थिति में इन क्षेत्रों में महायोजना अथवा उसके अन्तर्गत तैयार किये गये जोनिंग रेगुलेशन्स क्या लागू किये जा सकते हैं? एक नए जिले के मुख्यालय बनाने के पश्चात् इस नगर के इन क्षेत्रों में उक्त अधिनियम की धारा 6 तथा विभिन्न अन्य उप नियमों के अनुसार विकास की अनुज्ञा देने में सरकार को क्या कठिनाइयां हैं ?

आवास जल सम्पूर्ति एवं क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री (श्री श्रीनाथ सिंह)--

धारा 5 (अ) के अन्तर्गत बनाई गई महायोजना में सभी ग्राम सम्मिलित किये गये हैं और महायोजना में सम्मिलित किये गये सभी गांवों में भू-उपयोग अवंटित किये गये जोनिंग के रेगुलेशन्स लागू किये जा सकते हैं।

धारा 6 के अन्तर्गत विकास की अनुज्ञा देने में कोई कठिनाई नहीं है परन्तु नये जिले के मुख्यालय बनने के पश्चात् फिरोजाबाद विनियमित क्षेत्र के लिये नियंत्रक प्राधिकारी सभा के स्वरूप को परिवर्तित करना होगा, जिस पर शासन द्वारा विचार किया जायगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

जनपद फैजाबाद के रघू पट्टी के विद्यालय समेत कई विद्यालयों के अध्यापकों कर्मचारियों का एक वर्ष से वेतन न मिल पाना।

*1--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार की जानकारी है कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों को हाईस्कूल की मान्यता मिलने पर वेतन वितरण अधिनियम, 1978 उन स्कूलों पर लागू नहीं रह जाता और उक्त विद्यालयों के अध्यापकों/कर्मचारियों की बैंक द्वारा वेतन मिलना बन्द हो जाता है तथा वेतन भी घट जाता है ? क्या यह सही है कि इसी कारण से जनपद फैजाबाद में कटेहरी ब्लाक के रघू पट्टी ग्राम में स्थित एक विद्याल समेत जनपद के कई स्कूलों के अध्यापकों/कर्मचारियों को पिछले लगभग एक वर्ष से वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो सही स्थिति क्या है और इसे दूर करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां।

जी नहीं।

जनपद फैजाबाद में ग्राम रघू पट्टी के विद्यालय समेत कुल पांच ऐसे विद्यालय हैं जिनके अध्यापको को पूरा वेतन नहीं मिल पा रहा है।

इस समस्या के सामाधान के लिये सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

माननीया मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, मेरा सवाल था कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कलों को हाई स्कूल की मान्यता मिलने पर, वेतन वितरण अधिनियम 1978 उन स्कूलों पर लागू नहीं होता, जिसके कारण कई तरह की कठिनाइयां पैदा होती हैं और उनका वेतन भी कम हो जाता है। माननीया मंत्री जी ने और बातें तो स्वीकार की, लेकिन वेतन कम हो जाने की बात नहीं स्वीकार की। उन्होंने कहा कि पांच ऐसे विद्यालय हैं, जिनके अध्यपकों को पूरा वेतन नहीं मिल पा रहा है। इस स्वीकारोक्ति के बाद वेतन अधिनियम 1978 की सुविधा जब लागू नहीं रहती, तब विद्यालयों के अध्यापकों को परेशानियां होती हैं, उनका वेतन वितरण समय से नहीं हो पाता है और वह कम भी मिलने लगता है। तो इसको दूर करने के लिये सरकार कौन से उपायों पर विचार कर रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

मान्यवर, ऐसा है कि जो जूनियर हाई स्कूल हैं, वे जब जूनियर हाई स्कूल रहते हैं, तो वे वेतन वितरण अधिनियम 1978 के अन्तर्गत रहते हैं और उसी के अनुसार सरकार द्वारा उनको वेतन वितरित किया जाता है लेकिन जब उन्हें जूनियर हाई स्कूल से हाई स्कूल में मान्यता दे दी जाती है और वे जूनियर हाई स्कूल से हाई स्कूल घोषित हो जाते हैं, तो वे वेतन वितरण अधिनियम, 1978 की परिधि से बाहर चले जाते हैं और उन विद्यालयों के अध्यापकों को उनके मैनेजमेंट रिटर्न के अनुसार वेतन दिया जाता है। जो भी आय और व्यय के बीच में डिफरेंस हो, मैनेजमेंट रिटर्न के अनुसार उनका वेतन वितरण किया जाता है। यह प्रबन्ध समिति का काम है कि वह उनको पूरा वेतन दें यहउनका कर्त्तव्य है, यह शासन का काम नहीं है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

मेरा यह निवदन है कि जब यह सरकार के संज्ञान में है कि मैनजमेंट के द्वारा निर्धारित वेतन कुछ अध्यापकों को विशेष परिस्थितियों में नहीं मिल पा रहा है, तो उन परिस्थितियों को बदलने के लिये सरकार क्या कर रही है, ताकि अध्यापकों का शोषण हो सके और उन्हें पूरा वेतन मिल सके ? यही मेरा प्रश्न है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

हमारे माननीय सदस्य, जो उच्चतम कोटि के विद्वान हैं और हमारे पथप्रदर्शक हैं, जो उन्होंने प्रश्न किया, उसके लिये मैं हृदय से आभारी हूं। यह ज्वलंत समस्या है, परन्तु यह नियम के अन्तर्गत जब वह अपना मैनेजमेंट रिटर्न भर कर भेज देते हैं। तो उनको इस संबंध में तुरन्त पैसा, अनुदान दिया जाता है, अब जो भी कोई कमी हो, यह कोई निर्देश नहीं है कि अब तक जो पैसा उनको मिल रहा था, वह न मिले। वेतन वितरण अधिनियम 1978 के अन्तर्गत तो पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन प्रबन्ध समिति तो उनको पैसा दे ही सकती है। जहां तक 5 विद्यालयों का संबंध है, उस संबंध में माननीय हमारे सदस्य महोदय अच्छी तरह से जानते हैं कि तीन विद्यालय जो हैं, ये कोर्ट में जा चुके हैं और जो भी उनको वेतन मिलता था, जूनियर हाई स्कूल के अध्यापक की हैसियत से, वह कोर्ट ने आर्डर कर दिया है और उसके अनुसार लगभग 22 लाख रुपया वहां पर जमा है। कुछ को तो मिल चुका है। नं0 3 और नं0 5 को तो पैसा मिल चुका है। अब केवल दो रह गये हैं। अब अगर आज्ञा आ जायगी, तो उनको भी मिल जायगा। नं0 3 और नं0 5 क तात्पर्य है, संत कबीर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और ए0 आई0 टी0

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जगनपुर, फैजाबाद उनको वेतन वितरण कर दिया गया है' बाकी की जब आख्या आ जायगी, उनके बिल अभी सम्मिट नहीं हुए हैं, तब उनको भी पेमेंट कर दिया जायगा ।

श्री विजय सिह राणा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में और माननीय तिवारी जी के प्रश्न के संदर्भ में मान्यवर, तिवारी जी ने केवल इतना पूछा है कि जो जूनियर हाई स्कूल ग्रान्ट इन एड पर होते हैं उनको जब हाई स्कूल के रूप में मान्यता मिल जाती है तो उनकी ग्रान्ट इन एड खत्म हो जाती है और वे नान ग्रान्ट रह जाते हैं। तो माननीय तिवारी जी ने यह पूंछा है कि जूनियर हाई स्कूल जो ग्रान्ट इन एड में था अगर उसको मान्यता मिलती है हाई स्कूल की तो उसकी जो जूनियर हाई-स्कूल की ग्रान्ट इन एड है वह खत्म नहीं होनी चाहिये, यही पूछा है तो इस सिलसिले में अब जो जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल की मान्यता प्राप्त कर लेंगे और जूनियर हाई स्कूल के रूप में जो ग्रान्ट इन एड में थे उनकी ग्रान्ट खत्म नहीं की जायेगी, क्या आप इस व्यवस्था को लागू करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, यह दूसरा प्रश्न है। जो वस्तु स्थिति है जो विद्यालय के तिवारी जी ने नाम दिये हैं उसके संबंध में मैंने तिवारी जी को अवगत करा दिया है। मान्यवर, दूसरा प्रश्न जो है यह नीति विषयक प्रश्न है कि जो जूनियर हाई स्कूल वेतन वित-रण अधिनियम में है और हाईस्कूल बन जाते हैं तब वह वेतन वितरण अधिनियम 1978 वहां लागू नहीं होता है यह अधिनियम है अब वहां वेतन वितरण अधिनियम 71 कायम है उसमें तो इनका प्रारिटी बेसिस पर होता है आपकी यह राय है कि जो वेतन वितरण अधिनियम जूनियर हाई स्कूल 1978 के अधिनियम के अन्तर्गत है उनकी पूर्ववत वैसी ही स्थिति हो हाईस्कूल बनने के बाद इसके विषय में शासन गम्भीरतापूर्वक विचार करेगा ।

प्रवेश के शिक्षकों को वेतन वितरण अधिनियम में शामिल करने हेतु राजाज्ञा जारी करने की मांग

*2--श्री राम आसरे वर्मा, श्री शारदा प्रताप एवं श्री रमाकान्त मिश्र--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सम्बद्ध प्राइमरी शिक्षक आर्गे-नाइजेशन द्वारा आयोजित डा0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं पं0 जवाहर लाल नेहरू जन्म शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य शिक्षा मंत्री ने हजारों संबद्ध प्राइमरी शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को सम्बोधित करते हुए उन्हें वेतन वितरण अधि-नियम में लेने हेतु जनवरी, 89 में राजाज्ञी निर्गत कर देने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो क्या राजाज्ञा निर्गत हो गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक निर्गत कर दी जायगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं। कोई औपचारिक घोषणा नहीं की थी। केवल सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात की थी। प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, जब मंत्रीगण झूंठ बोलने लगे तब समक्ष में नहीं आता है कि कौन सा रास्ता अपनाया जाय। समारोहों में जाते हैं और वहां जाकर मंत्रीगण घोषणायें कर आते हैं। यह पंडित जवाहर लाल जन्म शताब्दी समारोह में हजारों शिक्षक शिक्षिकाओं के सामने माननीय राज्यमंत्री ने यह घोषणा की कि उनको वेतन के भुगतान के सिलसिले में वेतन अधिनियम के अन्तर्गत ले लिया जायेगा और जब मान्यवर, यहां पर विधान सभा में सवाल किया जाता है तो उस समय माननीय मंत्री जी बता रही है कि सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिये कहा गया था, कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गयी थी। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सहानुभूति पूर्वक विचार करने की बात कही गयी थी तो अभी तक उस पर विचार किया गया या नहीं किया गया अगर विचार नहीं किया गया तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं फिर आपसे हाथ जोड़कर सविनय निवेदन करती हूं कि कोई नीति में यह प्रश्न उठा था और हमारे माननीय राज्यमंत्री जी ने उसके सम्बंध में यह कहा था, औपचारिक घोषणा नहीं की थी, यह कहा गया था कि सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा रहा है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, औपचारिक घोषणा नहीं की थी, मंत्री जी ने बताया।

श्री अध्यक्ष—

मैंने शुक्ला जी को बुलाया है।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने डा0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं पं0 जवाहर लाल नेहरू जन्म शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वेतन वितरण अधिनियम में राजाज्ञा निर्गत करने की जो बात कही थी, यह अक्सर देखा गया है कि माननीय मंत्रीगण सभाओं में जाकर पालिसी मैटर को कहते है और कहने के बाद वह मुकर जाते हैं जब हाउस के अन्दर विधान सभा में को बात लाई जाती है तो फिर वह अपनी बात से भागने लगते हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा। जो उन्होंने उन अध्यापकों की सभा में कहा था, उस सिलसिले में जो कहा है, मैं यह भी मानता हूं कि उन्होंने कहा कि सहानुभूतिपूर्वक विचार कर लिया जायगा। मैं मानकर चलता हूं कि यह ठीक है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या कोई सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिये उस सम्बन्ध में कोई कमेटी बनाकर राजाज्ञा जारी करने की घोषणा करेगीं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, अभी समिति बनाने का शासन का कोई भी विचार नहीं है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की घोषणा राज्य मंत्रीजी ने की थी। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या किसी स्तर पर किसी अधिकारी द्वारा मंत्री द्वारा, किसी कमेटी द्वारा विचार शुरू हुआ है; या नहीं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

माननीय, इस सम्बन्ध में कई सुझाव आ चुके हैं और आज भी मा0 सदस्यों के सुझाव सामने आये हैं। माननीय, उस पर अवश्य सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है और किया जायगा।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय, मा0 मंत्री मैंने बताया है कि कई तरफ से सुझाव आए हैं। मा0 सदन को मा0 मंत्री जी बताने का कष्ट करें कि क्या-क्या सुझाव आए हैं, कहां-कहां से आए हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

माननीय, आज ही आपकी छत्रछाया में सम्मानित सदस्यों की तरफ से जो सुझाव आये हैं, यह तो सामने हैं।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय, इस प्रश्न को मा0 मंत्री जी हल्के तौर पर ले रही हैं, अभी आपके सामन मा0 मंत्री जी ने यह कहा कि कई तरफ से सुझाव आए हैं और यही सवाल मैंने किया कि किन-किन तरफ से सुझाव आए हैं, क्या-क्या सुझाव हैं, उसको हल्के तौर पर लेकर सदन की ओर मोड़ द रही हैं। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। जो उत्तर मा0 मंत्री जी ने दिया है, उसी उत्तर के संदर्भ में मैंने प्रश्न पूछा था, या तो मा0 मंत्री जी कह दें कि जो उत्तर अभी दिया है सुझाव आने के बारे में, वह उत्तर गलत है, अगर गलत नहीं है तो मा0 मंत्री जी बता दें कि सुझाव क्या-क्या हैं और किन-किन लोगों की ओर से आए हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

माननीय सुझाव यह है कि जो विद्यालय हमारी जूनियर हाई स्कूल ग्रान्ट लिस्ट में नहीं हैं, सम्बद्ध हैं इण्टरमीडिएट कालेज से, उनको इण्टर कालेजों के बारे में लागू बेतन वितरण अधिनियम में लिया जाय, यह सुझाव आ रहे हैं। आपने भी दिया है। उस पर हम लोग सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं।

*3--श्री हरेन्द्र सिंह--

(न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद फैजाबाद के भीटी ब्लाक में आई0 आर0 डी0 तथा अन्य योजनाओं में बैंक कर्मियों तथा ब्लाक कर्मचारियों पर करोड़ों रुपये के गबन का आरोप

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के भीटी ब्लाक में आई0आर0 डी0 समेत विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों को ऋण देने के नाम पर तथा कथित लाभार्थियों ब्लाक के कर्मचारियों और बैंक कर्मचारियों की मिली-भगत के परिणामस्वरूप केवल वर्ष 87-88 में करोड़ों रुपये का गबन कर लिया गया है जिसका सत्यापन आई0आर0 डी0 योजना के लिए ब्लाक में स्वीकृत दुकानों के क्रय-विक्रय तथा बिक्रीकर के अभिलेखों की जांच से आसानी से किया जा सकता है जिनमें सामानों की खरीददारी किए बिना ही संबंधित दुकानदारों द्वारा फर्जी तौर पर उनका बिक्री किया जाना दिखाया

गया है और वर्ष भर में दर्शायी गयी बिक्री पर सेल्स-टैक्स भी नहीं जमा किया गया है और फर्जी बाउचर बनाकर लाभार्थियों, बैंक कर्मियों और ब्लाक कर्मचारियों ने बिना कुछ किए ही सरकारी धन को बन्दर बांट कर लिया है ? यदि हां, तो उक्त ब्लाक द्वारा वर्ष 87-88 में विभिन्न बैंकों द्वारा आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को बांटे गये ऋणों का भौतिक सत्यापन कराकर दोषी लोगों को दण्डित करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)--

जनपद फैजाबाद के भीटी विकास खण्ड में आई0 आर0 डी0 तथा अन्य योजनाओं में वर्ष 1987-88 में हुई कथित अनियमितताओं के संबंध में विशिष्ट सूचना के अभाव में संसाधनों के दुर्विनियोग का आंकलन करना सम्भव नहीं है, तथापि प्रश्नगत वर्ष में संपूर्ण फैजाबाद जनपद में आई0आर0 डी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरित ऋण एवं समायोजित अनुदान के आयाम को दृष्टिगत करते हुए विकास खण्ड भीटी में आंका गया गबन अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होता है ।

आई 0आर0 डी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जाने वाली परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन की एक निर्धारित प्रक्रिया है । जनपद से प्राप्त सूचना के अनुसार विकास खण्ड भीटी में आलोच्य वर्ष में इसका पालन किया गया था तथा किसी अनियिमितता की विशिष्ट सूचना उपलब्ध होने पर भौतिक सत्यापन कराया जायगा और दोषी सिद्ध होने की दशा में उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायगी ।

परिसम्पत्तियों की आपूर्ति के संबंध में बिक्रीकर अभिलेखों में उपलब्ध सूचना प्राप्त की जा रही हैं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

श्रीमन्, आप संरक्षण देने की कृपा करें देखें, मेरा प्रश्न 4-11-88 का है और मैंने स्पष्ट कहा है, मंत्रीजी के बजट पर भी सुझाव देते हुए कहा है कि जो आई0 आर0 डी0 योजना है, उसमें 17 परसेंट कमीशन खुले आम हमारे जनपद में लिया जा रहा है । और मैंने माननीय मंत्री जी से यह चाहा था कि केवल एक ब्लाक भीटी ले लें जिसमें जो लाभार्थी चयनित हुए हैं उनको देख लें, बैंक से जो चेक इश्यू हुए हैं, डीलर जो हैं उसका सेल परचेज रजिस्टर देख लें, उसने सेल्सटैक्स कितने का दिया है उसको देख ले सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी । उत्तर के अन्त में बड़े भोलेपन से लिखा है कि "परिसम्पत्तियों की आपूर्ति के संबंध में बिक्रीकर अभिलेखों में उपलब्ध सूचना प्राप्त की जा रही है ।" जो सी0डी0 ओ0 फैजाबाद में आपकी सरकार ने भेजा क्या वह आपको सही सूचना देते हैं ? मेरे 4-11-88 के प्रश्न के बाद भी माननीय मंत्री जी को उसने सूचना नहीं दी होगी । माननीय मंत्री जी को नहीं मालूम होगा कि 87-88 में आई0 आर0 डी0 में भीटी ब्लाक में कुल कितने लाभार्थी थे, कितने को ऋण दिया कितने मामलों में चेकिंग करायी गयी ? श्रीमन्, ऐसी स्थिति में दो बातें केवल जानना चाहता हूं कि क्या इस स्थिति को देखते हुए और मेरे कथन को सत्य मानकर आप भीटी ब्लाक की गहन चेकिंग यहां से कोर्ट टीम भेजकर करा लगे ? लाभार्थियों ने सही मायने में न उसको खरीदा है और डीलर के पास वह सामान था भी नहीं ? और जो बिक्री कर दिखाया ह उसकी क्या स्थिति है ? यह जो है सी0 डी0 ओ0 आपका वहां, उसे वहां से हटाने की सारी स्थिति को देखने के बाद कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, उत्तर के दूसरे पैरा में यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी अनियमितता की विशिष्ट सूचना उपलब्ध होने पर भौतिक सत्यापन कराया जायेगा और दोषी सिद्ध होने की दशा में उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। माननीय तिवारी जी ने एक जनरल टाइप का सवाल पूछ दिया है। हर विकास खंड में 800–900 और कहीं-कहीं तो 1000 लाभार्थी हुआ करते हैं सभी का भौतिक सत्यापन दोबारा कराने में मान्यवर, कठिनाई उत्पन्न होगी। अगर माननीय तिवारी जी विशिष्ट लाभार्थी का नाम, विशिष्ट दुकानदार का नाम दे दें जहां इस तरह की गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच अवश्य करा ली जायेगी।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

सी0 डी0 ओ0 जो वहां आपका है, मेरी चुनौती है कि वह आपको आंकड़े नहीं देता है। इस मामले में 87–88 में भीटी ब्लाक के लाभार्थियों की न तो संख्या की जानकारी आपको दी होगी और न सूची भेजी होगी और न जानकारी इस बात की होगी कि कितने को आई0 आर0 डी0 का ऋण दिया गया। सारी परिस्थिति को देखने के बाद, मेरे आरोप को ध्यान में रखते हुए कि हमारे यहां इस ब्लाक में 17 प्रतिशत मिनिमम कमीशन लाभार्थियों से लिया जा रहा है आई0 आर0 डी0 के, क्या उस सी0 डी0 ओ0 को वहां से हटाने पर विचार करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, मैंने पूर्व में ही कहा कि विशिष्ट सूचना अगर माननीय विधायक जी देंगे कि कहां पर कमीशन लिया गया, किससे लिया गया तो उसकी जांच करा लेंगे। अधिकारियों के स्थानान्तरण होते रहते हैं। मान्यवर, अगर कोई विशिष्ट बात होगी तो यथासमय विचार कर लिया जायेगा स्थानान्तरण पर।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, आप देखें माननीय मंत्री जी तिवारी जी से पूछ रहे हैं कि आप बतायें कि किससे कमीशन लिया गया और कौन सी तारीख में लिया गया, यह काम हमारा है या शासन का आप इसमें संरक्षण दें। मान्यवर यह काम शासन का है। माननीय तिवारी जी ने आरोप लगाया है कि वह अधिकारी कमीशन लेता है, भ्रष्ट है। मान्यवर, जो भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं वह हमें जनता से मिलते हैं उसके आधार पर हम यहां कहते हैं। स्वयं माननीय मंत्री जी उसके खिलाफ कार्यवाही करायें, जांच करायें अपने किसी अधिकारी को नियुक्त करके उसकी जांच करायें। आपका जो टेक्निकल आडिट सेल है उससे ही आप उसकी जांच करा लेंगे उसके कार्यों की तो सारी स्थिति स्वतः सामने आ जायेगी और, जांच से पहले-पहले उसका ट्रांसफर वहां से सुनिश्चित कर लें। जब आप स्वयं कहते हैं कि ट्रांसफर होते रहते हैं। यह बात सही है कि ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं है। क्या जांच से पहले उस सी0 डी0 ओ0 का ट्रांसफर सुनिश्चित करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपध्याय—

मायवर, माननीय राणा जी मेरे उत्तर को शायद समझ नहीं पाये। हवा में तो जांच होगी नहीं। जनरल टाईप की बात कह दी गयी जब तक स्पेसिफिक कोई प्रकरण नहीं माननीय राणा जी दे देंगे तब तक जांच कैसे करायी जा सकती है। मैं बार-बार कह रहा हूं कि अगर स्पेसिफिक शिकायत मिले कि किस अधिकारी ने किस लाभार्थी से किस परिसम्पत्ति के क्रय करने में कमीशन लिया है। यह माननीय सदस्य अगर मुझे सूचना दे दें तो इस प्रकरण को अवश्य जांच करा ली जायेगी।

श्री माता प्रसाद पांडेय—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई स्पेसिफिक बताया जाय। मान्यवर, एक ब्लाक में ज्यादा लोग नहीं हुआ करते हैं। एक ब्लाक भीटीं में जितने लोग हैं, उन्हीं का सर्वेक्षण करा लेते तो पता चल जाता, मान्यवर वास्तव में इनकी नीयत साफ नहीं है और बेईमानी में यह सभी लोग संबंद्ध हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो जांच आप करवायेंगे, वैसे जांच तो जिला स्तर पर होती है, जैसे निर्माण कार्यों के लिये आर0ई0ए स0 की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बना रखी है तो क्या इसी तरह की कोई कमेटी मुख्यालय स्तर पर भी बनवायेंगे, जो किसी ब्लाक में एटेन्डम जाकर जांच करे और अपनी रिपोर्ट दें ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, शिकायतें प्राप्त होने पर जिला स्तर पर जांच कराई जाती है और मुख्यालय से भी जांच कराई जाती है और शासन स्तर पर सचिवालय में जो अधिकारी हैं, उन्हें भी जांच हेतु भेजा जाता है।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

मान्यवर, मेरा स्पष्ट सवाल है और माननीय मंत्री जी ने कहा कि विशिष्ट शिकायत बताइये। मैंने स्पष्ट कहा कि भीटी ब्लाक में बिना सामान खरीदे ही फर्जी कैश मेमों बनवा कर केवल कैश मेमों के आधार पर आई0आर0 डी0 का पैसा हड़प किया जा रहा है, तो मैं जानना चाहूंगा कि वहां पर मुश्किल से 3–4 डीलर हैं, तो क्या आप उनके स्टाक रजिस्टर, सेल और परचेज रजिस्टर का इन्स्पेक्शन कराके इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह के कितने मामले हैं, जिनमें लाभार्थी को चीज दी नहीं गई क्योंकि उस डीलर पर वह वस्तु उपलब्ध ही नहीं थी, सिर्फ फर्जी कैशमेमो काटकर सारा पैसा हड़प कर लिया गया है और इस बात का पता लगाने के लिये मुख्यालय स्तर से कोई टीम भेजकर जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, इस बिन्दु की जांच करा लेंगे।

शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा जनपद बलिया के विकास खण्डों में भवन बनाने की स्वीकृति।

*2—श्री मैनेजर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष बलिया जनपद में प्रत्येक विकास खण्ड के अन्तर्गत आ ठ बे0 शि0 विद्यालय भवन ग्रा0 अभि0 सेवा द्वारा नया बनाने की स्वीकृति थी ? यदि हां, तो प्रत्येक ब्लाक में कौन कौन विद्यालय भवन निर्मित हुए और कितने नहीं हुए और क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

गत वर्ष (1987–88) बलिया जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड में 8 बेसिक शिक्षा विद्यालय भवन बनाने की स्वीकृति नहीं थी, बल्कि शिक्षा निदेशक, बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रेषित विकास खण्डवार सूची के अनुसार जनपद बलिया के 18 विकास खण्डों में कुल 159 भवन बनाने की स्वीकृति थी।

कुल उपलब्ध 103 कार्य स्थलों में से 8 कार्य पूर्ण हो गये हैं। 95 कार्य प्रगति में हैं।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, इस प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है, वह है सूचना एकत्र की जा रही है, जिस समय यह उत्तर दिया गया था, उस समय सूचना उपलब्ध नहीं थी। परन्तु अब सूचना आ गयी है, अगर इजाजत हो, तो बता दूं ?

श्री अध्यक्ष:—

हां; बता दीजिये ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

गत वर्ष 1987–88 में बलिया जनपद के प्रत्येक विकास खंड में आठ बेसिक शिक्षा विद्यालय बनाने को स्वीकृति नहीं थी, फिर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार प्रत्येक विकास खंड (कुल 18) में 159 भवन बनाने की स्वीकृति दी गयी थी। इसमें से कुल उपलब्ध 103 कार्यस्थलों में 8 का कार्य पूर्ण हो गया है और 95 प्रगति पर हैं।

श्री मैनेजर सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो गत वर्ष नये विद्यालय भवन बनाने की स्वीकृति दी गयी थी, क्या वह प्रत्यक विकास खंड के हिसाब से स्वीकृति थी और उस 8 में मुरली दियरा, बिलरिया, बहेड़ी आदि में काम लगा ही नहीं है, इसके लिये दोषी कौन हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर; सूची उपलब्ध करा दी गई है ।

श्री मैनेजर सिंह—

जो सूची भेजी गयी है; वह त्रुटिपूर्ण है और दोनों सालों का मिला कर दिखाया गया है । जो पिछले साल का दिखाया गया है, वह भी भ्रामक है । भाउटेल, बाघिलपुर आदि गांवों में काम लगा ही नहीं है । क्या आप इसकी उच्चस्तरीय जांच करायेंगे । इसमें दो तरह के घपले हो रहे हैं एक तो स्थान जो स्वीकृत थे, कमेटी के द्वारा, जिलाधिकारी ने जो भेजा था, उस सूची में परिवर्तन कर दिया, आर0ई0एस0 के लोगों ने । तो क्या वह लोग सूची में परिवर्तन करने के लिये अधिकृत थे ? दूसरी बात काम शुरू नहीं हुआ, उसको भी आपने कह दिया कि काम शुरू हो गया है । क्या आप इस सब मामले की गम्भीरता से जांच कराकर दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, इसको दिखवा लगे ।

(सोमवार दिनांक 3 अप्रैल; 1989 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

प्रवेश के विश्वविद्यालयों की स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु छात्रों को अर्ह न होने की स्थिति में रोक लगाया जाना ।

*1—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष उ0 प्र0 के सभी विश्व विद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं (एम0 ए0) प्रथम वर्ष में प्रवेश पर रोक लगाने का औचित्य क्या है और क्या सभी विश्वविद्यालयों में ब्रिज कोर्स लागू कर दिया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

शासन द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई।

त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू करने के फलस्वरूप तीसरे वर्ष में विश्वविद्यालयों द्वारा सामान्यतया स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु सत्र 88-89 में अपने-अपने विश्वविद्यालयों के छात्रों के अर्ह न होने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रवेश में रोक लगाई गई। कतिपय विश्वविद्यालयों में ब्रिज पाठ्यक्रम लागू किया गया है। अन्य विश्वविद्यालय अपनी-अपनी आवश्यकतानुसार आगे वर्षों में ब्रिज पाठ्यक्रम लागू कर सकते हैं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह---

मान्यवर, मैंने पहला प्रश्न माननीय मंत्री जी से यह पूछा था कि 1988-89 में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश न लेने का औचित्य क्या था? इस प्रश्न को तो माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया कि प्रवेश पर रोक लगाई गई थी। प्रवेश पर रोक का कारण उन्होंने बताया कि अनर्ह थे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चहता हूं कि 1988-89 में कौन-कौन से विद्यार्थी स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश लेने के लिये अनर्ह थे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

मान्यवर, जिन्होंने थ्री ईयर डिग्री कोर्स लिया है, अगर उन्होंने उसे पास नहीं किया है तो उन्हें एम0 ए0 की कक्षा में यू0 जी0 सी0 के आदेशानुसार प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। जिन्होंने दो साल का डिग्री कोर्स अभी पास किया है, उन्हें स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश पाने के लिये ब्रिज कोर्स पास करना आवश्यक है। माननीय सदस्य भी इसे भली-भांति जानते हैं, उन्हें तो इस प्रश्न को करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किन-किन विश्वविद्यालयों ने अपने यहां ब्रिज कोर्स का पाठ्यक्रम निर्धारित कर लिया है और कहां-कहां ब्रिज कोर्स प्रारम्भ हो गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

मान्यवर, लखनऊ, अवध, पूर्वांचल और गोरखपुर विश्वविद्यालय में ब्रिज कोर्स का शुभारम्भ हो गया है।

नगरपालिका शाहगंज, जनपद जौनपुर के अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध आरोपों की जांच।

*2---श्री दीपचन्द्र सोनकर---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नरगपालिका शाहगंज, जनपद जौनपुर के अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध अनियमितता संबंधी प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 9 फरवरी, 1988 को मिला था ? यदि हां, तो पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री नरेश चन्द्र---

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9-2-88 शासन में प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु इस विषयक पर प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनांक 10-2-88 मा0 श्री त्रिलोक चन्द्र, उपाध्यक्ष विधान सभा के पत्र दिनांक 10-2-88 के संलग्नक के रूप में प्राप्त

हुआ है। उक्त शिकायती-पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच हेतु जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर को दिनांक 25–2–88 को निर्देशित किया गया था। जिलाधिकारी, जौनपुर ने उक्त शिकायती पत्र में उल्लिखित आरोपों की प्रारम्भिक जांच कराकर जांच आख्या दिनांक 16–3–88 को तथा अन्तिम जांच आख्या दिनांक 21–12–88 को शासन को भेजी है। जांच आख्या यह शासन के विचाराधीन है। कतिपय बिन्दुओं पर जिलाधिकारी जौनपुर से सूचना मांगी गयी है। तत्कालीन अधिशासी अधिकारी का वर्ष 1988 में नगरपालिका शाहगंज से अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा चुका है। प्रश्न नहीं उठता।

श्री दीप चन्द्र सोनकर—

मान्यवर, यह बढ़ा गम्भीर मामला है, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। जैसा माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया है, 10–2–88 को अधिशासी अधिकारी के खिलाफ सूचना दी थी, 5 अक्टूबर, 1988 को सदन में उठाया था, जिसमें सभी तथ्यों पर नियम 301 में जो जवाब दिया गया था, तथ्य से परे था। जब हमने 10–2–88 को माननीय मन्त्री जी को शिकायती पत्र दिया था, उस पर किन-किन बिन्दुओं पर जांच की गयी है यही बता दें।

(प्रश्नकर्त्ता सदस्य द्वारा कुछ अटक-अटक कर बोलने एवं प्रश्न के स्पष्ट न हो पाने पर)

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैं पूछ लेता हूं।

माननीय मंत्री जी ने 16–3–88 को जांच कराकर अन्तरिम रिपोर्ट जिलाधिकारी ने भेजी, 21–12-88 को अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हुई। दो चीजें हैं "अन्तरिम रिपोर्ट" और "अन्तिम रिपोर्ट" 21–12–88 की अन्तिम रिपोर्ट क्या है? इसके बाद किन बिन्दुओं पर जांच करायी है? इसके बाद कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

श्री नरेश चन्द्र—

मा0 वर्मा जी ने जो अन्तरिम रिपोर्ट की बात कही, तीन मुद्दे थे। पहला नाले के निर्माण में घपला हुआ, दूसरा, चुंगी की चोरी हुई, तीसरा, निर्माण के अन्य कार्यों में घपला हुआ। एक और था कि प्लांट जो था सूरज बली के साथ समझौता हुआ था, उसमें घपला हुआ। अन्तरिम रिपोर्ट में कहा गया कि नाले की सफाई में घपला नहीं हुआ। चुंगी चोरी के लिये आरोप था कि टेरीकाट और सूती का एक ही दर पर लगाया जा रहा है वह भी साबित नहीं हुआ। समझौते की बात थी, कि समझौते का उल्लंघन, किया, तो वह रिपोर्ट जिलाधिकारी द्वारा मिलेगी। अन्तिम रिपोर्ट का जो जिक्र किया तो पहली का मैंने बता दिया, उसके बाद जो अन्तिम रिपोर्ट आयी तो बता दिया कि स्थानान्तरण कर दिदया गया। सूरज बली ने समझौता किया था नगरमहापालिका के अधिवक्ता और डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल के साथ समझौता हुआ था और उन्होंन उल्लघन किया, उल्लघन के बाद नोटिस दी जा रही है।

*श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, क्लीयर नहीं हुआ। "अन्तिम रिपोर्ट" और "अन्तरिम रिपोर्ट" दो चीजें हैं। अन्तरिम रिपोर्ट क्या थो, नहीं बता पाये। जो नगरपालिका की भूमि का एक व्यक्ति के नाम से एलाट करने का था, एक लाख रु0 दिया गया था, रुपया लेकर समझौता

करके नगरपालिका का नुकसान किया। इस पर "अन्तरिम रिपोर्ट" और "अन्तिम रिपोर्ट" क्या भेजी ? किस बात की जांच करा रहे हैं ?

श्री नरेश चन्द्र—

मैंने अभी वर्मा जी को जो बात बतायी, शायद मैं समझा नहीं पाया। अन्तरिम रिपोर्ट में बताया कि जो नगरमहापालिका और सूरजबली के बीच समझौता हुआ था डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल की राय ले ली, शासन को लिख दिया कि समझौता हो गया है। उसने समझौते का उल्लंघन किया, उसके बाद सरकार द्वारा नोटिस दे दी गयी है। फाईनल रिपोर्ट में एक मुद्दा है कि काले धन को फिक्सड डिपाजिट में जमा किया गया और उससे नेशनल सेविंग सार्टिफिकेट क्रय किये गये, इस बिन्दु पर शासन ने सी0आई0 डी0 की जांच के आदेश दे दिये हैं।

श्री दीप चन्द्र सोनकर—

मान्यवर, जो 1982 में नगरपालिका के अधिकारी द्वारा सूरजबली पर मुकदमा कायम कराया गया और उसे 3/22/4 की जमीन दी जानी थी लेकिन नगरपालिका के सांठ-गांठ से उसे 22/22/16 की जमीन लेकर उससे समझौता किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि नगरपालिका का अधिकारी भूमि की सुरक्षा करने क लिये रखा गया था या फिर 22/22/16 की जमीन लेकर उसे बेच देने के लिये रखा गया था ? और यह सी0 आई0 डी0 की जांच के आदेश कब दिये गये हैं ?

श्री नरेश चन्द्र—

जो बात अभी आपने समझौते वाली कही है, यह प्रस्ताव पहले सूरज बली की तरफ से आया था। नगरपालिका ने काउंसिल से इसके बारे में पूछा था कि क्या समझौता कर सकते हैं ? समझौते पर फिर दोनों पक्ष तैयार हुए। मैंने बताया कि नगर-पालिका के अधिवक्ता से और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की राय से यह समझौता हुआ था और जब उसका उल्लंघन किया गया तो फिर हमने नोटिस दे दी।

श्री मैनेजर सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी अपन उत्तर के सन्दर्भ में बतलाने की कृपा करेंगे कि सी0आई0डी0 की जांच के लिये आदेश किन-किन बिन्दुओं के लिये दिये गये हैं ? जिलाधिकारी, जौनपुर का जो आचरण इसमें प्रकाश में आ रहा है तो क्या आप उस जिलाधिकारी के आचरण की जांच भी सी0 आई0 डी0 के द्वारा करायेंगे कि उन्होंने जिस तरह स शिकायतों की लीपा-पोती की है। आजकल देखने में आ रहा है कि जिलाधिकारी ही भ्रष्टाचार का स्रोत बन गये हैं, आई0 आर0 डी0 में 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक जिलाधिकारी स्वयं ले रहे हैं। तो इन बातों को देख कर आप जिलाधिकारी के विरुद्ध सी0 आई0 डी0की जांच के क्या आदेश देंगे ?

श्री नरेश चन्द्र—

इसमें दो-तीन मुख्य मुद्दे थे। दो मुद्दों के बारे में पहले ही बताया है कि क्या बिना नक्शा पास किये हुए मकान बनाया जा रहा है, यह उचित है ? लेकिन सी0आई0डी0 की जांच केवल एक ही प्रकार पर किये जाने के आदेश दिये गये हैं। ए0डी0एम0 रेवेन्यू जो कि ए0डी0एम0 फाइनेन्स भी हैं, तो ए0 डी0 एम0 रेवन्यू और ए0 डी0 एम0, फाइ-नन्स की जांच उन्होंने भेज दी है। अभी माननीय सदस्य मैनेजर सिंह जी जैसा कह रहे थे यदि वे तथ्यों को सामने लायेंगे तो जिलाधिकारी की भी जांच करायी जायेगी।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

माननीय मंत्री जी जो अन्तरिम रिपोर्ट और फाईनल रिपोर्ट जिलाधिकारी के द्वारा भेजी गयी है, शासन ने उसमें पाया कि इसमें भारी अनियमिततायें हैं तथा सी० आई० डी० की जांच के लिये आदेश किये, तो जैसा कि अभी मा० मैनेजर सिंह जी ने कहा कि जिलाधिकारी का आचरण इसमें संदिग्ध प्रतीत होता है, तो क्या आप जिलाधिकारी के विरुद्ध भी सी० आई० डी० की जांच करायेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र--

मैंने बताया कि सिर्फ एक मुद्दे के लिये सी० आई० डी० को जांच के लिये आदेश दिये गये हैं कि काले धन से जो फिक्स डिपाजिट कराया गया और उससे नेशनल सेविंग्स सार्टिफिकेट खरीदे गये हैं, इस मुद्दे पर शासन ने सी० आई० डी० की जांच क लिये आदेश दे दिये हैं ।

जिलाधिकारी फैजाबाद द्वारा ग्राम सभा चुनावों में हुये भ्रष्टाचार और धांधलो की जांच एवं कृत कार्यवाही के विवरण की मांग

*3--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गांव सभा चुनावों में हुए भ्रष्टाचार तथा पक्षपात के सम्बन्ध में जिलाधिकारी फैजाबाद को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 29-6-88 का पत्र शासन का मिल गया है ? क्या यह सच है कि 4 जुलाई, 1988 को जनता पार्टी फैजाबाद द्वारा जिलाधिकारी फैजाबाद के कार्यालय के सामने कुछ मांगों को लेकर एक धरना आयोजित किया गया था जिसमें अन्य मांगों के अलावा गांव सभा चुनावों में हुये भ्रष्टाचार और धांधली की जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की गयी थी और जिलाधिकारी को मांगों का एक ज्ञापन भी दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त पत्र और ज्ञापन पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है और उसे सदन के पटल पर रखने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

जी हां ।

जी हां । शिकायती पत्र में विभिन्न आरोपों का उल्लेख करते हुए विशेषत: ग्राम सभा दारीडीहा में हुए चुनाव में नामांकन पत्रों की स्वीकृति और अस्वीकृति में अनियमितता का आरोप लगाया गया था । सहायक निर्वाचन अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट पक्षों को सक्षम न्यायालय में चुनाव याचिका प्रस्तुत करने का विकल्प था। जिलाधिकारी को प्राप्त ज्ञापन में सामान्य प्रकार के विभिन्न आरोप लगाये गये हैं जिनकी जांच विशिष्ट सूचना के अभाव में करना सम्भव नहीं है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

मान्यवर माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ मे मैं आपका संरक्षण चाहूंगा कि 29-6-88 को एक पत्र जिलाधिकारी को लिखा था, उसमें उन उदाहरणों का मैंने उल्लेख किया कि नामांकन पत्रों में धांधली की गयी जो पर्चा वैध था उसको अस्वीकृत किया गया और पर्चा अवैध था खारिज होने वाला था, वह विशिष्ट पार्टी का होने की वजह से स्वीकृत कर लिया गया । इस प्रकार की तमाम शिकायतें लिखकर जिलाधिकारी को दी गयी थीं, जिसका उत्तर माननीय मंत्री जी यह दे रहे हैं कि विशिष्ट शिकायते न होने की वजह से कार्यवाही करना असंभव है । इसलिये मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि 29-6-88 को जो पत्र मैंने जिलाधिकारी, फैजाबाद को दिया था, जिसमें तमाम विशिष्ट घटनाओं का हवाला दिया गया था, जिसमें पक्षपात व भ्रष्टाचार की स्पष्ट शिकायतें की गयी थीं, यदि यह शिकायतें की गयीं तो इस मामले में जांच कराकर दोषी पाये गये अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, माननीय तिवारी जी द्वारा एक शिकायती पत्र दिनांक 29-6-89 को दिया गया तथा एक ज्ञापन भी दिया गया। जहां तक इस शिकायती-पत्र में शिकायतों की बात है वह ग्राम प्रधान के चुनाव के संबंध में थी। शिकायतें स्पैस्फिक थीं, लेकिन मान्यवर, यदि किसी सहायक निर्वाचन अधिकारी ने किसी उम्मीदवार के पर्चे को स्वीकृत किया या अस्वीकृत किया गया कोई कार्यवाही नियमों के खिलाफ की तो ऐसे मामलों में जांच का अधिकार कार्यपालिका को नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है तो उसकी शिकायत इलेक्शन पेटीशन में होगी और वहीं पर समस्त कार्यवाही जांच आदि भी होगी।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से संरक्षण चाहूंगा कि पर्ची वैध खारिज की गयी या अवैध स्वीकृत की गयी तो इस पर तो यह मामला इलेक्शन पेटीशन को जायगा, लेकिन किसी अधिकारी द्वारा अगर गलत पर्ची खारिज कर दी गयी तो यह मामला जो शासन में आयेगा और शासन में इस पर विचार नहीं होगा तो कहां होगा। इस संबंध में मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे कि हम विधान सभा में पर्चा भरते हैं और उस पर्चे को यदि रिटर्निंग आफिसर गलत ढंग से घूस लेकर या पक्षपात पूर्ण तरीके से उस पर्ची को खारिज कर दिया तो उसकी शिकायत हम कहां करेंगे, इस मामले की शिकायत भी शासन में ही करेंगे, ठीक उसी तरह से इस मामले में भी विचार यहीं पर होगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस ममाले में कौन सी रुकावट आ रही है जांच कराने में और जांचोपरान्त निष्पक्ष कार्यवाही कराने में ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, माननीय तिवारी जी एक विद्वान सदस्य हैं पहले भी हमने यही अनुरोध किया कि यदि सहायक चुनाव अधिकारी द्वारा कोई पर्ची गलत या सही खारिज कर दी गयी तो इसमें कार्य पालिका कहां से दखल देगी, यह स्पष्ट रूप से पेटीशन का मामला है, सक्षम न्यायालय का मामला है, इसमें कार्यपालिका का मामला कहां से मा0 तिवारी जी ला रहे हैं ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

अब तो मैं मान्यवर, आपका संरक्षण चाहूंगा ,पेटीशन का मामला इलेक्शन का रिजल्ट होता है, लेकिन किसी अधिकारी का आचरण भ्रष्ट रहा हो और उसने जान बूझ कर गलत काम किया हो, तो वह पेटीशन के परव्यू में नहीं आता है। जब पेटीशन का रिजल्ट प्रभावित होता है, तो व्यक्ति पेटीशन में चला जाता है, लेकिन अधिकारी केभ्रष्टाचार के लिये तो हम शासन से शिकायत करते हैं। उन गलतियों को कार्यपालिका द्वारा एक्जीक्यूटिव तरीके से जांच कराने में शासन के हाथ कहां पर बंधे हैं।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

अधिकारी एक तो कार्यपालिका के दायित्वों का निर्वहन करता है और दूसरे जिस समय वह अधिकारी सहायक निर्वाचन अधिकारी या निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है, तो वह सारे काम निर्वाचन संबंधी जो नियमावली है, उसके तहत अपने कार्यों को सम्पन्न करता है और उन कार्यों को सम्पन्न करते समय अगर घूस लेता है नियमों के प्रतिकूल आचरण करता है तो उसका प्रापर फोरम सक्षम न्यायालय है और सक्षम न्यायालय में किसी भी उम्मीदवार को छूट है कि वह अपनी बात को कह सके कि उसने घूस लिया है, या अवैध रूप से खारिज किया है। इन सारे बिन्दुओं को कोई भी उम्मीदवार

उठा सकता है और अगर इन विन्दुओं को वह न्यायालय में साबित कर देता कि निर्वाचन में किसी अधिकारी ने अवैध काम किया है और न्यायालय से इस तरह का वरडिक्ट दिया जाता है जा सकता है, तब कार्यपालिका उस अधिकारी के खिलाफ कार्य कर सकती है।

लघु सिंचाई विभाग द्वारा रिग मशीन से बोरिंग कराने के इच्छुक कृषकों हेतु पंजीकरण के समय शुल्क के रूप में एक हजार रुपये जमा कराया जाना

*4---कुंवर मानवेन्द्र सिंह---

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि लघु सिंचाई विभाग द्वारा गहरे नलकूपों के निर्माण हेतु कृषकों से एक हजार रुपये की धनराशि सर्वेक्षण हेतु पंजीकरण, करने के पूर्व ली जाती है? क्या यह सही है कि लघु सिंचाई विभाग द्वारा उक्त धनराशि भूगर्भ जल विभाग को स्थानान्तरित न किये जाने के कारण विभिन्न सर्वेक्षण नहीं किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त वित्तीय अनियमितता की जांच करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

जी नहीं। रिग मशीन से बोरिंग कराने के इच्छुक कृषकों के प्रार्थना पत्र पंजीकरण के समय रु0 1,000 पंजीकरण शुल्क के रूप में जमा कराया जाता है सर्वेक्षण हेतु नहीं।

जी नहीं। कृषि कार्यो हेतु भू-गर्भ जल विभाग द्वारा सर्वेक्षण निःशुल्क किया जाता है। अस्तु भू-गर्भ जल विभाग को धन स्थानान्तरित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहुंगा कि लघु सिंचाई विभाग द्वारा नलकूपों के निर्माण हेतु कृषकों से 1 हजार रुपये की धनराशि ली जाती है और भूगर्भ जल सर्वेक्षण से सर्वे कराया जाता है तो क्या मेरी सूचना को सही मान कर कि लघु सिंचाई विभाग ने 8 सौ से एक हजार रुपया सर्वेक्षण का पैसा दिया है। मैं झांसी मंडल की बात बता रहा हुं कि लघु सिंचाई विभाग ने प्राइवेट कम्पनी एजेन्सी से 304 बोरिंग करायी है, जिसके लिये लघु सिंचाई विभाग ने तीस हजार रुपये का भुगतान किया है। तो यह प्राइवेट एजेन्सी को रुपया दे सकते है, भूगर्भ जल सर्वेक्षण को नहीं पैसा दे सकत हैं, तो ऐसा क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

जो एक हजार रुपया है, जो कृषकों से बोरिंग कराने के लिये पूर्व लिया जाता है, वह भूगर्भ जल विभाग को स्थानान्तरित नहीं किया जाता है और यह शासन की नीति है कि बोरिंग कराने के लिये जो सर्वेक्षण कराया जाता है, उसमें भूगर्भ जल सर्वेक्षण को कोई पैसा स्थानान्तरित न किया जाये। भूगर्भ जल विभाग सर्वे का काम करता है, इसलिये किसानों से जो रुपया जमा कराया जाता है, उसके स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता है और जहां तक प्राइवेट एजेन्सी से सर्वे कराने का प्रश्न है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब भूगर्भ जल विभाग के पास काम अधिक होता है, सर्वे का लोड अधिक होता है और सर्वेक्षण का पूरा कार्य नहीं कर पाते हैं इसलिये प्राइवेट एजेन्सियों से सर्वेक्षण का काम करा लिया जाता है।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह---

भूगर्भ जल विभाग को न तो स्वयं मजबूत करना चाहते हैं और न ही उससे काम लें रहे हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि चूंकि प्राइवेट एजेन्सीज

का परिणाम 34 प्रतिशत सफलता का रहा है और भूगर्भ जल विभाग के द्वारा कराये गये बोरिंग का परिणाम 27 प्रतिशत सफलता का रहा है इसलिये क्या आप भूगर्भ जल विभाग से ही बोरिंग कराने का काम करायेंगे ? क्या आप निश्चित रूप से यह प्रतिबन्ध लगाये कि किसी भी कीमत पर प्राइवेट एजेन्सीज से बोरिंग का काम नहीं करायेगें ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, मैं पुनः स्पष्ट कर दूं। जो 1 हजार रुपया कृषकों से जमा कराया जाता है वह सर्वेक्षण के लिये नहीं जमा कराया जाता है। लेकिन जब काम पूरा हो जाता है तो किसान के एकाउन्ट में एक हजार रुपया एडजस्ट कर दिया जाता है। मान्यवर फिर भी माननीय कुंवर मानवेन्द्र सिंह जी ने जो सुझाव दिया है कि सर्न्वेक्षण का काम भूगर्भ जल विभाग से ही कराना चाहिए यह बहुत अच्छा सुझाव है। शासन ने भूगर्भ जल विभाग का सृजन किया है। जैसे ही इसका विस्तार हो जायेगा, इस सुझाव पर विचार कर लिया जायगा। मान्यवर, सरकार की यह मंशा नहीं है कि हम प्राइवेट एजेन्सी से ही यह काम करायें। चूंकि इतना अधिक काम है कि हम केवल भूगर्भ जल विभाग से सर्वेक्षण का काम नहीं करा पाते हैं इसलिये प्राइवेट एजेन्सी से भी सर्वेक्षण का काम कराया जाता है।

जिला ग्राम विकास अभिकरण के अध्यक्ष द्वारा बलिया जनपद के ग्राम कठौड़ी में खडंजा एवं नाली का निर्माण

*5—श्री मैनेजर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के कठोड़ा ग्राम में कितने रुपये की स्वीकृति खडन्जा निर्माण हेतु 1986–87 और 1987–88 में हुयी और कितना व्यय हुआ और आपके गवर्निग बाडी के किन बैठक में कब स्वीकृत हुआ ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

बलिया जनपद में कठौड़ा ग्राम में खडन्जा निर्माण हेतु वर्ष 1986–87 और 1987 88 में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी थी। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के अध्यक्ष द्वारा संचालक मण्डल की स्वीकृति की प्रत्याशा में दिनांक 2–12–85 को ग्राम कठौड़ा में स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए खड़न्जा एव नाली हेतु 4,68,500 लाख की स्वीकृत प्रदान की गयी जिसके विपरीत वर्ष 1985–86 में रु0 1,56,888 एव वर्ष 1986–87 में रु0 2197;000 व्यय हुए।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बलिया के संचालक मडल की बैठक दिनांक 25–1–89 में सदर्भित परियोजना स्वीकृत की गयी है। संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुतीकरण में हुए बिलम्ब के संबंध में पूछ ताछ की जा रही है।

श्री मैनेजर सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि आज तक संचालक मंडल की बैठक में यह सवाल नहीं रखा गया तो उसकी स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं उठता। जिलाधिकारी ने मनमाने ढंग से अपने निहित स्वार्थो के तहत यह धन स्वीकृत किया और आज तक संचालक मंडल से उसकी स्वीकृति नहीं ली। क्या शासन इस जिलाधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगा जिन्होंने संचालक मंडल के सामने इसे प्रस्तुत नहीं किया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

श्रीमन्, जो सूचना प्राप्त हुई है जिला स्तर से, उसके अनुसार अभिकरण के स्तर से संबंधित प्रोजेक्ट संचालक मंडल की बैठक जो दिनांक 25–1–89 को हुई, उसमें प्रस्तुत किया गया और उसमें उसकी स्वीकृति प्रदान की गयी। फिर जसा कि माननीय सदस्य ने कहा है हम इसकी जांच करा लेंगे।

(व्यवधान)

श्री मैमेजर सिंह—

यह बिल्कुल गलत है। सरासर गलत बता रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

जनपद चमोली के कर्ण प्रयाग ब्लाक में ग्राम ईड़ा बधारणी की पेयजल योजना को अविलम्ब बनाया जाना

*6—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि चमोली जिले के कर्णप्रयाग ब्लाक के कर्ण प्रयाग नगर के पास ईड़ा बधारणी की पेयजल योजना पहले ग्राम जारव आदि गांवों के साथ स्वीकृत की गई थी और नल तक बिछाये गये थे परन्तु अलग स्रोत के बहाने ईड़ा-बधारणी को विभाग ने अलग कर दिया था और अब इस लिये नहीं बन पा रहा है कि यह नगरपालिका क्षेत्र में हैं? यदि हां, तो क्या शासन इस पेयजल संकट वाले गांव के लिये अविलम्ब पेयजल की योजना बनायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

जी नहीं। कर्ण प्रयाग नगर के पास ईड़ा-बधाराणी पेयजल योजना के बजाय ईडा बधाणी ग्राम को पेयजल आपूर्ति के लिये विश्व बैंक द्वारा पोषित जाख कुण्डेला पेजयल योजना से लाभान्वित करना प्रस्तावित था। योजना के निर्माण दौरान जाखकुण्डेला ग्राम द्वारा ग्राम ईडा बधाणी को पेयजल आपूर्ति पर आपत्ति की गयी। पर्याप्त प्रयासों के उपरांत भी विवाद हल न होने के कारण उक्त परियोजना के अन्तर्गत प्रश्नगत ग्राम को जलापूर्ति नहीं की जा सकी।

ईडा बधाणी नगर क्षेत्र में होने के कारण इसे कर्णप्रयाग पुनर्गठन पेयजल योजना में सम्मिलित किया गया है। योजना विरचित कर दी गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 के ग्रामीण अंचलों में जल निगम की बनी टंकियों पर जल आपूर्ति हेतु जनरेटर लगाने की योजना

*7—श्री राकेशधर त्रिपाठी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में जल निगम की बनी हुयी टंकियों पर पेयजल संकट को ध्यान में रखते हुए, जल आपूर्ति हेतु जेनरेटर लगाये जाने की कोई योजना का शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो इस योजना का प्रारूप क्या है और इसका क्रियान्वयन कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

नगर विकास मन्त्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)---

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

जेनरेटर की व्यवस्था तथा उसके अनुरक्षण/संचालन पर अत्यधिक व्यय आता है जो उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से वहन करना सम्भव नहीं है।

अल्प संख्यकों के हितों के परिप्रेक्ष्य में किसी इण्टर कालेज को अल्प संख्यक संस्था घोषित करने में शासन की नीति एवं मानकों की जानकारी

*8---श्री हृदय नरायण दीक्षित---

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि किसी इण्टर कालेज को भारतीय संविधान के अनुच्छेद-30 के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के हितों को देखते हुए अल्पसंख्यक सस्था घोषित करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या नीति है ? सरकार कौन से मानक अपनाती है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16-चच के प्रयोजन हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत अल्प संख्यक संस्थान घोषित करने केलिये कोई निश्चित मापदण्ड निर्धारित नहीं है,जोसभी प्रकरणों पर समान रूप से लागू हो सकें। फिर भी मोटे तौर पर किसी संस्था द्वारा सर्वप्रथम पंजीकृत कराये जाने वाले मूल स्मृति-पत्र (मेमोरण्डम आफ एसोसियेशन) अथवा नियमावली में निविष्ट निम्नलिखित प्राविधानों के होने पर शासन स्तर पर गठित उच्च स्तरीय समिति के प्रस्ताव पर शासन द्वारा अल्प-संख्यक संस्था घोषित करने के बिन्दु पर विचार किया जाता है :---

(1) सभी संस्थापकगण किसी विशेष धार्मिक अथवा भाषायी अल्प संख्यक वर्ग के हों।

(2) केवल धार्मिक अथवा भाषायी अल्प संख्यक वर्ग के ही सदस्यों ने उस संस्था की स्थापना हेंतु धन अथवा सम्पत्ति देकर सहयोग किया हो।

(3) संस्था की स्थापना का उद्देश्य किसी विशेष धार्मिक अथवा भाषायी अल्पसंख्यक वर्ग के ही सदस्यों के हितों की रक्षा करना रहा हो, जो धार्मिक शिक्षा, धर्म के प्रचार-प्रसार या भाषा सम्बन्धी प्रचार-प्रसार या उसके साहित्य से सम्बन्धित हो।

(4) संस्था का संचालन केवल किसी एक धार्मिक अथवा भाषायी अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्यों द्वारा किया जा रहा हो। इस सम्बन्ध में अनवतीं समय में संस्था के मूल स्मृति-पत्र अथवा नियमावली में किया गया कोई संशोधन जिससे संस्था की स्थापना का मूल उद्देश्य बदलता हो, मान्य नहीं होता।

उ0प्र0 जल निगम पर, मुरादाबाद सीवरेज योजना, गोला गोकरन नाथ सीवरेज आदि योजनाओं की असफलता

*9-श्री कौशिक रमाशंकर, तथा श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)---

क्या नगर विकास मंत्री को यह जानकारी है कि उ0प्र0 जलनिगम द्वारा वर्ष 1971 से 1980 तक निर्माण की गई मुरादाबाद सीवरेज योजना, गोला गोकरननाथ सीवरेज योजना, टनकपुर सीवरेज योजना एवं बहेड़ी सीवरेज योजना तैयार होते ही पूर्णतया असफल हो गई ? यदि हां, तो इन सम्पूर्ण योजनाओं में निर्माण के शासन का कितना धन व्यय हुआ और क्या सरकार बताना चाहेगी कि जनहित में इन योजनाओं के निर्माण होते ही असफल होने का मूल उत्तरदायित्व किस पर है तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या

सरकार पूरे प्रकरण की नये सिरे से जांच कराकर दोषी अधिकारी को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी नहीं ।

मुरादाबाद की सीवरेज योजना वर्ष 74-75 में पूर्णकर चालू की गई, गोला गोकरननाथ सीवरेज योजना वर्ष 1984-85 में पूर्ण कर चालू की गई,टनकपुर की सीवरेज योजना-पम्पिग स्टेशन तथा सीवर कार्य 1977-78 में पूर्ण हुआ बहेड़ी सीवरेज योजना अभी पूर्ण नहीं है ।

रु0 78-773 लाख ।

मुरादाबाद सीवरेज योजना में हुई त्रुटि के सम्बन्ध में गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर उत्तरदायित्व निर्धारित किए गये एवं संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध संलग्न सूची के अनुसार कार्यवाही की गई । शेष योजनाओं के सम्बन्ध में (जल निगम का) कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 225 पर)

उत्तर प्रदेश जल निगम की महत्वपूर्ण पाठा पेयजल योजना, बांदा का चालू न होना

*10-श्री दलजीत सिंह तथा कैप्टन बल्देव सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश जलनिगम की अति महत्वपूर्ण पाठा पेयजल योजना बांदा कि मार्च, 1987 तक कार्य रूप में चालू किये जाने के प्रस्ताव था?यदि हां, तो उस प्रस्तावित योजना को अब तक जनहित में चालू न किये जाने के सम्बन्ध में कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस योजना के अन्तर्गत बनाये गये दोषपूर्ण पम्प हाउस व निगेटिव हेड के पम्प की सप्लाई, अत्यधिक विलम्ब से प्राप्त होने के कारण ही करोड़ों रुपया की महत्वपूर्ण पेयजल योजना निर्धारित समय में चालू न हो सकी ? क्या सरकार इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल कड़ी कर्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

पाठा पेयजल योजना वर्ष 1973-74 में चालू करदी गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा पाठा पेयजल योजना के अन्तर्गत कोई दोषपूर्ण पम्प हाउस नहीं बनाया गया है और न ही कोई दोषपूर्ण पम्पों की आपूर्ति ली गयी है । निगेटिव हेड के पम्प समय से प्राप्त हो गये थे एवं चालू कर समुचित लाभ जनता को दिया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती में बेसिक शिक्षा परिषदीय जूनियर हाईस्कूल के लिये प्रधान अध्यापकों की अनुमोदित सूची का क्रियान्वयन न करने का औचित्य

*11--श्री धन राज यादव

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जनपद में बेसिक शिक्षा परिषदीय जूनियर हाई स्कूलों में लगभग 39 स्कूल ऐसे है जहां लगभग दो वर्षों से प्रधान अध्यापक नहीं

है ? यदि हां,तो क्या यह सत्य है कि अगस्त, 86 ई0 के चुनाव के आधार पर सत्र 87–88 में प्रमोशन सूची बनाई गयी परन्तु उसे निरस्त करके पुनः जून, 88 में चुनाव किया गया और उस पर दिनांक 29–7–88 को जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला परिषद् ने अनुमोदन भी कर दिया यदि हां तो उस अनुमोदित सूची को अब तक क्रियान्वयन न करने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

प्राप्त सूचना के अनुसार किसी भी जूनियर हाईस्कूल में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त नहीं है।

जी नहीं।

वर्ष 88 में चयन के आधार पर पदोन्नतियां कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा विभाग में कार्यानुभव योजना के अन्तर्गत अध्यापकों के पद निःसंवर्गीय होने के कारण पदोन्नति न किया जाना

*12---श्री राज किशोर सिंह---

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1972 से शिक्षा बिभाग में कार्यानुभव योजना के अन्तर्गत कार्यरत अध्यापकों को स्थायी नहीं किया गया है ? क्या उनकी भविष्य में पदोन्नति का मार्ग है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या कार्यानुभव योजना की पुनर्व्यवस्था योजना या सामान्य शिक्षा में विलीनीकरण का बिचार सरकार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

जी हां। स्थायी नहीं किया गया है।

प्रश्नगत योजना पूर्णतया अस्थायी है तथा इसके अन्तर्गत अध्यापकों के पद निःसंवर्गीय हैं। अतः उन्हें पदोन्नति दिया जाना संभव नहीं है। जी नहीं।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा इण्टरमीडियेट के अध्यापकों का स्थानान्तरण पर रोक

*13---श्री महेन्द्र भाटी---

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा इण्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट 1921 द्वारा संचालित होती है ? क्या उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत अध्याय 12 विनियम 55–62 तक अध्यापकों को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानान्तरण की सुविधा थी ? क्या यह सही है कि मई 1986 के बाद यह सुविधा बन्द करा दी गयी है ? यदि हां तो क्यों ? क्या यह सुविधा पुनः दी जायगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

जी हां।

जी हां।

जी हां।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 9–5–1986 के अनुसार ऐसा हुआ है।

सम्प्रति यह प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

जनपद मेरठ में सहकारिता सम्बन्धी वाद निस्तारण हेतु विशेष न्यायालय की स्थापना

*14--श्री राजेन्द्र शर्मा--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मेरठ में सहकारिता सम्बन्धी वाद निस्तारण हेतु जनपद में कोई अलग से न्यायालय स्थापित किया गया है? यदि हां तो उसने नवम्बर 87 तक कितने वाद निपटाये हैं?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री समर पाल सिंह)--

जनपद मेरठ में सहकारिता सम्बन्धी विवादों के निस्तारण हेतु अलग स एक विशेष न्यायालय वर्ष 1979 से स्थापित है। नवम्बर 1987 तक उक्त विशेष न्याय लय ने कुल 90 वाद निपटाये हैं।

अध्यापक के पद उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा आयोग की परिधि में होने के कारण मृतक के आश्रितों को सेवा में न लिया जाना

*15--नवाब सिकन्दर अली खां--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को शिक्षणेतर व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सेवा में समायोजित किये जाने का प्राविधान है? यदि हां, तो क्या सरकार शासनादेश में उच्च योग्यता धारी आश्रितों के हितों को ध्यान में रखते हुए उच्च योग्यता धारी मृतक के आश्रितों को उनकी योग्यतानुसार सेवा में समायोजित किये जाने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां।

जी नहीं, क्योंकि अध्यापकों के पद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग की परिधि में आते हैं।

गढ़वाल मण्डल के माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में महिलाओं को विनियमित किया जाना

*16--श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी--

क्या शिक्षा मंत्री को विदित है कि गढ़वाल मण्डल में गत वर्षों में जिन महिलाओं की माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में तदर्थ नियुक्तियां हुई हैं उनका नियमितीकरण अब तक नहीं हुआ जबकि इसी अवधि में पुरुष अध्यापकों की उक्त माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण हो गया है? यदि हां, तो महिला अध्यापिकाओं के नियमितीकरण न किये जाने के क्या कारण हैं? कब तक उक्त कारण का निवारण किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

गढ़वाल मण्डल में महिला शाखा सी0 टी0 वेतनक्रम के केवल एक को छोड़ कर अन्य समस्त तदर्थ अध्यापिकाओं को विनियमित किया जा चुका है।

एल0टी0 वेतन क्रम में कुल 32 में से 13 अध्यापिकाओं को विनियमित किया जा चुका है। शेष 19 अध्यापिकाओं की गोपनीय आख्या अपूर्ण होने के कारण विनियमित नहीं किया जा सका है।

प्रवक्ता वेतनक्रम में कुल 22 प्रवक्ताओं में से 18 प्रवक्ताओं को विनियमित किया जा चुका है। शेष 4 प्रवक्ताओं की गोपनीय आख्या अपूर्ण होने के कारण विनियमित नहीं किया जा सका है।

गोपनीय आख्यायें पूर्ण करवायीं जा रहीं हैं तथा विनियमितीकरण का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करवा दिया जायेगा।

जनपद हरदोई में बेसिक शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिये विज्ञापन दिया जाना

17---श्री राम आसरे वर्मा---

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई में बेसिक शिक्षकों के कितने पद रिक्त पड़े हैं? उनके भरे न जाने के क्या कारण है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

78 पद रिक्त है।

पदों के भरने के लिये आवेदन पत्र आमन्त्रित करने हेतु विज्ञापन दिया जा चुका है।

नगरमहापालिका गोरखपुर में प्रकाश विभाग के अन्तर्गत दैनिक भोगी कर्मचारियों को नियमित न किया जाना

18---श्री यदुनाथ सिंह---

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका, गोरखपुर में प्रकाश विभाग के अन्तर्गत कार्य करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों जो लगभग वष 1979 से कार्य कर रहे है, को नियमित करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक उक्त कर्मचारियों को नियमित करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के पथरदेवा, कसया, देसही देवरिया एवं पडरौना विकास खण्ड के ग्रामों में इण्डिया मार्क 2 हैण्ड पम्प लगाने की मांग

19---श्री सूर्य प्रताप शाही---

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगें कि देवरिया जनपद के पथरदेवा, कसया, देसही देवरिया और पडरौना विकास खण्ड के कितने ऐसे ग्राम है जिसमें इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प अब तक नहीं लगाये गये है? इन गांवों में अब तक सवच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध न कराये जाने के कारण क्या हैं? क्या सरकार जनहित उक्त गांवों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था के लिये प्राथमिकता के आधार पर इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लगाने की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी ऐसे गांवों की सूची सदन क पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

देवरिया जनपद के विकास खेड पथरदेवा में 1, कसया में 2, तथा पडरौना में 13 ग्रामों मे इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प नहीं लगाये गये हैं? देसही देवरिया विकास खण्ड के सभी समस्याग्रस्त ग्रामों में इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प लगाये जा चुके हैं?

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण शासन की नीति के अनुसार वर्ष 1972 व 1985 की सूची के समस्याग्रसत ग्रामो को प्राथमिकता पर पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। शेष ग्राम वर्ष 1987-88 में जिला प्रशासन द्वारा घोषित समस्याग्रस्त ग्रामों की सूची के हैं।

अवशेष ग्रामों में से विकास खण्ड पथरदेवा के 1 ग्राम, विकास खण्ड कसया के 2 ग्रामों तथा विकास खण्ड पडरौना के शेष 13 ग्रामों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था आगामी वित्तीय वर्ष 1989–90 में उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ सूची संलग्न है पर)

प्रदेश में जाति प्रथा तथा अस्पृश्यता निवारण हेतु अन्तर्जातीय विवाहों के प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार योजना

*20—श्री राम सजीवन—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सरकार प्रदेश में जाति प्रथा और असपृश्यता निवारण हेतु अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देने हेतु कोई पुरस्कार योजना चालू करेगी ? क्या ऐसे विवाहों के मामलों में सरकारी नौकरियों में भी सुविधायें प्रदान की जायेंगी ? यदि हां, तो ऐसी योजना कब तक चालू कर दी जायेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

प्रदेश में अन्तर्जातीय अन्तधार्मिक विवाहों का प्रोत्साहन देने हेतु, अन्तर्जातीय अन्तधार्मिक विवाहित दम्पत्तियोंको पुरस्कृत किये जाने की एक योजना वर्ष 1976 से चालू है। योजना के अन्तर्गत सेवाओं में सुविधा प्रदान किये जाने का प्राविधान नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

सचिव केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि0, सुल्तानपुर को श्री अयोध्या प्रसाद पाठक के पावनों के भुगतान के संबंध में कार्यवाही के निर्देश

1—श्री शिवनारायण मिश्र—

क्या सहकारिता राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि0, सुल्तानपुर के कर्मचारी श्री अयोध्या प्रसाद पाठक, जिनको वर्ष 85 से बढ़े हुए महगाई भत्ते, मकान भत्तेतथा इनके अवकाश काल के वेतन तथा अन्य पावनों के सम्बन्ध में जिला सहायक निबन्धक, सुल्तानपुर में जांचोपरान्त अपने आदेश पत्रांक–1504/21–12–87 तथा पत्रांक–5076/21–9–88 द्वारा तत्काल भुगतान करने हेतु सचिव को निर्देशित किया है ? यदि हां. तो क्या आदेश के मुताविक श्री पाठक को पावनों का भुगतान कराया जायगा ? यदि हां ,तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री समर पाल सिंह—

जी नहीं।

सहायक निबन्धक , सहकारी समितियां उ0 प्र0 सुल्तानपुर के पत्रांक 1504/6–सह0 दिनांक 21–12–87 तथा पत्रांक 5076/पी0 डी0 एस0 दिनांक 21–9–88 द्वारा भुगतान हेतु कोई आदेश नहीं दिये गये वरन सचिव, केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि0, सुल्तानपुर को यह निर्देश दिये गये हैं कि श्री अयोध्या प्रसाद पाठक के पावनों के भुगतान के विषय में आवश्यक कार्यवाही कर सूचित किया जाय।

प्रश्न नहीं उठता।

भण्डार के अध्यक्ष के पत्रांक 230/87–88 दिनांक 31–12–87 द्वारा पुन: जांच कराने हेतु अनुरोध किया गया था। कर्मचारी को वाजिब भुगतान भण्डार से ही प्राप्त होना है। अध्यक्ष केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार सुल्तानपुर के अनुरोध के आधार पर जिला

सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0 प्र0 सुल्तानपुर को निर्देश दिये गये हैं कि व 15 दिन के अन्दर श्री पाठक के पावनों के विषय में भण्डार के पदाधिकारियों के साथ परीक्षण करा लें और जो पावने उचित एव नियमानुसार हों उनके भुगतान हेतु भण्डार स्तर पर कार्यवाही कराई जाय।

परिमण्डल कार्यालय, गोरखपुर में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन नियमित रूप से दिया जाना

2—श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि परिमण्डल कार्यालय गोरखपुर ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा की स्थापना गत दो वर्ष पूर्व की जा चुकी है और शासन द्वारा स्वीकृत तथा कार्यरत कर्मचारियों को वेतन आदि का भुगतान किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त परिमण्डल के अधिष्ठान पर कितना व्यय प्रतिमाह हो रहा है? क्या यह सही है कि गोरखपुर परिमण्डल का समस्त कार्य अभी भी अधीक्षण अभियन्ता, वाराणसी परिमण्डल के पास ही है? यदि हां, तो इसका कारण क्या है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

गोरखपुर में अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा परिमण्डल की स्थापना शासनादेश दिनांक 28-2-86 द्वारा हुई थी। शासन द्वारा स्वीकृत कर्मचारियों का वेतन आदि का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है।

परिमण्डल कार्यालय, गोरखपुर में कार्यरत कर्मचारियों का अधिष्ठान सम्बन्धी मासिक व्यय, अप्रैल 88 से जनवरी, 89 के बीच औसत लगभग 20,100 रु0 रहा है।

जी हां।

अधीक्षण अभियन्ता स्तर पर रिक्तियों के कारण प्रत्येक परिमण्डल में अलग-अलग अधीक्षण अभियन्ता की नियक्ति सुनिश्चित नहीं की जा सकी है।

श्री आर0 पी0 श्रीवास्तव सचिव, सुल्तानपुर केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी लिमिटेड के विरुद्ध लगाये गये आरोप एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही

3—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि सुल्तानपुर केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि0 के तत्कालीन सचिव श्री आर0 पी0 श्रीवास्तव के विरुद्ध भण्डार के संबंध में एवं शिकायती पत्र की जांच ए-आर/सी0 ओ0 (उपभोक्ता) श्री अब्दुल बहाव, सुल्तानपुर ने की थी तथा जांच रिपोर्ट ए-आर-सुल्तानपुर ने अपने पत्रांक-2115/21-2-87 रजिस्टर्ड डाक से उपसचिव कैडर उ0 प्र0 उपभोक्ता सहकारी, संघ लखनऊ को प्रेषित की है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित सचिव के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री समर पाल सिंह—

जी हां। किन्तु प्रश्नगत पत्र का दिनांक 21-2-87 नहीं बल्कि 27-2-88 है। श्री आर0 पी0 श्रीवास्तव सचिव के विरुद्ध इस जांच से पूर्व में प्राप्त शिकायतों के आधार पर जांच कराकर सिविल सर्विस क्लासीफिकेशन एवं अपील रूल के नियम-55 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश निबन्धक सहकारी समितियां, उ0 प्र0, लखनऊ द्वारा 14-7-87 को जारी हो चुके थे। इस कार्यवाही के अन्तर्गत जो आरोप लगाये गये है, उसमें कई आरोप सही है जो 27-2-88 के पत्र में शामिल हैं। पूर्व से चल रही अनुशासनात्मक

कार्यवाही के अन्तर्गत श्री श्रीवास्तव को दिनांक 25-1-89 को कारण बताओ नोटिस दी गई है कि उनको सेवा से क्यों न पृथक कर दिया जाय।

4--श्री काशी सिंह ऐरी--

(दि0 13-3-89 को अता0 प्र0सं0 127 द्वारा उत्तरित।)

5--श्री काशी सिंह ऐरी--

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

बांदा जनपद में ग्राम गुमाई के प्रधान अध्यापक श्री राम औतार को हरिजन एवं पिछड़े वर्ग छात्रों से अवैध शुल्क वसूल करने पर निलम्बित किया जाना

6--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा --

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक ए/129/शि0 म/088, दिनांक 1-9-88 जो बांदा जनपद के ब्लाक महुआ के ग्राम गुमई के श्री राम औतार हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों से अवैध शुल्क वसूली के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन-कौन अध्यापक दोषी पाय गये एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां।

जांच किये जाने पर श्री राम औतार प्रधान अध्यापक दोषी पाये गये जिन्हें निलम्बित कर दिया गया है।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में अप्रेन्टिशशिप अधिनियम के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों की नियुक्ति

7--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा कुवर रेवती रमण सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रेन्टिशशिप अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत, सरकार ने कितने प्रशिक्षणार्थियों की संख्या, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में तय की है ? क्या वर्ष 1988-89 में उतनी संख्या में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण हेतु लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में अप्रेन्टिशशिप अधिनियम 1961 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 75 प्रशिक्षणार्थी की संख्या नियुक्ति हेतु स्वीकृति है।

वर्ष 1988-89 में प्रथम चरण 75 अप्रेन्टिश अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश जारी किये गये थे। पूर्ण संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा योगदान न करने पर पुनः द्वितीय चरण में 61 अभ्यर्थियों को आदेश जारी किये गये।

बांदा जनपद के खण्ड विकास अधिकारी, नरैनी द्वारा जांच के उपरान्त श्री छोटा आदि का स्वीकृति ऋण उनके खातों में जमा किया जाना

8--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के पत्रांक-ग, 013489, दिनांक 5-10-1987 बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी के ग्राम नगवारा के श्री छोटा आदि के पत्र के साथ आई0 आर0 डी0 के कर्ज में घपलों के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां।

खण्ड विकास अधिकारी, नरैनी द्वारा प्रश्नगत मामले की जांच की गयी। सर्वश्री छोटा पुत्र गोपलिआ एवं जीता पुत्र सुखलाल को आई0 आर0 डी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण पर देय अनुदान का समायोजन उनके खातों में किया जा चुका है।

जनपद झांसी की समथर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी का अनियमितता के आरोप में निलम्बन

9--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का झांसीजिले की समथर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र स0-8/91/88 दिनांक 22 मार्च, 88 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक जांच कराकर कार्यवाही कर ली गयी है। यदि हां, तो वह क्या है?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां।

शिकायतों की प्रारम्भिक जांच परगनाधिकारी, मौठ जिला झांसी द्वारा कराई जा चुकी है। जांच के आधार पर प्रथम दृष्टया सिद्ध पाये गये आरोपों के संबंध में अपचारी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। संबंधित अधिशासी अधिकारी को दिनांक 21-7-88 को निलम्बित भी कर दिया गया है। विभागीय कार्यवाही में स्थानीय निकाय निदेशालय के एक उपनिदेशक को जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है।

वर्ष 85-86 में जनपद जालौन में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपात्र लोगों को उर्दू अध्यापक नियुक्त करने संबंधी शिकायती पत्र पर कार्यवाही

10---कुंवर मानवेन्द्र सिंह---

क्या शिक्षा मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि वर्ष 85-86 में जालौन जनपद में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपात्र लोगों की उर्दू अध्यापक के पद पर निदेशों, नियमों, शासनादेशों के विपरीत नियुक्ति करते हुए भ्रष्टाचार करने की जो शिकायत प्रश्नकर्त्ता ने 15 अप्रैल, 86 को शिक्षा निदेशालय को भेजी थी, उसकी जांच में क्या-क्या आरोप सच पाये गये और किस-किस व्यक्ति की नियुक्ति नियमों के विपरीत पाई गई?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी---

दिनांक 25-4-86 की शिकायत प्राप्त हुयी है।

जांच में आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

गत तीन वर्षों में जनपद जालौन के कोंच नगर में चुंगी चुकाकर लाये गये एवं पशु बधालय में बध किये गये बैलों की संख्या

11---कुंवर मानवेन्द्र सिंह---

क्या नगर विकास मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्ष में जालौन जिले के कोंच नगर में चुंगी चुकाकर कितने बैल लाये गये और गत तीन वर्ष के किस-किस वर्ष मे कोंच पालिका के पशु बधालय में कितने-कितने बैलों का बध किया गया?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्रीमती त्रिवेणी देवी द्वारा अपने सहन के मार्ग को नगरपालिका को निः शुल्क देने का प्रस्ताव

12—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका फर्रुखाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत मोहल्ला खटकपुरा, इज्जतखां एवं मोहल्ला ग्राहगंज के लगभग एक सौ नागरिकों द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र अगस्त 88 में जिला मजिस्ट्रेट/प्रशासक नगरपालिका, फर्रुखाबाद को प्राप्त हुआ है जिसमें श्रीमती त्रिवेणी देवी द्वारा अपने सहन के आगे के व्यक्तिगत मार्ग को सार्वजनिक मार्ग हेतु नगरपालिका फर्रुखाबाद को निःशुल्क देने का प्रस्ताव किया गया है ? यदि हां, तो इस व्यक्तिगत मार्ग को जिसके द्वारा मोहल्ला खटकपुरा, इज्जत खां वगगाहगंज के हजारों लोग प्रतिदिन निकलते हैं और जो बहुत कम दूरी वाला रास्ता है, उसे नगरपालिका फर्रुखाबाद द्वारा अपने स्वामित्व एवं अध्यासन में लिये जाने में क्या कठिनाई है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां।

इस व्यक्तिगत मार्ग को नगरपालिका फर्रुखाबाद द्वारा अपने स्वामित्व एवं अध्यासन में लिये जाने के सम्बन्ध में नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन थी, किन्तु इसी बीच श्रीमती त्रिवेणी देवी के विपक्षी श्री एजाज मोहम्मद खां ने माननीय सिटि मुन्सिफ के न्यायालय में वाद दायर करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन है। अतः प्रश्नगत मार्ग को नगरपालिका द्वारा अपने स्वामित्व एव अध्यासन में लिये जाने में विधिक कठिनाई है।

नगर महापालिका लखनऊ तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा बनी कालोनियों में रह रहे अनधिकृत अध्यासियों का विवरण

13—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगर महापालिका लखनऊ तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत किन-किन कालोनियों में कौन-कौन से लोग मकानों में अनाधिकृत रूप से रह रहे हैं तथा उन लोगों पर कितना-कितना किराया अगस्त, 1988 तक बकाया है ? कितने लोगों से मकान खाली करवाने का मुकदमा नगरमहापालिका, विकास प्राधिकरण लखनऊ ने दायर किया है तथा कितने के विरुद्ध अगस्त, 1988 तक कार्यवाही नहीं की गई ? अलग-अलग कालोनियों का पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

नगर महापालिका, लखनऊ की विभिन्न कालोनियों में 9 अनाधिकृत अध्यासी हैं, जिन पर अगस्त, 88 तक की अवशेष धनराशि रुपया 37,755.00ह। लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न कालोनियों में 49 व्यक्ति अनधिकृत रूप से रहते हैं और इनके विरुद्ध उपयुक्त अवधि तक कुल रु0 1,27,926.78 पैसे किराये की धनराशि बकाया है।

नगर महापालिका लखनऊ द्वारा उर्पयुक्त 9 लोगों के विरुद्ध तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा माह अगस्त, 1988 तक 19 व्यक्तियों के विरुद्ध बेदखली का वाद दायर किया गया और शेष के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है।

विवरण संलग्न है।

प्रश्न नहीं जठता।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 228 से 231 पर)

बड़े बाजार बस्ती में स्थित सहकारी शीतगृह में सड़ रहे आलू के लिये जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही एवं किसानों को भुगतान

14—श्री सुख पाल पाण्डे—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बड़े बाजार बस्ती में स्थित सहकारी शीतगृह में रखा गया किसानों का 900 क्विन्टल आलू सड़ गया है जिसका मूल्य लगभग 8 लाख रुपये है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन लोग जिम्मेदार हैं ? सड़े हुए आलू का मूल्य किसानों को भुगतान के विषय में सरकार क्या कार्यवाही करने की सोच रही है ?

श्री समर पाल सिंह—

प्रबन्धक, शीतगृह की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1988 में सहकारी शीतगृह पाण्डेय बाजार, बस्ती में भण्डारित आलू में से 9706.01 कुन्तल आलू तकनीकी खराबी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है जिसका बीमा क्लेम मु0 6.5 ला ख रु0 का किया गया है।

दायित्व निर्धारण हेतु पैक्सफेड को संदर्भित किया गया है।

पैक्सफेड लखनऊ द्वारा मु0 6.5 लाख रु0 का क्लेम बीमा कम्पनी से किया गया है जिसे प्राप्त होने पर भुगतान किया जाना सम्भव होगा।

श्री रवि कुमार निलम्बित खण्ड विकास अधिकारी दहगवां, जनपद बदायूं के विरुद्ध की गयी प्रशासनिक कार्यवाही

15—श्री हृदय नारायन दीक्षित—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री रवि कुमार निलम्बित खण्ड विकास अधिकारी दहगवां जनपद बदायूं के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही छः साल से लम्बित है। यदि हां, तो किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही पूर्ण करने के लिये इतना समय लगाने का क्या कारण है ? उक्त अधिकारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही में स्तरवार निर्धारित समय सारिणी का अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

श्री रवि कुमार, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, दहगवां जनपद बदायूं को आदेश दिनांक 26 मार्च, 1983 द्वारा निलम्बित करके उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। श्री रवि कुमार के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। उन्हें आदेश दिनांक 6-1-89 द्वारा सेवा से पदच्युत कर दिया गया है। प्रशासनिक कारणों से जांच कार्यवाही में बिलम्ब हुआ।

उन्नाव जिले के कस्बा मौरावां व पुरवा में पेयजल संकट के समाधान हेतु अनशनकारियों की मांगों का विवरण

16—श्री हृदय नारायन दीक्षित—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि उन्नाव जिले के कस्बा मौरावां व पुरवा में क्रमशः रईस अहमद व राजकुमार सोनकर आदि ने माह मई, जून, 1988 में पयजल संकट के समाधान हेतु अनेक कस्बा वासियों सहित अनशन किया था ? यदि हां, तो मांगे क्या थीं ? कितनी मांगें पूरी कर दी गई हैं ? शेष मांगें न माने जाने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां।

नगर विकास विभाग से संबंधित मांगों तथा उन पर कृत कार्यवाही की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 232 से 234 पर)

जनपद उन्नाव के हिलौली विकास खण्ड के मुख्य भवन की छत पुनः बनाये जाने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही

17—श्री हृदय नारायन दीक्षित—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव के हिलौली विकास खण्ड का मुख्य भवन वर्ष जुलाई, 1988 की बारिश में टपक रहा था ? यदि हां, तो इसकी छत कब डाली गयी ? क्या यह सच है कि सहायक अभियन्ता छत डाले जाते समय अनुपस्थित थे ? सामग्री मानक में कम डाली गयी है ? यदि नहीं, तो वर्ष 1988 के माह सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर में क्या यह छत खोदकर पुनः बनाई गयी है ? यदि हां, तो गलती का उत्तरदायित्व किस पर निर्धारित किया गया है ? दोषी अवर अभियन्ता सहायक अभियन्ता पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां। भवन की छत वर्ष 1976 में डाली गई थी। सहायक अभियन्ता के छत डाले जाते समय अनुपस्थित रहने की कोई सूचना नहीं है। मानक से कम सामग्री डालने के सम्बन्ध में भी कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है। छत पर घास एवं मिट्टी जमने के फलस्वरूप पानी का निकास रुक गया जिससे पानी रिसने लगा था। पूर्व में हुए लाइम टैरेसिंग के कार्य में पाई गयी त्रुटियों का निराकरण ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं प्रतीत होती।

जनपद गाजीपुर विकास खण्ड मरदह बिरनों तथा कासिमाबाद में प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों के क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत

श्री सुरेन्द्र सिंह गाजीपुर—

क्या शिक्षा मत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड मरदह बिरनो तथा कासिमाबाद में जनपद गाजीपुर में कितने ऐसे प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल हैं जो भवन रहित हैं या क्षतिग्रस्त हैं ? क्या उक्त विद्यालयों/भवनों के निर्माण व मरम्मत कराये जाने की कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उक्त का निर्माण कब तक करा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

भवन रहित एवं क्षतिग्रस्त विद्यालयों का विवरण निम्नवत् है:—

विकास खण्ड	भूमिहीन स्कूलों की संख्या		क्षतिग्रस्त स्कूलो की संख्या	
	प्रा0 स्कूल	जू0 हा0 स्कूल	प्रा0 स्कूल	जू0 हा0 स्कूल
मरदह	1	..	11	2
कासिमाबाद	2	1	15	2
बिरनों	1	1	3	..
योग	4	2	29	4

जी हां।

प्राइमरी स्कूल भवनों का निर्माण वर्ष 1989–90 में तथा जूनियर हाई स्कूल भवनों का निर्माण जिला योजना में धन उपलब्ध होने पर कराया जायेगा। क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत हेतु ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर धन का आवंटन किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी गढ़वाल में आरक्षित वनों का पुनः बन्दोबस्त करने की योजना पर विचार

19—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल जनपद में जिसमें सन् 1950 से पहले उत्तरकाशी जनपद भी शामिल था आरक्षित वनों का बन्दोबस्त किस सन् में हुआ था ? इस आरक्षित वन में कितन सब-डिवीजन कितने रेंज तथा कितनी बीट की सख्या थी ? क्या उक्त आरक्षित वन का पुनः बन्दोबस्त करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? क्या टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित सकलाना पट्टी में भी बन बन्दोबस्त किया गया है ? यदि हां, तो कब और किस विभाग द्वारा किया गया ?

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

टिहरी गढ़वाल जनपद, जिसमें सन् 1950 से पहले उत्तरकाशी जनपद भी शामिल था, में आरक्षित वनों का बन्दोबस्त टिहरी रियासत के शासनकाल में वर्ष 1907–1909 में हुआ। इसका पुनरीक्षण 1918–1923 तथा पुनः वर्ष 1927–1929 में हुआ। अन्त में टिहरी दरबार के सरकुलर आर्डर न0–21 द्वारा सम्पूर्ण स्टेट का सीमांकन बन्दोबस्त वर्ष 1936–37 में हुआ।

इस आरक्षित वन में चार डिवीजन, सोलह रेंज तथा एक सौ बीट संख्या थी।

जी नहीं।

टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित सकलाना पट्टी में वनों का विधिवत् बन्दोबस्त नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम उजागिर यादव ग्राम तहसीनपुर थाना रौनाही जनपद फैजाबाद द्वारा चीते को मारने पर पारितोषिक की मांग

20—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या वन मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद फैजाबाद थाना रौनाही ग्राम तहसीनपुर के निवासी श्री राम उजागिर यादव ने अपने जान की बाजी लगा कर एक नरभक्षी चीते का जिसका आतंक जनपद फैजाबाद व पास पड़ोस के जनपदों में फैला था, को मार डाला ? क्या इस बहादुरी के लिये राम उजागिर यादव को आज तक पारितोषिक दिया गया ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या यह सही है कि इस संबंध मे प्रश्नकर्त्ता ने तत्कालीन मुख्य मंत्री को एक पत्र लिखा था जिसको श्री बी0 एस0 पाण्डेय संयुक्त सचिव मुख्य मंत्री के द्वारा सचिव वन/सचिव सामान्य प्रशासन को भेजा गया और दिनांक 17 मार्च, 1987 को प्रश्नकर्त्ता को संयुक्त सचिव मुख्य मंत्री द्वारा पत्र क माध्यम से सूचित भी किया गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जी हां।

श्री राम उजागिर यादव ग्राम तहसीनपुर, थाना रौनाही जनपद फैजाबाद के द्वारा माह फरवरी, 1987 में एक गुलदार, जो नर-भक्षी नहीं था, को आत्म-सुरक्षार्थ मार डाला गया था।

चूंकि उक्त गुलदार नरभक्षी नहीं था इसलिये वन विभाग से किसी प्रकार का पारितोषिक देने का प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

श्री राम उजागिर यादव द्वारा कोई जन कल्याणकारी कार्य नहीं किया गया। श्री यादव पर गुलदार ने अचानक हमला उन्हीं के खेत में कर दिया तथा श्री यादव ने उसे कुदाल से मार डाला। चूंकि श्री यादव ने आत्म सुरक्षार्थ गुलदार को मार दिया अत: उन्हें दंडित नहीं किया गया तथा चूंकि वह नरभक्षी नहीं था, अत: वह वन विभाग से पारतोषिक पाने के पात्र नहीं थे।

ग्राम सिरिया की नगरिया जनपद मथुरा में कथित फर्जी बालिका विद्यालय की जांच की मांग

21—श्री शारदा नन्द अन्चल तथा श्री यदुनाथ सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा जिले के मांट तहसील के एक छोटे से गांव (सिरिया की नगरिया) में विभाग ने बालिकाओं के लिये हाई स्कूल खोल रखा है जो कागजों पर चल रहा है? यदि हां, तो क्या शासन जिसकी आंवलम्ब जांच कराकर स्कूल खोलने की संस्तुति करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार विद्यालय को अन्यत्र किसी बड़ी जनसंख्या वाले ग्राम में खोलने की कृपा करेंगे जिसमें ग्रामीण छात्रायें अध्ययन कर सकें?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

नहीं, कागजों पर नहीं चल रहा है बल्कि वास्तव में चल रहा है।

नहीं।

सम्प्रति ऐसा कोई विचार नहीं है।

ग्राम पसवरा जनपद गाजियाबाद को मुख्य सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव

22—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजियाबाद के ब्लाक गढ़ में पसवरा नामक एक विशाल गांव को अब तक किसी मुख्य मार्ग से न जोड़े जाने के क्या कारण हैं? क्या यह सही है कि क्षेत्र से संबंधित संसद सदस्य श्री के0 एन0 सिंह द्वारा बहादुरगढ़ के पसवारा तक मार्ग के निर्माण हेतु बार बार परियोजना निदेशक गाजियाबाद को लिखा गया है? यदि हां, तो मार्ग के निर्माण संबंधी कायवाही अब तक न किये जाने के क्या कारण हैं तथा उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

विकास खंड गढ़ मुक्तेश्वर का पसवारा ग्राम मोहम्मद पुर होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 24 से जुड़ा हुआ है। यह गांव ग्राम मोहम्मदपुर होते हुए गढ़ मुक्तेश्वर-बुलन्दशहर पक्का मार्ग से भी ग्राम सलारपुर पर जुड़ा है।

माननीय सांसद श्री के0 एन0 सिंह के पत्र के क्रम में परियोजना निदेशक, गाजियाबाद ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पूर्ण स्थिति से अवगत करा दिया था। बहादुरगढ़ से पसवारा मार्ग की 3 कि0 मी0 लम्बाई के पुनर्निर्माण की स्वीकृति सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 25-2-89 को प्रदान की गयी है। निर्माण कार्य मार्च 91 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

राजकीय एक्सरे टेकनीशियनों एवं जिला परिषदों के एक्सरे टेकनीशियनों के वेतनमानों का पुनरीक्षण

23--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद में कार्यरत एक्सरे टेकनीशियनों को राजकीय तथा स्थानीय निकाय के एक्सरे टेक्निीशियनों के समान वेतन मान दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि प्रथम वेतन आयोग की संस्तुति में उपरोक्त दोनों जगहों के एक्सरे टेक्निनीशियनों को समान वेतनमान दिया गया था? यदि हां, तो द्वितीय वेतन आयोग एवं तृतीय वेतन आयोग द्वारा जिला परिषदों में कार्यरत एक्सरे टेक्निीशियनों के वेतनमान पुनरीक्षित न किये जाने के क्या कारण है तथा इनको राज्य कर्मचारियों एवं स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के बराबर वेतनमान कब तक उपलब्ध करा दिया जायगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी नहीं। प्रथम वेतन आयोग 71-73 की स्तुतियों के आधार पर राजकीय एक्सरे टेक्नीशियनों तथा जिला परिषद के एक्सरे टेक्नीशियनों का वेतनमान समान था। द्वितीय वेतन आयोग (79-80) की सस्तुतियों के आधार पर राजकीय एक्सरे टेक्नीशियनों तथा स्थानीय निकाय के एक्सरे टेक्नीशियनों का वेतनमान पुनरीक्षित कर दिया गया है। जिला परिषद के एक्सरे टेक्नीशियनों के वेतनमान संशोधित किये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

जनपद हरदोई में राजघाट में कार्तिक पूर्णिमा पर स्नानार्थियों की सुविधा हेतु व्यवस्था की मांग

24--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या पंचायतीराज मंत्री को जानकारी है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा नदी के किनार लगने वाले मेलों में जनपद हरदोई के राजघाट का मेला एक अपना विशेष महत्व रखता है और लगभग तीन लाख श्रद्धालु उसमें शामिल होते हैं? यदि हां, तो इस विशालतम ऐतिहासिक मेले की व्यवस्था हेतु शासन द्वारा कोई सहायता न दिये जाने के क्या कारण हैं? क्या मंत्री जी जानकारी हासिल करके मेले की ऐतिहासिकता, विशालता को ध्यान में रखते हुए प्रति वर्ष इसकी व्यवस्था हेतु निश्चित धनराशि आवंटित करने पर विचार करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां। जनपद हरदोई के राजघाट में कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान पूर्णिमा की रात के पहले से प्रारम्भ होता है और पूर्णिमा के दिन 12 बजे तक ही रहता है।

कार्तिक पूर्णिमा पर स्नानार्थियों की सुविधा के लिये जिला परिषद द्वारा स्थानीय व्यवस्था की जाती है। अतः इस हेतु शासन द्वारा कोई सहायता व्यवस्था करने पर विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

जिला ग्राम विकास अधिकारी, फैजाबाद पर धन अवमुक्त करने में भेदभाव का आरोप

25--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार को जानकारी है कि विगत एक वर्ष की अवधि में जनपद फैजाबाद में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों को धन अवमुक्त करने में भेद भाव बरते जाने का क्या कारण है? इस संबंध में पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने और इसके लिये दोषी अधिकारियों को दण्डित करने तथा इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने में सरकार को क्या कठिनाई है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

सूचना एकत्र की जा रही है।

कस्बा मोठ एवं गुरसहायगंज, जिला झांसी में पुस्तकालय एवं वाचनालय स्थापित करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

26--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि मा0 मुख्य मंत्री की जिला झांसी के मोठ कस्बे में पुस्तकालय एवं वाचनालय स्थापित किये जाने विषयक प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 29 मार्च, 1988 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या शासन मोठ में पुस्तकालय एवं वाचनालय खोले जाने पर विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी--

जी हां।

जी नहीं। जनपद झांसी के मुख्यालय में एक राजकीय जिला पुस्तकालय स्थापित है। शाखा पुस्तकालयों की परियोजना केवल पर्वतीय क्षेत्र के लिये अनुमोदित है। मैदानी क्षेत्र में राजकीय जिला शाखा पुस्तकालय खोलने की परियोजना अभी आरम्भ नहीं हुई है।

27--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें गुरसराय नगरपालिका क्षेत्र झांसी में राजकीय पुस्तकालय एवं वाचनालय स्थापित कराये जाने विषयक प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 9 जून, 1988 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा गुरसहाय में पुस्तकालय तथा वाचनालय कब तक स्थापित करा दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी--

जी हां।

जनपद झांसी के मुख्यालय में एक राजकीय जिला पुस्तकालय स्थापित है। शाखा पुस्तकालयों की परियोजना केवल पर्वतीय क्षेत्र के लिये अनुमोदित है। मैदानी क्षेत्र में राजकीय जिला शाखा पुस्तकालय खोलने की परियोजना अभी आरम्भ नहीं हुई है।

श्री बाबूलाल शर्मा सेवा निवत्ति प्रधानाध्यापक जनियर हाई स्कूल गंगीरी अलीगढ़ के बकाये पेंशन का भुगतान

28--श्री संतोष चतुर्वेदी एडवोकेट--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बाबू लाल शर्मा सेवा निवृत्त प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल गंगीरी अलीगढ़ को माह जून, 1986 से पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी श्री शर्मा को उनकी पेंशन के माह जून, 1986 से बकाया देयों का शीघ्र भुगतान करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी--

जी नहीं भुगतान हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में कार्यरत अधिकारियों के प्रत्यावर्तन के विरुद्ध उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश

29—श्री संतोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में कार्यरत अधिकारियों को विभागीय प्रत्यावर्तन के पश्चात् प्रत्यावर्तन आदेश के विरुद्ध किन-किन अधिकारियों ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया है ? इनमें से कौन अधिकारी कार्यालय से सम्बद्ध है तथा और कौन-कौन अधिकारी जनपद में निर्माण कार्य देख रहे हैं ? उक्त के संबंध में उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करने वाले अधिकारियों के बार में शासन की क्या नीति है ? कुछ अधिकारियों को कार्यालय संबद्ध करने व कुछ से निर्माण कार्य लेने का कारण व मापदण्ड क्या है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में कार्यरत निम्नलिखित 6 अधिकारियों द्वारा विभागीय प्रत्यावर्तन आदेशों के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त किये गये हैं।

(1) श्री कालूराम, अधिशासी अभियन्ता।

(2) श्री विनोद कुमार जैन, अधि0 अभि0

(3) श्री हरी मोहन गुप्ता, अधि0 अभि0

(4) श्री कलेक्टर सिंह, सहायक अभियंता

(5) श्री जे0 पी0 शर्मा, सहायक अभियता

(6) श्री के0 पी0 शर्मा, सहायक अभियता।

वर्तमान में श्री कालू राम, अधिशासी अभियन्ता पौड़ी परिमंडल में अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय से तथा श्रीहरी मोहन गुप्ता, अधिशासीअभियन्ता (निलम्बित) को मेरठ परिमंडल सम्बद्ध किया गया है, परन्तु उन्होंने मा0 उच्च न्यायालय से निलम्बन आदेश के विरुद्ध स्थगनादेश प्राप्त कर लिये हैं। शेष सभी अधिकारी जनपद/प्रखण्ड में कार्यरत हैं।

स्थगन आदेश प्राप्त अधिकारियों के सम्बन्ध में स्थगन आदेशों को निरस्त करने की कार्यवाही चल रही है। प्रशासनिक एवं कार्य हित के आधार पर अधिकारियों की तैनाती की जाती है।

फैजाबाद, प्राइमरी पाठशाला गिरन्ट के भवन निर्माण में बिलम्ब के कारण

30—श्री रवीन्द्र तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फैजाबाद द्वारा जनपद फैजाबाद के भीटी ब्लाक में स्थित प्राइमरी पाठशाला रामपुर गिरन्ट के भवन निर्माण हेतु सा0 नि0 वि0 फैजाबाद को जिस भूमि पर भवन का निर्माण किया जाना था उसके नजरी नक्शा और नम्बर के साथ-साथ आज से लगभग 10 वर्षपूर्व धन भी उपलब्ध करा दिया था लेकिन सा0 नि0 वि0 ने वहां के बजाय मनमाने तौर पर सोहावल ब्लाक में भवन का निर्माण कर दिया ? यदि हां तो दोषी अधिकारियों से धन की वसूली करने और उन्हें दण्डित करने तथा भीटी ब्लाक में स्थित प्राइमरी पाठशाला रामपुर गिरन्ट के भवन का निर्माण कराने के लिये सरकार क्या कर रही है और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

यह सही है कि भवन का निर्माण सोहावल ब्लाक में किया गया है। तत्कालीन माननीय राज्य मंत्री जी श्री अवधेश प्रसाद के निर्देशानुसार सोहावल विकास खण्ड के ग्राम रामपुर गिरन्ट में निर्माण किया गया था। अतः किसी अधिकारी को दण्डित किए जाने का कोई औचित्य नहीं है।

भीटी ब्लाक के ग्राम रामपुर गिरन्ट में स्थित प्राइमरी पाठशाला भवन का निर्माण वर्ष 1989–90 में कराये जाने का प्रयास किया जायेगा।

जिला फर्रुखाबाद में स्वीकृत जूनियर हाई स्कूल एवं प्राइमरी स्कूलों के भवनों हेतु स्वीकृत धन तथा भवन निर्माण

31—श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985–86 व 1986–87 में जिला फर्रूखाबाद में शिक्षा विभाग में कितने जूनियर हाईस्कूल तथा प्राइमरी विद्यालय निर्माण हेतु स्वीकृत किये गये थे ? उक्त विद्यालय के निर्माण किये जाने हेतु धनराशि कब शिक्षा विभाग के पर्सनल लेजर एकाउन्ट में स्थानान्तरित की गई ? शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय निर्माणार्थ स्थानान्तरित धनराशि आर0ई0एस0 ग्रामीण अभियंत्रण सेवा फर्रूखाबाद को कब स्थानान्तरित की गई ? क्या वर्ष 1985–86 व 1986–87 में निर्मित होने वाले विद्यालयों का निर्माण पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो कब ? क्या मूल आंगणन में वास्तविक निर्माण की लागत में अन्तर है ? यदि हां तो कितना ? इस अधिक व्यय के लिए कौन दोषी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वांछित विवरण निम्न प्रकार है। जनपद फर्रूखाबाद में भवन निर्माण हेतु स्वीकृत विद्यालय :—

वर्ष 1985–86		वर्ष 1986–87	
प्रा0	जूनियर	प्रा0	जूनियर
15	02	09	02

धनराशि के पर्सनल लेजर एकाउन्ट में हस्ता0 की तिथि :—

वर्ष 1985–86	वर्ष 1986–87
29–3–86	13–9–86
13–3–87	30–1–86
	27–10–86
	13–3–87

आई० ई० एस० को धनराशि हस्तान्तरित किये जाने की तिथियां :—

वर्ष 1985–86	वर्ष 1986–87
17–12–86	17–12–86
14–3–88	14–3–88
31–10–88	27–2–89

पूर्ण विद्यालयों की संख्या:—

वर्ष 1985–86		वर्ष 1986–87	
प्रा०	जू०	प्रा०	जू०
03	01	07	—

उपरोक्त दोनों वर्ष के 10 प्राइमरी एवं 01 जूनियर हाई स्कूल वर्ष 1987–88 में पूर्ण हुये, 15 विद्यालय निर्माणाधीन हैं तथा 02 का निर्माण अभी प्रारम्भ नहीं हुआ।

मूल्यों में वृद्धि के कारण निर्माण की लागत में वृद्धि हो सकती है। इसकी सही स्थिति निर्माण पूर्ण होने पर ही ज्ञात हो सकेगी।

सार्वजनिक शौचालयों, नगर पालिका गाजीपुर को ठीक कराने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

32—श्री अभिताभ अनिल दूबे—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर के सांसद एवं विधायक का कोई पत्र, जिसमें गाजीपुर नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत 16 सार्वजनिक शौचालयों जो अत्यन्त जीर्ण शीर्ण अवस्था में काफी दिनों से है एवं खराब हालत में है जिसका पुनर्निर्माण का स्टीमेट 7–11–85 को शासन की स्वीकृति हेतु भेजे जाने का उल्लेख है उन्हें दिनांक 29 मई 1986 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अब तक गाजीपुर नगरपालिका के शौचालयों के न बनाये जाने के क्या कारण है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां।

गीरा बाजार एवं उर्दू बाजार में स्थित शौचालयों का पुर्न निर्माण नगरपालिका गाजीपुर द्वारा किया गया है। आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण शेष सार्वजनिक शौचालय नहीं बनाये जा सके।

33—नवाब सिकन्दर अली खां—

दिनांक 13–3–89 को अतारांकित प्र० स० 14 द्वारा उत्तरित)

नव निर्मित सड़कों के रख रखाव हेतु ग्राम विकास अभिकरण को उपलब्ध कराया गया धन

34—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विभिन्न विभागों द्वारा निर्मित सड़कों के रख रखाव और अनुरक्षण हेतु जनपद फैजाबाद में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को चालू वर्ष में कितना धन शासन द्वारा कब दिया गया और उसे अब तक विभिन्न विभागों को अवमुक्त न किये जाने का कारण क्या है ? इस बारे में शासन की नीति और योजना क्या है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

तत्कालीन प्रभागीय वन अधिकारी उरई के विरुद्ध आरोप-पत्र

35—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या वन मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि डी0 एफ0 ओ0 द्वारा वर्ष 1984-85 में लगभग 56 हजार रुपयों का बीज नियमानुसार कैश मेमो पर न खरीद कर, सादे पैड पर बिल बनाकर वन संरक्षण की अनुसूचित दर से बहुत अधिक दर पर खरीदा गया और उसे फिर उरई, कालपी, कदोरा, नियामतपुर, कौंच, जालौन रैन्ज की कैश बुकों में चार्ज दिखाया गया है ? क्या यह सही है कि इस भुगतान पर आयकर नहीं काटा गया जो कि काटा जाना चाहिये था ? यदि हां, तो डी0 एफ0 ओ0 उरई के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जी हां।

तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी उरई के विरूद्ध आरोप-पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

36—श्री महेन्द्र भाटी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]।

37—कुंवर रेवती रमण सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

ग्राम्य विकास विभाग में जिप्सी जीपों की खरीद

38—श्री सरदार सिंह—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री की जानकारी में है कि ग्राम्य विकास विभाग बिना रेट कान्ट्रेक्ट के व टेक्नीकल सलाह के प्रतिकूल महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा के स्थान पर जिप्सी जीपें खरीद रहा है ? यदि हां, तो विभाग अब तक कितनी जिप्सी जीपें खरीद चुका है और क्यों ? क्या सरकार इन जीपों पर हुए खर्चे (रख रखाव व ईंधन) का तुलनात्मक विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

तालाब उपरदहा, तहसील हण्डिया जनपद इलाहाबाद का वन्य जीव परिरक्षण संगठन द्वारा चुना जाना

39--श्री राकेश धर त्रिपाठी--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम उपरदहा, तहसील हण्डिया जनपद इलाहाबाद में एक हजार एकड़ के ताल में वन विभाग की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि उक्त ताल का सर्वे जिलाधिकारी एवं वन विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया तथा अपनी संस्तुति भी विभाग को दी गयी ? यदि हां, तो मंत्री जी उसका पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

जी, हां। जनपद इलाहाबाद की तहसील हण्डिया में स्थित उपरदहा ताल को वन्य जीव परिरक्षण संगठन द्वारा इस आशय से चुना गया कि इसमें आने वाले पक्षियों को संरक्षण दिया जाय और धन की उपलब्धता पर इसे पक्षी बिहार बनाया जाय।

जी नहीं, ऐसा कोई सर्वे नहीं किया गया है।

स्व0 श्री हरीराम वर्मा ग्राम विकास अधिकारी विकास खण्ड भियांव के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन का भुगतान

40--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 श्री हरीराम वर्मा पुत्र श्री दीपत वर्मा (निवासी ग्राम भिटौरा उत्तर पोस्ट किछोछ जनपद फैजाबाद) ग्राम विकास अधिकारी विकास खण्ड भियाव जनपद फैजाबाद की मृत्यु कब हुई थी ? क्या स्व0 श्री वर्मा के अवशेष वेतन ग्रेच्युटी तथा पेंशन का भुगतान हो गया है ? क्या स्व0 श्री वर्मा की पत्नी को पारिवारिक पेंशन मिल रही है ? यदि नहीं, तो अब तक न मिलने का क्या कारण रहा है ? क्या पेंशन में विलम्ब होने के सम्बन्ध में उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

स्व0 श्री हरीराम वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी, विकास खण्ड भियांव जनपद फैजाबाद की मृत्यु दिनांक 30/31-5-79 को हुई। श्री वर्मा, मृतक, ग्राम विकास अधिकारी का 4/79 व 5/79 की अवधि का वेतन कालातीत हो जाने के कारण भूमि संरक्षण अधिकारी, शारदा सहायक खण्ड-4 फैजाबाद द्वारा पूर्व सम्परीक्षा स्वीकृति हेतु महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को भेजा गया है। महालेखाकार, उ0प्र0 से स्वीकृति प्राप्त होने पर भुगतान कराया जायेगा। स्व0 श्री वर्मा की पारिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्युटी के प्रपत्रादि भी महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को भेजे गये हैं। महालेखाकार, उ0प्र0 की स्वीकृति प्राप्त होने पर पारिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्युटी का भुगतान इनके परिवार को किया जायेगा। स्व0 श्री वर्मा के देयों के भुगतान में हुए विलम्ब के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा रहा है।

नेशनल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बाराबंकी के कर्मचारियों के यात्रा भत्ते का भुगतान

41--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नेशनल गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल बाराबंकी के कर्मचारियों द्वारा वर्ष 1981 में की गयी यात्राओं के प्रस्तुत बिलों का भुगतान

कर दिया गया है जिनके संबंध में मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, फैजाबाद ने पत्रांक व0 स0 2/1414-16/87-88 दिनांक 10-6-87 द्वारा कोई आदेश दिये हैं ? यदि नहीं, तो विद्यालय प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

जी नहीं ।

प्रबन्धक का कोई दोष नहीं है ।

नेशनल गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल बाराबंकी के एक लिपिक के निलम्बन किये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

42---श्री रामचन्द्र बख्श सिंह---

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नेशनल गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल बाराबंकी में इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के उपबन्धों का उल्लंघन करके निलम्बित लिपिक के स्थान पर निलम्बन तिथि 24-11-1983 से दफतरी पद से तथा कथित लिपिक पद पर कोई पदोन्नति की गयी है और वह अब भी कार्यरत है तथा इस संबंध में माध्यमिक शिक्षण कर्मचारी कल्याण परिषद् बाराबंकी दिनांक 20-12-87 की कोई शिकायत भी शिक्षा निदेशक इलाहाबाद को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

जी हां ।

जी हां ।

जांच की जा रही है ।

43---श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ---

(दि0 27-2-89 को अता0 प्र0 सं0 38 द्वारा उत्तरित)

ग्राम्य विकास विभाग के अवर अभियन्ताओं व अन्य कर्मचारियों के नियमतीकरण की मांग

44---श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ---

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नियमितीकरण के संबध में एक शासनादेश जारी किया गया था ? जिसमें मई 1983 के पूर्व की एडहाक नियुक्तियों को नियमित व स्थाई किया जाना था ? यदि हां तो इस शासनादेश के अन्तर्गत ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अन्तर्गत कितने अवर अभियन्ताओं व अन्य कर्मचारियों को नियमित व स्थायी किया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

प्रश्नगत आदेश के अनुसार ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में 287 अवर अभियन्ताओं को नियमित किया जा चुका है तथा अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में शासनादेश के आधार पर नियमित किये गये कर्मचारियों की सूचना एकत्र की जा रही है ।

महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज देवरिया के रिक्त प्रधानाचार्य के पद पर चयन की कार्यवाही

45—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज देवरिया जनपद देवरिया में गत 3 वर्षों से रिक्त प्रधानाचार्य पद पर अभी तक नियुक्ति न होने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि उक्त प्रधानाचार्य के पद हेतु आयोग द्वारा साक्षात्कार भी किया गया था ? यदि हां तो उसका क्या परिणाम रहा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सम्बन्धित 2 अध्यापकों की वरिष्ठता का प्रकरण शिक्षा निदेशक के समक्ष विचाराधीन होने के कारण नियमित नियुक्ति सम्भव नहीं हो सकी है ।

जी हां ।

उक्त विवाद के कारण चयन की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी है ।

जनपद मथुरा के नौहझील व मांट ब्लाकों में ग्राम प्रधानों के चुनाव में तैयार की गई वोटर लिस्ट में हेरा फेरी करने के संबंध में कार्यवाही

46—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या सरकार की जानकारी में है कि मथुरा जनपद के नौहझील व मांट ब्लाकों में वर्ष 1988 के ग्राम प्रधानों के चुनाव में वोटरलिस्ट में भारी हेराफेरी कर एक गांव के वोटर दूसरे गांव की मतदाता सूची में तथा एक ब्लाक के वोटर दूसरे गांव की मतदाता सूची में मनमानी कर लेखपालों ने घटाये व बढ़ाये हैं जिनकी शिकायतें जिलाधिकारी मथुरा को पीड़ित व्यक्तियां ने कीं ? यदि हां तो उक्त ब्लाकों से कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है तथा वोटरलिस्टों में हेराफेरी करने वाले संबधित किसी कर्मचारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां तो क्या, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

दो शिकायती पत्र जिले में प्राप्त हुये । प्रश्नगत निर्वाचन के लिये तैयार की गयी मतदाता सूची में कोई हेराफेरी या अनियमितता नहीं की गयी अतः किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद वाराणसी में शुकुलगंज शहर की भूमि पर अवैध निर्माण रोकने सम्बन्धी कार्यवाही

47—श्री राज किशोर सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर भूमि सीमारोपण म दिनांक 27-2-81 को हुए निर्णय मे शासन को मिलने वाली आराजी सख्या-8/1, हुकुल गंज शहर वाराणसी की भूमि पर अवैध कब्जा करने हेतु कराये जा रहे अवैध निर्माण रोकने के लिए विकास प्राधिकरण तथा जिलाधिकारी तथा तत्कालीन शिक्षा एवं वर्तमान गृह मंत्री के लिखने पर भी पुलिस द्वारा निर्माण कार्य रुकवाये न जाने के क्या कारण है ? क्या इस सबध में तत्कालीन मुख्य मंत्री के निर्देश पर संयुक्त सचिव, आवास अनुभाग-3 के पत्रांक-बी0 आई0 पी0 -9।37-3-87-4 काम्प/88, दि0 11 जनवरी, 88 के आधार पर विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा पत्रांक-1080 वि0 प्र 0 (भू)/87-88 दिनांक 6-2-88 से शासन को भेजी गई रिपोर्ट पर कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीनाथ सिंह—

प्रश्नगत मामले में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा शासन को भेजे गये पत्र दिनांक 6–2–88 के साथ भेजी गई रिपोर्ट के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर, योजना एवं विकास अधिनियम की धारा 28 (3) के अन्तर्गत स्थाई निगरानी रखने हेतु पुलिस अधीक्षक नगर को दिनांक 3–12–88 को पत्र प्रेषित किया गया। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत मामले मे विभाग के भवन निरीक्षक को अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भी प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया।

संबधित पक्ष ने ध्वस्तीकरण कार्यवाही के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में स्थगन आदेश प्राप्त किया है, जो अभी तक प्रभावी है। स्थगन आदेश के उपरान्त पक्ष द्वारा किये गये अवैध निर्माण के संबध में प्राधिकरण की ओर से न्यायालय के आदेश के अवमानना का मामला भी दायर किया गया है जो विचाराधीन है।

प्रश्नगत मामले में मा0 उच्च न्यायालय क निर्णयोपरान्त अन्तिम रूप से कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

प्रबन्धक के0 के0 इण्टर कालेज हरदुआ वाराणसी के व्यायाम के शिक्षक श्री प्रेमशंकर सिंह एल0 टी0 ग्रेड देने की मांग

48—श्री राज किशोर सिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्धक के0 के0 इन्टर कालेज, हरदुआ, वाराणसी को सम्बोधित जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी के पत्रांक-मा0 1/4629/31–88/79, दि0 28–5–88 में दिये गये निर्देश के अनुसार विद्यालय के व्यायाम शिक्षक श्री प्रेम शकर सिंह को राजाज्ञा सं0–5588, दि0 3–10–74 के अनुसार एल0 टी0 ग्रेड प्रदान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं।

राजाज्ञा दिनांक 3–10–74 के अनुसार निर्धारित अर्हता न होने के कारण।

49—श्री राज किशोर सिंह—

(दि0 3–3–89 को अता0 प्र0 सं0 148 के द्वारा उत्तरित)

जनपद बांदा के ब्लाक महुआ को ग्राम बांसी के श्री भइयादीन हरिजन बीमा क्लेम का भुगतान करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

50—डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृपया बतायगे कि प्रश्नकर्त्ता के पत्र संख्या गा0 12336, दिनांक 5–10–1987 के साथ बांदा जनपद के ब्लाक महुआ के ग्राम बांसी के श्री भइयादीन हरिजन का पत्र आई0 आर0 डी0 योजना द्वारा कर्ज लेकर बैल खरीदने तथा उनकी मृत्यु हो जाने के बाद बीमा आदि का भुगतान न होने के संबध में प्राप्त हुआ? यदि हां, तो पत्र पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां।

श्री भइयादीन पुत्र श्री मंगलिया हरिजन ग्रांम-बांसी के बैल का बीमा यूनाइटेड इन्स्योरेंश कम्पनी लिमिटेड, इलाहाबाद द्वारा किया गया है। लाभार्थी के बीमा क्लेम भुगतान की कार्यवाही उक्त बीमा कम्पनी में लम्बित है। बीमा क्लेम भुगतान हेतु बीमा कम्पनी से पत्राचार जारी है।

नगर महापालिका, बरेली में बिजली के सामान के क्रय हेतु टेन्डर

51—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या नगर विकास मत्री को जानकारी है कि नगर महापालिका बरेली में बिजली क सामान की खरीद के लिये 30 मार्च, 1988 को टेन्डर खोले गये थे ? यदि हां, तो इसी के लगभग एक माह बाद एक अन्य कम्पनी से टेन्डर लेकर उसको आर्डर देने का क्या औचित्य है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

टेन्डर खोलने के एक माह बाद किसी कम्पनी से टेण्डर लेकर कोई आर्डर नही दिया गया ।

श्री खेमपाल शर्मा, अध्यापक जूनियर हाई स्कूल तरोख बरेली की पत्नी को पारिवारिक पेंशन का भुगतान

52—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री खेमपाल शर्मा, अध्यापक जुनियर हाई स्कूल तरोख बरेली का देहान्त 13-4-83 को हो गया था ? यूदि हां, तो अभी तक उनकी पत्नी को पेन्शन आदि न दिया जाने के क्या कारण हैं ? क्या मत्री जी मृतक की पत्नी के पेंशन आदि शीघ्र दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

पारिवारिक पेंशन स्वीकृत कर दी गयी है तथा दिसम्बर, 88 तक का भुगतान किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के मोहल्ला कन्धारी बाजार लोधपुरवा व पठानों की बारादरी में जल आपूर्ति की समस्या

53—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित मोहल्ला कन्धारी बाजार लोधपुरवा व पठानों की बारादरी जो कि वी0 आई0 पी0 क्षेत्र के अति निकट है ? वर्ष 1980-81, 81-82, 82-83, 83-84, 85-86 में पूरे 24 घटे पानी की आपूर्ति की जाती थी ? वर्ष 1986-87 , 87-88 में वर्णित मोहल्लों में प्रात: 5.30 बजे से 9.30 बजे तक तथा सांयकाल 4.30 से 7.30 बजे तक ही जल आपूर्ति की जाती है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

जी हां ।

इस समय जलापूर्ति लालबाग जोंनल पम्पिग स्टेशन से की जाती है जहां के जलाशय सामान्यतया प्रात: 9.30 बजे एवं सायं 7.30 बजे पानी से खाली हो जाते हैं ।

नगर महापालिका फर्रुखाबाद फतेहगढ़ के जल विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग

54—श्री ब्रहम दत्त द्विवेदी—

क्या नगर विकास मंत्री को यह जानकारी है कि नगरपालिका फर्रुखाबाद फतेहगढ़ के जलकल विभाग में कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो वर्षों से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे है और उन्हें स्थायी नहीं किया जा रहा है ? पिछले दस वर्षों में ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में से कौन-कौन कर्मचारी नियमित किये गये है और कितने अभी भी दैनिक वेतन भोगी के रूप में चले आ रहे है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जलकल विभाग में 16 पम्प अटेन्डेन्ट एवं 6 बेलदार दैनिक वेतन पर काम कर रहे हैं।

उपरोक्त में से किसी भी कर्मचारी को अभी नियमित नहीं किया गया है, सभी दैनिक वेतन पर ही कार्यरत हैं।

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड बिरनों के कार्यालय में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा बाउन्ड्री के निर्माण में बरती गयी अनियमितता के सम्बन्ध में श्री मूलचन्द्र स0वि0स0 के पत्र पर कृत कार्यवाही

55—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री मूलचन्द्र, सदस्य विधान सभा द्वारा जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड बिरनों के कार्यालय में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा चारों ओर बाउन्ड्री निर्माण में की गई अनियमितता के संबंध में दिनांक 9-12-88 को उन्हें कोई पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र में वर्णित बिन्दुयों की जांच की गई है ? यदि हां, तो जांच में कौन-कौन से लोग दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में टी0 ए0 सी0 से जांच कराई जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होने पर उपयुक्त कार्यवाही की जायगी।

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड बाराचवंर में क्षतिग्रस्त प्राइमरी एवं जूनियर विद्यालयों के निर्माण की योजना

56—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर) —

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड बाराचवंर जनपद गाजीपुर अन्तर्गत कितने ऐसे प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल हैं, जो भवन विहीन हैं, तथा क्षति ग्रस्त हैं ? क्या उन विद्यालयों के निर्माण कराये जाने की कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उक्त का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

3 प्राइमरी पाठशाला भवनहीन हैं तथा 2 प्राइमरी एवं 4 जूनियर हाई स्कूल के भवन क्षतिग्रस्त है।

जी हां।

प्राइमरी स्कूल भवनों का निर्माण वर्ष 89–90 में तथा जूनियर हाई स्कूल भवनों का निर्माण जिला योजना में धन उपलब्ध होने पर कराया जायेगा। क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत हेतु ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर धन का आवंटन किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राइमरी स्तर के उर्दू अध्यापकों का एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानान्तरण

57—श्री अभिताभ अनिल दुबे—

क्या शिक्षा मंत्री यह बतायेंगे कि प्राइमरी स्तर के उर्दू अध्यापक को सामान्य अध्यापक या अध्यापिका के रूप में मान लिया गया है? यदि हां, तो क्या उनका एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानान्तरण सम्भव है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय सिटी इण्टर कालेज गाजीपुर के छात्रों को पुस्तकालय का लाभ

58—श्री अभिताभ अनिल दुबे—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय सिटी इन्टर कालेज गाजीपुर का पुस्तकालय लगभग 10 वर्ष से बन्द है? क्या छात्रों से पुस्तकालय शुल्क लिया जा रहा है? यदि हां, तो कितने वर्ष से और पुस्तकालय सुविधा का लाभ छात्रों को न मिलने का क्या कारण है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

नहीं। दिनांक 17–11–88 से खुल गया है।

नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गाजीपुर नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत सीवर लाइन बिछाने का प्रस्ताव

59—श्री अभिताभ अनिल दुबे—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत जल भराव एवं जल निकासी हेतु सीवर लाईन बिछाने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक उस पर निर्णय हो जायेगा?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के कटरा के विकास खण्ड अधिकारी के विरुद्ध भू0 पू0 विधायक श्री दीप नारायण पान्डेय के पत्र पर कार्यवाही की मांग

60—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 21–10–88 को श्री दीप नारायण पाण्डे, भू0 पू0 विधायक जनपद गोण्डा ने उनको जनपद गोण्डा के ब्लाक कटरा के

विकास खण्ड अधिकारी के विरुद्ध एक शिकायती प्रार्थना-पत्र सरकारी धन के दुरुपयोग तथा विकास खण्ड में अन्य अनियमितताओं के विषय में दिया था जिस पर सचिव ग्राम्य विकास को यह आदेश दिये गये थे कि 15 दिनों में में जांच कराकर जांच रिपोर्ट उनको दी जाये ? यदि हां, तो क्या उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र पर जांच हुई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और शासन ने उक्त विकास खण्ड अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जीहां ।

उक्त शिकायती प्रार्थना-पत्र पर सहायक आयुक्त (मुख्यालय) से प्रारम्भिक जांच करायी गई। जांच से श्री राज बहादुर लाल, खण्ड विकास अधिकारी, कटरा बाजार, गोण्डा को प्रथम दृष्टया भ्रामक विवरण प्रस्तुत करने एवं शासकीय धन के दुरुपयोग के लिये दोषी पाया गया। अत: खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

स्व0 श्री मूल चन्द्र गुप्त सहायक अभियन्ता के आश्रित श्री सत्य प्रकाश गुप्ता को शैक्षिक योग्यता के अनुसार सेवा में लेने की मांग

61—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्भा का दिनांक 31–10–87 का पत्र नगर विकास राज्य मंत्री को सम्बोधित श्रीमती सरयू देवी, पत्नी स्व0 श्री मूल चन्द्र गुप्त सहायक अभियन्ता (जिनकी सेवा काल में ही मृत्यु हो गयी थी) के आश्रित श्री सत्य प्रकाश गुप्ता को सेवा का अवसर उत्तर प्रदेश जल निगम में प्रदान किये जाने विषयक संलग्न पत्र के साथ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई है ? क्या मंत्री जी श्री सत्य प्रकाश गुप्ता को उसकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार सेवा में लिये जाने के आदेश करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

उ0 प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती सेवा नियमावली, 1974, की परिधि में श्री सत्य प्रकाश गुप्ता नहीं आते, अत: उनकी नियुक्ति किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद झांसी की नगरपालिका, समथर के कर्मचारियों को उत्पीड़ित करने के संबंध में प्रश्नकर्त्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

62—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता का समथर नगरपालिका जिला झांसी के सफाई कर्मचारियों को उत्पीड़ित किये जाने विषयक पत्र संख्या–509/87, दिनांक 22–12–87 संलग्नक सहित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार शिकायत पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही से सदन को अवगत करायेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा में रिपोर्ट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर द्वारा नलकूपों हेतु व्यवस्था स्थल का चयन

63—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा प्रदेश के बुन्देलखण्ड एवं आगरा व मथुरा जनपदों में रिपोर्ट सेन्सिग एप्लीकेशन सेन्टर द्वारा कितने नलकपों हेतु स्थल चयन का कार्य कराया गया तथा कितनी धनराशि सर्वेक्षण हेतु व्यय की गई ? क्या मंत्री जी जानकारी देंगे कि कितने नलकूप असफल हुए तथा असफलता के लिये कौन उत्तरदायी है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जल निगम द्वारा रिपोर्ट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर से बुंदेलखंड में 145 आगरा जनपद में 70 तथा मथुरा जनपद में 36 नलकूपों के निर्माण हेतु कार्य स्थल का चयन कराया गया जिस पर 1.00 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गयी।

बुन्देलखंड में 146 स्थानों में से 64 स्थलों पर छिद्रण कराया गया जिनमें से 29 स्थल नलकूप के निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं पाए गये। जनपद आगरा में 70 में से 6 एवं जनपद मथुरा में 36 में से 7 स्थल नलकूप के निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं पाए गये।

छिद्रण करने पर उचित वाटर बियरिंग स्ट्राटा न मिलने के कारण नलकूप सफल नहीं हो सके। इसके लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं है।

जनपद उन्नाव की जिला सहकारी बैंक की जीप से मतगणना केन्द्रों पर प्रशासक को जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्त्ता के पत्र पर जांच

64—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1987–88 में ग्राम प्रधानों के चुनावों उन्नाव जिले में मतगणना के दिन 2–7–88 को जिला सहकारी बैंक उन्नाव की जीप पर प्रशासक पुरवा, मौरावां व असोहा मतगणना केन्द्रों पर गये थे ? यदि हां, तो बैंक के किस काम से मतगणना केन्द्र का दौरा हुआ ? यदि नहीं, तो क्या तद्विषयक प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र 15–7–88 मुख्य मंत्री जी को मिला है ? यदि हां, तो जांच के नतीजे क्या हैं ? क्या पत्र में वर्णित लोगों से जांचकर्ता ने बयान लिये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री समर पाल सिंह—

जिला सहकारी बैंक उन्नाव के सचिव/महाप्रबन्धक की सूचना के अनुसार बैंक की जीप से मतगणना केन्द्रों पर प्रशासक नहीं गये थे।

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15–7–88 उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उसकी प्रतिलिपि माननीय विधायक से प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही करना संभव हो सकेगा। पत्र की प्रतिलिपि या उसका विवरण उपलब्ध कराने हेतु माननीय विधायक से अनुरोध किया गया है।

जनपद मथुरा के प्राइमरी व जू0 हा0 स्कूल के अध्यापकों को मकान भत्ता देने सम्बन्धी मापदण्ड का निर्धारण

65—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा चलाये जा रहे प्राइमरी स्कूल व जू0 हा0 स्कूल के अध्यापकों को मकान भत्ता दिया जा

रहा है ? यदि हां, तो कब से तथा किस-किस ब्लाक में कौन-कौन से स्कूलों के अध्यापकों को दिया जा रहा है तथा मकान भत्ता देने का मापदण्ड क्या नियत किया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

मथुरा एवं बृन्दावन की नगरपालिकाओं में स्थित सभी विद्यालयों तथा मथुरा नगर पालिका की सीमा के बाहर 8 किलोमीटर की परिधि में स्थित ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों के अध्यापकों को दिनांक 1–10–81 से मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है ? विद्यालयों की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है। माप दण्ड निम्न प्रकार है :—

वेतन स्लैब	देय भत्ता रुपयों में
1—340 रु0 तक	15
2—340 रु0 से अधिक और 600 रु0 तक ..	30
3—600 रु0 से अधिक और 900 रु0 तक ..	45
4—900 रु0 से अधिक और 1200 रु0 तक ..	60

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 235 से 237 पर)

जनपद मथुरा के मृतक पशुओं के हड्डी खाल के ठेके से प्राप्त आय को न्याय पंचायत को देने की मांग

66—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में जिला परिषद् द्वारा वर्ष 1987–88 में मृत पशुओं की हड्डी व खाल के ठेके न्याय पंचायत स्तर पर उठाये गये थे ? यदि हां, तो न्याय पंचायतों से कितनी आय जिला परिषद को हुई। क्या प्राप्त आय में से प्रत्येक न्याय पंचायत को नियमानुसार उसका आधा भाग दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जिला परिषद् मथुरा द्वारा वर्ष 1987–88 में मृतक पशुओं के हड्डी खाल के ठेके न्याय पंचायत स्तर व विकास खंड स्तर पर उठाए गए थे।

जिला परिषद् द्वारा वर्ष 1987–88 में मृतक पशुओं के हड्डी खाल का ठेका मु0 5,93,000.00 में स्वीकृत हुआ था, किन्तु जिला परिषद् को दिनांक 29–2–88 तक केवल 2,94,150.00 रु0 की आय प्राप्त हुयी, जिसका आधा भाग रु0 1,47,075.00 प्रत्येक न्याय पंचायतों को नियमानुसार वितरित करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी मथुरा को उपलब्ध करा दिया गया है।

67—श्री कुशलपाल सिंह—

[दि0 27–3–89 की अता0 प्र0 सं0 124 द्वारा उत्तरित]

68—मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

[दि0 27–2–89 को अता0 प्र0 सं0 37 द्वारा उत्तरित।]

जनपद बांदा के कतिपय व्यक्तियों द्वारा कचेहरी प्रांगण में अनशन करने की नोटिस तथा मांगों का उल्लेख

69—श्री राम सजीवन—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सिद्धूराम अहेरवार, छेदालाल वर्मा, श्यामलाल, बाबूलाल व अच्छेलाल निषाद निवासी जेल रोड बांदा ने जिलाधिकारी बांदा को नोटिस देकर 19 जून, 1988 से कचेहरी प्रांगण में अनशन करने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो नोटिस के जरिये उन्होंने क्या मांग रखी थी ? उसके सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

69—श्री बल्देव सिंह आर्य—

कचेहरी प्रागंण में अनशन करने की घोषणा की नोटिस दिनांक 19 जून, 1988 की नहीं थी। यह नोटिस दिनांक 17 जून, 1988 की थी।

नोटिस के जरिये की गई मांगों एवं उनके बारे में अब तक कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न तालिका में दर्शाया गया है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 238 से 241 पर)

जनपद बांदा के विकास खण्ड नरैनी में हुई अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

70—श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 30 अगस्त, 1988 का पत्र ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री को बांदा जनपद के खंड विकास नरैनी में हुई अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार क संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि राज्य मंत्री जी ने मंडल स्तर के किसी उच्च अधिकारी द्वारा जांच करने के आदेश दिये है ? यदि हां, तो किस मंडल स्तर के उच्च अधिकारी न जांच की और क्या-क्या अनियमिततायें पाई गयी तथा अनियमितताओं के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों तथा अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां।

जी हां।

संयुक्त विकास आयुक्त झांसी से जांच कराई जा रही है। प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 30-8-88 में वर्णित सभी बिन्दुओं पर जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

जनपद बांदा के ब्लाक महुआ के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु हैण्ड पम्प का लगाया जाना

71—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि बांदा जनपद के ब्लाक महुआ के अन्तर्गत ग्राम नन्दवारा ग्राम देवरार, ग्राम गोखिया, नौहाई, कबौली, हड़हा, सरखरी, पहाड़पुर की आबादी अलग-अलग क्या है तथा आबादी को देखते हुए पेय जल हेतु कितने हैण्डपम्प की अलग-अलग गांवों में आवश्यकता है ? मौजूदा समय में कितने हैण्ड पम्प उपरोक्त गांवों में लगे है। क्या पेयजल समस्या के निराकरण हेतु प्रत्येक गांव की आबादी को ध्यान में रख कर अविलम्ब हैण्ड पम्प लगाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो पेयजल समस्या के निराकरण हेतु उपरोक्त गांवों में कौन-कौन उपाय शासन द्वारा किये गये हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

बांदा जनपद के ब्लाक महुआ के अन्तर्गत ग्रा0 नन्दवारा, देवरार, गोढ़िया, नौहाई, कबौली, हड़हा, तरखरी तथा पहाड़पुर की आबादी 1981 की जनगणना के अनुसार क्रमशः

2331, 1201, 2814, 2144, 1742, 1823, 1701 तथा 559 है।

आबादी को देखते हुए नन्दवारा मे 14, देवरार में 7, गोखिया में 16, नौहाई में 13 कबौली में 10, हड़हा में 11, तरखरी में 10 तथा पहाड़पुर में 3 हैण्ड पम्पों की आवश्यकता है।

मौजूदा समय में नन्दवारा में 6, देवरार में 6, गोखिया में 3, नौहाई में 11, कथौली में 6 हड़हा में 2, तरखरी में 4 तथा पहाड़पुर में 4 (एक अतिरिक्त हैण्ड पम्प सूखा में) लगे है।

धन की उपलब्धता के अनुसार ही शेष हैण्ड पम्प लगाये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बांदा के ब्लाक महुवा अन्तर्गत ग्राम नन्दवारा में निर्माणाधीन सामुदायिक केन्द्र के निर्माण की जांच तथा शीघ्र पूर्ण कराने की मांग

72—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के ब्लाक महु वां अन्तर्गत ग्राम नन्दवारा में वर्ष 1986-87 अथवा वर्ष 1987-88 में डी0 आर0 डी0 ए0 बांदा के इंजीनियरों की देखरेख में सामुदायिक विकास केन्द्र का निर्माण कराया गया है जो अभी तक अधूरा है जिसकी छत बरसात के पानी में टपकती है, तथा जल्द ही भवन ढहने की सम्भावना है? यदि नहीं, तो क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग के इंजीनियर द्वारा सामुदायिक विकास केन्द्र भवन की जांच कराई जायेगी और भवन को अविलम्ब पूरा कराया जायेगा तथा भवन में पाई जाने वाली कमियों को पूरा करते हुए जिम्मेदार दोषी निर्माण कराने वाले अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

प्रश्नगत सामुदायिक विकास केन्द्र नन्दवारा का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

उपर्युक्त सामुदायिक विकास केन्द्र की जांच सहायक अभियन्ता, डी0 आर0 डी0 ए0 द्वारा करायी गयी जिसमें भवन की गुणवत्ता उचित तथा मानकों के अनुसार पायी गयी। भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। प्राप्त सूचना के अनुसार निर्माण कार्य सही तरीके से हुआ है अतः किसी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर के अधूरे सम्पर्क मार्गों को शीघ्र पूर्ण करने की मांग

73—श्री मित्रसेन यादव—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर, फैजाबाद में ग्रा0 अभि0 सेवा, फैजाबाद द्वारा निर्माणाधीन कौन-कौन से सम्पर्क मार्ग हैं, जो अभी अधूरे हैं? उनके अधूरे निर्माण कार्य को अब तक पूरा न कराये जाने के कौन लोग दोषी हैं? क्या इन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराने का आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

वाराणसी जल संस्थान में पेयजल के शुद्धीकरण प्लान्ट की मरम्मत में हुए भ्रष्टाचार की जांच

74—श्री राजकिशोर सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जल संस्थान में पेयजल के शुद्धीकरण प्लांट की मरम्मत में हुए भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा नियम 301 के अन्तर्गत दि0 9 सितम्बर, 86 को दी गयी सूचना के उत्तर में राज्य मंत्री संसदीय कार्य के अद्र्धशा0 पत्रस0–5114/99–10–86–व 12/86 नगर विकास अनुभाग–10 दिनांक 4 दिसम्बर, 86 के सन्दर्भ में जांच कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या हैं ? क्या जांच का विवरण मंत्री जी सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।

चूंकि जांच की कार्यवाही अभी पूरी नहीं हुई है, अतः जांच के परिणाम का प्रश्न नहीं उठता है।

चूंकि जांच अभी पूरी नहीं हुई है। अतः जांच कार्य विवरण सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

75—श्री सुखलाल पाण्डे —

[दि0 13–3–89 को अता0 प्र0 स0 103–द्वारा उत्तरित]

उत्तर प्रदेश की जिला परिषद् में कार्यरत वैक्सीनेटरों से टैक्स व वसूली का कार्य लिया जाना

76—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि उत्तर प्रदेश की जिला परिषदों में कार्यरत वैक्सीनेटरों के सम्बन्ध में शासनादेश सं0–2006 क/33–1–131/75, दिनांक 10 जुलाई, 1978 तथा शासनादेश स0–1121 ग/33–3–14वी/2/84, दिनांक 21 अप्रैल, 1984 द्वारा यह आदेश हो चुका है कि जिला परिषदों में कार्यरत वैक्सीनेटरों की सेवायें उनके मूल पद पर जारी रखी जायं ? यदि हां, तो प्रदेश की अधिकांश जिला परिषदें उनसे किस शासनादेश और सेवा नियमावली के तहत टैक्स और लाइसेन्स की वसूली का काम ले रही हैं ? क्या यह भी सही है कि जिला परिषद् पीलीभोत, गोरखपुर और आगरा के वैक्सीनेटरों के मूल पद नाम वैक्सीनेटर को बदल कर पौण्डकीपर करने की संस्तुति की गयी है ? यदि हां, तो उनसे वसूली का कार्य लिये जाने तथा उनका पद नाम बदलने का क्या औचित्य है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्यक्ष—

जी हां।

वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत वैक्सीनेशन संबंधित समस्त कार्य राज्य सरकार द्वारा कराये जाने के फलस्वरूप जिला परिषदों के वैक्सीनेटरों का पद निष्क्रिय हो जाने के कारण उनसे परिषदीय टैक्स और लाइसेंस की वसूली का कार्य लिया जा रहा है।

जिला परिषद् पीलीभीत तथा गोरखपुर द्वारा वैक्सीनेटरों का पद नाम परिवर्तित करके पौडकीपर कर दिया गया है। ऐसा न करने के लिये उक्त जिला परिषदों को लिखा जा चुका है। जिला परिषद आगरा द्वारा वैक्सीनेटर की पद नाम नहीं परिवर्तित किया गया है।

जिला परिषद फर्रुखाबाद के पेन्शरों को मासिक पेंशन वितरण करने के लिये व्यवस्था की मांग

77—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जिला परिषद् फर्रुखाबाद के पेंशनर्स को नियत तारीख पर प्रति माह पेंशन का भुगतान नहीं किया जाता है और 3 माह से बांकी पेंशन का भुगतान लोली जैसे पर्व से पुर्व भी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या मासिक पेंशन वितरण सुनिश्चित करने के लिये सरकार अविलम्ब समुचित व्यवस्था करेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जिला परिषद् फर्रुखाबाद की पेंशन निधि में काफी समय से धनाभाव के कारण पेंशनर्स को नियत तारीख पर पेंशन का भुगतान नहीं हो पाता है। तथापि होली के पर्व से पूर्व परिषद् के पेशनर्स को फरवरी 89 तक की पेंशन का भुगतान किया जा चुका है।

मासिक पेंशन वितरण सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा व्यवस्था किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद फर्रुखाबाद के जूनियर हाई स्कूलों के छात्रों को छात्रवृत्ति भुगतान करने की मांग

78—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के जूनियर हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके छात्रों को वर्ष 1986-87 की छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया है यदि नहीं, तो क्यों ? क्या पूरे प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करने के कार्यवाही करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बखशी—

जी हां।

प्रश्नां नहीं उठता।

जिला परिषद फर्रुखाबाद में अनुभागीय नगरीय प्रधान लिपिकों के रिक्त पदों को भरने की मांग

79—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या ग्राम्य विकस एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् फर्रुखाबाद में अनुभागीय प्रधान लिपिकों के 2 पद क्रमश: दि0 1-2-86 व 1-12-86 से रिक्त हैं ? दिनांक 1-2-86 से रिक्त प्रधान लिपिक पद पर प्रोन्नति 1-12-86 तक न किये जाने के क्या कारण थे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां, इन दो रिक्त अनुभागीय प्रधान लिपिक के पदों पर पदोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 27-3-89 को हो चुकी है। चयन समिति की बैठक शीघ्र न होने के साथ साथ आर्थिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी इन पदों को भरने में विलम्ब हुआ है।

80—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

[7वें सोमवार के लिये स्थगित]

जनपद टिहरी गढ़वाल के भिलंगना नदी के स्थान पर घोटीपर पुल की मरम्मत पर अनुमामानित व्यय तथा शीघ्र मरम्मत कराने की मांग

81—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल जनपद में भिलंगना नदी पर स्थान घोटी पर वन विभाग का जो पुल है उसकी मरम्मत गत दो वर्षो में की गई ? यदि हां, तो इस पुल की मरम्मत पर वन विभाग के कितने पेड़ तथा किस-किस गोलाई के दिये गये ? इस मरम्मत पर विभाग को कितना धन खर्च करना पड़ा ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि यह पुल फिर जर्जर हालत में हो गया है तथा जनसाधारण को आने जाने पर बहुत खतरा उठाना पड़ रहा है ? क्या मंत्री जी फिर मरम्मत कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

टिहरी गढ़वाल जनपद में भिलंगना नदी पर घोटी नामक स्थान पर एक झूला पुल है जिसका रख-रखाव वन विभाग द्वारा किया जाता है । पुल की मरम्मत माह सितम्बर, 1986 में की गई थी ।

पुल की मरम्मत हेतु 6 पेड़ चीड़-3 पेड़ 40 से 50 व पेड़ 50 से 60 से0 मी0 व्यास, का प्रकोष्ठ प्रयोग हुआ ।

इसकी मरम्मत पर विभाग को रु0 20,115 की धनराशि व्यय करनी पड़ी ।

पुल पर अधिक आवागमन का दबाव होने के कारण इसकी मरम्मत की पुन: आवश्यकता है । धन जन की हानि न हो अत: पुल की साधारण मरम्मत कर दी गयी है ।

जनपद बुलन्दशहर की कतिपय नगरपालिकाओं के मोहल्लों में विद्युतीकरण कराने की मांग

82—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर की नगरपालिका अनपशहर, शिकारपुर जहांगीराबाद गुलावठी, स्याना एवं टाउन एरिया खानपुर बुगरासी, औरगाबाद व बीबीनगर में कितने मोहल्ले हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? क्या उपरोक्त नगरों में उक्त मोहल्लों का विद्युतीकरण शीध करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद बुलन्दशहर की नगरपालिका अनूपशहर, शिकारपुर, जहांगीराबाद गुलावठी स्याना एवं टाउन एरिया खानपुर बुगरासी, औरंगाबाद एवं भवन बहादुरनगर में कुल 34 मोहल्ले हैं जिनका विघुतीकरण नहीं हुआ है ?

जी हां । वित्तीय वर्ष 1988-89 में मार्ग प्रकाश व्यवस्था की मद में जनपद बुलन्दशहर की नगरपालिकाओं/टाउन एरिया समितियों की कुल रु0 1,90,000 (रु0 एक लाख नब्बे हजार मात्र) अनुदान स्वीकृत किया गया है ।

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड स्याना के ऊँचागांव एवं जहांगीराबाद की बस्तियों में इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लगाने के लिये अनुदान की मांग

83—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या नगर-बिकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड स्याना, ऊंचा गांव एवं जहांगीराबाद, जनपद बुलन्दशहर में कितनी ऐसी बाल्मीकि बस्ती है एवं कितनी जाटव बस्ती है

जिनमें एक भी इण्डिया मार्क–द्वितीय हैण्ड पम्प नहीं लगा है ? क्या उपरोक्त बस्तियों में पेयजल संकट को दूर करने हेतु इण्डिया मार्क-द्वितीय हैण्ड पम्प के निर्माण के लिये विशेष अनुदान स्वीकृत करेंगे ? यदि हां, तो कब त क ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गाजीपुर में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अवशेष ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की मांग

84—श्री अमिताभ अनिल दुबे—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिले में विभिन्न ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत 1000 से ऊपर आबादी के कितने ग वों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ दिया गया है ? शेष गांवों को कब तक सम्पर्क मार्गों से जोड़ दिया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड कासिमाबाद में वेदबिहारी पोखरे से खजुहा तथा गंगोली-हबीपुर खताहपुर के मार्ग के सम्बन्ध में श्री मूलचन्द स0 वि0स0 को शिकायती पत्र पर जांच

85—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मूलचन्द्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद गाजीपुर एवं विकास खण्ड कासिमाबाद में वेदी बहारी पोखरे से खजुहा होते हुए गंगोली तक तथा हवीपुर, मताहपुर मार्ग लम्बाई 3 किलोमीटर की मिट्टी पुलिया व खड़ंजा के कार्यों को टेक्निकल सघ द्वारा जांच करने के सम्बन्ध में लगभग दिनांक 9–12–88 का मंत्रीजी को कोई पत्र दिया गया था । यदि हां तो क्या उक्त पत्र में वर्णित बिन्दुओं की जांच की गयी ? यदि हां, तो जांच परिणाम में कौन-कौन से लोग दोष पाये गये और उनके विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

श्री मूल चन्द्र सदस्य विधान सभा का शिकायत पत्र दिनांक 26–11–88 : 19–12-88 को प्राप्त हुआ था । प्रश्नगत शिकायत पत्र प्राविधिक परीक्षक टेक्निकल आडिट सेल द्वारा जांच की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक, लखनऊ में कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण

86—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि उ0प्र0 सहकारी बैंक में कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो पिछले आठ वर्षों से अपने लखनऊ गृह जनपद व अपने मुहल्ले में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है तथा क्या सरकार इनको तत्काल स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री समर पाल सिंह—

जी हां ।

अधिकारी—17
तृतीय श्रेणी कर्मचारी—34
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी—28
मुख्यालय स्तर पर गृह जनपद में नियुक्ति संबंधी कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।
प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड पनियारा में ग्रामीण अभियन्त्रण के सहायक अभियन्ता श्री के0 सी0 श्रीवास्तव के विरुद्ध श्री सुखपाल पाण्डे स0 वि0 स0 के पत्र पर कृत कार्यवाही

87—श्री हरिशंकर तिवारी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7 दिसम्बर, 1988 को मा0 सुखपाल पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा को कोई शिकायती पत्र श्री के0 सी0 श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण गोरखपुर द्वारा विकास खण्ड पनियारा, गोरखपुर में किये गये अनियमित कार्यों के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण में टी0 ए0, सी0 से जांच कराई जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होनेपर उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद बस्ती की टाउन एरिया बांसी के शीतलगंज मोहल्ले में जमीन का विवाद हल करने तथा टंकी का निर्माण कराने की मांग

88—श्री मूल चन्द्र—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया बांसी जनपद बस्ती के शीतलगंज मोहल्ले में जूनियर हाईस्कूल बांसी व विकास खण्ड कार्यालय बांसी से सटे जल निगम द्वारा पानी की टंकी लगाने हेतु बोरिंग करवाया गया है और जमीन सम्बन्धी विवाद होने के कारण निर्माण कार्य रुका हुआ है ? यदि हां, तो जमीन संबंधी विवाद अभी तक न निपटाये जाने का क्या कारण है ? तथा मंत्री जी उक्त जमीन के विवाद को निपटाने एवं पानी की टंकी का अबिलम्ब निर्माण करवाने का आदेश जिलाधिकारी बस्ती को देने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्नगत स्थल पर एक नलकूप की बोरिंग कराई गई है ।

जी हां ।

प्रश्नगत भूमि के संबंध में न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त हो जाने के कारण नलकूप का निर्माण कार्य रुक गया है ।

न्यायालय के निर्णय के पश्चात नलकूप के निर्माण की कार्यवाही की जा सकेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद बस्ती की टाउन एरिया बांसी की सम्पत्ति की रक्षा हेतु कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

89—श्री मूलचन्द्र—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में टाउन एरिया बांसी जनपद बस्ती के पास कुल कितनी स्थायी सार्वजनिक सम्पत्ति किस-किस रूप में कहां-कहां स्थित है और किन-किन जमीनों पर टाउन एरिया का कब्जा है और किन-किन जमीनों पर प्रभावशाली लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? जमीन विवाद सम्बन्धी कितने मामले विचाराधीन है ? क्या मंत्री जी उक्त टाउन एरिया की सम्पत्ति की रक्षा के लिये सारे मामलों की जांच करवाने एवं टाउन एरिया को कब्जा दिलवाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जनपद सिद्धार्थनगर की टाउन एरिया कमेटी, बांसी के ग्राम सोनखर में गडही 1-2-14, आबादी 5-9-18, गगा सिकस्त 2-9-15 ग्राम नरकटहा में बंजर 76-7-17, तालाब 63-0-2, बांध 2-5-17, गड़हा 11-6-11, नाली 0-6-14, बरहा 0-16-0, खन्दक 0-13-2, आबादी 153-2-12, रास्ता 9-14-4, इमामबाड़ा 0-0-13, खाली स्थान 0-8-18, ठाकुरद्वारा 0-5-2, शिवाला 0-0-6, मस्जिद 0-8-5, भीट 1/4-15-1, नदी राप्ती 245-9-15, ग्राम बांसी में बंजर 7-6-15, नाली 0-3-4, घोला 0-2-9, नदी राप्ती 9-15-7, गडही 17-2-18, बाजार मैदान रामलीला 2-11-7, विकास माधज मेला व खेल मैदान बांसी 8-4-15, आवादी 65-9-4, मदिर 0-13-6, मस्जिद 0-8-0, रास्ता 3-11-11, कब्रिस्तान 0-17-3, ग्राम पुरवौला में नई परती 0-2-10, खलिहान 0-16-11, बंजर 0-15-14, गडही 2-0-2, ताल 23-11-14, नाला 0-9-6, नाली 1-18-15, आबादी 5-7-5, साधारण आबादी हेतु सुरक्षित 0-3-9, हरिजन आबादी हेतु सुरक्षित 0-2-8, चकमार्ग 3-12-11, देवे स्थान 0-0-6, ग्राम बहबोल में नई परती 0-11-15, बंजर 1-8-12, गडही 2-15-14, नाली 0-9-16, चक मार्ग 0-17-7, रास्ता 0-5-4, खलिहान 0-9-2, आबादी 4-1-10, ग्राम भटौली में नाली 0-7-3, चकमार्ग 0-16-1, ग्राम बगदहवाकोमर में बंजर /1-6-1, नदी राप्ती /12-4-.6, आबादी /2-14-12, रास्ता /2-6-18, ग्राम रामगढ़ में नई परती 0-11-10, बंजर /0-2-2, खलिहान/2-8-15, नाली /0-17-2, नाल। 0-7-10, तालाब /1-10-10, गडही 0-10-11, आबादी /2-16-9, रास्ता/ 1-5-15, चकमार्ग /2-7-15, खाद्यगडहा /0-1-0, ग्राम गरगजवा में नई परती /0-5-0, बंजर /0-7-6, गंगासिकस्त /3-19-11, गडही /0-9-12, नदी /0-16-2, बोदर 0-8-6, नाला 0-8-3, आबादी /1-18-0 सड़क/0-11-16, ग्राम सोनारी में नई परती/ 0-0-11, बंजर /1-2-0, खलिहान /0-7-16, गडही /0-6-12, धोला /1-13-6, नदी राप्ती पुरानी 3-13-10, तालाब 1-1-15, आबादी /8-18-6, सड़क /1-10-8 रास्ता /1-16-19, चकमार्ग /1-4-14, कब्रिस्तान /0-1 /15, खाद्य गडहा /0 2, खडवाही /0-1-2, ग्राम गंगुली में बंजर /2-13-3, गडही /0-5-1, नदी रास्ती/13-8-5, धोला, /0-0-19, आबादी /2-19-8/रास्ता/0-16-14, ग्राम चगेरा में नई परती/ 0-17-19, गडही / 1-10-17, पोखरा /4-10-16, नाली /2-7-15, चकनाली/ 0-14-12, आबादी /1-14-2, शिवालय 0-0-19, चकमार्ग /2-1-19, खाद्य गडहा/ 0-1-0, ग्राम पुरैना में नई परती /0-18-3, गडही /2-14-9, नाला/ 0-17-0, नाली/ 0-7-13, आबादी /2-17-19, चकमार्ग /0-10-11, रास्ता /4-2-11, देव स्थान 0-0-4, ग्राम सोनखर में नई परती /0-9-17 /पजावा /0-0-16, खलिहान /0-8-4, नाला /0-6-2, गडही /0-7-10, चकमार्ग /2-6-5, आबादी /4-13-18, नदी राप्ती 2-9-15, ग्राम प्रतापपुर में नई परती/ 2-5-10, गडही /5-4-7, चकमार्ग /8-3-15, नाली /0-9-15, आबादी /5-9-0, रास्ता /3-9-1, देव स्थान/0-2-11 के रुप में स्थित है।

ग्राम सोनखर के आराजी नम्बर-87/3 मि0/0-3-15, 88/3 मि0/0-3-15, 74/1/0-0-5 ग्राम पुरैना के आराजी नं0-67 मि0/0-0-5, 58/0-1-4, 190 मि0/ 0-2-3, 199/0-0-7 ग्राम नर कटहा के आराजी नं0-108/0-9-12, 19/7मि0/ 0-6-6, 2438/1/0-0-8, 911/4/0-1-10, ग्राम चगेंरा के आराजी नं0 1088 मि0/ 0-0-15 तथा ग्राम बांसी के आराजी नं0-5 मि0/0-0-7, 20 मि0/0-2-5, 21/1/ 0-1-18, 226 मि0/0-0-2 पर प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, शेष भूमि पर टाउन एरिया कमेटी, बांसी का कब्जा है।

भूमि विवाद संबंधी कुल 18 मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं।

टाउन एरिया कमेटी, बांसी की सम्पत्ति की रक्षा हेतु, अनाधिकार कब्जा करने वालों के विरुद्ध, 122 बी ज0 वि0 अधिनियम के अन्तर्गत दाखिल वाद न्यायालय के विचाराधीन है। न्यायालय के निर्णयानुसार टाउन एरिया कमेटी, बांसी द्वारा कार्यवाही की जावेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

90—श्री कुशल पाल सिंह—

(7वें सोमवार के लिये स्थगित)

जनपद बांदा के ब्लाक नरैनी के ग्राम बरियारपुर को पृथक ग्राम सभा बनाने की मांग

91—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का पत्रांक—ए/157/वि0प0/88, दिनांक 30 जनवरी, 88 के साथ श्री राजू उप प्रधान ग्राम बरियारपुर ब्लाक नरैनी जनपद बांदा का बरियापुर ग्राम सभा अलग कराने के संबंध में पत्र प्राप्त हुआहै? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई? क्या आबादी तथा वोटर संख्या को देखते हुए बरियारपुर ग्राम सभा अलग कर दी जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां।

गांव बरियारपुर को पृथक गांव सभा बनाने की विज्ञप्ति दिनांक 29 मार्च, 1989 को जारी कर दी गई है।

जनपद बांदा के ब्लाक महुआ के ग्राम तथा नरैनी के कतिपय ग्रामों के हरिजनों द्वारा आई0 आर0 डी0 के अन्तर्गत लिये गये कर्ज के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

92—श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायगें कि प्रश्नकर्त्ता का पत्रांक—ए/64/87, दिनांक 6—10—1987 बांदा जनपद ग्राम बड़ेछा ब्लाक महुआ के श्री रामदीन पुत्रश्री रज्जू हरिजन व श्री मन्नू पुत्र श्री भल्लू हरिजन ग्राम औरंगाबाद (सउढ़ा) ब्लाक महुआ व श्री सिद्धू पुत्र श्री चुनवाद ग्राम सऊढ़ा ब्लाक महुआ व श्री बल्ली पुत्र श्री सुखलाल ग्राम बिलहरा ब्लाक नरैनी व श्री भोंदू पुत्र श्री बुलाकी ग्राम दरगाहीपुर ब्लाक महुआ के सलग्न पत्र के साथ आई0 आर0 डी0 के कर्ज के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ? यदि हां, तो संलग्न पत्रों के प्रकरण की जांच किस ऊंचे अधिकारी से कराई गई तथा इस प्रकरण में क्या कार्यवाही हुई?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बांदा की डी0 आर0 डी0 ए0 की गवर्निंग बाडी द्वारा स्वीकृत मार्गों का निर्माण तथा धन का आवंटन

93—श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद की डी0 आर0 डी0 ए0 की गवर्निंग बाडी की समिति ने मार्च सन 1985 से 15 मार्च सन 1988 तक कितने निर्माण कार्य

स्वीकृत किये तथा उसमें कितनों को धन देकर पूरा कराया गया अथवा निर्माणाधीन है तथा कितने ऐसे स्वीकृत सम्पर्क मार्ग पड़ेगे और जिसका अभी तक न तो प्राक्कलन ही तैयार किया गया और न ही उनमें धन आवंटित किया गया है ? ये स्वीकृत सम्पर्क मार्गों का कब तक का प्राक्कलन तैयार कराया जायेगा ताकि धन की उपलब्धि होने पर अबिलम्ब धन आवंटित कर कार्य प्रारम्भ हो सक ? उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कब तक होने की संभावना है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

प्रश्नगत अवधि में 1233 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये।

885 कार्यो के लिये धन आवंटित किया गया था जिनमें 547 कार्य पूर्ण हो गये और 338 निर्माणाधीन हैं।

348 स्वीकृत कार्यों में धनराशि आवंटित नहीं की गयी है। 242 स्वीकृत कार्यों के प्राक्कलन कार्यदायी संस्थाओं से अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं।

संसाधनों की उपलब्धता तथा स्थानीय प्राथमिकताओं के आधार पर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृत मार्गों के लिये धन उपलब्ध कराया जायेगा।

जनपद जालौन के बेसिक शिक्षा विभाग को विभिन्न कार्यों हेतु धन का आवंटन

94—कुंवर मानवेन्द्र सिह—

क्या शिक्षा मत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी पाठशालाओं आदि की मरम्मत हेत्र चालू वर्ष 87–88 में जालौन जनपद के बेसिक शिक्षा विभाग को कितनी राशि दी गई है। राशि में से किस-किस मरम्मत कार्य पर कितना-कितना रुपया व्यय किया गया ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

2,60,7101 रुपये की धनराशि दी गयी है।

उक्त आवंटित धनराशि अभी व्यय नहीं की गयी है।

राजा राम मोहन राय लायब्रेरी कलकत्ता से स्वामी विवेकानन्द पुस्तकालय एवं वाचनालय कोंच जनपद जालौन को सहायता हेतु जोड़ने की मांग

95—कुँवर मानवेन्द्र सिह—

क्या शिक्षा मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग द्वारा संस्तुत किये जाने पर प्रदेश के किस-किस पुस्तकालय का राजाराम मोहन राय लायब्रेरी कलकत्ता से पुस्तकीय एवं अन्य सहायता प्राप्त हो रही है तथा सहायता सूची में जोड़े जाने के लिय गत तीन वर्ष में किस किस नये पुस्तकालय के लिये संस्तुति भेजी गई है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि स्वामी विवेकानन्द पुस्तकालय एवं वाचनालय कोंच जिला जालौन को सहायता सूची में जोड़े जाने की संस्तुति न किये जाने का क्या कारण है तथा इसकी संस्तुति कब तक भेज दी जायेगी ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

जिन पुस्तकालयों को राजाराम मोहन राय लाइब्रेरी फाउन्डेशन कलकत्ता से पुस्तकीय सहायता प्राप्त हो रही है उनकी सूची संलग्न है। गत तीन वर्षो में किसी नये पुस्तकालय को सहायता सूची में जोड़ने की संस्तुति नहीं भेजी गयी है।

प्रश्नगत पुस्तकालय के नाम की संस्तुति भेजी जा रही है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 242 से 244 पर)

जिला विकास अधिकारी बांदा की असम्मान जनक टिप्पणी के विरोध में जन प्रतिनिधियों द्वारा बहिष्कार तथा अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

96—श्री राम सजीवन—

क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की ग्राम्य विकास अभिकरण की प्रबन्धकारिणी समिति व बीस सूत्री कार्यक्रम की समितियों की बैठकों का जन-प्रतिनिधियों द्वारा सन् 1988 में कब-कब बहिष्कार किया गया ? विधायकों—सांसदों द्वारा बैठकों का बहिस्कार करने के क्या कारण है ? क्या विधायकों ने बहिष्कार की सूचना राज्य शासन के पास सामूहिक रूप से भेजी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कायवाही की गई ? क्या यह सही है कि जिला विकास अधिकारी बांदा की असम्मानजनक टिप्पणी के विरोध मे जनप्रतिनिधियां ने बैठक का बहिष्कार किया था ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

वर्ष 1988 में बांदा जनपद के ग्राम्य विकास अभिकरण की प्रबन्धकारिणी समिति की तीन बैठकें दिनांक 30-4-88 दिनांक 26-8-88 तथा दि0 17-9-88 को आयोजित की गई। उक्त तिथियों में से दिनांक 26-8-88 की आयोजित बैठक में अन्य सदस्यों के अतिरिक्त 5 माननीय विधायक एवं एक विधान परिषद् सदस्य भाग लेने आये। परन्तु कुछ समय बैठक में भाग लेने के बाद बाहर चले गये और फिर वापस नहीं आये। दिनांक 17-9-88 की बैठक में श्री राम सजीवन विधायक कवीं के अतिरिक्त अन्य किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा भाग नहीं लिया गया।

26-8-88 की बैठक में कतिपय सदस्यों ने कार्यावलि क्रम में विचाराधीन बिन्दु से इतर विषयों पर सूचना उपलब्ध कराने को मांग की थी। वांछित सूचनायें तत्काल उपलब्ध न होने कें कारण विधायक गण बैठक से बाहर चले गये।

जी हां, अभिकरणों की प्रबन्धकारिणी समिति की बैठके में विकास कार्यों की प्रगति का विवरण सदस्यों को उपलब्ध करानें उनक द्वारा दिये गये सुझावों का कार्यवाही में उल्लेख करने, प्रारम्भ किये गये कार्यो को बीच में अधूरे न छोड़ने तथा कार्यो का मूल्यांकन करने के लिये समस्त अभिकरणों को शासनादेश दिनांक 28 दिसम्बर, 1988 द्वारा निर्देश प्रसारित किये जा चुके हैं।

जिला विकास अधिकारी बांदा की कथित असम्मानजनक टिप्पणी की सम्बन्ध में सूचना के अभाव में कोई टीका करना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता। जिला विकास अधिकारी बांदा श्री उमाशंकर पाण्डे दिनांक 31-1-89 को सेवानिवृत्ति हो चुके हैं।

बांदा जनपद में खराब हैण्ड पम्पों को सधारने हेत टेक्नीशियनों को मोटर गाड़ी उपलब्ध कराने की मांग

97—श्री राम सजीवन—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में खराब हैण्ड पम्प सुधारने के लिये गन्तव्य स्थानों तक टेक्नीशियनों और पुर्जे पहुंचाने के लिये साईकिलों की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो क्या दूरदराज गांवों के हैण्ड पम्पों की मरम्मत के लिये साईकिलों से आदमी और पुर्जे पहुंचाने में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए मोटर-गाड़ी की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

जी हां।

जी नहीं।

टेक्नीशियनों के कार्यक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए चालू व्यवस्था ही पर्याप्त है।

जनपद गाजीपुर की नगर पालिकाओं के विकास के लिये प्रस्तावित कार्यों हेतु धन की मांग

98---श्री अमिताभ अनिल दुबे---

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक लाख से कम आबादी वाले नगर पालिकाओं के विकास की योजना के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में गाजीपुर नगरपालिका को केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के स्रोतों से कितना धन प्राप्त हुआ है? उक्त धन से विकास के कौन-कौन से कार्य पूरे किये जा चुके हैं कौन-कौन से कार्य निर्माणाधीन हैं तथा कौन-कौन से कार्य प्रस्तावित है और कितना धन इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त होना है?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

आई0 डी0 एस0 एम0 टी0 योजना के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा क्रमशः रु0 32.60 लाख एवं रु0 17,60 लाख अर्थात् कुल रु0 50.20 लाख का ऋण नगर-पालिका गाजीपुर को उपलब्ध कराया गया है।

उक्त धन से निम्नलिखित 14 परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं :---

1---कपूरपुर आवासीय परियोजना
2---रजदेपुर आवासीय परियोजना
3---पीरनगर आवासीय परियोजना
4---गोराबाजार वाणिज्यिक परियोजना
5---कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड वाणिज्यिक परियोजना
6---रजदेपुर वाणिज्यिक परियोजना
7---डिग्री कालेज से आई0 टी0 आई0 सड़क परियोजना।
8---प्रकाश टाकीज से वाराणसी रोड परियोजना
9---उर्दू बाजार से एम0 गंज रोड सड़क परियोजना
10---एरिगेशन रोड सड़क परियोजना
11---मालगोदाम रोड सड़क परियोजना
12---शास्त्रीनगर चौराहा सड़क परियोजना
13---एरीगेशन चौराहा सड़क परियोजना
14---टैक्सी स्टैण्ड चौराहा सड़क परियोजना

निम्नलिखित 5 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है :---

1---छावनी लाईन आवासीय परियोजना।
2---माल गोदाम वाणिज्यिक परियोजना
3---महुआबाग वाणिज्यिक परियोजना
4---टाउनहाल वाणिज्यिक परियोजना
5---पशु वधशाला परियोजना

स्वीकृत प्राप्त होने की दशा में निम्नलिखित 8 परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जाना है :—

1—गौराबाजार वाणिज्यिक परियोजना
2—कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड वाणिज्यिक परियोजना
3—परदेपुर वाणिज्यिक परियोजना
4—एरिगेशन रोड सड़क परियोजना।
5—मालगोदाम रोड सड़क परियोजना
6—छावनी लाईन आवासीय परियोजना
7—महुआबाग वाणिज्यिक परियोजना
8—टाउनहाल वाणिज्यिक परियोजना।

इस योजना के अन्तर्गत कुल रु0 29.80 लाख प्राप्त होना अवशेष है।

जनपद मिर्जापुर के रेनूकूट वन प्रभाग द्वारा अधिकारियों द्वारा अतिक्रमित भूमि को बेदखल करके वृक्षारोपण की विचाराधीन योजना

99—श्री विजय सिंह—

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के रेनूकूट वन प्रभाग व ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत कितने एकड़ धारा—20 की ऐसी भूमि है जिस पर आदिवासी एवं गरीब घर, खेत कुआं, बनाकर वर्षों से आबाद है ? क्या भविष्य में उक्त भूमि से उन किसानों को बेदखल करके वृक्षारोपण करने की योजना है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त के सम्बन्ध में शासकीय आदेश अर्धशासकीय पत्र सं0—6368/14—2—405/52/82 वन अनुभाग—2 दिनांक 24—6—88 को जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि भविष्य में वृक्षारोपण किये जाने वाले विवादित भूमि का संयुक्त सीमांकन प्राथमिकता के आधार पर कर लिया जाय और वृक्षारोपण करने से पूर्व स्थिति स्पष्ट कर ली जाय ? इस आदेश के बावजूद भी ग्राम पगडेवा, नगवा और कोंगा में आदिवासी किसानों को क्यों बेदखल किया जा रहा है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जनपद मिर्जापुर के ओबरा वन प्रभाग में धारा—20 के अन्तर्गत कोई भूमि विज्ञापित नहीं है। रेनूकूट वन प्रभाग में धारा—20 के अन्तर्गत कुल विज्ञापित क्षेत्र 39,723.96 है0, में से 1788.61 है0 क्षेत्र आदिवासियों तथा 660.94 है0 क्षेत्र गैर आदिवासियों द्वारा अतिक्रमित है।

जी हां, अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमणकारियों से बेदखल कराकर वृक्षारोपण कराने की योजना है।

शासकीय अर्द्ध—शासकीय पत्रांक—6368/14—2—405(52)/82, दिनांक 24—6—88 नहीं, बल्कि शासन के अर्द्ध शा0पत्रांक: 5368/14-2-405(52)/82, दिनांक: 24—6—88 द्वारा धारा—20 के विवादग्रस्त क्षेत्रों का सयुक्त सर्वेक्षण करके मानचित्र तैयार किये जाने सम्बन्धी निर्देशों के साथ-साथ यह निर्देश भी जारी किये गए थे कि धारा—20 के अन्तर्गत आरक्षित वन घोषित ऐसी वन भूमि में, जिसमें स्थानीय ग्रामवासियों को भी खेती या आबादी हेतु पुट्टे दिये गये हो, वहां यदि वन विभाग के वृक्षारोपण की अग्रिम कार्यवाही (गड्ढा खुदान आदि) की है तो यह कार्यवाही अग्रेतर आदेशों तक रोक दी जाए और

ऐसे क्षेत्र में 1988 में वृक्षा रोपण सीजन में वृक्षारोपण नहीं किया जायेगा। यह भी स्पष्ट रूप से आदेशित किया गया था कि जो भूमि अतिक्रमित की गई है उस पर ये आदेश लागू नहीं होगें।

चूंकि ग्राम पगडेवा, नगवां और कोंगा में कतिपय व्यक्तियों द्वारा भारतीय वन अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत घोषित आरक्षित वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है अत: उन्हें बेदखल किया जाना उक्त आदेशों के अनुरूप ही है

रेनूकूट वन प्रभाग में कई वर्षों से तैनात कर्मचारियों विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

100—श्रीविजय सिंह—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रेनूकूट वन प्रभाग के कुछ रेंजों में कुछ वन कर्मियों के उसी रेंज में कई वर्षों से तैनात रहने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र शासन को दिनांक 8-9-88 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जी हां।

पत्र में उल्लिखित पांच कर्मचारियों का स्थानान्तरण पूर्व प्राप्ति के पूर्व ही कर दिया गया था। स्थानान्तरण सूत्र के पश्चात् पत्र के प्राप्त होने के कारण शेष स्थानान्तरण नहीं किये गये।

श्री लुखमन चेरों आदिवासी ग्राम खोखा जनपद मिर्जापुर की भूमि पर अवैध ढंग से नर्सरी लगाने विषयक पत्र पर जांच रिपोर्ट

101—श्री विजय सिंह—

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि रेनूकूट वन प्रभाग के दुद्धी रेंज के ग्राम खोखा के श्री लुखमन चेरों आदिवासी के भूमिधरी आराजी में रेंजर दुद्धी द्वारा जबरन नर्सरी लगान के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-5-88 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जी हां।

मामले की जांच दिनांक 21-6-88 को करायी गयी। जांच रिपोर्ट के अनुसार आरोप गलत पाये गये।

सेवा निवृत्त पंचायत अधिकारी एवं सहायक पंचायत अधिकारियों के पेंशन की मांग

102—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पंचायत निदेशालय में कितने जिला पंचायत अधिकारी एव कितने सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) 1 जनवरी, 1985 से जुलाई 1988 तक सेवानिवृत्त हुए ? उनमें से कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जुलाई 1988 तक पेंशन भुगतान कर दी गई, कितने लोगों की पेंशन भुगतान करना शेष हैं ? बकाया के लिये कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदार हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

संबंधित अवधि में 38 जिला पंचायत राज अधिकारी तथा 96 सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) सेवा निवृत्त हुए। इनमें से जुलाई 1988 तक 25 जिला पंचायत राज अधिकारियों को अन्तिम तथा 6 को अन्तिम पेंशन एवं 39 सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को अन्तिम तथा 11 को अनन्तिम पेंशन भुगतान किया जा चुका है। पेंशन पत्रादि अपूर्ण होने के कारण 7 जिला पंचायत राज अधिकारी तथा 46 सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को पेंशन का भुगतान करना शेष है तथा कोई अधिकारी / कर्मचारी विलम्ब के लिये जिम्मदार नहीं है।

जिला परिषद कार्यालय फर्रुखाबाद के कतिपय मृत कर्मचारियों के आश्रितों को पुनः सेवा में लेने की मांग

103--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या ग्राम विकास एवं पचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् फर्रुखाबाद के कर्मचारियों सर्वश्री विजय सिंह भास्कर उमाशकर व नत्थू लाल के सेवाकाल में ही मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो कब ? क्या शासनादेश का पालन करते हुए मृतकों के परिवारों में से उसके स्थान पर एक-एक व्यक्ति को सेवा में लिया गया है ? यदि हां, तो कब और किसे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

जी हां, जिला परिषद् फरूखाबाद में कार्यरत कर्मचारी सर्वश्री विजय सिंह भास्कर उमाशंकर व नत्थू लाल की सेवा काल में क्रमशः दिनांक 19-9-86, 7-10-86 व दिनांक 9-5-87 को मृत्यु हुए थी।

शासनादेश स0-यू0 ओ0 113 डी0/33-72-32 बी (1)/84 दिनांक 5-7-1984 के अनुसार स्व0 श्री उमाशकर पुत्र श्री श्री कान्त द्विवेदी को दिनांक 19-12-87 को तथा स्व0 श्री नत्थूलाल के पुत्र श्री शीताराम को दिनांक 21-10-87 को परिषदकी सेवा में नियुक्त किया गया है। श्री विजय भास्कर सिंह के पुत्र श्री देवेश सिंह की नियुक्ति इसलिये नहीं हो सकी है कि वह अपनी नियुक्ति मात्र लिपिक के पद पर चाहते हैं जबकि लिपिक के पद पर वह नियुक्ति हेतु अर्हता नहीं रखते है। इसलिये इनकी नियुक्ति लिपिक के पद पर होना सम्भव नहीं है।

जिला परिषद फर्रुखाबाद के पेंशनर्स के बकाये धन का भुगतान

104---श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचाचती राज मत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् फर्रूखाबाद के पेंशनर्स को दिनांक 1-8-83 से दिनांक 1-1-85 तक स्वीकृत राहत की अनेक किश्तों की बकाया धनराशि का और तदुनन्तर स्वीकृत राहत के अन्य अनेक किश्तों का भुगतान अभी भी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या मत्री जी तुरन्त भुगतान कराने की कृपा करेंगे और क्षतिपूर्ति स्वरूप देय धनराशि पर ब्याज दिलायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जिला परिषद् फर्रूखाबाद के सेवा निवृत्त पेंशनर्स को स्वीकृत राहत की धनराशि शासनादेशानुसार नियमित रूप से भुगतान की जा रही है किन्तु पेंशनर्स को 1-8-83 से 1-1-85 तक 2.5 प्रतिशत की दर से 10 किश्ते, 1-5-85 से 1-7-86 तक बढ़ी

हुई 2.5 प्रतिशत की दर से राहत की धनराशि की 7 किश्तों एव पुनरीक्षित पेंशन की बकाया धन राशि का भुगतान अभी जिला परिषद् के पेंशन निधि में काफी समय से धन उपलब्ध न होने के कारण नहीं हो पाया है। जिला परिषदें स्वय अपने निजी स्रोतों से ही पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करती है अतः स्वीकृति राहत की बकाया धनराशि पर क्षति पूर्ति स्वरूप ब्याज दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

अकबरपुर विकास खण्ड के ग्राम प्रधानों से सम्बन्धित शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

105--श्रीमती उमा त्रिपाठी--

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूव विधायक श्री प्रियदर्शी जेतली अकरबपुर द्वारा जिला अधिकारी फैजाबाद को दिनांक 4-10-88 को अकबरपुर विकास खंड में प्रधानों के चार्जके सम्बन्ध में लिखे गये पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम मूरत उपाध्याय--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्रीमती उमा त्रिपाठी--

(दि0 27-3-89 को अता0 प्र0सं0 105 द्वारा उत्तरित)

जिला सहकारी बैंक उन्नाव की जीप का दुरुपयोग विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

107--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या सहकारिता मंत्री को जिला सहकारी बैंक उन्नाव की जीप का दुरुपयोग निरन्तर प्रशासक द्वारा किये जाने बिषयक प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र 804/ज0पा0/88, दिनांक 15-7-88 तथा प्रश्नकर्ता का ही एक अन्य पत्र दि0 29-7-88 मंत्री जी को मिले हैं ? यदि हां, तो सरकारी साधनों के दुरुपयोग पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री समर पाल सिंह--

प्रश्नगत पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इन दोनों पत्रों की प्रतिलिपि प्रश्नकर्ता से प्राप्त होने पर अवश्यक कार्यवाही करना सम्भव हो सकेगा। पत्र की प्रतिलिपि या उसका विवरण उपलब्ध कराने हेतु माननीय विधायक से अनुरोध किया गया है।

108--श्री महेन्द्र भाटी--

[दि0 27-2-89 को अता0 प्र0सं0 167 द्वारा उत्तरित]

109--श्री महेन्द्र भाटी--

[दि0 27-3-89 को अता0 प्र0सं0 184 द्वारा उत्तरित]

110--श्री महेन्द्र भाटी--

[दिनांक 27-2-89 को अता0 प्र0सं0 168 द्वारा उत्तरित।]

111--श्री महेन्द्र भाटी--

[दि0 27-2-89 को अता0 प्र0सं0 136 द्वारा उत्तरित।]

112—श्री राम आसरे वर्मा—

(7वें सोमवार के लिये स्थगित)

वाराणसी जनपद में आजमगढ़ रोड के दोनों तरफ नाले निर्माण की मांग

113—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी जनपद अन्तर्गत वाराणसी से आजमगढ़ रोड के दोनों तरफ पाण्डेपुर से लालपुर तक नाले का निर्माण अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उक्त का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

टाउन एरिया मौरावां जनपद उन्नाव को अनुदान

114—श्री हृदयनरायन दीक्षित—

क्या नगर विकास मंत्री को यह जानकारी है कि उन्नाव जिले की टाउन एरिया मौरावां को वर्ष 87-88 में इसलिये कोई अनुदान नहीं दिया गया है कि टाउन एरिया ने पूर्व अनुदानों का उपयोग प्रमाण-पत्र शासन को नहीं भेजा है ? क्या पूर्व अनुदानों का उपयोग नहीं किया गया है ? यदि हां, तो समय के भीतर अनुदानों का उपयोग न करने के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? उक्त कस्बे को अनुदान कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां, सड़क अनुदान इसी कारण स्वीकृत नहीं किया गया।

सड़क अनुदान का उपयोग शेष है। सड़क अनुदान का पूर्ण उपयोग समय से न करने हेतु दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जा चुका है।

वर्ष 1988-89 में टाउन एरिया मौरावां को 10,000 रु0 का अनुदान मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु 80,000 रु0 का विशेष सड़क अनुदान व 25,000 रु0 का क्षतिपूर्ण अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है। साधारण सड़क अनुदान पूर्व में स्वीकृत सड़क अनुदान के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही स्वीकृत किया जा सकेगा।

115—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[करण सं0 26 (1) ही के अन्तर्गत उत्तरित।]

प्रौढ़ शिक्षा पर्यवेक्षकों के सम्बन्ध में जनपद जालौन के जनप्रतिनिधियों के न्याय दिलाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

116—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि मई, 88 के द्वितीय सप्ताह में माननीय मुख्य मंत्री जी को ज्ञापन देकर तथा 29 मई, 88 को जालौन जिले के सांसद, विधायकों ने पत्र भेजकर प्रौढ़ शिक्षा पर्यवेक्षकों को न्याय दिलाने के लिये जो मांगें की है उनमें से किस किस मांग पर क्या क्या निर्णय लिया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

ज्ञापनों में उल्लिखित प्रमुख मांगें निम्न प्रकार है :--

(1) पर्यवेक्षक पद वेतनमान रु0 550-940 को सवर्गीय करते हुये सेवाओं का विनियमतीकरण किया जाय जिसका अनुमोदन लोक सेवा अयोग, उत्तर प्रदेश से प्रौढ़, शिक्षा विभाग द्वारा स्वयं ही कराया जाय ।

(2) पर्यवेक्षक उत्तर प्रदेश शासन के पूर्ण कालिक राज्य कर्मचारी हैं, अतः इनको विसंगतियों का शिकार न बनाया जाय तथा किसी भी पर्यवेक्षक को सेवा से छटनी का शिकार न बनाया जाय ।

(3) समस्त पर्यवेक्षकों की ही ज्येष्ठता के आधार पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में उच्चतर पदों पर प्रोन्नति की जाय तथा इन पदों पर अन्य विभागों के किसी भी व्यक्ति को कदापि न लिया जाय ।

(4) पर्यवेक्षक पद की सेवा नियमावली शीघ्र बनाई जाय । इस सबध में उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक नियमावली सेल स0 56/1/3(नि0 से)-1/79 (टी0सी0) लखनऊ दिनांक 7 मई, 1988 के आदेश का परिपालन निदेशालय प्रौढ़ शिक्षा, उ0 प्र0 से तत्काल कराया जाय।

केन्द्र सरकार द्वारा पर्यवेक्षकों के पद समाप्त कर दिये गये हैं । अतः उक्त ज्ञापनों में की गयी विनियमितीकरण की मांग को स्वीकार करना संभव नहीं है, किन्तु पर्यवेक्षकों की छटनी करने के बजाय उन्हें अन्य पदों पर समायोजित किये जाने के सबध में विचार किया जा रहा है ।

गूजर इण्टर कालेज हरदोई की प्रबन्ध समिति के चुनाव में अनियमितता विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

117--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 88 के पूर्वार्ध में जालौन जिले के हरदोई गूजर इण्टर कालेज की प्रबन्धक समिति की चुनाव प्रक्रिया में निर्वाचन अधिकारी द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायत उक्त विद्यालय के प्रधानाचार्य ने जिला विद्यालय निरीक्षक व जिलाधिकारी जालौन आदि से की थी ? यदि हां, तो क्या जांच के दौरान शिकायतकर्ता को अपना आरोप सिद्ध करने का अवसर दिया गया ? यदि हां, तो जांच निष्कर्ष क्या रहा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रधानाचार्य ने तहसीलदार जो कि चुनाव अधिकारी थे, को चुनाव से पूर्व ही तहसील-दार द्वारा अपनाई जा रही चुनाव प्रक्रिया के सबध में कुछ आपत्तियां करते हुये पत्र लिखा था जिसकी प्रतिलिपियां जिलाधिकारी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक जालौन को भेजी थी। इन आपत्तियों पर कार्यवाही करना चुनाव अधिकारी का काम था जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा इस संबंध में जांच करने तथा प्रधानाचार्य को अवसर देने का प्रश्न ही नहीं था ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

राज नियुक्त प्रकाशन एवं मुद्रण महिला संस्थान मथुरा से प्रकाशित नैतिक शिक्षा की पुस्तक में अहिंसा के तात्पर्य से उत्पन्न विवाद के निस्तारण की मांग

118---श्री झिलमिट राम---

क्या शासन को ज्ञात है कि प्रदेश की नैतिक शिक्षा की पुस्तक (राज नियुक्त प्रकाशन एवं मुद्रक महिला संस्थान मथुरा के पाठ 20 पृष्ठ 64 पर अनावश्यक प्रकार से यह उल्लेख किया गया है कि "अहिंसा का यह तात्पर्य नहीं है कि हम मांस न खायें ?" यदि हां, तो क्या यह सही है कि राष्ट्रीय अहिंसा प्रतिष्ठान , जोधपुर व अन्य सामाजिक संस्थानों ने शासन से यह आपत्ति की है , कि मांस खाने को अहिंसा विरुद्ध न मानते हुए नैतिक शिक्षा की पुस्तक में उसकी पुष्टि करने से भारत की अनेक नैतिक सामाजिक एवं धार्मिक समुदायों को ठेस पहुचो है ? यदि हां, तो क्या शासन अपने पाठ्य पुस्तक से उक्त वाक्य निकलवाकर इसे अनावश्यक विवाद को समाप्त करने का कष्ट करेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

यह सही है कि प्रश्नगत उल्लेख किया गया है ।

जी हां ।

निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को इस संबंध में परीक्षण करके आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं ।

लखनऊ के हाता शेरखां स्थित श्रीमती राम लली के मकानके पुनर्मूल्यांकन की मांग

119---श्री राम सागर राव---

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाता शेरखां, क्षेत्र वजीरगंज (दुगावा चौकी के पीछे, लखनऊ स्थित श्रीमती रामलली पत्नी राम किशोर गुप्ता के मकान का वार्षिक मूल्यांकन किस आधार पर 180 रु0 किया गया है जब कि उक्त मकान स्लेबदार है और जिसका निर्मित एरिया 900 वर्ग फिट है, जिसमें 9 कमरे स्लैबदार हैं, जिसका वार्षिक मूल्यांकन कम से कम 9×1200=10,800 (दस हजार आठ सौ) रु0 है ? क्या इस भवन का सरकार पुर्नमूल्यांकन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बल्देव सिह आर्य---

उक्त भवन पंचवर्षीय कर निर्धारण की पत्रावली में आर0 सी0 रेन्ट (कन्ट्रोल) का अंकित है । ऐसे भवनों का वार्षिक मूल्यांकन जब तक उसमें कोई परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन न किया जाय बढ़ाया नहीं जा सकता । उक्त के अतिरिक्त यदि भवन के अध्यासन में परिवर्तन हो जावे जैसे स्वयं निवसित भवन यदि किराये पर उठा दिया जाता है तो जितने किराये पर उठाया जायगा उस वास्तविक किरायेंदारी पर मूल्यांकित किया जा सकता है यदि वह अधिक होता है । प्रश्न में जो हिसाब लगा गया है वह वर्तमान नीति के अनुसार जिन भवनों का नया मूल्यांकन किरायेदारी का किया जायेगा उस पर लागू है । वर्तमान स्थिति में पुर्नमूल्यांकन संभव नहीं है ।

साधन सहकारी समिति खजोहना जनपद हरदोई के निर्माणाधीन ग्रामीण गोदाम को पूर्ण कराने की मांग

120---कुंवर मानवेन्द्र सिह---

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खण्ड कछौना, जनपद--हरदोई में साधन सहकारी समिति खजोहना में ग्रामीण गोदाम का निर्माण कार्य सन् 1985 में प्रारम्भ किया गया था । यदि हां, तो 31 मार्च, 88 तक कार्य पूरा न होने के क्या

कारण है ? यदि निर्माण कार्य पूरा हो गया है तो उक्त समिति को अभी तक न सौपने के लिये कौन जिम्मेदार है और इसका क्या कारण है ?

श्री समर पाल सिंह---

जी नहीं । गोदाम का निर्माण कार्य 1982 में आरम्भ हुआ था और गोदाम को उसी समय पूर्ण करा दिया गया था । प्रश्न नहीं उठता । गोदाम समिति को सौपा जा चुका है ।

उन्नाव जनपद के ग्राम सभाओं की पूरक सूचियों की छपाई का भुगतान

121---श्री राम आसरे वर्मा---

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में ग्राम सभाओं की पूरक सूचियां (परिवर्धन, अपमार्जन शुद्धि, की छपाई कार्य माह अप्रैल, मई, जून, 1988 में चुनाव कार्यालय, उन्नाव द्वारा कराया गया ? यदि हां, तो क्या उसका संम्पूर्ण भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा संपूर्ण भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

जी हां । नियमानुसार प्रश्नगत देयों का 10 प्रतिशत भुगतान निदेशक राजकीय मुद्रणालय, उ0 प्र0 इलाहाबाद द्वारा जिलों के सत्यापन के उपरान्त किया जाता है। इस प्रकरण में शेष 90 प्रतिशत का भुगतान किया जा चुका है ।

बुन्देलखंड की सहकारी समिति द्वारा किसानों को दिये गये कर्जे को माफ करने की मांग

122---श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा---

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि बुन्देलखण्ड में लगातर 10 वर्षों से बाढ़ एवं सूखा तथा ओलावृष्टि के कारण सहकारी समितियों द्वारा दिया गया किसानों का कर्ज कम समय (शार्ट टर्म) में वसूलने के बजाय अधिक समय में वसूलने (मिडटर्म) के आदेश शासन द्वारा लगातार कई वर्षों से पारित किये जा रहे हैं जिससे किसानों पर कर्ज का भार लगातार बढ़ता जा रहा है और अब किसान इस बढ़े हुए कर्जभार को अदा करने की स्थिति में नहीं है ? यदि हां, तो क्या किसानों की विषम आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये शासन सहकारी समितियों द्वारा दिये गये किसानों के कर्ज को माफ करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री समर पाल सिंह---

जी हां। दैवी आपदाओं के कारण बुन्देलखण्ड में विगत 10 वर्षों में (वर्ष 1984-85 व 1986-87 को छोड़कर) फसलों के 50 प्रतिशत या उससे अधिक क्षतिग्रस्त होने की दशा में सहकारी समितियों द्वारा दिये गये कृषक सदस्यों के अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित किया गया । जी हां । विगत वर्ष (30 जून 1988) प्रदेश में सहकारी देयों की नकद वसूली का प्रतिशत 44.45 प्रतिशत था जब कि झांसी मण्डल में वसूली का प्रतिशत 48.06 प्रतिशत रहा । अतः यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका कि बुन्देलखण्ड में किसान सहकारी ऋण को अदा करने की स्थिति में नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बुन्देलखंड की बन्द सहकारी समितियों को पुनः खोलने की मांग

123—सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सहारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि बुन्देलखंड में सहकारी समितियों के किसानों पर बढ़े हुए कर्ज के कारण कई समितियां मौजूदा समय से बन्द पड़ी हैं और वह अब किसानको खाद बीज की भी सुविधा नहीं दे पा रही है ? यदि हां, तो बुन्देलखंड के किस-किस जनपद में कितनी सहकारी समितियां बन्द है और शासन सभी किसानों को खाद बीज देने के लिये क्या उपाय कर रहा है ?

श्री समर पाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

भारत कृषक सेवा सहकारी समिति लि0 अकबरपुर, नरैनी जनपद बांदा के सचिव के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कार्यवाही की मांग

124—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 30 दिसम्बर, 1986 श्री साऊ हरिजन ग्राम अकबरपुर ब्लाक नरैनी जनपद बांदा एवं श्री खुन्नूराम यादव नि0 अकबरपुर (ब) ब्लाक नरैनी जनपद बांदा आदि के पत्रों के साथ भारत कृषक सेवा सहकारी समिति केसचिव के विरुद्ध शिकायतों के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शिकायतों का विवरण क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री समर पाल सिंह—

जी नहीं । प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 30 दिसम्बर, 86 प्राप्त नहीं हुये हैं । जांच अधिकारी द्वारा श्री साऊ हरिजन एवं खुन्नूराम यादव के निवास स्थान पर जा कर मूल शिकायती पत्र की प्रति प्राप्त की गयी तथा जांच की गई । जांच कराकर फर्जी ऋण से मुक्ति दिलाना जांच कराई गयी शिकायत सही नहीं पाई गई ।

अतर्रा जनपद बांदा मे सड़क निर्माण करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

125—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16 दिसम्बर, 1986 के साथ श्रीं कैश हरिजन आदि का , हरिजन मुहल्ला भवानी गंज, अतर्रा जनपद बांदा में सड़क निर्माण के संबंध में प्राप्त हुआ है ? क्या सड़क का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो सड़क की सर्वे तथा प्राक्कलन रिपोर्ट क्या है और कब तक सड़क का निर्माण पूरा हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग में माइक्रो कम्प्यूटर क्रय किया जाना

126—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग में भूजल आंकड़े रखनें एवं गणना हेतु माइक्रो कम्प्यूटर क्रय करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो कितने कम्प्यूटर खरीदे जायेंगे एवं कितनी धनराशि व्यय करने का प्राविधान किया गया है ? वे कम्प्यूटर कब कब तक क्रय कर लिये जायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां। 4 माइक्रोकम्प्यूटर क्रय किये जाने हेतु कुल लगभग 5.65 लाख रु0 व्यय करने का प्राविधान किया गया है। उक्त माइक्रो कम्प्यूटर 27 फरवरी, 1989 को क्रय किये जा चुके हैं।

127—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

साधन सहकारी समिति लि0 बिशुनपुर राजा जनपद गोरखपुर के सचिव के विरुद्ध कतिपय शिकायतों की जांच

128—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि साधन सहकारी समिति लि0 बिशुनपुर राजा, विकास खण्ड गोला जनपद गोरखपुर में समिति के सचिव व सहकारी बैंक से संबंधित अधिकारी द्वारा किये गये आर्थिक घोटाले के संबंध में समिति के अध्यक्ष ने दिनांक 28-10-88 को मंत्री जी, उप निबंधक (अधिकोष) सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश लखनऊ को शिकायती पत्र भेजा है? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या है और क्या जांच कराई गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री समर पाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

नगरपालिका फर्रुखाबाद को आवंटित की गयी धनराशि का मदवार ब्यौरा

129—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1985-86, 1986-87, 1987-88 एवम् चालू सत्र 1988-89 में नगर पालिका फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ को किस-किस मद में उक्त वर्षों में कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई और उक्त वर्षों में से किस वर्ष के अन्त में क्या किसी मद में कुछ धनराशि व्यपगत हो गई? यदि हां, तो व्यपगत होने का मूल कारण क्या था?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

नगरपालिका, फर्रुखाबाद को निम्नलिखित विवरणानुसार विभिन्न वर्षों में उनके सामने अंकित मदों में धनराशि आवंटित की गई। अनुदान पंजिका एवं उपलब्ध लेखों के अनुसार उक्त वर्षों में किसी मद में कोई भी धनराशि व्यपगत नहीं हुई है।

1985-86	साधारण सड़क अनदान	रु0 7.30 लाख
		रु0 4.10 लाख
		रु0 2.00 लाख
	सीवरेज, ड्रेनेज, जल सम्पूर्ति	रु0 1.10 लाख
	सफाई उपकरण	रु0 0.50 लाख
1986-87	सा0 सड़क अनुदान	रु0 11.40 लाख
	विशेष सड़क अनुदान	रु0 20.00 लाख
	मार्ग प्रकाश	रु0 2.00 लाख
	मार्ग प्रकाश	रु0 5.00 लाख

1987–88	..	सा0 सड़क अनुदान	रु0 11.40 लाख
		शुष्क शौचालय	रु0 1.00 लाख
1988–89	..	सा0 सड़क अनुदान	रु0 11.40 लाख
		सा0 सड़क अनुदान	रु0 1.05 लाख
		विशेष सड़क अनुदान	रु0 3.00 लाख
		अति वृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत	रु0 1.00 लाख
		मार्ग प्रकाश	रु0 3.00 लाख
		सफाई उपकरण	रु0 1.00 लाख
		सफाई/मार्ग प्रकाश	रु0 0.15 लाख

रेनूकूट बन प्रभाग के दुग्धी रेंज से कतिपय आदिवासियों द्वारा पेड़ कटान की जांच

130––श्री विजय सिंह–––

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेनकूट वन प्रभाग के दुद्धी रेन्ज के ग्राम कटौली के 57 आदिवासियों पर फर्जी केस पेड़ काटने संबंधी पत्र दिनांक 14–10–87 प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह––

जी हां । सन्दर्भित पत्र दिनांक 14–10–87 पर जांच कराई गई जिससे विदित हुआ कि कथित 57 आदिवासियों प फर्जी केस नहीं काटे गये थे । वास्तविकता यह थी कि उक्त व्यक्ति वनभूमि पर अतिक्रमण कर झाड़ी साफ करके जुताई करते हुए पाये गये थे। इनमें से 27 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया शेष भाग गये । इनमें से 3 व्यक्तियों ने अपना अपराध स्वीकार करके अर्थदण्ड देने के साथ-साथ अतिक्रमित क्षेत्र भी खाली कर दिया । शेष 24 व्यक्तियों के विरुद्ध मामला न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है ।

रेनूकूट वन प्रभाग में अभिग्रहण सबन्धी प्रश्नकर्त्ता के प्रश्न पर कार्यवाही

131––श्री विजय सिंह–––

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18–8–88 रेनुकुट वन प्रभाग में धारा 20 की समस्या से संबंधित प्राप्त हुआ ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह–––

जी हां । सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर जांच करवाई गई जिससे यह ज्ञात हुआ कि संबंधित ग्राम रेनूकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा–20 के अ ीन आरक्षित वन घोषित है जिस पर कतिपय ग्रामवासियों द्वारा अतिक्रमण किया गया था इस पर शासन के पत्र संख्या 5368/14–2–405(52)/82 दिनांक 24 जून 1988 के अनुसार कार्यवाही की जा चुकी है ।

132––श्री विजय सिंह–––

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रेनुकुट वन प्रभाग के अन्तर्गत वन अधिनियम के धारा–4 और धारा 20 में विज्ञापित भूमि आदिवासियों की देखभाल करने सम्बन्धी पत्र दिनांक 18–8–88 प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह---

जी हां: आदिवासियों को बेदखल करने संबंधी पत्र दिनांक 18-8-88 प्राप्त हुआ ।

रेनुकुट वन प्रभाग के अन्तगत भारतीय वन अधिनियम की धारा-4 में विज्ञापित वनभूमि पर दर्ज वर्ग 4 की समस्या के समाधान हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय के अन्तिम आदेश दिनांक 20 नवम्बर 1986 के अनुसार गठित कैमूर सर्वेक्षण एजेन्सी द्वारा वन बन्दोबस्त व भू-अभिलेख की क्रियाओं का सम्पादन किया जा रहा है । मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार भारतीय वन अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत घोषित आरक्षित वनभूमि कैमूर सर्वे एजेन्सी की कार्य परिधि के बाहर है । इस प्रकार की आरक्षित वन भूमि पर अतिक्रमणकारियों पर शासन के अधंशासकीय पत्र संख्या 5368/14-2-405 (52)/82 दिनांक 24-6-1988 के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है ।

रेनूकूट वन प्रभाग के कतिपय फारेस्ट गार्डों के विरुद्ध कतिपय शिकायतों की जांच

133---श्री विजय सिंह---

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेनुकूट वन प्रभाग के गोहणा रेन्ज के फारेस्ट गार्ड भगत राम तथा परहा रेन्ज के फारेस्ट गार्ड ऋषिकेश मिश्रा के विरुद्ध ग्राम वासियों के शिकायती पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-4-88 प्राप्त हुआ है यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह---

जी हां । श्री भगतराम वन रक्षक के विरुद्ध जांच की गयी, जांचोंपरान्त इनका स्थानान्तरण गोडा रेंज से जरहा रेंज कर दिया गया । श्री ऋषिकेश मिश्र वनरेंजर के विरुद्ध शिकायतें जांचोपरान्त निराधार पायीं गयी ।

रेनकट वन प्रभाग वृक्षारोपण में लगे मजदरों के न्यूनतम मजदूरी विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

134---श्री विजय सिंह---

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रेनुकूट वन प्रभाग वृक्षारोपण कार्य में लगे मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने के संबंध मे प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-1-88 जो उप वन संरक्षक रेनुकूट को सम्बोधित तथा वन संरक्षक दक्षिणीवृत इलाहाबाद, प्रमुख वन संरक्षक उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को पृष्ठांकित था प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह---

जी हां । इस संबंध में अपर मुख्य वन संरक्षक सामाजिक वानिकी, इलाहाबाद को जांच करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री राम उजागिर वर्मा प्रवक्ता अंग्रेजी बापू स्मारक इण्टर कालेज नाऊसाण्डा फैजाबाद में लम्बित प्रकरणों के निस्तारण विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

135---श्री अवधेश प्रसाद तथा श्री गोपीनाथ वर्मा---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम उजागिर वर्मा, प्रवक्ता, अंग्रेजी बापू स्मारक इण्टर कालेज नाऊसाण्डा फैजाबाद के लम्बित प्रकरणों के तत्काल निस्तारण

करने के संबंध में श्री नृसिंह तिवारी सदस्य विधान परिषद् व नेता राष्ट्रीय शिक्षक दल विधान परिषद् 100वी ब्लाक दारुलशफा लखनऊ द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक फैजाबाद को दिनांक 20 अप्रैल, 1987 को कोई पत्र भेजा गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्राप्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो अब तक प्राप्त पत्र पर जांच न किये जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

दिनांक 28-4-87 का पत्र प्राप्त हुआ है ।

श्री राम उजागिर वर्मा को चयन वेतनमान, परिवार कल्याण की देय सुविधा तथा दक्षतारोक पार करवाकर वेतन वृद्धियां दे दी गयी हैं । प्रश्न नहीं उठता ।

पनिहाला ग्राम समूह टिहरी गढ़वाल की स्वीकृत पेयजल योजना

136--श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी--

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल जनपद में पनिहाला ग्राम समूह पेयजल योजना किस वर्ष स्वीकृत की गई तथा उसकी अनुमानित स्वीकृति कितने रुपये की है ? क्या इस योजना में हरिजन बस्ती ल्वारखा सम्मिलित है ? इस योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब का क्या कारण है ? क्या सरकार विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

पनिहाला ग्राम समूह पेयजल योजना वर्ष 1980-81 में स्वीकृत हुयी जिसकी अनुमानित लागत 9.46 लाख रुपया है । जी हां । योजना पर कार्य वर्ष 1979-80 में प्रारम्भ किया गया किन्तु रावत ग्राम के निवासियों द्वारा श्रोत पर विवाद न्यायालय में दायर कर दिया गया जो अभी विचाराधीन है और उस परिप्रेक्ष्य में कार्य स्थगित प्रश्न नहीं उठता । न्यायालय में मामला विचाराधीन होने से बिलम्ब के लिये कोई दोषी नहीं है ।

जिलाधिकारी, शाहजहांपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

137--नवाब सिकन्दर अली खां--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिलाधिकारी शाहजहांपुर को प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 11-4-88 बाबत नगर पालिका शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो जनहित में उस पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां । प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 11-4-88 में उनके द्वारा भेजे गए विभिन्न सन्दर्भों का उल्लेख है । इन संदर्भों पर समुचित कार्यवाही की जा रही है । प्रश्न नहीं उठता ।

138--नवाब सिकन्दर अली खां--

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।)

जिला बेसिक शिक्षा उन्नाव में में कार्यरत मृत अध्यापकों के आश्रितों को देय धनराशि के भुगतान में बिलम्ब

139—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के बेसिक शिक्षा में कार्यरत कितने ऐसे मृत अध्यापकों क मामले लम्बित हैं जिनके आश्रितों को मृत्यु के व लम्बे समय के बाद भी बीमा फण्ड पेंशन आदि का भुगतान नहीं किया गया है कितने मामले 10 साल या उससे अधिक, कितने 5 साल या उससे अधिक पुरानें और कितने 2 साल या उससे अधिक पुराने हैं और इनके निस्तारण में कठिनाइयां क्या हैं ? समय पर निस्तारित न करने के लिये दोषी किन-किन लोगों पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या स्व0 गोपाल चन्द्र स0 अ0 प्रायमरी स्कूल धूरखेत ब्लाक बिछिया का बीमा फण्ड आदि का भुगतान करने विषयक पत्र 10-12-88 शिक्षा मंत्री को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

जी हां । जी0 पी0एफ0 लेखे में गबन हो जाने तथा गम्भीर अनियमिततायें किये जाने के कारण सही स्थिति की जानकारी संभव नहीं हो पा रही है तथा इसीलिये प्रश्नगत प्रकरणों का समय से निस्तारण भी नहीं हो पा रहा है । जी हां । स्व0 गोपाल चन्द्र की पारिवारिक पेंशन का निर्धारण एवं फण्ड का भुगतान किया जा चुका है । बीमा से संबंधित मांग पत्र बीमा कार्यालय को प्रेषित किया जा रहा है । बीमा कार्यालय से भुगतान प्राप्त होने पर नियमानुसार भुगतान कर दिया जायेगा ।

विकास खण्ड मरदह जिला गाजीपुर में पेयजल की व्यवस्था

140—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड मरदह जनपद गाजीपुर में कुल कितने गांव पेयजल से अभाव ग्रस्त हैं तथा उसमें से कितने गांव में हैण्ड-पम्प लगाये गये ? क्या सरकार शेष गांव में हैण्डपम्प लगाने पर विचार करगी ? यदि हां, तो उन गांवों को कब तक सेचुरेट कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड मरदह में 68 ग्राम पेयजल से अभावग्रस्त घोषित है, जिनमें से 54 ग्रामों में हैण्ड पम्प लगाकर सेचुरेट कर दिया गया है । शेष 14 गवों में पाईप द्वारा जलापूर्ति की गई है । जी नहीं । प्रश्न नही उठता है । शेष गांवों में पाईप द्वारा जलापूर्ति सुनिश्चित की गई है ।

विकास खण्ड बाराचौर, गाजीपुर के पेयजल से ग्रस्त गांवों की संख्या

141—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड बाराचौर, जनपद-गाजीपुर में कितने गांव पेयजल के लिये अभाव ग्रस्त है तथा उसमें से कितने गांव में हैण्डपम्प लगाये गये ? क्या सरकार शेष गांव मे हैण्डपम्प लगाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो उन गांवों को तक सेचुरेट कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड वाराचौर में 136 ग्राम पेयजल से अभाव ग्रस्त घोषित हैं—जिनमें से 110 ग्रामों में हैण्ड पम्प लगाकर सेचुरेट कर दिया गया है ।

शेष 26 ग्रामों में पाईप द्वारा पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता है।

शेष गांवों में पाईप द्वारा जलापूर्ति सुनिश्चित की गई है।

विकास खण्ड कासिमाबाद गाजीपुर में पेय जल से ग्रस्त गावों को पेयजल की व्यवस्था

142—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड कासिमाबाद जनपद गाजीपुर में कितने गांव पेयजल के अभाव ग्रस्त हैं? शेष कितने गांवों में हैण्डपम्प लगाये गये? क्या सरकार शेष गांवों में हैण्डम्प्प हैण्डपम्प लगाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो उन गांवों को कब तक सेचुरेट कर दिया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड कासिमाबाद में 138 ग्राम पेयजल से अभाव-ग्रस्त घोषित हैं जिसमें से 111 ग्रामों में हैण्ड पम्प लगाकर सेचुरेट कर दिया गया है। शेष 27 ग्रामों को पाइप द्वारा जलापूर्ति सुनिश्चित की गई है। जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता है। शेष गांवों में पाईप द्वारा जलापूर्ति सुनिश्चित की गई है।

गाजीपुर जनपद के कतिपय मार्गों पर वृक्षारोपण हेतु पौधे लगाने के आदेश

143,—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि गाजीपुर जनपद के कतिपय मार्गों पर सामाजिक वानिकी वन प्रभाग द्वारा वृक्षारोपण का जो कार्य किया गया उसमें किन-किन पौधों के लगाये जाने के आदेश थे? क्या सरकार को जानकारी है कि आदेश के विरुद्ध विभागीय अधिकारी द्वारा केवल बबूल एवं कांटेदार पौधे ही लगाये गये? यदि हां, तो शासनादेश की, अवहेलना करने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है? क्या सरकार उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए तत्काल पुनः छायादार तथा फलदार वृक्षों को लगाये जाने का आदेश जारी करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जनपद गाजीपुर में मार्गों पर भूमि की किस्म के अनुसार प्रजातियों का चयन कर तदनुसार फलदार, टिम्बर, छायादर तथा ईधन प्रजातियों के पौधे रोपित किये जाने के आदेश थे। उपरोक्त प्रजातियों की पौध रोपण के अतिरिक्त लगाये गये बबूल एवं अन्य कांटेदार पौधों का रोपण केवल पौधों की सुरक्षा हेतु किया गया था। अतः शासनादेशों की अवहेलना होने, जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। भूमि की उपयुक्तता को देखते हुए छायादार तथा फलदार वृक्ष लगाने के आदेश पहले से ही जारी हैं।

गाजीपुर जनपद के कतिपय मार्गों पर सामाजिक वानिकी वन प्रभाग द्वारा वृक्षारोपण विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

144—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि गाजीपुर जनपद के कतिपय मार्गों पर सामाजिक वानिकी वन प्रभाग गाजीपुर द्वारा वृक्षारोपण का जो कार्य वर्ष 1985-86, 86-87,

87–88 में किया गया, उसमें व्याप्त तमाम खामियों के संबंध में विधान सभा सदस्य श्री सरजू प्रसाद पांडेय सरोज का कोई शिकायती पत्र शासन को दिनांक 13–12–88 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में दर्शायी गयी अनियमितताओं के संबंध में सरकार द्वारा कोई जांच करायी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिह––

जी हां । उक्त पत्र में दिये मार्गो में वर्ष 1985–86, 86–87 तथा 1987–88 में सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, गाजीपुर द्वारा वृक्षारोपण का जो कार्य कराया गया उनके संबंध में पत्र में दर्शाई गई अनियमितताओं की जांच कराई गई जांच में कोई अनियमितता नहीं पाई गई ।

नगरपालिका बस्ती द्वारा नालियों एवं मार्गो के निर्माण एवं मरम्मत हेतु टेण्डर

145––श्री सुखपाल पाण्डे––

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका बस्ती में 1986–87, 1987–88 में कुल कितने सड़कों के कार्य व नाली मरम्मत के टेण्डर नगरपालिका द्वारा मांगे गये और किस-किस ठेकेदार का टेण्डर हुआ ? उसमें कितना पैंटिग का कार्य था, कितनी मैक्सफाल्ट विभाग ने दिया और कितना ठेकेदार ने दिया ? क्या ठेकेदार नें मैक्स-फाल्ट खरीद की रसीद नगरपालिका बस्ती को प्रस्तुत किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिह आर्य––

नगरपालिका बस्ती में वर्ष 1986–87 में सड़कों, नाली मरम्मत के 16 कार्यो के टेण्डर हुये और निम्नतम निविदा दर के आधार पर श्री बलबीर सिह, श्री राम प्रताप, श्री राम चरित्र, श्री केशरी नारायण त्रिपाठी श्री सूर्य नारायण , श्री अर्जुन सिह, श्री सतीश चन्द्र सिह, श्री श्यामानन्द यादव, श्री कृष्ण बिहार त्रिपाठी, श्री परशुराम चौधरी एवं एवं श्री विजय पाल सिंह का टेण्डर स्वीकृत हुआ था जिसमें 11 कार्य पेंटिग के थे ।

वर्ष 1987–88 में सड़कों, नाली मरम्मत/निर्माण के 26 कार्यों हेतु टेण्डर हुए और निम्नतम निविदा दर के आधार पर श्री नागेन्द्र सिह, श्री अजमतुल्लाह, श्री मिन्टू लाल चौधरी, श्री विजय कुमार गुप्ता, श्री कृष्ण बिहारी त्रिपाठी, श्री सूर्य नारायण, श्री शिव पूजन पांडेय, श्री संजय सिह, श्री जगन लाल श्रीवास्तव, श्री राम प्रताप, श्री बलबीर सिह मेसर्स प्रभु कान्सट्रक्शन कम्पनी, मेसर्स प्रताप कान्स्ट्रक्शन कम्पनी पिकौरा शिवगुलाम, बस्ती एवं श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव का टेण्डर स्वीकृत हुआ जिसमें 13 कार्य सड़क पेंटिंग के हैं । मैक्सफाल्ट की व्यवस्था ठेकेदार ने स्वयं की थी। विभागद्वारा ठेकेदार को मैक्सफाल्ट नहीं दिया गया। अनुबन्ध की शर्तों में किसी भी निर्माण सामग्री की रसीद ठेकेदार द्वारा नगरपालिका में प्रस्तुत करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः ठेकेदार द्वारा मैक्सफाल्ट के क्रय की रसीद प्रस्तुत करन का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ में अवैध कब्जे हटाये विषयक नगर महापालिका लखनऊ को सम्बोधित पत्र पर कृत कार्यवाही

146––श्री सरदार सिह––

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10–2–86, जिसकी प्राप्ति प्रशासक नगर महापालिका लखनऊ के पत्रांक 997 एम0 दिनांक 21 फरवरी, 86 द्वारा स्वीकार की गयी है ऊपर क्या कार्यवाहीं की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि बरौलिया लखनऊ के अवैध कब्जा हटाने विषयक श्री यदुनाथ सिह स0 वि0 स0 का पत्र दिनांक 7–3–88 मिला है ? यदि हां,

तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? मकान नं0 503/223 द्वारा सड़क पर किये गये अतिक्रमण हटवायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त भवन नजूल भूमि में स्थित है ? उक्त भवन का कार्पेट एरिया कितना है ? भवन का निर्माण कब कराया गया तथा भवन कर कब से लगाया गया ? क्या निर्धारित मानक के अनुसार भवन का नक्शा विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा पास किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

सूचना एकत्र की जा रही है।

बेसिक शिक्षा परिषद संस्कृत उर्दू के पदों पर कार्यरत महिलाओं को प्रोन्नति

147---श्री सरदार सिंह---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में सहायक अध्यापक, बेसिक शिक्षा परिषद् (विशेष विषय संस्कृत/उर्दू) के पदों पर कार्यरत महिला कर्मचारियों की प्रोन्नति प्रदान करने की शासन ने व्यवस्था की है ? यदि हां, तो क्या वर्ष 82 से 88 तक के कर्मचारियों को प्रोन्नति की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

प्रश्न नहीं उठता ---

सेवानिवृत्ति श्री राम दयाल प्रधानाध्यापक जू0 हाई स्कूल बरियावन अकबरपुर के बकाये धन का भुगतान

148---श्री गोपी नाथ वर्मा---

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में श्री राम दयाल प्रधानाध्यापक जू0 हाई स्कूल बरियावन शिक्षा क्षेत्र, (अकबरपुर) 30-6-87 को सेवामुक्त हुए थे ? यदि हां, तो क्या श्री राम दयाल प्र0 अ0 को0 भविष्य निधि, जीवन बीमा धनराशि का भुगतान करने के साथ-साथ पेंशन दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

जी हां।

भविष्य निधि का भुगतान किया जा चुका है। पेंशन तथा जीवन बीमा की धनराशि के भुगतान के लिये कार्यवाही की जा रही है। श्री राम दयाल द्वारा अदेयता प्रमाण पत्र समय से प्रस्तुत न करने के कारण विलम्ब हुआ है।

अतिरिक्त जिलाधिकारी फैजाबाद के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

149---श्री गोपीनाथ वर्मा---

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के पूर्व अतिरिक्त जिलाधिकारी के विरुद्ध श्री मित्रसेन यादव, विधायक द्वारा उनके वर्ष 1981 एवं 1982 के फैजाबाद के कार्यकाल में लिपिकों की अनियमित नियुक्ति के विषय में कोई शिकायत की गई थी और जांच की पत्रावली मूल रूप में फैजाबाद में राज्य मुख्यालय को सितम्बर अक्टूबर, 1983 में मंगाई गई थी ? क्या इसके लिये नियुक्ति अधिकारी जांच मे दोषो पाये गये थे ? यदि हां, तो जांच आख्या के आधार पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि उक्त पत्रावली को राज्य मुख्यालय से गायब करवा दिया गया है ?

यदि हां, तो पत्रावली किसके द्वारा गायब की गई और उस दोषी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

जी हां।

जिला विकास कार्यालय, फैजाबाद में लिपिकों की अनियमित नियुक्ति में अनियमितता के मामले की जांच जिलाधिकारी फैजाबाद तथा उप विकास आयुक्त फैजाबाद द्वारा की गई थी। जांच में नियुक्ति संबंधी कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

जांच से संबंधित जिले की पत्रावली शासन के अर्धशासकीय पत्र संख्या-यू0 ओ0-137/38-1-84 दिनांक 2-4-84 द्वारा जिलाधिकारी, फैजाबाद को वापस भेज दी गई थी। अतः किसी अधिकारी कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री पंचम सिंह सेंगर अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक बेसिक शिक्षा परिषद के बकाये भुगतान में विलम्ब

150-कुंवर मानवेन्द्र सिंह---

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री पंचम सिंह सेंगर अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक (बे0शि0प0) का अवशेष भुगतान से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-5-88 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई और अवशेष का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? विलम्ब के लिये दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है परन्तु अवशेष का भुगतान किया जा चुका है।

संबंधित कर्मचारी को कठोर चेतावनी दे दी गई है। तथा उसकी चरित्र-पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित कर दी गयी है।

बेसिक शिक्षा विभाग में लेखाधिकारी कार्यालय की स्थापना का औचित्य

151-कुवर मानवेन्द्र सिंह---

क्या शिक्षा मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि लेखाधिकारी कार्यालयों की स्थापना बेसिक शिक्षा विभाग में वेतन तथा वितरण के सरलीकरण के लिये की गई है किन्तु अभी भी वही पुराना ढर्रा चल रहा है और जालौन एव झांसी जिले में महीनों से सेवानिवृत्त अध्यापकों को पेंशन नहीं मिली है तथा अध्यापकों का वेतन वितरण भी समय से नहीं होता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जालौन जनपद के प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूलों के छात्रों को छात्रवृत्ति

152–कुवर मानवेन्द्र सिंह––

क्या शिक्षा मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि जालौन जनपद के कोच नगर के कितने प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों के छात्रों को गत दो वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं दी गई है ? यदि हां, तो कब तक दे दी जायगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

नगर क्षेत्र कोंच के प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूलों के छात्रों को गत दो वर्षों से कोई भी छात्रवृत्ति देना अवशेष नहीं है ।

राजाजीपुरम लखनऊ स्थित सी–222 के भवन मालिक द्वारा अवैध निर्माण

153–कुंवर मानवेन्द्र सिंह––

क्या आवास मंत्री को जानकारी है कि राजाजीपुरम्, लखनऊ में भूखंड संख्या सी–222 के स्वामी ने गैलरी में स्थित पोर्च पर अनाधिकृत रूप से एक बड़े कमरे का निर्माण किया है । जिससे आस पास के घरों में प्रकाश तथा वायु का आना-जाना अवरुद्ध हो गया है ? यदि हां तो इस अवैध निर्माण की अविलम्ब गिराने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी––

जी हां ।

अवैध निर्माण को गिराये जाने हेतु उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम 1965 की धारा–83 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये जाने पर भवन स्वामी द्वारा दिनांक 20–9–88 को माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है ।

उरई, जालौन में लघु सिंचाई का डिवीजन कार्यालय स्थापित करने की घोषणा

154 कुंवर मानवेन्द्र सिंह

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्होंने अपने जालौन जिले के भ्रमण के दौरान जिले के मुख्यालय उरई पर लघु सिंचाई का डिवीजन स्थापित किये जानेकी घोषणा की थी तथा उक्त घोषणा के पश्चात् अन्य जनपदों में नौ नये डिवीजन खोले गये हैं किन्तु उसमें उरई का नाम नहीं है ? यदि हां, तो क्यों और उरई में लघु सिंचाई का डिवीजन कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय

जनपद जालौन उरई में घोषणा इस आशय की करी गई थी कि कार्य की आवश्यकता को देखते हुए लघु सिंचाई का खण्डीय कार्यालय स्थापित किया जायगा ।

जी हां । निम्न जनपदों में निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम के वृहद लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए खण्डीय कार्यालयों की स्थापना की गयी है :

जनपद	लक्ष्य
अलीगढ़	4950
गाजियाबाद	2900
शाहजहांपुर	4050
गाजीपुर	4650

जनपद				लक्ष्य
इटावा	..	..	..	4050
बहराइच	..	..	..	5500
बस्ती ..	..	..	..	9300
सीतापुर	..	..	..	5500
लखनऊ (आपूर्ति खंड)				

उपर्युत जनपदों की तुलना में जनपद जालौन (उरई) का नि:शुल्क बोरिंग का लक्ष्य अत्यल्प (400) है। अत: खण्डीय कार्यालय स्थापित किया जाना सम्भव नहीं है।

ग्राम कुरैठा ब्लाक बामौर जिला झांसी की हरिजन आबादी में बने अनुपयोगी रिपटा की जांच करने की मांग

155--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम कुरैठा ब्लाक बामौर जिला झांसी में डी0 आर0 डी0 ए0 द्वारा दिये गये धन से ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा बनाया गया हरिजन बस्ती के लिये नाले पर रिपटा बिल्कुल अनुपयोगी बना खड़ा है तथा रिपटे पर से जाने वाला रास्ता भी बन्द हो गया है ? यदि हां, तो उक्त रिपटे के स्थल चयन, लम्बाई एवं एप्रोच सही न होने की जांच करा कर सदन को अवगत करायेंगे।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जनपद झांसी के ग्राम कुरैठा ब्लाक बामौर में पुलिया का निर्माण जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा रपटे हेत स्वीकृत आवंटन से कराया गया है। गुरूसराय-कोटरा मार्ग से हरिजन बस्ती कुरैठा जाने वाले मार्ग पर उक्त निर्मित पुलियों को दोनों ओर पहुंच मार्ग की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण निर्मित पुलिया का उपयोग नहीं हो पा रहा है।

उक्त निर्माण कार्य के स्थल चयन, लम्बाई एवं एप्रोच के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा झांसी से जांच कराई जा रही है।

ग्राम बीरपुरा ब्लाक बामौर जनपद झांसी में स्वीकृत सामुदायिक केन्द्र

156--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गत वर्ष जिला ग्राम्य विकास अभिकरण झांसी द्वारा ग्राम बीरपुरा ब्लाक बामौर में स्वीकृत सामुदायिक केन्द्र अभी तक न बनायेजाने का क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि अभिकरण द्वारा स्वीकृत सामुदायिक केन्द्र बीरपुरा को बीरपुरा ग्राम के स्थान पर बिना अभिकरण की स्वीकृति के अन्यत्र बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो यह कार्य किसके द्वारा किया गया तथा क्या मंत्री जी अभिकरण के निर्णय के विरूद्ध निर्माण कराने वाले अधिकारियों से धन की वसूली की अभिकरण द्वारा स्वीकृत ग्राम बीरपुरा में सामुदायिक केन्द्र शीघ्र बनाये जाने के आदेश करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, झांसी द्वारा गत वर्ष विकास खंड बामौर के अन्तर्गत ग्राम बीरपुरा में सामुदायिक केन्द्र बनाने की स्वीकृति दी गयी थी परन्तु तत्कालीन खंड विकास अधिकारी ने क्षेत्र समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर ग्राम कुरैठा में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण आरम्भ करा दिया।

उपरोक्त अनियमितता हेतु संबंधित खड विकास अधिकारी को जिलाधिकारी द्वारा कठोर चेतावनी दी गई। भवन निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। स्थान परिवर्तन की स्वीकृति गवर्निग बाडी से प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

बुन्देलखंड जनपद में जिला ग्राम अभिकरण के अभियन्ताओं द्वारा कराया गया कार्य

157–कुंवर मानवेन्द्र सिह––

क्या ग्राम्यविकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के अभियन्ताओं का कार्य, विभिन्न विभागों को धन आवंटित कर उनसे विकास कार्य कराना तथा स्वयं उसकी देखरेख (मानीटरिंग) करना है ? यदि हां, तो क्या इस गाइड लाइन के विरूद्ध बुन्देलखंड के जनपदों में कार्यो का स्वयं अभिकरण के अभियन्ताओं द्वारा विकास कार्य की मानीटरिंग के स्थान पर, वर्ष 87–88 व 88–89 में स्वयम निष्पादन (एक्सीक्यूशन) कराया जा रहा है। यदि हां, तो उपरोक्त जनपदों में सड़क निर्माण के लिये सा0 वि0 विभाग का ग्रामीण अभियंत्रण सेवा तथा सिचाई के कार्यो के लिये सिचाई व लघु सिचाई विभागों का क्या औचित्य है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय––

सूचना एकत्र की जा रही है।

बुन्देलखंड के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा निष्पादित कार्य

158–कुंवर मानवेन्द्र सिह––

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत दो वर्षों से बुन्देलखंड के किन जनपदों में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण स्वयं अपने अभियन्ताओं से क्या-क्या कार्य निष्पादित करा रहा है ? क्या वर्ष 87–88, 88–89 में स्वयं निष्पादित कराये जाने वाले कार्यों के स्थल चयन तथा उनकी गुणवत्ता की जांच उस कार्य के विशेषज्ञ विभाग द्वारा कराने के आदेश मंत्री जी करेंगे ताकि क्षेत्र की जनता को कराये गये कार्यों का सही लाभ मिल सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय––

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद जालौन की नगरपालिका कोंच की मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के लिये जिलाधिकारी से धन की मांग

159––कुंवर मानवेन्द्र सिह––

क्या नगर विकास मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि जालौन के जिलाधिकारी ने कोंच नगरपालिका क्षेत्र स्थित मलिन बस्तियों को नागरिक सुविधायें प्रदान करते हुए वहां विकास कार्य किये जाने, सड़कें, बिजली, पेयजल आदि की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो शासन ने इस हेतु कितना धन वित्तीय वर्ष 1988–89 में आवटित किया है या आगे किये जाने पर विचार कर रहा है ?

श्री बल्देव सिह आर्य––

जी नहीं।

शासन द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर नगरपालिका कोंच को मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत लिया जाना सभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

160—श्री अकबर हुसैन बाबर—

(7वें सोमवार के लिये स्थगित)

जनपद फैजाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्रामीण अधिग्रहण सेवा को धन उपलब्ध कराया जाना

161—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा फैजाबाद को स्कूल भवनों के निर्माण हेतु धन उपलब्ध कराने के लिये दिसम्बर, 1988 में भेजे गये सभी चेक डिसआनर हो गये हैं ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित भवनहीन विद्यालयों के निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने की मांग

162—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित 284 भवनहीन प्राइमरी स्कूलों और लगभग दो दर्जन जूनियर हाई स्कूलों के भवनों के निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया गया है ? यदि हां, तो सही स्थिति क्या है और उक्त सभी भवनहीन विद्यालयों का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

244 प्राइमरी पाठशालाओं एवं 20 जूनियर हाई स्कूलों हेतु आवश्यक धनराशि तथा निर्माण स्थल ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को उपलब्ध करवा लिये गये हैं। कुछ विद्यालयों का निर्माण कार्य प्रारम्भ भी हो गया है।

श्री मो0 सिद्दीक पुत्र स्व0 श्री सुबराती पुराना महानगर घुसियाना, लखनऊ के मकान को लखनऊ विकास प्राधिकरण के जूनियर इंजीनियर द्वारा गिराने की धमकी के सम्बन्ध में श्री काजी कलो मुर्रहमान के पत्र पर कृत कार्यवाही

163—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित श्री रामचन्द्र बख्श सिंह द्वारा पूछे गये अता0प्र सं 09 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत प्रार्थना पत्र के मामले की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी ? क्या यह सही है कि प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित आरोपों में एक यह भी आरोप है कि श्री मो0 सिद्दीक की बहन श्रीमती बरातन द्वारा लिये गय कागजातों को उक्त जूनियर इंजीनियर ने वापस करके अवैधानिक ढंग से गिराये जाने तथा अन्य प्रकार की धमकी देते समय पास पड़ोस के लोग मौके पर आ गये थे ? यदि हां, तो क्या जांच करते समय लोगों के बयान लिये गये थे ? यदि हां, तो उनके नाम तथा बयान क्या है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त निवासियों के बयान लेकर बयानों की प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जांच सक्षम अधिकारी/प्रभारी अधिकारी (भवन–2) लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा की गयी।

जी हां, शिकायती पत्र में उल्लेख किया गया है।

जांचकर्त्ता ने मौके पर जानकारी की थी, किन्तु बयान नहीं लिये थे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा की तहसील नरैनी की रंजनदी पर लिफ्ट सिंचाई तथा चैकडैम बनाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता के पत्र पर कार्यवाही

164—श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र संख्या–ए/174 सि/88, दिनांक 25–3–88, तत्कालीन सिंचाई राज्य मंत्री को बांदा जनपद की तहसील नरैनी में वह रही रंजनदी में ग्राम पंचमपुर के पास बरार नामक पानी के भण्डार से लिफ्ट सिंचाई के संबंध में तथा करीब के नाले में चैक डैम बनाने के संबंध में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो लिफ्ट सिंचाई तथा चेकडैम का विस्तृत प्राक्कलन क्या है तथा शासन द्वारा इस क्षेत्र की असिंचित भूमि की सिंचाई हेतु कौन-कौन सी योजनायें हैं?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बांदा के नरैनी निर्वाचन क्षेत्र के गांव में टेस्ट बोरिंग कराने की मांग

165—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के नरैनी निर्वाचन क्षेत्र के गांव अधसैरी, खानपुर कोलावल बदछे, नैटुवा, रेहुची सदा विज्जू पुरवा, जवरापुर, बघेलवारी लूम धोरही आदि गांवों में टेस्ट बोरिंग कराई जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं।

इस वर्ष रेस्ट बोरिंग कराने हेतु विभाग में वित्तीय प्राविधान उपलब्ध नहीं है। आगामी वर्ष में अन्वेषणात्मक छिद्र कार्य हेतु समुचित वित्तीय आवंटन प्राप्त होने पर क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार सर्वेक्षण के उपरान्त अन्वेषणात्मक छिद्र कराने पर विचार किया जा सकता है।

जनपद बरेली के निवासी बिपिन चन्द की भूमि को दूसरे के नाम से अवैध रूप से दाखिल खारिज करने के संबंध में प्रश्नकर्त्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

166—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को बरेली निवासी विपिन चन्द्र, नवीन चन्द्र आदि की उदयखास स्थित उनकी भूमि को दूसरों के नाम में अवैध रूप से अधिकारियों की मदद से दाखिल खारिज किये जाने सम्बन्धी शिकायतकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 30–7–88 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अभी तक कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

शिकायतकर्त्ता विपिन चन्द्र नवीन चन्द्र का पत्र नहीं प्राप्त हुआ है किन्तु डा0 दिनेश जौहरी, सदस्य विधान सभा का एक पत्र दिनांक 30–7–88 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है।

उक्त पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच कराई जा रही है ।

कु0 ऋतु श्रीवास्तव की आर्य कन्या इण्टर कालेज, लखनऊ के परीक्षाफल की गड़बड़ी की जांच तथा न्याय के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

167—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या शिक्षा मंत्री को कु0 ऋतु श्रीवास्तव की आर्य कन्या इण्टर कालेज, लखनऊ को वर्ष 1988 के हाई स्कूल के परीक्षाफल में गड़बड़ी के सम्बन्ध में जांच कराकर न्याय दिलाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 6–10–88 का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

हां ।

उक्त पत्र सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद को जांच एवं आवश्यक कर्यवाही हेतु भेजा गया है ।

श्रीमती बन्नो निवासी पुराना महानगर लखनऊ के भूखण्ड का नक्शा पास कराने सम्बन्धी विवाद

168—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 22—4–76 को श्रीमती बन्नो निवासी पुराना महानगर, लखनऊ का अपने भूखंड सं0 815, बन्दोबस्त सन् 1928 के अनुसार पर बने भवन का नक्शा पास कराने के संबंध में निर्धारित प्रपत्र पर कोई प्रार्थना पत्र नक्शे सहित नगर अभियन्ता (भवन) लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि नजूल विभाग ने श्रीमती बन्नो द्वारा दिये गये उक्त प्रार्थना पत्र पर "कोई आपत्ति नहीं की गई है", लिखकर अपने पत्रांक सं0 840 (एम0 एस0 ओ0) 1976, दिनांक 25–8–76 द्वारा नगर अभियन्ता (भवन विभाग) को दिनांक 3–9–76 को डाक रजिस्टर पर चढ़ा कर प्राप्त कराया गया था ? यदि हां, तो अब तक नक्शा पास होने की सूचना न भेजने का क्या कारण है ? क्या नक्शा पास होने की सूचना भवन निर्माणकर्त्ता को शीघ्र भेजने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीनाथ सिंह—

जी हां ।

जी हां ।

विस्तृत छानबीन के पश्चात यह पाया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड सं0 815 सम्पत्ति नजूल दर्ज है । नजूल विभाग द्वारा पक्ष के विरुद्ध पी0 पी0 ऐक्ट का मुकदमा दायर कर दिया गया जो विहित प्राधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है । अतः नक्शा पास किये जाने तथा उसकी सूचना भेजने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

जी नहीं ।

जब तक वाद न्यायालय के विचाराधीन है तब तक नक्शे की स्वीकृति पर कार्यवाही करना सम्भव नहीं है ।

जनपद उन्नाव में प्रश्नकर्त्ता के क्षेत्र से मुकदमों से वसूली की गई धनराशि को ग्राम सभाओं को स्थानान्तरित करने की मांग

169—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभाओं की आय बढ़ाने के उद्देश्य से 115 डी के मुकदमों के जुर्माने से प्राप्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के खातों में स्थानान्तरित किये जाने का नियम है ? यदि नहीं, तो इस धनराशि का क्या उपयोग किया जाता है ? प्रश्नकर्त्ता के निर्वाचन क्षेत्र पुरवा (उन्नाव) में ऐसे मुकदमों के जुर्मानों से कितनी धनराशि वर्ष 1986–87, 1987–88 में वसूल की गयी है ? कितनी धनराशि ग्राम सभाओं को स्थानान्तरित हो चुकी है ? कितनी धनराशि स्थानान्तरित नहीं हुई और क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं ।

इस धनराशि को जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 125 (ए) की उपधारा (4) के अन्तर्गत गांव सभा से संबंधित मुकदमों तथा गांव सभा पेनल लायर्स की फीस के भुगतान आदि में व्यय किया जाता है ।

निर्वाचन क्षेत्र पुरवा (उन्नाव) में प्रश्नगत मुकदमों के जुर्मानों से वर्ष 1986–87 व 1987–88 में क्रमशः रु0 12,129.70 पै0 तथा रु0 62,158.00 पै वसूल किये गये है। यह धनराशियां उपरोक्त प्राविधानों के अनुसार गांव सभा खातों में स्थानान्तरित नहीं की गयी हैं ।

उन्नाव जिला सहकारी बैंक में गम्भीर अनियमितताओं व लाखों रुपये के गबन के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

170—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिला सहकारी बैंक में गम्भीर अनियमिताओं के लाखों रुपये के दुरुपयोग विषयक प्रश्नकर्त्ता का पत्र संख्या 2/ज0 पा0/88 सचिव, सहकारिता निबन्धक सहकारिता विभाग तथा प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकरी बैंक को 24–11–88 को मिला है ? यदि हां, तो संदर्भित मामले की जांच किसने की और क्या जांच अधिकारी ने प्रश्नकर्त्ता से भेट की है ? जांच के निष्कर्ष क्या है ? दोषी पाये गये अधिकारियों व कर्मकारियों पर विभागीय क्या कार्यवाही की गई है ? भ0 दं0 वि0 की किन धाराओं में मुकदमा दायर किया गया है ?

श्री समर पाल सिंह—

जी हां । जांच कराई जा रही है । जांच के निष्कर्ष के अनुसार दोषी कर्मचरियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद फैजाबाद के गांव सभाओं के नव निर्वाचित प्रधानों की हत्या व मृत्यु की संख्या तथा पुनः चुनाव कार्य सम्पन्न कराने की मांग

171— श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद के कितने गांव सभाओं के नव-निर्वाचित प्रधानों की हत्या अथवा मृत्यु हो गयी है ? ऐसी सभी गांव सभाओं में प्रधान पद का चुनाव शीघ्र कराने में सरकार को क्या कठिनाई है और यह कार्य कब तक सम्पन्न करा दिया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

दो प्रधानों की हत्या तथा 6 प्रधानों की मृत्यु हुयी है।

सम्बन्धित जनपदों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार करना सम्भव होगा।

जनपद फैजाबाद की ग्राम सभाओं के नव निर्वाचित प्रधानों को चार्ज दिलाने की मांग

172--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में अभी तक बहुत सी ग्राम सभाओं के नव-निर्वाचित प्रधानों को पुराने प्रधानों तथा विभागीय कर्मचारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के कारण चार्ज नहीं मिल पाया है ? यदि हां, तो सही स्थिति क्या है और ऐसे सभी मामलों में नव-निर्वाचित प्रधानों को चार्ज दिलाने तथा इसमें हुए बिलम्ब के लिये दोषी लोगों को दण्डित करने के लिये सरकार क्या कर रही है और यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जायगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी नहीं। आठ नवनिर्वाचित प्रधानों को पुराने प्रधानों द्वारा चार्ज नहीं दिया गया है।

नवनिर्वाचित प्रधानों को विधिवत् चार्ज दिलाने के बराबर प्रयास किये जा रहे हैं। चूंकि चार्ज न होने में कोई अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं है अतः कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता कार्य के हित में नवनिर्वाचित प्रधान चार्ज न मिल पाने की दशा में नए अभिलेखों से कार्य कर रहे हैं।

जनपद बलिया के ब्लाक नगरा सीयर में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसानों को आई० आर० डी० योजना से लाभ पहुंचाया जाना

173--श्री शारदा नन्द अंचल--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री जनकारी है कि बलिया जनपद के विकास खण्ड सीयर व नगरा में वर्ष 1985-86, 1986-87 व 1987-88 में कितने-कितने अनुसूचित जन-जातियों, अनुसूचित जनजातियों व सीमान्त किसानों को आई० आर० डी० स्कीम के अन्तर्गत लाभान्वित कराया गया है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बलिया के ब्लाक सीयर व नगरा के ग्राम प्रधानों को पूर्ण चार्ज दिलाने की मांग

174--श्री शारदा नन्द अंचल--

क्या ग्राम्य एवं पंचायती राज मंत्री को ज्ञात है कि बलिया जनपद के सीयर व नगरा विकास खण्डों के कितने-कितने ग्राम प्रधानों को अब तक पूर्ण चार्ज नहीं प्राप्त हो सका है ? क्या सरकार पूर्ण चार्ज सुनिश्चित कराने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

विकास खण्ड सीयर में दो तथा विकास खण्ड नगरा में एक प्रधान का पूर्ण चार्ज नहीं हो सका है। यथाशीघ्र पूर्ण चार्ज सुनिश्चित कराने हेतु पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।

जनपद उन्नाव में असोहा ब्लाक के जूनियर हाई स्कूल डूडियाथर में नये अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

175---श्री हृदय नरायन दीक्षित---

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के पुरवा विधान सभा क्षेत्र में कितने प्राइमरी व कितने जूनियर हाई स्कूल ऐसे हैं जिनमें अध्यापकों की संख्या मानक से कम है ? क्या असोहा ब्लाक के जूनियर हाई स्कूल डूडियाथर में अध्यापकों की नियुक्ति के लिये ग्रामवासियों द्वारा , बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिये गये तद्विषयक पत्रों की प्रति सहित प्रश्नकर्त्ता का शिकायती पत्र दिनांक 25-11-88 शिक्षा सचिव को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी---

50 प्राइमरी एवं 22 जूनियर हाई स्कूल ऐसे हैं जिनमें अध्यापको की संख्या कम है ।

जी हां ।

एक सहायक अध्यापक की अस्थायी व्यवस्था कर दी गयी है ।

बनाधिकारी उरई श्री कमल किशोर के विरुद्ध आरोपों की जांच तथा उप वन रेंजर श्री जुड़ावन सिंह को उत्पीड़ित करके के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

176---कुंवर मानवेन्द्र सिंह---

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उन्हें वनाधिकारी , उरई (श्री कमल किशोर) के विरुद्ध आरोपों की जांच कराने एवं उप बन रेंजर कालपी श्री जुड़ावन सिंह का उत्पीड़न रोके जाने विषयक प्रश्नकर्त्ता का संलग्नकों सहित पत्र दिनांक 9 जून, 88 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या शिकायती पत्र की बिन्दुवार जांच रिपोर्टएवं उस पर की गई कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह----

जी हां ।

जांच अभी प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला पंचायतराज अधिकारी लखनऊ को वैयक्तिक लेखे में जमा धनराशि का सम्बन्धित जनपदों में सड़क तथा खड़ंजा निर्माण में उपयोग

177---श्री राम आसरे वर्मा---

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपा कर यह बतायेंगे कि वर्ष 85-86, 86-87 तथा 87-88 में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग तथा पंचायतराज विभाग को गांव सभा क्षेत्रों में खड़ंजा लगाने तथा सड़क बनाने के लिये कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृति करके जिला पंचायतराज अधिकारी लखनऊ के वैयक्तिक लेखे में जमा करायी गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जिला पंचायत राज अधिकारी, लखनऊ के वैयक्तिक लेखे में जो धनराशि उल्लिखित तीन वर्षों में जमा की गई उसमें से सड़क तथा खड़ंजा निर्माण के लिये किस-किस जनपद को कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी ? आवंटित धनराशि के अन्तर्गत सबन्धित जनपदों के किन किन गांव सभा क्षेत्रों में कितनी-कितनी सड़क बनायी गयी तथा कितने मीटर खड़ंजा लगाया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

वर्ष 1985-86, 1986-87 एवं 1987-88 में गांव सभा क्षेत्रों में मार्ग निर्माण हेतु क्रमशः 100 लाख, 48 लाख एवं 90 लाख रु0 की धनराशि विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से आवंटित की गई जिसमें से 100 लाख एवं 48 लाख की धनराशि अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के डिपाजिट खाते में तथा 90 लाख की धनराशि जिला पंचायतराज अधिकारी लखनऊ के वैयक्तिक लेखे में जमा कराई गयी।

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

निदेशक पंचायत राज की अध्यक्षता में गठित पंचायत सामान्य निधि का कार्य तथा धन का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

178--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या पंचायतीराज मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि पंचायतराज निदेशालय लखनऊ में निदेशक पंचायत राज की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश पंचायत सामान्य लाभ निधि गठित है? यदि हां, तो इससे क्या-क्या कर्त्तव्य है और निधि में किन-किन स्रोतों से आय होती है और उसे किन-किन कार्यों पर व्यय किया जा सकता है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि निधि के खाते में 31 मार्च, 1984 को किस-किस मद की कुल कितनी धनराशि उपलब्ध थी? उपलब्ध धनराशि को एक अप्रैल, 1985 से लेकर 30 नवम्बर, 1988 तक किस किस मद पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी और क्या व्यय की गयी धनराशि निधि के नियमावली में दिये गये नियमों के अन्तर्गत आती है? यदि नहीं, तो धन के नियम विरुद्ध व्यय के लिये कौन अधिकारी दोषी है और क्या सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां।

उत्तर प्रदेश पंचायत सामान्य लाभ निधि के आय के स्रोत, कर्त्तव्य, कार्यों पर व्यय का विवरण अनुलग्नक में अवलोकनीय है। निधि के खाते में 31 मार्च 1984 को मद की कुल उपलब्ध धनराशि तथा उसका एक अप्रैल 1985 से लेकर 30 नवम्बर 1988 तक विभिन्न मदों पर व्यय विवरण अनुलग्नक में अवलोकनीय हैं। निधि में जमा धनराशि उपरोक्त उल्लिखित कर्त्तव्यों से संबंधित कार्यों पर व्यय किये जाने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त कोई युक्तियुक्त धनराशि पंचायती राज संस्थाओं को लाभान्वित करने वाले किसी भी विषय पर खर्च की जायेगी यदि राज्य सरकार इस संबंध में निदेश दे। व्यय की गई धनराशि नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप ही है। निधि के लेखों का आडिट मुख्य सप्रेक्षा (संगठन) उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा चुका है जिसमें उल्लिखित त्रुटियों के परिपालन की कार्यवाही की जा रही है तथा यदि कोई दोषी पाया जायेगा तो संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 245 से 246 पर)

वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जनपद बरेली के विकास खंड मीरगंज शेरगढ़, बहेड़ी तथा फतेहगंज (पश्चिमी) में सामुदायिक स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन तथा व्यय

179--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1980-81 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा परिचालित अन्य योजनाओं के

अन्तर्गत जिला योजनावार जिला बरेली के विकास खण्ड मीरगंज, शेरगढ़, बहेड़ी तथा फतेहगंज (पश्चिमी) में कौन कौन सी सामुदायिक स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया तथा प्रत्येक पर कितना व्यय किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

वांछित सूचना मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है।

180--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1981-82 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा परिचालित अन्य योजनाओं के अन्तर्गत योजनावार जिला बरेली के विकास खण्ड, मीरगंज शेरगढ़, शेरगढ़, तथा फतेहगंज (पश्चिमी) में कौन-कौन सी सामुदायिक स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन किया गया तथा प्रत्येक पर कितना व्यय किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

वांछित सूचना मेरे कार्यालय में कक्ष में देखी जा सकती है।

181--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1982-83 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा परिचालित अन्य योजनाओं के अन्तर्गत योजनावार जिला बरेली के विकास खण्ड मीरगंज, शेरगढ़, बहेड़ी तथा फतहगंज (पश्चिमी) में कौन कौन सी सामुदायिक स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया तथा प्रत्येक पर कितना व्यय किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

वांछित सूचना मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है।

182--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1983-84 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा परिचालित अन्य योजनाओं के अन्तर्गत योजनावार जिला बरेली के विकास खण्ड, मीरगंज शेरगढ़, बहेड़ी तथा फतेहगज (पश्चिमी) में कौन-कौन सी सामुदायिक स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया तथा प्रत्येक पर कितना व्यय किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

वांछित सूचना मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है।

183--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1984-85 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा परिचालित अन्य योजनाओं के अन्तर्गत योजनावार जिला बरेली के विकास खण्ड, मीरगंज, शेरगढ़, बहेड़ी तथा फतेहगंज (पश्चिमी) में कौन-कौन सी सामुदायिक स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया तथा प्रत्येक पर कितना व्यय किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

वांछित सूचना मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है।

जिला पंचायतराज अधिकारियों-के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने की मांग

184—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या पंचायतीराज मंत्री कृपा कर यह बतायेंगे कि पंचायतराज विभाग में जनवरी, 1988 से 30 नवम्बर, 1988 तक जिला पचायतराज अधिकारियों के कितने पद रिक्त हुए और उनमें से कितने पदों पर नियुक्तियां की गयीं और कितने पद अभी भी रिक्त है? इन पदों पर नियुक्त न किये जाने एवं विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

उक्त अवधि में जिला पंचायत राज अधिकारियों के 5 पद रिक्त हुए। इनमें से किसी भी पद पर नियुक्तियां नहीं की जा सकी है। सभी 5 पद रिक्त है।

उक्त पद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि में है। आयोग से अनुमोदित अभ्यर्थी प्राप्त न होने के कारण उक्त पदों पर नियुक्तियां नहीं की जा सकी है। इन पदों पर स्थानीय व्यवस्था हेतु निदेशक, पंचायतराज द्वारा आदेश निर्गत किये जा चुके है।

श्रीमती शान्ति मिश्र सह अध्यापिका, सीनियर बेसिक विद्यालय, देवां, बाराबंकी की अनियमित नियुक्ति

185—श्री त्रिभुवन प्रसाद—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के पांचवें सोमवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं०—5 के उत्तर के क्रम में क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या अभ्यर्थिनी श्रीमती शान्ती मिश्र द्वारा आवेदन-पत्र में मूल निवास जनपद बाराबंकी अंकित करने को सही मान लिया गया? क्या इसकी सत्यता हेतु जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र नहीं मांगा गया था? यदि हां, तो क्यों? क्यों बिना जिलाधिकारी के प्रमाण-पत्र प्राप्त किये ही नियुक्ति कर दी गई? यदि हां, तो क्या यह कार्यवाही नियमानुसार है थी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

जी हां।

शासनादेश दिनांक 17—7—1981 में यह प्राविधान हैं कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अपने को सन्तुष्ट कर लेना चाहिये कि अभ्यर्थी उसी जनपद का मूल निवासी है। जब नियुक्ति प्राधिकारी को इस विषय में सन्देह हो तो वह ऐसे अभ्यर्थी से मूल निवास के जिले का प्रमाण-पत्र मांग सकता है।

इस मामले में उक्त प्राविधान के अनुसार अपने विवेक का प्रयोग करते हुए बिना प्रमाण पत्र मांगे ही नियुक्ति कर दी गयी थी।

वर्ष 1985—, 1986—87, 1987—88 तथा 1988—89 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जनपद बरेली के विकास खण्ड मीरगंज शेरगढ़, बहेड़ी तथा फतेहगंज (पश्चिमी) के सामुदायिक स्थायी परिस्थितियों का सृजन तथा अनुमानित व्यय

186—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वितीय वर्ष 1985—86 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा परिचालित अन्य योजनाओं के अन्तर्गत योजनावार जिला बरेली के विकास खण्ड मीरगंज, शेरगढ़, बहड़ी तथा फतेहगंज (पश्चिमी) में कौन-कौन सी सामुदायिक स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया तथा प्रत्यक पर कितना-कितना व्यय किया गया?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

वांछित सूचना मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है।

187---श्री जयदीप सिंह बरार---

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1986-87 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा परिचालित अन्य योजनाओं के अन्तर्गत योजनावार जिला बरेली के विकास खण्ड, मीरगंज, शेरगढ़, बहेड़ी तथा फतेहगंज (पश्चिमी) में कौन-कौन सी सामुदायिक स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया तथा प्रत्येक पर कितना-कितना व्यय किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

वांछित सूचना मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है।

188---श्री जयदीप सिंह बरार---

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1987-88 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा परिचालित अन्य योजनाओं के अन्तगत योजनावार जिला बरेली के विकास खण्ड, मीरगंज, शेरगढ़, बहेड़ी तथा फतेहगंज (पश्चिमी) में कौन कौन सी सामुदायिक स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया तथा प्रत्येक पर कितना कितना व्यय किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

वांछित सूचना मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है।

189---श्री जयदीप सिंह बरार---

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1988-89 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा परिचालित अन्य योजनाओं के अन्तर्गत योजनावार जिला बरेली के विकास खण्ड, मीरगंज, शेरगढ़, बहेड़ी तथा फतेहगंज (पश्चिमी) में कौन-कौन सी सामुदायिक स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया तथा प्रत्येक पर कितना-कितना व्यय अब तक किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

वांछित सूचना मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है।

जनपद वाराणसी की ग्राम सभा सुलेमापुर में ग्राम पंचायत के चुनाव में हुई गड़बड़ियों की जांच

190---श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)---

क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद अन्तर्गत ग्राम सभा सुलेमापुर विकास खण्ड हरहुआ के अन्तर्गत हुए ग्राम पंचायत चुनाव में की गयी गड़बड़ियों के संबंध में उक्त गांव के श्री अरविन्द कुमार का शिकायती पत्र दिनांक 29-6-88 तथा श्री उमाकान्त का पत्र दिनांक 23 जून, 1988 को जिला निर्वाचन अधिकारी वाराणसी को सम्बोधित है प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच की गई है ? यदि हां, तो कौन-कौन से लोग दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध शासन द्वारा अब तक क्या कायवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सेवा निवृत्त जिला पंचायत अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारियों के पेंशन भुगतान करने की मांग

191—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पंचायत राज निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के अन्तर्गत कितने जिला पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) 1 जुलाई, 1988 तक जो सेवा निवृत्त हुए उनमें से कितने जिला पंचायत अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी हैं, जो सेवा निवृत्ति हो गये और उनकी मृत्यु हो गई परन्तु उन्हें व उनके उत्तराधिकारी को पेंशन भुगतान नहीं की गई ? उनके पेंशन भुगतान करने के बिलम्ब में कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी जिम्मेदार है ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जुलाई, 1988 तक 38 जिला पंचायत राज अधिकारी तथा 406 सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) सेवा निवृत्ति हुए। इनमें से केवल 2 अधिकारी प्रथम श्री विजयपाल सिंह तोमर जिला पंचायत राज अधिकारी दिनांक 29-7-84 को सेवा निवृत्त हुए तथा दिनांक 14-11-87 को उनका स्वर्गवास हो गया एवं द्वितीय श्री शिव कुमार मिश्रा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक 1-5-81 को सेवा से निवृत्त हुए तथा जिनका स्वर्गवास दिनांक 16-4-87 को हो गया। श्री तोमर द्वारा अपने जीवन काल में पेंशन पत्र आदि पूर्ण नहीं कराये गये तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही थी जिससे श्री तोमर तथा उनके उत्तराधिकारी को पेंशन नहीं दी जा सकी। श्री शिव कुमार मिश्रा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरुद्ध पुलिस स्टेशन मैनठोर जनपद मुरादाबाद द्वारा आई0 पी0 सी0 की धारा 167 के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर उन्हें दिनांक 24-9-75 से निलम्बित किया गया था निलम्बन काल में ही वह सेवानिवृत्ति हो गये। इनके पेंशन प्रकरण में बिलम्ब मुकदमे की जानकारी अभी तक न होने एवं अभिलेखों के पूर्ण न होने के कारण उनको तथा उनके परिवार को पेंशन भुगतान नहीं की गई। उक्त कारणों से दोनों पेंशन प्रकरणों में बिलम्ब हुआ है जिसके लिये कोई अधिकारी कर्मचारी जिम्मदार नहीं है।

जनपद बरेली में ग्रामीण भूमिहीन, मजदूर रोजगार गारन्टी स्कीम के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये धन का विवरण

192—श्री जगदीश सिंह सरार—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण भूमिहीन मजदूर रोजगार गारन्टी स्कीम के अन्तर्गत उक्त स्कीम के प्रारम्भ से वर्ष 88-89 तक प्रत्येक वर्ष जिला बरेली हेतु कुल कितना धन तथा खाद्यान्न आवंटित किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रम के प्रारम्भ से वर्ष 88-89 तक प्रत्येक वर्ष नियमानुसार धन तथा खाद्यान्न जिला बरेली हेतु दिया गया:—

वर्ष	धन रु0	खाद्यान्न (मी0 टन)
84-85	1,78,97,250	1225
85-86	72,90,160	432
86-87	1,65,03,250	4673
87-88	91,95,950	3855
88-89	1,21,50,300	370

जनपद टिहरी गढ़वाल में विश्व बैंक के द्वारा विकास खण्ड प्रतापनगर में मुकाम सिलारो में बीज गोदाम का निर्माण तथा उसका उपयोग

193—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल जनपद में विश्वबैंक की मार्फत कितने बीज गोदामों का निर्माण किया गया है ? इन बीज गोदामों में से कितने गोदाम उपयोग में लाये जा रहे हैं ? जनपद के विकास खण्ड प्रतापनगर में मुकाम सिलारी में बनाया गया बीज गोदाम किस सन में बनाया गया ? इसकी कितनी लागत आई है ? क्या सिपलारी का बीज गोदाम उपयोग में लाया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ? इन गोदामों की देखरेख कौन अधिकारी करता है ? यदि कोई नहीं करता है, तो इनको बनाने का क्या औचित्य है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जनपद टिहरी गढ़वाल में विश्वबैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना के अन्तर्गत सहकारी समितियों के 56 गोदामों का निर्माण किया गया है। जिसमें से इस समय 49 गोदाम उपयोग में लाये जा रहे हैं, शेष 7 गोदामों में तकनीकी एवं भौगोलिक त्रुटि होने के कारण उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है।

टिहरी जनपद के विकास खंड प्रतापनगर के अन्तर्गत सिलारी साधन सहकारी समिति के ग्रामीण गोदाम का निर्माण वर्ष 1983–84 में प्रारम्भ किया गया था। इस गोदाम की कुल लागत रु0 70110.44 आयी। सिलारी साधन सहकारी समिति का ग्रामीण गोदाम उपयोग में नहीं लाया जा रहा है, क्योंकि वह तकनीकी दृष्टिकोण से अपूर्ण होने के कारण साधन सहकारी समिति को हस्तान्तरित नहीं किया जा सका है, ग्रामीण गोदामों का निर्माण विश्व बैंक परियोजना के अभियंत्रण शाखा द्वारा किया जाता है तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उन्हें संबंधित सहकारी समिति को हस्तान्तरित कर दिया जाता है, तो उनकी देखरेख स्वयं करती है।

जनपद बस्ती में राजारतन सेन चैरिटेबुल इन्डाउमेन्ट ट्रस्ट की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति का व्योरा

194—श्री राकेश धर त्रिपाठी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजारतन सेन चैरिटेबुल इन्डाउमेंट ट्रस्ट बांसी जनपद बस्ती के नाम वर्तमान समय में कितनी सम्पत्ति किस रूप में कहां स्थित है ? क्या मंत्री जी ट्रस्ट के संविधान की अद्यातन संशोधित प्रमाणित नीति ट्रस्टियों के नाम व पते के साथ ट्रस्ट की समस्त चल, अचल सम्पत्ति के व्योरे सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आजमगढ़ की तहसील घोसी में घाघरा नदी की बाढ़ से प्रभावित ग्रामों का पटाई कार्य की मांग

195—श्री विष्णु देव—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ की तहसील घोसी में घाघरा नदी की बाढ़ से प्रभावित कुछ ग्रामों धर्मपुर विसुनपुर–सिसवा-नरूल्लाहपुर में गत वर्ष कुछ घरों की घर पटाई का कार्य हुआ है शेष होने वाला है परन्तु उसी से मिले बाढ़ से प्रभावित

आबादी ग्राम दुलारी देवारा (बांध से उत्तर) भोलनपुर बांध से उत्तर कुवरपुरवा (बांध के उत्तर) बहोहा (बांध से उत्तर) चक्की भूसाडोही ग्राम की घर पटाई के अभी तक शासन ने स्वीकार नहीं किया है जब कि वर्ष 88 की भयंकर बाढ़ व घर पटाई अभाव में यहां तबाही पैदा हो गयी है ? यदि हां तो क्या सरकार इन ग्रामों में भी घर पटाई की योजना लागू करने जा रही है ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के शासी निकाय ने ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1988–89 में कतिपय ग्रामों में गांव पटाई का कार्य स्वीकृत किया है। प्रश्नगत ग्राम इनमें सम्मिलित नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई योजना शासन में विचाराधीन नहीं है।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड गैसड़ी पचपेड़वा के बरूनी नाला धधिया नाला पर चैकडैम का निर्माण तथा अपूर्ण योजनाओं को पूरा किया जाना

196—श्री अरुण प्रताप सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंग कि जनपद गोण्डा के विकास खंड गैसड़ी/पचपेडवा के बरूनी नाला/धधिया नाला में कौन-कौन चेक डैम सिंचाई खण्ड गोण्डा द्वारा निर्माण कराये गये हैं और उस पर लागत कितनी आयी है ? उक्त विकास खंडों में सिंचाई की कौन-कौन सी योजना पूरी नहीं हुई है ? योजनाओं के पूरा न होने का कारण क्या है और कब तक पूरा किया जायेगा।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड गैसड़ी में बरूती नाले पर गनवरिया कला, ठकुरा पुर, नरायनपुर, चेकडैम तथा विकास खंड पचपेडवा में धधिया नाले पर रामनगर व शिवपुर-भगवानपुर चेकडैम सिंचाई खण्ड गोण्डा द्वारा निर्माणाधीन है और उस पर रु0 32.08 लाख की लागत प्रस्तावित है।

विकास खण्ड पचपेड़वा में रामनगर शिवपुर भगवानपुर तथा विकास खंड गैसड़ी में ठकुरापुर चेकडैम का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है।

योजनाओं के पूर्ण न होने का कारण जरवा बोल्डर उपलब्ध न होना है क्यों कि वनविभाग द्वारा जरवा न्वेरी नीलाम नहीं किया जा रहा है जरवा न्वेरी की नीलामी के उपरान्त चकडैमों पर क्रेस्ट एवं स्थिल वे के निर्माण की कार्यवाही की जायेगी।

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खंड मूनाकोट के अन्तर्गत सिरकूच नामक ग्रामों तथा तोकों की नियमित जल आपूर्ति की मांग

197—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद पथौरागढ़ में विकास खंड मूनाकोट के अन्तर्गत सिरकूच नामक स्थान में नियमित जल आपूर्ति के लिये पूर्व में बनायी गयी योजना पूर्ण तथा असफल हो गयी है और इसके द्वारा संबंधित ग्रामों उनके तोको को पानी नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा लिखे गये पत्र को मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्राप्ति पत्रांक–अ0 शा0 प0 सं0–244/पी0 एस0 एम0 एस0/एम0 एल0 सी0, 87 दिनाक 17 जुलाई 1987 पर क्या-क्या कार्यवाही का गयी है ? कब तक उपरोक्त ग्रामों/तोकों को नियमित रूप से पेयजल उपलब्ध हो सकेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जी नहीं वर्ष 1969-70 में 3,05,500 रुपये की लागत की योजना बनाई गयी थी जिसके अन्तर्गत मूनाकोट भावरी गडरखोला, बसेड़ा कमेंडपानी, सिरकुच एवं कटियार राजस्व ग्राम/तोक सम्मिलित हैं। वर्तमान में सिरकुच ग्राम जो योजना के अन्तिम छोर पर हैं, को छोड़ कर उक्त सभी ग्राम/तोक लाभान्वित हैं सिरकुच ग्राम में लगभग 7 कि0 मी0 पाइप लाइन जंगल में पथरीली जमीन में खुली बिछाई गई हैं जिसको ग्रामवासियों द्वारा बार-बार तोड़-फोड़ कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप समय-समय पर मरम्मत [illegible] के उपरान्त भी वर्तमान में जलापूर्ति बन्द हैं। जलापूर्ति की नियमित व्यवस्था के लिये [illegible] दे दी गयी हैं। और धनराशि अवमुक्त कर दी गयी हैं। वर्ष 89-9[illegible] जल आपूर्ति सुनिश्चित, हो जायेगी।

नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष---

माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा, माननीय अशोक बाजपेयी तथा माननीय हर्षवर्द्धन ने जो नियम 311 के तहत सूचना दी है, मैं उसे पेश करने की इजाजत नहीं देता क्योंकि यह केन्द्र से ताल्लुक रखता है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

केन्द्र से ताल्लुक नहीं है मान्यवर।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

यह मामला संविधान .....(व्यवधान)..... अनुसूची 7 के अनुसार केन्द्र से सम्बन्धित है इसलिये मैं इस प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति नहीं देता हूं।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मेरी व्यवस्था का प्रश्न है.....

(व्यवधान)

श्री [illegible]---

इस सिलसिले में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मैं बताना चाहता हूं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

व्यवस्था का प्रश्न सुन लें

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

इस सिलसिले में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होगा।

(व्यवधान)

माननीय तिवारी जी, माननीय गुप्ता जी आप बैठें इस मामले में मैं अनुज्ञा नहीं देता हूं।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

(* * * *)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह केन्द्र से संबंधित है यहां नहीं उठाया जा सकता है (व्यवधान) लिखा नहीं जायेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा— [× × ×]

.... (व्यवधान) ....

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता। आज नियम 301 के अन्तर्गत कुल 41 सूचनायें आप्त हुई (व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, हम इस निर्णय के खिलाफ सदन त्याग करते हैं।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री हर्षवर्धन श्री रामगोविन्द चौधरी आदि विपक्षी सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, 301 की सूचनायें जरा फिर सुना दे किसकिस की स्वीकार हुई हैं ?

उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में अनियमित नियुक्तियों से उत्पन्न आक्रोश के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत कुल 41 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर केवल 7 सूचनायें स्वीकार की गयी है जो इन माननीय सदस्यों की हैं। (1) श्री राकेश धर त्रिपाठी, (2) श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (3) श्री श्याम बिहारी सिंह (4) श्री राम सागर (5) श्री सरजू प्रसाद "सरोज" (6) श्री हरदेव और (7) श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की हैं।

यह सब सूचनायें पढ़ी हुई मान ली गयी।

*श्री राकेश धर त्रिपाठी—

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अति महत्वपूर्ण सूचना लाना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में यहां के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के व्यवहार एवं कतिपय नियुक्तियों से वहां के कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों में अत्यन्त असन्तोष व्याप्त हो गया है। बोर्ड में वरिष्ठ संयुक्त कार्यपालक अधिकारी के पद पर एक अक्षम एवं कई विभागों से निष्कासित व्यक्ति की नियुक्ति उक्त अधिकारी द्वारा शासन के नीतियों के विपरीत की गयी हैं। यह नियुक्ति बोर्ड के नियुक्तियों पर लगे प्रतिबन्ध के बावजूद की गयी हैं जिससे कर्मचारियों में अत्यन्त आक्रोश है। स्थिति अत्यन्त विस्फोटक हो गयी है किसी वक्त कुछ भी हो सकता है।

नोट:—[× × ×] यह अंश की श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नोट:—( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[श्री राकेश धर त्रिपाठी]

अतः आपके माध्यम से शासन से मेरी स्पष्ट मांग है कि ऐसे व्यवहार करने वाले अधिकारी से कनिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करने की कृपा की जाय।]

गोरखपुर जिले के विकास क्षेत्र घुघली के ग्राम मंगलपर पटरौली में हुए भीषण अग्निकांड के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उक्त गांव में गत शाम भीषण अग्निकाण्ड की ओर आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये यह सूचना दे रहा हूं कि उक्त गांव में करीब 100 घर बुरी तरह जल चुके हैं और लाखों रुपये की क्षति हुई है। लोगों के सामने भीषण गर्मी में खुले आकाश के नीचे रहने के अलावा कोई चारा नहीं है घर ही नहीं खलिहान भी बुरी तरह बर्बाद हो चुका है लोग खाने को मुहताज हैं मवेशियों के सामने चारे की समस्या है। अतः सरकार से मांग है कि वह तत्काल अग्निपीड़ितों को पर्याप्त सहायता दे और क्षतिपूर्ति करे मवेशियों के लिये चारे का प्रबन्ध करे और ब्लाक/तहसील मुख्यालय पर फायर ब्रिगेड की स्थायी व्यवस्था करे जिससे भविष्य में ऐसे अग्निकाण्डों को नियंत्रित किया जा सके।]

स्वास्थ्य विभाग में परिवहन सेल के कर्मचारियों के साथ नकदीकरण एवं चिकित्सा अवकाशों में धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्याम बिहारी सिंह---

मान्यवर, स्वास्थ्य निदेशालय के अन्तर्गत परिवहन सेल के कर्मचारियों के साथ उनके नकदीकरण एव चकित्सा अवकाशों के नाम पर भंयकर धोखाधड़ी हो रही है। कर्मचारियों का इस धोखाधड़ी के कारण भविष्य अन्धकारमय होता प्रतीत हो रहा है। इससे वर्तमान में भी कर्मचारियों के समक्ष वित्तीय कठिनाइयां व अनिश्चितता पैदा हो गई है। मुख्य लेखाधिकारी द्वारा की जा रही जांच में उपनिदेशक (प्राविधिक) परिवहन सेल वांछित अभिलेखों को छिपाकर एवं परस्पर विरोधी सूचनायें देकर मामले में लोपा-पोती करने करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और बाधा भी डाल रहे हैं। वित्तीय अनियमितताओं के छिपाने के उद्देश्य से निदेशालय के अधिकारियों को मिलाया जा रहा है और उनसे जांच कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं और कर्मचारियों से रिक्वरी की योजनायें बन रही है। अवकाशों के बिना देय होते हुए अस्थायी बनाये गये अभिलेखों में रद्दोबदल करके स्वीकृत राशि का कुछ अंश कर्मचारियों को मिल पा रहा हैं शेष घूस के रूप में हड़पा जा रहा है। एक-एक कर्मचारी का 8-10 हजार रुपया हड़प करके अधिकारी लाखों हड़प रहे हैं। स्थिति विस्फोटक ही नहीं अत्यंत गम्भीर है। कर्मचारियों में भीषण रोष व असंतोष व्याप्त है। अतः सम्बन्धित अधिकारी की खुली जांच कराने की आवश्यकता है एवं दण्डित करने की भी। मैं सदन के संज्ञान में उक्त गम्भीर प्रकरण को लाकर शीध्र कार्यवाही किये जाने एवं वक्तव्य की मांग करता हूं।

उक्त गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं एवं गबन की जांच से पूर्व संबंधित अधिकारी के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार किसी कर्त्तव्य निष्ठ अधिकारी को दिया जाना आवश्यक है।]

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
* वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद बाराबंकी के त्रिवेदीगंज ब्लाक के खण्ड विकास अधिकारी के भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम सागर--

[माननीय, आपके माध्यम से माननीय सदन एवं सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं कि त्रिवेदीगंज ब्लाक में खण्ड विकास अधिकारी के द्वारा गत दिनों गर्भवती महिलाओं एवं छोटे बच्चों के पुष्टाहार हेतु ब्लाक को दी गयी दलिया, सकर, तेल आदि को पूरा के पूरा बेच दिया गया है। कबूलपुर खैरा कनक समेत कई सम्पूर्ण गांव के खाद्यान्न को खुली बाजार में बेचा गया है। मास्टररोल पर दिखाया गया खाद्यान्न एवं मजदूरी का वितरण फर्जी है। किसी भी मजदूर को पूरी मजदूरी नहीं दी गयीं है और न ही निर्धारित मानक से मार्गों का निर्माण हुआ है। फतेहपुर सीमेन्ट ड्रेन का पैसा निम्न खुदाई में निकाला गया है। पाईप खरीद में भारी कमीशनवाजी है। 1988 में एन0 आर0 पी0 से कार्यों से 20 हजार के विपरीत 16,000 का खड़ंजा कार्य कराया गया। तिलोकपुर, उस्मानपुर, नरेन्द्रपुर, मदरहा में एक ही खड़ंजे के दो भुगतान हुए हैं। मान्न गौरी और ललई का पुरवा में बोरिंग कार्य फर्जी है।

इन सारे भ्रष्टाचार के प्रमुख त्रिवेदीगंज और वहां की जनता जिलाधिकारी महोदय से जांच कार्यवाही हेतु कई पत्र लिखा था, किन्तु राजनैतिक दबावों के कारण डी0 एम0, बी0 डी0 ओ0 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करवा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्षेत्र के हजारों लोगों ने धरना का ऐलान कर दिया है। यदि ब्लाक के भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही न हुई तो स्थिति काफी विस्फोटक होगी।]

जनपद गाजीपुर के कासिमाबाद ब्लाक में कासिमाबाद से सहाबद्दीबलेशर तक तथा डिहवा से सिपहा तक के मार्ग को पक्का करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सरजू प्रसाद "सरोज"--

[माननीय, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व में जनपद गाजीपुर के विकास खंड कासिमाबाद में सा0 नि0 वि0 द्वारा निर्माण करायी जा रही मार्गों 1- कासिमाबाद से सहाबुद्दी -बलेशर तक लम्बाई 8 कि0 मी0, 2--डिहवां निवाबधई भूपतपुर सिपहां तक लम्बाई 8 कि0 मी0 की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। इस मार्ग का निर्माण गत चार वर्षों से कराया जा रहा है। इस मार्ग पर मिट्टी, पुलिया एवं खडंजे का कार्य अधूरा हुआ है जिससे जनता को आने-जाने में काफी कठिनाई हो रही है। पुलिया का निर्माण अत्यधिक घटिया किस्म का किया गया। जिससे पुलिया अभी टूट गयी है। इस सड़कों के निर्माण पर ग्रामीण मजदूरों को कार्य नहीं दिया गया जिससे मानव दिवस नहीं बनाया गया और फर्जी मस्टररोल बनाकर भुगतान कर दिया गया। यह कार्य ठेकेदार द्वारा कराया गया है। इसलिये जनता में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से मौखिक रूप से की गयी किन्तु उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

अतः आपसे निवेदन है कि सरकार को निर्देशित करें कि उक्त अधूरा कार्य को पूरा कराया जाय तथा इसकी जांच तकनीकी सेल से करायी जाय जिससे जनता को सुविधा एवं लाभ मिल सके।]

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद बलिया के नोटीफाइड एरिया रसड़ा की सफाई एवं सीवर व्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरदेव---

[मान्यवर, आप के माध्यम से बलिया जनपद के अपने विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नोटीफाइड एरिया रसड़ा की दुर्दशा की ओर माननीय सदन एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रसड़ा नगर में गन्दगी से नारकीय जीवन लोग बिताने के लिये मजबूर हैं। तमाम सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, गलियों में खड़ंजा उखड़ गये हैं। मुख्य सड़क तो टूटकर खतरनाक हो गयी है तथा उसके पुल भी कई जगह धंस गये हैं जिससे दुर्घटना होने की सम्भावना है जिससे कस्बा में अनेक जलभराव अपनी गन्दगी तथा गन्दे पानी से पूरा कस्बा दूषित कर रहा है। बार्ड नं0 3, 4, 6 को बहू-बेटियों के शौचालय की व्यवस्था न होने से काफी संकट है। कस्बा की सुव्यवस्था के लिये धन न मिलने के कारण सुन्दरीकरण की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही और न पानी निकास की ही कोई सुनिश्चित व्यवस्था हो पा रही है। नगर समिति के स्थानीय सचिव की लापरवाही लूट-घसोट और भ्रष्टाचार से भी प्रगति में बाधा उत्पन्न हो गयी है।

अतः इस लोकमहत्व के मामले को माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुए अविलम्ब, एक सामूहिक योजना बनाकर समाधान की मांग करता हूं तथा सचिव को तुरन्त हटाने की प्रार्थना करता हूं।]

जनपद फैजाबाद के साकेत महाविद्यालय में अराजक तत्वों द्वारा छात्रों के अपमान आदि के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रवीन्द्र, नाथ तिवारी---

मान्यवर, जनपद फैजाबाद में साकेत महाविद्यालय (डिग्री कालेज, फैजाबाद) आजकल अराजक और अपराधी तत्वों का प्रमुख केन्द्र बन गया है। छात्राओं को छेड़ने, अपमानित करने, जबरदस्ती नकल करने, फर्जी परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षाये देने और उसका विरोध करने पर प्राध्यापकों और प्राचार्य तक को अपमानित करने की घटनायें वहां आये दिन होती रहती हैं।

14 या 15 मार्च, 1989 को कुछ बाहरी तत्वों और आराजक छात्रों ने मिलकर एक छात्रा को अपमानित करने और जबरदस्ती उसका फोटो लेने का प्रयास किया था जिससे विद्यालय का वातावरण काफी गरम हो गया था और कालेज अनिश्चित काल के लिये बन्द कर दिया गया था। अपराधी तत्वों से सांठ-गांठ करने वाले छात्रों और बाहरी तत्वों ने प्राध्यापकों के विरुद्ध धरने का आयोजन किया था और प्राध्यापकों ने भी जबाबी धरना चलाया था जिससे अभी भी वातावरण में उत्तेजना है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री हृदय नरायण दीक्षित ---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये।

---

*नोट:---[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---

आज जो नियम 300 के अन्तर्गत सूचनायें आई हैं उनके नाम बता दूं।

श्री राजकिशोर सिंह---

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री हृदय नरायण दीक्षित---

मान्यवर, प्रश्न के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्नों के संबंध में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है (व्यवधान) आपकी कोई सूचना नहीं आई है, माननीय राजकिशोर सिंह जी की आई है उसे बाद में सुन लूंगा। मैं 300 की सूचना ले चुका हूं। (व्यवधान) नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं उनमें पहली सूचना श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री रामगोविन्द चौधरी, श्री गौरी शंकर भईया, श्री हर्षवर्धन, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की, दूसरी श्री राज किशोर सिंह, तीसरी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सूर्य प्रताप शाही और चौथी श्री रामआसरे वर्मा और श्री नरेन्द्र सिंह की हैं।

गोण्डा हत्याकांड एवं करहना हत्याकांड के दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध आश्वासन के बावजूद मुकदमा न चलाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष---

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी आपको कुछ कहना है ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

मान्यवर, मेरा इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से आपसे निवेदन है कि आये दिन हम कुछ प्रश्न उठाते हैं और सरकार कुछ जवाब दे देती है लेकिन आपकी आज्ञा से हमारे प्रश्न उठाने पर सरकार जो यहां सदन में आश्वासन देती है उसे भी पूरा नहीं करती है। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान गोंडा हत्याकांड सरकार बनाम राजबहादुर आदि की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें श्रीमन् आर0 सी0 नं0 2/84 अन्तर्गत धारा 120 बी, 307, 302 आई0 पी0 सी0, थाना कटरा बाजार, गोंडा (सी0 बी0 आई0) एस0 14-1/एस0 आई0 सी0 नई दिल्ली जिसमें उत्तर प्रदेश के कई पुलिस अधिकारीगण तथा अन्य लोग अभियुक्त हैं तथा बस्ती के करहना हत्याकांडके अभियुक्तों के विरुद्ध सी0 बी0 आई0 द्वारा अपनी विवेचना पूरी करके चार्जशीट न्यायालय में दे दी है। मैंने अपनी सूचना के साथ जो सी0 बी0 आई0 ने प्रार्थना पत्र दिये हैं न्यायालय में दिनांक 10-12-87, 2-4-88, 29-6-88 को उनकी फोटोस्टेट प्रतियां भी लगा दिया है और अदालत ने जो आदेश दिनांक 10-12-87, 2-4-88 29-6-88 और 1-8-88 को दिये हैं उनकी भी फोटो स्टेट प्रतियां लगा दी हैं। जिससे स्पष्ट है कि पहली बार सी0 बी0 आई0 यही कहकर डेट लेती रही है कि इन पुलिस अधिकारियों को प्रासीक्यूट करने के लिये इजाजत मांग रखी है और इजाजत मिल जायेगी एवं कार्यवाही शुरू हो जायेगी। लेकिन यह सरकार इजाजत नहीं दे रही है। कुछ दिन पहले सदन के पटल पर एक रिपोर्ट रखी गयी थी जिसके ज्ञापन में मा0 गृह मंत्री ने संस्तुतियो को लागू करने के लिये डी0 जी0पी0 से निवेदन किया था। गोंडा हत्याकांड और करहना हत्याकांड इन दोनों मामलों में एक जैसी स्थिति है।

(इस समय 12 बजकर 28 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

सी0 बी0 आई0 इस देश की सबसे अच्छी और विवेचना करने वाली संस्था मानी जाती है। उसने विवेचना करके चार्जशीट न्यायालय में दे रखा है लेकिन उसे प्रोसीक्यूट करने के लिये धारा 197 जा0 फौ0 के अन्तर्गत मुकदमा चलाने की अनुमति सरकार द्वारा न प्रदान करने के कारण ही मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है। इस बारे में

श्री माताप्रसाद पांडेय ने कई बार मामला उठाया लेकिन सरकार ने आश्वासन तो दिया किन्तु आजतक इजाजत नहीं दे रही है। इसलिये आपसे अनुरोध है कि एक सीमा निर्धारित कर दें कि फलां तारीख तक सरकार इसमें परमीशन अवश्य दे देगी।

*श्री राम गोविन्द चौधरी--

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इसलिये घटना साबित होती है कि सरकार सी बी0 आई0 को बिलकुल नकारा साबित करने पर तुली है। आपको मालूम होगा विधान सभा में गोंडा में जो एक डिप्टी एस0 पी0 की हत्या हुई और दो दिनों तक यहां हंगामा होता रहा लेकिन सी0 बी0 आई0 की जांच नियुक्त हुई उसने चार्जशीट जमा कर दिया और सरकार को धारा 197 के अन्तर्गत अभियुक्तों पर मुकदमा शुरू करने की इजाजत मांगने के बाद भी उ0 प्र0 सरकार अनुमति देने में विलम्ब कर रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में किसी बात को उठाने और जांच नियुक्त करने का औचित्य ही क्या रह जाता है ?

मान्यवर, करहना कांड में जो सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था जिसकी चर्चा यहां हुई, लगातार दो दिनों तक बहस हुई और सी0 बी0 आई0 की जांच के लिये सरकार ने माना और चाजशीट भेज दिया लेकिन सी0बी0 आई0 द्वारा बारबार सरकार से अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी किन्तु सरकार टाल-मटोल कर रही है। इससे सी0 बी0 आई0के मन में सरकार के प्रति अविश्वास पैदा हो गया है और सी0 बी0 आई0 सोच रही है कि जिस प्रकार होमगार्ड यहां काम कर रहा है उसी प्रकार सरकार सी0 बी0 आई0 को मानने जा रही है। उनकी ओर से अब सरकार पर दबाव पड़ रहा है। वह दबाव में किसी के न आकर शीघ्र घोषणा करे कि सी0 बी0 आई0 ने इन दोनों काण्डों पर जो अनुमति मांग रखी है अभियुक्त पर मुकदमा चलाने के लिये वह उन्हें शीघ्र दी जाएगी। इसमें जो उच्चाधिकारी पुलिस के हैं, वे इस काण्ड में फंसे हुए हैं। वह बार-बार सरकार पर दबाव डाल रहे हैं, दबाव डलवा रहे हैं, नेताओं के माध्यम से कि सरकार इसकी अनुमति न दे और यह मामले यों ही ठंडे हो जाएं। एक अधिकारी तो इसमें खासकर पक्ष और विपक्ष के सदस्यों से बार-बार मिलकर सरकार पर दबाव डलवाने का प्रयास कर रहे हैं कि सी0 बी0 आई0 को मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिये। इस-लिए सरकार उनके मामले पर शीघ्र अनुमति प्रदान करें.....

(व्यवधान)

श्री हर्षवर्धन--

मान्यवर, यह जो मामला यहां उठाया है आज, सी0 आई0 डी0, करहना कांड की जांच के बाद अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने की सरकार से अनुमति मांग रही है, और गोंडा में एक डी0 वाई0 एस0 पी0 की हत्या का मामला है, उसमें सी0 बी0 आई0 अनुमति मांग रही है, किन्तु इन अभियुक्तों को सरकार की ओर से बचाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से जेल विभाग के मामले में 72 लाख रुपये की जो डी0 डी0 टी0 खरीदी गई थी, उसको भी विजिलेंस जांच से दबाया गया (व्यवधान) उसमें भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। सरकार विपक्ष और जनता के बड़े दबाव में आने के बाद ही किसी मामले में सी0 बी0 आई0 और विजीलेंस से जांच करवाती है, जांच रिपोर्ट आने पर उसे ठंडे बस्ते में रखने रफा दफा करने का कार्य कर देती है। क्योंकि यह सरकार जो अपराधी तत्व हैं उन्हें राजनैतिक संरक्षण प्रदान करती है, उनको संरक्षण देती है और येन, केन, प्रकारेण उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होने देती है। यह मामला सदन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में कई बार उठा है। इसलिये मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सरकार को आप निर्देशित करें कि वह इन मामलों शीघ्र कार्यवाही करे।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, यह मामला अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। यह सरकार स्वयं अक्षम है। लेकिन जिस गम्भीर मामले में यह सरकार जनता और विपक्ष के दबाव के कारण किसी कारगर एजेंसी को जांच का कार्य सौंप भी देती है, तो जब उसकी जांच रिपोर्ट आती है तो उसकी भी यह सरकार लागू करने में अक्षम रहती है, अक्षम साबित होती है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो एजेंसी आपने नियुक्त कर दी और उसने एक रिपोर्ट दे दी और उसने अनुमति मांगी आप से, सम्बन्धित अभियुक्तों के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराने की, मुकदमा चलाने की, तो इसका क्या कारण है कि आप उन दोषियों और अपराधियों को बचाना चाहते हैं। इन मामलों में भी सरकार की उदासीनता के कारण जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं हो रही हैं। यह सरकार खासकर करहना काण्ड के मामले में इसलिये टालमटोल कर रही है कि इसमें पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी फंसे हुए हैं। पुलिस के इशारे पर और सहयोग से यह सरकार चल रही है। इसलिये वह पुलिस वालों की मर्जी के खिलाफ कुछ करने नहीं जा रही है। यदि पुलिस के लोग उसमें दोषी न पाए गए होते तो शायद सरकार ने अनुमति दे दी होती। एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराने के लिये सरकार बड़ी है या पुलिस बड़ी है। आप सरकार को निर्देशित करें, और हो सके तो कठोर रूप से निर्देशित करें कि इसमें जिसमें एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराने की अनुमति मांगी जाती है, उसमें वह शीघ्र अनुमति उसे दे दिया करें।

*श्री अशोक बाजपेयी---

मान्यवर, सदन में तात्कालिक और अविलम्बनीय महत्व का जब कोई प्रश्न उठाया जाता है जन भावनाओं को प्रतिबिम्बित करने के लिये और ऐसे गम्भीर विषय में जब पक्ष और विपक्ष के द्वारा विशेष जांच के लिये विवश कर दिये जाने पर सरकार उस जांच को स्वीकार कर लेती है और इस बात का वह आश्वासन दे देती है, लेकिन देखा यह गया है कि सरकार उसकी रिपोर्ट लागू करने में स्पष्ट उपेक्षा करती है। यह गम्भीर मुद्दा औचित्य के प्रश्न में उठाया गया है, इसमें शासन ने सी0 बी0 आई0 को जांच सौप दी थी और उसने जांच करके सरकार को जांच रिपोर्ट सौप दी, लेकिन उसके कार्यान्वयन की कार्यवाही रुकी हुई है। यह सब योजनाबद्ध रूप से है। दोषियों को संरक्षण देने का कार्य यह सरकार कर रही है। जब सदन में कहा गया था कि सरकार जांच करायेगी और जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार शीघ्र उचित कार्यवाही करेगी, तो करहना जैसे काण्ड में कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है ? जबकि उसने आपसे लगातार अनुज्ञा मांगी है। मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि सरकार पर दबाव डालें कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाए।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, कानून के सामने संविधान में सबको बराबर बनाया है लेकिन सरकार सविधानोत्तर अधिकारों का प्रयोग कर रही है। कानून के सामने किसी को छोटा और किसी को बड़ा बनाने का कार्य कर रही है। मान्यवर, करहना में 27-28 जुलाई, 1986 को जो घटना हुई उसको लेकर मुख्य मंत्री जी का घेराव हुआ था। मुख्य मंत्री जी के यहां गृह सचिव भी थे, यह आश्वासन दिया गया कि सी0 आई0 डी0 की जांच होगी,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और प्रथम दृष्टया जो लोग दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ जांच होगी और जो जांच आख्या आएगी उसको सदन के पटल पर रखा जाएगा। मान्यवर, शासन के पास जांच आख्या सितम्बर के पहले हफ्ते में आ गई। सी0 आई0 डी0 ने चार्ज शीट 22 व्यक्तियों के खिलाफ और 302 हत्या का मुकदमा दर्ज किया था और चाज शीट को कोर्ट भेजन के लिये सरकार की परमीशन मांगी थी, इसमें सरकार द्वारा न तो परमीशन दी जा रही है और न उन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा रहा है जबकि साधारण आदमी का मुकदमा लगने पर उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है और इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। ज्वाइन्ट रिसपान्सिबिलिटी के नाम पर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी रामबाण है चाहे कोई मर्ज हो यह हर दवा दे देते है। मान्यवर, जब यह कह दिया गया कि सी0 आई0 डी0 की जांच आख्या सदन के पटल पर रखवाई जायेगी, तो उसको रखवाया क्यों नहीं गया ? 6 तारीख को हाउस का अन्तिम दिन है यह नवीं विधान सभा चल रही है, तो क्या यह इसको दसवीं विधान सभा में रखवायेंगे ? मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री सरकार की तरफ से सबसे ज्यादा आश्वासन देने को तैयार रहते है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वह जांच आख्या सदन के पटल पर रखवायें।

*श्री गौरी शंकर भइया---

मान्यवर, यह खेद का विषय है आपकी अनुज्ञा के बाद इस विषय को सदन में उठाया गया और सदन में इस बात की घोषणा हुई कि सी0 बी0 आई0 की जांच कराई जाये। जांच रिपोर्ट लम्बित है तो मान्यवर, सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उस पर कार्यवाही की जाये और रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत किया जाय। जानबूझ कर यह सरकार सदन की अवमानना करना चाहती है इनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि कोई चीज हो चाहे वह जनहित से जुड़ी हो वह जनता के बीच में न आये, कार्यवाही न की जाये। मान्यवर इसमें मिलीजुली साजिश है, अधिकारी जो है वह भ्रष्ट है तो इनका सबका पर्दाफाश करने के लिये आप सख्त निर्देश दें कि रिपोर्ट जल्दी पेश की जाये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाया है, आप देखेंगे कि यह औचित्य में नहीं आता है, लेकिन इतने सम्मानित सदस्यों ने यह बात उठाई है तो स्वाभाविक है कि यह उसके बारे में जानना चाहते हैं और यह मेरा कर्त्तव्य है कि वस्तुस्थिति को आपके माध्यम से बता दूं। मान्यवर, सी0 बी0 आई0 की जांच 1982 में हुई थी, जैसा माननीय तिवारी जी और अन्य सदस्यों ने कहा है इसमें सी0 वी0 आई0 ने रिकमेण्ड किया कि 19 पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय। उसमें तत्कालीन पुलिस अधीक्षक भी थे, लेकिन अभियोजन के बारे में नहीं कहा गया था बाकी के बारे में प्रासीक्यूट के बारे में कहा गया था। न्याय विभाग द्वारा परीक्षण कराया गया था जो अभिलेख सी0 बी0 आई0 से मांगे गये उसका इन्तजार है कुछ आ गये हैं और कुछ अभी नहीं आये हैं। जहां तक पुलिस अधीक्षक का सवाल है विभागीय कार्यवाही जो प्रपोज की है, उसमें शासन ने निर्णय लिया है कि यह कार्यवाही की जाये, तो सरकार की मंशा, दोषी व्यक्तियों को बचाने की नहीं है, लेकिन जो बात है वह न्यायपूर्वक तरीके से हो। यह औचित्य का प्रश्न नहीं है माननीय सदस्यों ने इस मामले को उठाया था, इसीलिये मेरा कर्त्तव्य था कि इसके बारे में बताऊं।

श्री उपाध्यक्ष---

रिपोर्ट कब तक ले करेंगे यह बता दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री माता प्रसाद पांडेय---

करहना के बार म बता दें ।

श्री अम्मार रिजवी---

माननीय, माननीय माता प्रसाद जी ने करहना के बार में क्या कहा है ? उन्होंने कहा है कि हाउस उठ जायगा । माननीय, अभी हाउस चल रहा है सदन एडजन हो रहा होता तो कह सकते हैं । मैं समझता हूं कि जो बात यहां पर कही गयी थी उसका पालन किया जायगा और रिपोर्ट ले की जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष---

इस पर सरकार शीघ्र निर्णय ले ले ।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी---

माननीय, 10-12-87 को विवेचना पूरी हो गयी थी लेकिन सरकार की ओर से जो औपचारिकतायें पूरी की जानी थीं वह पूरी नहीं की गयी हैं । मेरा आरोप ह कि यह सरकार भ्रष्टाचार के मामले में पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करना चाहती है उनके खिलाफ कार्यवाही करन में अक्षम है । यह सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुयी है इसलिये सरकार के इस रवैये के खिलाफ मैं और मेरे दल के लोग सदन से बहिर्गमन करते हैं ।

(श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अम्मार रिजवी---

माननीय, माता प्रसाद जी पाण्डेय ने करहना के बारे में कहा था तो करहना के बारे में स्थिति यह है कि सरकार ने निर्णय ले लिया है और उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है ।

(श्री माता प्रसाद पाण्डेय के सदन से जाने पर ।)

श्री अम्मार रिजवी---

अब आप क्यों जा रहे हैं ?

प्रथम सत्र 1981 के पांचवें गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 36 का उत्तर लम्बित रखने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री राजकिशोर सिंह---

माननीय, अतारांकित प्रश्न संख्या 36 के संबंध में मैं औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं । यह 3-2-89 को शासन को भेजा गया था और 9-3-89 को इसका उत्तर यह आया कि इसको स्थगित कर दिया गया है । 30 मार्च, 89 को इस संबंध में यह कहा गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है । 3 दिन के बाद सदन समाप्त हो जायगा, सूचना कब इकट्ठी होगी ? माननीय, गोरखपुर में छपिया में जो राजकीय बीज भण्डार है उसक प्रभारी जगदीश प्रसाद के भ्रष्टाचार से सम्बन्धित यह मामला है । उन्होंने साढ़े 4 टन, डी0ए0पी0 खाद में मिट्टी मिलाकर बेच दिया जिससे किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है । इस चीज को दबाने के लिये इस मामले को लगातार टाला जा रहा है ताकि भ्रष्टाचार उजागर न हो पाय । यह मामला बहुत गम्भीर है सदन के चलते इसका जबाब आना चाहिये । मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा कि इसी सत्र में इसका जवाब आ जाये ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

वसे तो जसा आपका निर्देश होगा उसका पालन किया जायगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं इसके तथ्य मेरे सामन नहीं हैं वसे मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इसी सत्र में इसका जवाब आ जाये ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, इसी सत्र में आ जायगा ।

आश्वासन के बावजूद राजकीय देयों की वसूली में किसानों के उत्पीड़न के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस आदरणीय सदन में यह मामला अनेक बार उठा है कि किसानों के ऊपर जो राजकीय देय हैं उसकी वसूली में प्रताड़ना की कार्यवाही की जा रही है । किसानों की जमीन की नीलामी हो रही है और उनको जेल भेजा जा रहा है । सरकार ने हर बार आश्वासन दिया कि ऐसा नहीं किया जा रहा है और फसल कटने तक किसी प्रकार प्रताड़ित करने की कार्यवाही नहीं की जायगी । मैंने अर्जेन्ट सूचना आपके पटल पर भेज दिया है । मैं आपका ध्यान उस विज्ञापन की ओर आकर्षित करना चाहूंगा । मान्यवर, उ0 प्र0 राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक जनपद सीतापुर ने भूमि नीलामी की उद्घोषणा उ0 प्र0 सहकारी भूमि विकास बैंक नियमावली, 1971 के नियम 29 के अन्तर्गत की है । किसानों के ऊपर 2 हजार से 11 हजार रु0 तक बकाया है और इसी पखवारे में उनकी जमीन नीलाम होने जा रही है । किसान की फसल खड़ी है अभी किसान के पास पैसा नहीं है तो किसान कहां से बकाये को जमा करेगा । सरकार बराबर उत्पीड़न की कार्यवाही कर रही है । अगर इस 15 दिन के अन्दर किसान की जमीन की कुर्की हो गयी तो किसान बेमौत मारा जायगा

यह तो मैंने अपने जिले की बात कही है लेकिन इसी तरह से प्रदेश के सभी जनपदों में जमीन नीलामी और कुर्की की कार्यवाही की जा रही है और किसान जेल जा रहे हैं । अगर आज कोई काश्तकार जेल चला गया तो उसकी फसल की कटाई कैसे होगी और वह पैसों का प्रबन्ध कैसे कर सकेगा. इसलिये मैं स्पष्ट रूप से सरकार से इस संबंध में आदेश प्रसारित करने की मांग करता हूं । यह जो उद्घोषणा जारी की गयी है, इसे तुरन्त रोकने का निर्देश जारी किया जाय और यह भी आदेश जारी किया जाय कि कोई भी प्रताड़ना न की जाय ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, सरकार ने कई बार इस सदन में आश्वासन दिया कि किसानों के देयों के बारे में किसानों का उत्पीड़न नहीं किया जायगा, लेकिन पूरे प्रदेश में वसूली के मामले में किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, गरीब लोगों को 14–14 दिनों तक हिरासत में लिया जा रहा है, लेकिन इसी सत्र में यह बात कई बार आ चुकी है कि करोड़ों-करोड़ों रुपये, जिनके बाकी हैं, उन पूंजीपतियों, उन मिल मालिकों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । यह सरकार ने सदन के भीतर यह आश्वासन दिया था कि किसानों के देयों के बारे में उनके खिलाफ कोई उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं की जायगी । इसलिये इस औचित्य का प्रश्न उपस्थित करते हुये मांग करता हूं कि आप सरकार को निर्देश दें कि वह किसानों के देयों की वसूली स्थगित करने का आदेश जारी करे और उनके खिलाफ कोई भी उत्पीड़न की कार्यवाही न की जाय, यह भी आदेश जारी करने की कृपा करें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आज ही निर्देश दे रहा हूं कि सरकार ने जो पहले आदेश दिये हैं, उसके अनुपालन में काम किया जाय और वसूली की कार्यवाही रोक दी जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम शरण दास---

मान्यवर, मैं आपसे और अम्मार साहब से अनुरोध करूंगा, जो माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी और माननीय शाही जी ने जो बात कही, मैं उस पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि हम लोग 4 दिन तक यहां पर बैठेंगे, इस सदन में घोषणा करने का तात्पर्य क्या है? मैंने कलेक्टर, शाहजहांपुर से पूछा कि आपके यहां पर ऐसे कोई निर्देश आये हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी तक नहीं आये हैं। मैं आपके माध्यम से अम्मार साहब से जानकारी चाहता हूं कि यह घोषणा ही घोषणा है कि आदेश भी जारी कर रहे हैं कि किसानों के ऊपर जो बकाया है, उसकी वसूली रोक दी जाय और उनके खिलाफ कोई भी उत्पीड़न की कार्यवाही न की जाय।

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, मेरे पास तो सूचना नहीं थी, मैं बड़ा कृतज्ञ हूं माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का, उन्होंने अपने औचित्य के प्रश्न के साथ शासनादेश की एक प्रति भी मेरे पास भेज दी है, जिसे मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। यह श्री राम मोहन सिंह, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से समस्त कलेक्टर तथा समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश को भेजा गया है। यह राजस्व अनुभाग-7 की तरफ से है। इसका विषय है---"मुख्य देयों की वसूली में उत्पीड़न कार्यवाही न किये जाने के संबंध में"। इसमें है कि उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राजस्व विभाग के समस्त मुख्य देयों, जिसमें भू-राजस्व, भूमि विकास कर, सिंचाई शुल्क, जी0 एम0 एफ0 ड्यूज, एन0 ई0 एस0 ड्यूज, तकावी ऐक्ट 19 व 12 तथा कृषि तकावीं सम्मिलित है, की वसूली में कृषकों के विरुद्ध 1 मई, 1989 तक उत्पीड़न कार्यवाही न की जाय। मेरे पास तो यह नहीं था, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने इसमें संलग्न कर दिया है।

श्री मित्रसेन---

इसका पालन कहीं पर भी नहीं हो रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

यह आदेश अगर चला गया है और जिन अधिकारियों ने उसका पालन नहीं किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। इससे निर्लज्जपूर्ण और क्या बात हो सकती है? यहां पर किसानों के समस्त राजकीय देयों, बिजली का बकाया, कोआपरेटिव का बकाया, सिंचाई का बकाया आदि सभी देयों की बात थी। अब मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसे किसानों के हित में कड़ाई से पालन करने के लिये जिलाधिकारियों को टेलेक्स के द्वारा सूचना देने की कृपा करें कि किसानों के ऊपर जितने भी देय है, वे स्थगित कर दिये गये हैं और जिन अधिकारियों ने शासन के आदेश का पालन नहीं किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री रघुबर दयाल वर्मा---

पिछली बार जब किसानों के देयों की वसूली को स्थगित करने की बात आई थी, तो आपने कहा था कि किसानों की वसूली स्थगित कर दी जायगी और उनके खिलाफ कोई भी उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं की जायगी। लेकिन श्रीमन्, आज लगान को, भूराजस्व को लेकर और बिजली के बकायों को लेकर तमाम किसानों को हवालातों में बन्द किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को जानकारी देता हूं कि जिन लोगों ने आई0

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत लोन लिया था 3500 रुपये भैंस के लिये और स्वतः रोजगार के लिये लोन लिया था, उन सबसे वसूली सख्ती से की जा रही है, और गरीबों को हवालातों में बन्द किया जा रहा है। यह बहुत ही लोकमहत्व का प्रश्न है ।सरकार इस पर स्पष्ट आश्वासन दे कि जो जिलाधिकारी आज वसूली का कार्य सख्ती से कर रहे है उनके खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन दें और यह आदेश दें कि कोई भी किसान हवालात में बन्द नहीं होना चाहिये, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सरदार सिंह---

मान्यवर, इसमें मथुरा जनपद भी जोड़ दें।

श्री उपाध्यक्ष---

पूरा प्रदेश जुड़ा हुआ है।

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, जो शासन ने आदेश दिया है उनको क्रियान्वित करवाया जायेगा और जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, मैं खुद इस बात को महसूस करता हूं कि जो आदेश हों उनका पालन, अनुपालन होना चाहिये और जहां नहीं हो रहा है उनका जवाब तलब किया जायेगा और इसको सुनिश्चित करने के लिये आज ही हम टैलेक्स द्वारा सारे उत्तर प्रदेश में समस्त कलेक्टरों और मंडलायुक्तों को यह सूचना भेज रहे हैं।

(श्री रघुबर दयाल वर्मा द्वारा बोलने के लिये खड़े होने पर।)

श्री उपाध्यक्ष---

रघुबर दयाल वर्मा जी बैठे, दूसरे वर्मा जी को भी बोलने का मौका दें।

राष्ट्रपति पदक प्राप्त भूतपूर्व नौसैनिक अधिकारी श्री बृजमोहन शर्मा, मेरठ के साथ घटी घटना के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, मैंने नियम 300 के अन्तर्गत एक सूचना दी है। एक बृजमोहन शर्मा मेरठ के रहने वाले हैं यह भूतपूर्व नौसैनिक अधिकारी हैं और उनकी विशिष्ट सेवाओं को देखते हुए उन्हें राष्ट्रपति पदक भी दिया गया है। लेकिन मान्यवर, 25 नवम्बर, 1988 को एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी जिससे वह अत्यन्त ही क्षुब्ध हैं। मान्यवर, 50-60 असामाजिक व्यक्तियों ने उनके मकान को ढहा दिया और सारा सामान लूट लिया। जिसका मुकदमा भी उन्होंने सिविल लाइन थाने में अपराध संख्या 468 के अन्तर्गत दर्ज कराया है लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। शासन, प्रशासन के सारे दरवाजे उन्होंने खटखटाये हैं न्याय के लिये पर किसी ने न सुनी। शासन प्रशासन के ढांचे से वह इतना क्षुब्ध हो गये हैं कि जो राष्ट्रपति ने उनको पदक दिया था उस पदक को वापस करने का उन्होंने मन बना लिया है मान्यवर, राष्ट्रपति विशिष्ट सेवाओं को देखते हुये पदक देते है और संविधान में यह शक्तियां राष्ट्रपति को दी गयी हैं। संविधान द्वारा जो प्रदत्त शक्तियां हैं उनके तहत राष्ट्रपति पदक दिया जाय और राष्ट्रपति पदक को वापस करने का मन बने। बिना किसी असाधारण परिस्थिति के ऐसा नहीं हो सकता है। मैं चाहता हूं कि आप शासन को निर्देशित करें, रणविशिष्ट सेवाओं से संबद्ध इस तरह से किसी व्यक्ति को उतना प्रताड़ित न किया जाय कि वह क्षुब्ध होकर इतना बड़ा निर्णय कर ले।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

संसदीय कार्य मंत्री इसको दिखवा लिया जाय ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, माननीय राम आसरे वर्मा जी ने जो प्रश्न उठाया है यह ला एण्ड आर्डर का प्रश्न है औचित्य का नहीं बनता फिर भी इन्होंने ध्यान आकर्षित किया है, हम देखेंगे कि उनकी सुरक्षा हो ।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक ,1989

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय की अनुज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1989 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 31 मार्च, 1989 को उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 31 मार्च, 1989 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 मार्च, 1989 को ही प्राप्त हो गयी और वह सन् 1989 का उत्तर प्रदेश का नवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उपलोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय की अनुज्ञा से मैं घोषणा करता हुं कि उत्तर प्रदेश आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1989 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 मार्च, 1989 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 30 मार्च, 1989 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 मार्च, 1989 को प्राप्त हो गयी और वह सन 1989 का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया ।

"माया" पंत्रिका के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री नरेन्द्र देव—

मान्यवर, आज आपको मैंने विशेषाधिकार हनन के बारे में एक सूचना भेजी है। "माया" पत्रिका में मान्यवर, उत्तर प्रदेश शासन .....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

सूचना प्राप्त हो गयी है। परीक्षण हो रहा है।

श्री नरेन्द्र देव—

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है। मान्यवर, इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और गैर जिम्मेदाराना सूचनाएं इस विधान सभा के सदस्यों के बारे में पत्रिकाओं में और अखबारों में दी जाती है और मान्यवर, उसकी सफाई देने का कोई मौका नहीं है। इस तरीके से .....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

इसका परीक्षण होगा।

श्री नरेन्द्र देव—

(व्यवधान)

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

परीक्षण हो जाय, उसके बाद कहिये। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री नरेन्द्र देव—

(व्यवधान)

[× × ×]

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, अभी विशेषाधिकार की व्यवस्था पर आपने मा0 नरेद्र देव जी को सुना, क्या यही नियम सदन के सारे सदस्यों पर लागू करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने इजाजत नहीं दी।

श्री राम आसरे वर्मा—

आपने उनको सुना।

श्री उपाध्यक्ष—

सुना नहीं है, न इजाजत दी है। मैंने उनको सुना नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आपने सुना नहीं। परम्परा यह है कि जो आप सुनते हैं, वही लिखा जाता है। अगर सुना नहीं है तो लिखा नहीं जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

जो हमारी इजाजत के बिना बोलेगा, लिखा ही नहीं जायगा। आप सब बैठिये।

विशेषाधिकार समिति के अष्टम प्रतिवेदन में दी गयी संस्तुतियों के संबंध में सदन द्वारा दिनांक 6 अक्टूबर, 1988 को स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार श्री जयपति नाथ को शास्ति

श्री उपाध्यक्ष—

पहले मैं आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्यों से यह निवेदन कर दूं कि अब हम एक बहुत गम्भीर कार्य करने जा रहे हैं। हमारे सदन का सम्मान और गौरव इसी में है कि हम यहां

नोटः—[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

शांतिपूर्वक बैठें और सिद्ध दोष व्यक्ति की शास्ति उसी गम्भीरता से की जाय जो इस आदरणीय सदन के लिये गौरवमय हो। मार्शल अब कृपया श्री जयपति नाथ को उपस्थित करें।

(सदन में रखे कठघरे में श्री जयपति नाथ उपस्थित हुए।)

श्री उपाध्यक्ष—

आपका नाम क्या है ?

श्री जयपति नाथ—जयपति नाथ

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आप 19 मार्च, 1982 को जिला बस्ती के थाना-त्रिलोकपुर में थानाध्यक्ष के पद पर तैनात थे ?

श्री जयपति नाथ—

जी हां।

श्री उपाध्यक्ष—

दिनांक 19 मार्च, 1982 को आपने जान बूझकर श्री माता प्रसाद पाण्डेय, सदस्य विधान सभा के विधायी कार्यों में अवरोध करने का प्रयास किया, और इस प्रकार आपको मा0 श्री माता प्रसाद पाण्डेय और माननीय सदन की गरिमा के प्रतिकूल आचरण करने एवं विशेषाधिकार की अवहेलना करने के आरोप में सिद्धदोष ठहराया गया है। अतः मैं सदन के नाम पर तथा उसके आदेशानुसार श्री माता प्रसाद पाण्डेय, सदस्य विधान सभा के विशेषाधिकार की अवहेलना करने के आरोप में आपकी शास्ति करता हूं।

मार्शल, इन्हें बाहर ले जायं।

(श्री जयपति नाथ को सदन स बाहर ले जाया गया।)

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय पंत नगर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिये सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर के प्रबंध बोर्ड पर कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे।"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता विधेयक, 1989†

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता विधेयक, 1989 को पुर:-स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता विधेयक, 1989 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता विधेयक, 1989 को पुर:स्थापित करता हूं ।

वन (संरक्षण) (उत्तर संशोधन) विधेयक, 1989†

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, वन (संरक्षण) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 1989 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि वन (संरक्षण) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वन (संरक्षण) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 को पुर:स्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश समान बेसिक शिक्षा, पाठ्यक्रम--उपकरण एवं शुल्क विधेयक, 1989†

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मायवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश समान बेसिक शिक्षा, पाठ्यक्रम-उपकरण एवं शुल्क विधेयक, 1989 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश समान बेसिक शिक्षा, पाठ्यक्रम-उपकरण एवं शुल्क विधेयक, 1989 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश समान बेसिक शिक्षा, पाठ्यक्रम उपकरण एवं शुल्क विधेयक, 1989 को पुर:स्थापित करता हूं ।

---

†दिनांक 4 अप्रैल, 1989 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

आज नियम 56 के अन्तर्गत कुल 20 सूचनायें प्राप्त हुई, जिसमें से 10 सूचनायें चयनित की गयी हैं।

पहली सूचना श्री सूर्यप्रताप शाही, कुंवर मानवेन्द्र सिंह, श्री कामेश्वर उपाध्याय, श्री धन राज यादव, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री हर्षवर्द्धन, श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी, श्री बालेश्वर, श्री कौशिक रमाशंकर, श्री राम शरण दास की श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री गौरीशंकर भैइया की है--दिनांक 30 मार्च, 1989 को जनपद देवरिया थाना खड्डा के ग्राम मरचहवा में जंगल पार्टी के गिरोह द्वारा 13 व्यक्तियों की सामूहिक हत्या एवं आठ लोगों को गंभीर रुप से घायल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। दूसरी सूचना जो कुंवर मानवेन्द्र सिंह की झांसी जनपद में उत्पन्न पेयजल संकट के संबंध में थी (जिसे श्री उपाध्यक्ष द्वारा छोड़ दिया गया) अगली सूचना श्री यदुनाथ सिंह की जनपद मिर्जापुर, थाना चुनार ब्लाक सीखड़ के नेता डाक्टर शिवबालक सिंह की हत्या किये जाने के संबंध में है। चौथी सूचना श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी व श्री राम गोविन्द चौधरी, की--हाई स्कूल, इण्टरमीडियेट तथा उच्च शिक्षा की विभिन्न परीक्षाओं में हो रही सामूहिक नकल के संबंध में है। पांचवी सूचना श्री औसान सिंह की इटावा जनपद में 28 ट्रकों के लूटे जाने तथा एक ट्रक चालक की हत्या किये जाने के संबंध में है। छठी सूचना श्री सरदार सिंह की अलीगढ़ के सहकारिता विभाग के सहायक निबन्धक द्वारा ब्लाक प्रमुख हाथरस के साथ मारपीट किये जाने से उत्पन्न स्थित के संबंध में है। सातवीं सूचना श्री हृदय नरायन दीक्षित जी की है उन्नाव जिले की पुलिस व ग्राम प्रधान की साजिश से व्यापारी को गायब किये जाने एवं उसके परिवारजनों द्वारा विरोध करने पर थानाध्यक्ष द्वारा फायरिंग किये जाने एव फर्जी मुकदमा दर्ज किये जाने के संबंध में है। आठवी सूचना श्री गोपीनाथ वर्मा, श्री बलराम यादव, श्रीमती राम नन्दिनी वर्मा, प्रधान प्रभूदयाल, श्री मुहम्मद आजम खां, श्री मूलचन्द्र, श्री राम जनम, श्री शारदा नन्द अंचल, श्री फागू चौहान, श्री दुर्गा प्रसाद यादव की ग्राम बोड़रा लछिरामपुर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ के प्राचीन राजा परिवार के खानदानी मन्दिर से मूर्ति रखे जाने वाला अष्ट धातु का बना सिंहासन चोरी हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। नवीं सूचना श्री राज किशोर सिंह तथा श्री राम चन्द्र बख्श सिंह की दिनांक 3-4-89 को प्रदेश के असंगठित मजदूरों द्वारा लखनऊ में प्रदर्शन करने हेतु आने पर पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन के बाहर गिरफ्तार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। दसवीं सूचना श्री अशोक बाजपेयी की वर्ष 1989 का लगभग 5 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मेरे वाले का क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपका इसमें आया नहीं, आप बैठें।

(श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री विजय सिंह राणा दोनों सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने लगे, जिससे सदन में घोर-व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग अपने स्थान कर पर बैठें। जब आपका आया ही नहीं, तो फिर क्यों बोल रहे हैं ?

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री सूर्य प्रताप शाही का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रघुबर दयाल वर्मा---

मान्यवर 2 मिनट सुन लें, बड़ा गंभीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष---

गम्भीर और महत्वपूर्ण तो सभी मामले होते हैं, लेकिन आपका आया नहीं है, आप बैठें।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, मैं सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री राम आसरे वर्मा सदन त्याग कर चले गये।)

(श्री शारदा प्रताप, श्री सरदार सिंह, श्री बदन सिंह, श्री मित्रसेन, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री कुशल पाल सिंह आदि कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने लगे जिससे घोर-व्यवधान हो गया)

श्री उपाध्यक्ष---

मैं आप लोगों को इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप लोग आसन ग्रहण करें।

श्री शारदा प्रताप---

मान्यवर, मैं सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री शारदा प्रताप सदन त्याग कर चले गये)

(श्री विजय सिंह राणा तथा श्री रघुवर दयाल वर्मा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करते रहे, जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री उपाध्यक्ष---

तिवारी जी, इन लोगों को आसन ग्रहण करवाइये।

श्री रघुबर दयाल वर्मा---

मान्यवर, मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो मन्त्रीगण इस रैली में जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप अपने स्थान पर बैठें।

श्री रघुबर दयाल वर्मा---

मान्यवर, सरकारी धन का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। आर0टी0 ओ0 से कह दिया गया है कि गाड़ियां मुहैया कराओ।

(श्री रघुबर दयाल वर्मा, श्री शारदा नन्द अंचल तथा श्री बदन सिंह आदि के एक साथ खड़े रहने पर घोर व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह---

मान्यवर, अगर आप आगरा वाले मामले को आज किसी कारणवश नहीं ले पा रहे हों तो उसे कल लेने के लिये कह दीजिए। यह गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष—

कल देने के लिये कोई रुकावट है नहीं।

श्री मित्रसेन—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

आज कृपा करके बठ जायं, जो आप बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जायगा।

श्री मित्रसेन—

[× × ×]

(श्री मित्रसेन सदन त्याग कर चले गये।)

*श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, देवरिया जनपद की एक अत्यन्त ही लोमहर्षक काण्ड, उत्तर प्रदेश के बेहमई काण्ड से भी ज्यादा दिल दहलाने वाली व हृदय बिदारक घटना की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देवरिया जिला नेपाल और बिहार के बार्डर और बड़ी गण्डक नदी के बीच मे जो दोआबा का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में दो जंगल पार्टियां काम करती हैं। उस जंगल पार्टी में से एक जंगल पार्टी ने एक गांव के निर्दोष व गरीब लोग, जिनके पास छप्पर छोड़कर कोई दूसरा रहने का साधन नहीं है, ऐसे लोगों की हत्या 20 लोगों को एक लाईन में खड़ाकर उनके ऊपर राइफलों व बन्दूकों से गोली की बौछार करके कर दी। 8 व्यक्तियों की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई हैं, 5 लोग अस्पताल पहुंचने के बाद मर गये, 8 लोग घायल हैं और एक घायल की कल मृत्यु हो गई है। भेड़ बकरियों की तरह लोग देवरिया जिले में मारे गये हैं। देवरिया जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई है। यही नहीं सारे प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। कुछ दिन पहले दीवानी अदालत के बीचो बीच में, जहां ट्रेजरी और पुलिस चौकी लगी हुई है, उसके 10 कदम पर बम से एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। आज यह माहौल वहां क्यों पैदा हो गया है, इस ओर मैं इस आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं देवरिया जिले का पुलिस अधीक्षक, जो इस जिले से सटे हुए जिला बलिया का रहने वाला है, वहां पर 3 वर्ष से उन्हें नियुक्त कर रखा है। राजनैतिक दबाव की वजह से वह वहां पर है। जंगल पार्टी जैसे असामाजिक गैंग के साथ उसका ताल्लुक है। देवरिया जनपद में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री सी0 पी0 एन0 सिंह के नाती का भी इसी गिरोह ने अपहरण किया था। पुलिस ने जब 1 लाख रुपऐ फिरौती के रूप में दिये तब लड़का वापस किया गया। पडरौना के प्रधान के लड़के का अपहरण किया गया, हरिजन मास्टर के लड़के का अपहरण किया गया, फिरौती देने के बाद भी उसकी हत्या कर दी गई।

उस इलाके के अन्दर आज कानून पूर्णतया समाप्त हो गया है। जहां यह घटना हुई उसके दो कि0 मी0 दूर पी0 ए0 सी0 प्लाटून है। सादिकपुर में प्लाटून है, शिवपुर में पी0 ए0 सी0 की प्लाटून है। वहां की ऐसी गम्भीर स्थिति को देखते हुए ही पी0 ए0 सी0 की यह तीन प्लाटून वहां पर तैनात की गयी थी। खड्डा पुलिस के लोग इन आतंकवादी और असामाजिक तत्वों के साथ घूमती है। गरीब लोगों की सम्पत्ति को हड़पती है और उनकी फसल कटवाती है, जिसके कारण आज वहां भयानक आतंक व्याप्त हो गया है। उस इलाके को छोड़ कर जाने के लिये लोग विवश हो गये है। इस गिरोह का एक आदमी

नोट:—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो ब्लाक प्रमुख रहा है, कुछ माह पूर्व दो लोगों को फर्जी ढंग से पकड़ लिया और उसमें एक की हत्या कर दी और दूसरे व्यक्ति की आंख निकाल दी। उसके बाद एस0 पी0 को टेलीफोन किया। एस0 पी0 तत्काल घटना स्थल पर आया और जिस व्यक्ति की आंख निकाली गई थी, उसकी हत्या कर दी। तब से इन लोगों का और मनोबल बढ़ गया है। पुलिस की साजिश यह सब कुछ हो रहा है, यही कारण है कि डकतों का हौसला दुगना हो गया है। इस तरह की गम्भीर घटना घटी है, कल पर्सों में फिर होने वाली है। डकैत आज भी सरे आम पुलिस के साथ घूम रहे है। एक भी गिरफ्तारी नहीं की है। उस गिरोह का एक आदमी पुलिस की जीप में खड्डा की तरफ जाता हुआ देखा गया। इस घटना के प्रतिशोध में फिर से घटना घटने वाली है। अगर सरकार को निर्देश नहीं दिया तो इससे भी बड़ी घटना घटने वाली है, देवरिया में। मेरा मांग है कि इसकी जांच सी0 बी0 आई0 से कराइए। पुलिस अधीक्षक की जांच सी0 बी0 आई0 से कराइए।

श्री उपाध्यक्ष--

शाही जी, आप समाप्त कर।

श्री बालेश्वर--

मान्यवर, इस घटना की सूचना गृह मंत्री को दी है, राज्य गृह मंत्री को दा है लकिन आज तक कोई तवज्जो नहीं दी है। अपने प्रार्थना-पत्र में लिखा है कि थाना-खड्डा जनपद देवरिया की पुलिस थानाध्यक्ष नौरंग सिंह एवं पुलिस अधीक्षक डा0 ए0 के0 सिंह साथ स्मगलिंग करवाते ह, इसीलिय हत्याकांड हुये है। यह किसी गिरोह या जातिगत मामले की बात नही ह। साखू, सागौन आदि की लकड़ी वहां पर कटती है। नैपाल के रास्ते से चरस, गांजा और हीरोइन की तस्करी होती है। पडरौना से 50 लाख रु0 की तस्करी की जाती है। अभी तक कोई कार्यवाही इसको रोकने के लिय नहीं की गयी है। दो गिरोह है, दोनों गिरोह स्मगलिंग, अपहरण, हत्या और डकती करत हैं। एक रामघासी गिरोह है, जिसको पुलिस अधीक्षक डा0 ए0 के0 सिंह का संरक्षण प्राप्त है। डा0 ए0 क0 सिंह स्वैयं खड़डा से थानेदारों को भज कर स्मगलिंग करवाते हैं। गाजीपुर अफीम फैक्ट्री में चीफ कैमिस्ट विपिन विहारी लाल श्रीवास्तव, को हीरोइन की तस्करी में गिरफतार किया गया था, उस पर मुकदमा चला, उसके बाद उस सजा हुई। उसका सहयोग से पडरौना में तैनात बशर अहमद सब इन्सपेक्टर भारी पैमाने पर तस्करी कराता है। पुलिस तस्करों को भगा दती है और पसा ल लती है। एक दिन दोपहर में स्मगलरों में झगड़ा हुआ, चौराह पर गांजा गिरा, पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़कर ले गयी, पैसा लिया और छोड़ दिया! जानवर इस रास्ते से बिहार में ले जाये जाते हैं और कटते हैं। पुलिस द्वारा रामघासी गिरोह से पैसा लेने का काम किया जाता है। फर्जी इनकाउन्टर के नाम पर नौरंग सिंह थानाध्यक्ष जो कि अभी तीन महीने से खड्डा थान में गया है, पांच लोगों की निमम हत्या कर दी है। 27-3-89 को नौरंग सिंह, जनादन और हबीबुल्ला नाम के दो नौजवानों को ले आये और बड़ी गण्डक नहर के किनारे उनकी हत्या कर दी और मार कर उनको गन्ने के खेत में डाल दिया और इसको इन काउन्टर दिखा दिया गया। ऐसे ही 13 लोगों की हत्या प्रतिशोध लेन के लिये किया गया है। वहां से एक कि0 मी0 की दूरी पर, डेढ़ कि0 मी0 की दूरी पर और 2 कि0 मी0 दूरी पर पी0 ए0 सी0 पड़ी हुई है, लेकिन वहां पर कोई नहीं जाता है। इस घटना की पुलिस को तीन दिन पहले से ही खबर थी, लेकिन कह दिया गया कि वहां पर डाकू का गिरोह पहुंच गया परन्तु इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

मैं कहना चाहता हूं कि डा0 ए0 के0 सिंह और थानाध्यक्ष नौरंग सिंह की जानकारी में इन 13 लोगों की हत्या हुई। मन कहा कि वहां के पुलिस अधीक्षक को हटा दिया जाय, देवरिया के

लोगों ने कहा कि वहां के पुलिस अधीक्षक का हटा दिया जाय, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अभी जसा कि मा0 शाही जी ने कहा है कि पहली अप्रैल को वहां पर कचेहरी में ट्रेजरी के सामने ग्राम प्रधान की निर्मम हत्या की गयी। वहां पूरी जनता में आतंक और क्षोभ का वातावरण व्याप्त है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आज सदन की कायवाही रोक कर इस विषय पर आप चर्चा करा दें।

*श्री जनार्दन प्रसाद, ओझा--

श्रीमन्, मैं अपनी बात कहूं, इससे पहले मै इस (×××) सरकार से इस्तीफे की मांग करता हूं। मुझे कल सबसे पहली बार उस गांव में जाने का मौका मिला था। दो दिन पूर्व विन्ध्याचल गांव में मुझे किसानों की बहुत बड़ी रैली को सम्बोधित करने का मौका मिला था। सरकार का मीडिया बिलकुल बेकार है। रेडियो में जो खबर शाया हुई वह यह कि वहां पर दो गिरोहों की मुठभड़ हुई है, जान बूझ करके लोगों को गुमराह करने के लिये यह बात शाया की गयी है, सच्चाई से परे ल जाने की बात की जा रही है। यह बेहमई से बड़ी भीषण दुर्घटना है। यह नक्सलाईट टाईप की घटना है।

पिछले पांच सालों से उस इलाके में काम करने का मुझे मौका मिला है यद्यपि वह हमारा, क्षेत्र नहीं है। वहां एक-एक आदमी के पास 400-400 सौ एकड़, 500-500 सौ एकड़ भूमि है जिस पर लोग खेती करते हैं, अपन खेतों को बोते हैं, लेकिन जब कटाई का समय आता है तो वे लोग पुलिस से सहारा लेकर खेतों को काटते हैं क्योंकि उस समय लोग प्रतिवाद करते हैं। वहां पर वर्ग संघर्ष है। एक तरफ बड़े लोगों का वचस्र्व है तो दूसरी तरफ छोटे लोग हैं। बड़े लोग वहां पर भूमिपति हैं। छोटे लोगों के पास भी भूमि है और व लोग हैं कोरी, काछी, मल्लाह आदि। इस तरह से वहां पर वग सघष का रूप लोगों ने ले लिया है। छोटे लोगों का संबंध रामद्यासी के साथ है और बड़े लोगों का संबंध वासुदेव यादव के साथ है।

विन्ध्याचल की रोहिंग में करीब दस हजार लोग आये थे। बात इस तरह सामन आयी कि बड़े लोगों ने यदि कटाई की तो हम प्रतिवाद करेंगे। जब वे अपने बदमाशों के साथ खेत काटने के लिये गये तो दूसरे लोग खड्डा थाने पर चले आये। फिर एस0 आई0 जे0 एम0 तिवारी उनके साथ गये तब लोगों ने खेत को काटा। दूसरे दिन खबर मिली, राधे ने आकर बताया जब यह खबर मिली तो उस गांव में एक राधे नाम का आदमी रहता है उसे मुखबिरी करने के लिये पुलिस वालों ने रख रखा था और मान्यवर, जब राधे यहां के हालात की खबर करता है तो मान्यवर, पुलिस वालों की हिम्मत नहीं हुयी कि उसमें वह आते और कुछ कार्यवाही.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया ओझा जी बैठिये, बहुत बात हो गयी, सिर्फ याचना पर बोलना है, कोई चर्चा हो नहीं रही है और अभी लोगों को बोलना.....

(व्यवधान)

नोट--(×××) यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

तो मान्यवर, जब बासुदेव को इसकी खबर मिलती है और जब इस खबर पर वह आता है तो रामबासी वहां से चला जाता है, फिर क्या है फिर मान्यवर, गरीब लोगों का खुले आम नर-संहार होता और यही नहीं मान्यवर वहां पर जो सफेदपोश है, जो बहुत अच्छ समझ जात ह, एक पुरुषोत्तम सिंह ह जिन्होंने वहां क गरीब लोगों की 25 एकड़ भूमि पर कब्जाकर रखा है और उस गांव को.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

अब माननीय ओझा जी कृपा पूर्वक बैठ जाएं, अभी बहुत से लोग है दो दो मिनट के लिये सभी को बुलवा देंगे, कृपया आसन ग्रहण करें, अगर ऐसे ही आप बोलते रहे तो कैसे काम चलेगा?

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

नहीं मान्यवर, यह सदन नहीं चलने देंगे जब तक की वह एस0 पी0 देवरिया को यहां हटाया नहीं जायेगा, और माननीय मुख्य मंत्री यहां पर नहीं आयेंगे, 35 हजार लोगों पर जुल्म हो रहे हैं, खुले आम उनका नर-संहार हो रहा है, लोग इससे भयभीत होकर अपने अपने घरों को छोड़कर जा रहें हैं, अपने खेतों को छोड़कर, मकानों को छोड़कर भाग रहे है, अपनी जान बचाने के लिये। जहां पर मान्यवर 4-4 नदियां पड़ती हैं, 5 कि0 मी0 के दायरे में; एक तरफ उनके बिहार है और दूसरी तरफ नैपाल, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है .....

(व्यवधान)

(समय 1 बजकर 28 मिनट)

श्री उपाध्यक्ष---

अब मा0 ओझा जी विराजें, काफी समय हो गया, अब आप जो बोलेंगे वह लिखा नहीं जायेगा, माननीय हरीश जी।

श्री हरिश्चन्द्र (हरीश जी)---

मान्यवर, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आगे इसकी चर्चा हो या न हो, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस विषय पर जो भी बोलना चाहें, उन्हें बोल लेने दें, हम तीनों आदमी मौके पर होकर आये हैं, इसलिये इन लोगों को पूरी तरह से सुन लीजिये, वैसे जो बातें हो गयी है, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता। कल हम लोग वहां पर मौके पर गये। यह मरचहवा गांव जहां 30 मार्च को बदमाशों ने 13 लोगों को मार डाला है, यह गांव नारायणी नदी के बाये हाथ पर रेतीले मैदान तथा घने जंगलों के लगभग 1 हजार वर्ग कि0 मी0 क्षेत्रफल के बीच में है जहां पर देवरिया जिले के 18 गांव तथा गोरखपुर जिले के 6 ग्राम अर्थात् कुल 24 गांव की 35 हजार लोगों की आबादी, उस घने जंगल में रह रही है, वहां पर मान्यवर, पहुंचना भी आसान नहीं है, क्योंकि बीच में कई नदी नाले पड़ते हैं। मैं स्वयं 125 किलो मीटर गोरखपुर में 19 कि0 मी0 नेपाल की धरती पर, 29 किलो मीटर बिहार प्रदेश मसे तथा 3 कि0 मी0 देवरिया क्षेत्र में चलने के बाद वहां कई घंटे के बाद पहुंच पाया और जैसे ही वहां पर हम लोग पहुंचे है, वहां पर औरतों ने और बच्चों ने पकड़ लिया उन्होंने कहा कि हमको नारायणी के दायें हाथ बसा दिया जाये और कहा कि गैनही, मदनपुर, दामपुर, गोनहा जंगल में उन 24 गांवों को बसा दिया जाये और हमारी जान बचा दी जाये। वहां पर जिन लोगों को

मारा गया है ; उनके खून के धब्बे वहां धरती पर पड़े है, मैं उनकी खोपड़ियों की हड्डियों को लाया हूं (पोलिथन के बैग में खोपड़ियों की हड्डियों के टुकड़े दिखाये') लोगों को भूनकर के रख दिया है। रिपोर्ट है कि खड़ा करके गोलिया मारी गयीं, सीने में मारी गयी। मैं कहना चाहता हूं कि 25–30 आदमियों को मारा गया, जिनमे से 13 लोग उसी समय घटना स्थल पर मर गये और शेष जो 8 लोग बचे, वह अपने जीवन से अस्पताल में जूझ रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि शिवपुर और सोहगा बरबा में एक किलोमीटर की दूरी पर पुलिस और पी0 ए0सी0 की टुकड़ी पड़ी रही, बलही शिवपुर में पुलिस की चौकियां भी हैं। एक किलोमीटर की दूरी पर 3–3 चौकियां हैं और चारों ओर से पी0 ए0 सी0 लगी है और वहां पर बदमाशों का गिरोह उसी दिन नहीं घुसा दो दिन पूर्व से बलहीघटा गांव में रहा और इतने बड़े काण्ड को किया। बदमाश 6 बजे गांव में घुस गये और दो घंटे तक गोलियां चलाई, लेकिन पी0 ए0 सी0 और पुलिस के लोग नहीं आये। यह मामला बड़ा गम्भीर है। सरकार को बिना मांगे इस्तीफा दें देना चाहिये।

मान्यवर, जो ओझा जी ने सदन के सामने रखा है, शाही जी ने रखा है, उससे स्थिति स्पष्ट है, बदमाशों के दो गिरोह इस क्षेत्र में जंगल की लकड़ी बेंत और खेरा की लकड़ी का अवैध रूप से व्यापार करते है, रुपये की उगाही करते है और यही सब उनके धन्धे हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहुंगा कि 8–10 साल से यह धन्धा चल रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी और 13–13 लोगों की जाने चली गयीं। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता कि वहां पर 200 जवानों को, पी0 ए0 सी0 के जवानों को तैनात किया जाये, जिससे उनकी सुरक्षा हो सके, जब तक उनको नारायणी नदी के दायी ओर नहीं बसा दिया जाता है और उनके रहने की व्यवस्था नहीं की जाती है, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाये और जो पुलिस के लोग जिम्मेदार है, उनको हटा दिया जाये और इस घटना की सी0 बी 0आई0 से जांच करायी जाये और जो गोरखपुर और देवरिया के अधिकारी है, जो दोषी है, उनको हटाया जाये। जिन परिवार के लोगों की जाने गयी है, उनको कोई भी अभी तक अहेतुक सहायता नहीं दी गयी है। इनमें से दो विधवायें हैं, जिनके कोई नहीं है और शेष विधवा ओं के 2 साल से 4 साल तक के बच्चे हैं। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि उन लोगों को एक-एक लाख रुपये की सहायता दी जाये। मैं चाहता हूं कि आप केवल इस पर चर्चा ही नहीं, बल्कि सरकार को निर्देश दें कि इस पर गम्भीरता के साथ विचार करे और कार्य-वाही करे।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और माननीय मुख्य मंत्री जी यहां सदन में उपस्थित नहीं हैं। जो एनेक्सी है, उसमें है। यह इस सदन की अवमानना है। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं है तो गृह मंत्री को यहां आना चाहिये। स्थिति साफ होनी चाहिये। बिना उनके चर्चा का कोई मूल्य नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)––

मुख्य मंत्री जी स्वयं वहां पर गये हुये हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

गृह मंत्री जी भी नहीं हैं। वे कहां हैं ?

(व्यवधान)

मान्यवर, एक बात आप यह देखिये। मेरा आपसे आग्रह है कि सदन चल रहा है [illegible] इतना गम्भीर मामला है। मुख्य मंत्री जी अगर वहां गये हुये हैं तो गृह मंत्री जी कहां हैं वे सदन में क्यों नहीं आ रही हैं ? आप इन्हें निर्देशित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष--

गृह मंत्री जी हों तो उन्हें बुला लें।

श्री हर्ष वर्धन--

मान्यवर, इसी से पता चलता है कि शासन कितना संवेदनशील है। गृह मंत्री जी भी इस समय सदन में उपस्थित नहीं है।

श्री राम शरण दास--

क्या आप इसे मजाक के तरीके से ले रहे हैं ? क्यों नहीं गृह मंत्री यहां आ रही हैं ? वे तनख्वाह काहे की ले रही हैं ? जनता मर रही है और आप हंस रहे हैं। कौन जिम्मेदार है ? आप उनको बुलायें। एक तो वैसे ही लोगों को जान जा रही है और इनको गर्म नहीं [illegible] रही है। (× × ×) यह जो राज्य मंत्री सईदुज्जा हैं, ये क्या कह देंगे ? एक दीवान तक को तो हटाने का इनको अधिकार नहीं है। [× × ×

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

श्रीमन्, मेरा आपसे एक निवेदन है.....

(श्री काशी सिंह ऐरी के खड़े होकर कुछ कहने पर)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठें। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

श्रीमन्, मेरा आपसे एक अनुरोध है। संसदीय परम्परा भी यही रही है कि नियम 56 की सूचनाओं को और विशेषकर इस तरह की सूचनाओं को माननीय संसदीय कार्यमंत्री के बजाय सम्बन्धित विभाग के मंत्री जवाब देते हैं। लेकिन यह इतना गम्भीर मामला है कि 13 लोग मर गये हैं, यदि मुख्य मंत्री जी वहां गये हुये हैं तो गृह मंत्री को यहां पर होना चाहिये। वे भी नहीं हैं। क्या इसे आप उचित समझते हैं ? इस तरह के मामलों में सुबह इनके पास सूचना चली जाती है। परम्परा यह रही है कि अगर गृह मंत्री को किसी आवश्यक काम से बाहर जाना था तो उन्हें आपसे अनुमति लेनी चाहिये और उस समय आपको सूचित करना चाहिये था कि उनके विभाग के कार्यस्थगन के मामले में ज्वाइन्ट रिस्पांसिबिलिटी के तहत किसी को अपनी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। यह नहीं हो रहा है। हम आपसे यह व्यवस्था

नोट-- (× × ×) यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

न मांगें तो किससे मांग ? मरी आपसे और इस पक्ष के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि यदि वह सही है कि मुख्य मंत्री जी वहां गय हुये है वे शाम तक यहां आ जायेंगे। तो आप गृह मंत्री को बुलवा लें। बाकी माननीय सदस्यों को भी इसकी ग्राह्यता पर सुन लें और जब गृह मंत्री आ जायं तो वह सरकारी पक्ष रख लें। अन्यथा सरकारी पक्ष का क्या होगा? इसलिये आप इसे आज शाम 4–5 बजे तक स्थगित कर दें या इसे कल ले लें। मुख्य मंत्री जी आ जायं या गृह मंत्री जी आ जायं .....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष––

गृह मंत्री जी का अध्यक्ष जी के नाम एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वे एक आवश्यक कार्य से दिल्ली में रहेंगी और गृह विभाग से संबंधित जो मामले है उनको गृह राज्य मंत्री जी देखेंगे। अध्यक्ष जी ने उन्हें अनुमति दे दी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

सदन की कार्यवाही से ज्यादा और क्या आवश्यक कार्य हो सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष––

अध्यक्ष जी ने उन्हें अनुमति दे दी है।

(व्यवधान)

उन्हें दिल्ली जाने की अनुमति दे दी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

तो आप इस पर चर्चा स्थगित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष––

अभी तो ग्राह्यता पर सुन रहा हूं। चर्चा नहीं हो रही है।

श्री अम्मार रिजवी––

माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी, माननीय रेवती रमण सिंह, माननीय गुप्ता जी तथा माननीय राम शरण दास जी ने तो यह प्रश्न उठाया है। यह घटना मान्यवर, दिल को हिला देने वाली है और माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं वहां गये हैं माननीय तिवारी जी ने कहा कि जब वह आ जांय तब लिया जाय। इस घटना की गम्भीरता को देखते हुये आपसे अनुरोध है कि इसको चर्चा के लिये स्वीकार कर लें मैं पता लगाता हूं आज माननीय मुख्य मंत्री जी एवेलेबल रहते हैं तो आज नहीं तो कल इस पर चर्चा के लिये ले लें, माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं इस चर्चा में मौजूद रहेंगे ताकि माननीय सदस्यगण जो कुछ कहना चाहेंगे कहेंगे जो कुछ कार्यवाही सरकार ने की है वह बता दी जायेगी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष––

कल ले लेते हैं। .....(व्यवधान) कल चर्चा हो जायेगी।

श्री हर्षवर्धन :––

कल कैसे हो जायेगी, आपने मुझे पुकारा है बोलने के लिये।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है बोल लिजिये दो मिनट (व्यवधान) [इनके जिले का मामला है]।

श्री कौशिक रमाशंकर :

या तो आप कहिये कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव मंजूर हो गया है या फिर हमको कहने दीजिये कार्य-स्थगन पर ।

श्री उपाध्यक्ष—

कार्यस्थगन स्वीकार नहीं किया है, चर्चा स्वीकार की है, जैसा तिवारी जी ने कहा और माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा के लिये कहा ।

श्री खानगुफरान जाहिदी—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

माननीय तिवारी जी ने एक बात कही और उस पर संसदीय कार्य मंत्री जी ने सहमति प्रकट करते हुये अपने विचार रख दिये इसलिये अब ग्राह्यता पर ज्यादा बोलने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है (व्यवधान)

श्री शारदानन्द अंचल—वहां लोग तस्करी में लगे हुये हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय अंचल जी आप बैठें । माननीय हर्ष वर्धन जी एक मिनट कह ले उनके जिले का मामले है ।

श्री कौशिक रमाशंकर—

जिन माननीय सदस्यों ने लिख कर दिया है नियम 56 में उनको दो दो मिनट सुन तो लें । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

एक मिनट सुन रहां हूं माननीय हर्षवर्धन जी को पुकारा है ।

श्री हर्षवर्धन :—

मान्यवर, यह देवरिया जिले में आकस्मिक घटना नहीं है पिछले दो सालों से तमाम ऐसी घटनायें हो रही हैं (....व्यवधान).... वहां जंगल पार्टी के लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और पुलिस इंकाऊंटर के नाम पर इन हत्यायों को फर्जी इंकाउंटर का रूप दे रही है । कभी एक पक्ष से रुपया लेती है और कभी दूसरे पक्ष से और हत्याओं को इंकाउन्टर का रूप देती है । पिछले साल ही पुलिस ने देवरहा बाबा जो एक अत्यन्त सम्मानित धार्मिक व्यक्ति वहां के हैं उन्हीं के मंच के नीचे इनके तीन शिष्यों को मार दिया । वहां की पुलिस गुन्डे और बदमाशों को पनाह दे रही है । पिछले साल की रणजीत सिंह जो इसी माननीय सदन के सदस्य थे की हत्या पुलिस द्वारा कराये जाने का मामला यहां पर आया । वहां के एस0 पी0 दरोगाओं से बड़ी बड़ी रकम ऐंठ रहे हैं । यह सिलसिला पिछले दो सालों से वहां चल रहा है । फर्जी इंकाउन्टर दिखाकर कम से कम 15 लोगों को मारा जा चुका है । यह घटना 30 ता0 को हुई । जिस गिरोह

ने यह घटना की है यह वहां एक दिन पहले वहां पहुंच गया इसकी जानकारी वहां की पुलिस को भी थी। मरचहवा गांव में जब यह घटना हुई तो इसकी पुलिस को जानकारी थी 6 बजे से 9 बजे तक 10 बजे रात तक बदमाश गांव में रहे। वहां का थानाध्यक्ष नौरंग सिंह जो इनकाउन्टर का स्पेशिलिस्ट है बदमाशों से पैसा वसूल करता है। उनको वह प्रश्रय देता है। इसीलिये हत्या के बाद भी वह त्वरित कार्यवाही नहीं किया।

इसके चलते देवरिया की जो घटना हुई है इस पर चर्चा कल नहीं बल्कि आज ही करायें यह मैं मांग करता हूं।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, देवरिया में जो 30 तारीख को नरसंहार हुआ उसमें उ0 प्र0 सरकार का शांति व्यवस्था के नाम पर जो खोखलापन है उसको उजागर कर दिया है और गृह विभाग के निकम्मेपन को स्पष्ट रूप से सामने रख दिया है। मान्यवर, यह भी स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में शासन प्रशासन नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। पुलिस के भरोसे कोई व्यक्ति वहां नहीं रह रहा है अपितु अराजकतत्वों अपराधी और गिरोह बंद तथा बदमाश लोगों के हाथों में गांव के लोग रह रहे हैं। वहां जो कांड हुआ है उसके लिये एस0 पी0 और एस0 एस0 पी0 जिम्मेदार हैं। एस0 पी0 वहीं के पड़ोस का रहने वाला है। वहीं उसकी पास में ससुराल है और 10 वर्षों से यह देवरिया से जुड़ा है, इसलिये मांग करता हूं कि इसको तत्काल सस्पेंड करना चाहिये था और गृह मंत्री को तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिये चाहे सरकार बाद में दे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें। आप बैठ जांय।

श्री कौशिक रमाशंकर—

इसलिये इस मामले पर आज ही चर्चा आप स्वीकार करें और चर्चा करायें।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, 30 तारीख को जो वह घटना हुई है देवरिया में उसमें मैं कहना चाहता हूं कि इस घटना में 20 लोगों को खड़ा करके गोलियों से मार दिया गया जैसा कि अभी यहां बताया गया है। मान्यवर, घटना के पीछे क्या है, जैसा श्री हर्षवर्धन जी ने बताया कि दो वर्षों में 15 लोगों की हत्यायें की गयी हैं। इसमें एस0 एस0 पी0 का पूरा हाथ है, वह सारे अपराधी तत्वों को संरक्षण देते हैं और उन लोगों से करोड़ों रुपये खैर की अवैध लकड़ी कटवा और बिकवा कर हिस्सा लेते हैं। मान्यवर, दो महीने पहले एक घटना हुई जिसमें दो आदमियों में एक की ओमप्रकाश नाम के व्यक्ति ने आंखे फोड़ी और एस0 एस0 पी0 ने अपने हाथों में पट्टी बांधकर फर्जी मुठभेड़ दिखाकर उसकी हत्या कर दी और दूसरे व्यक्ति को भी इन लोगों ने हत्या कर दी। इससे अराजकतत्वों का हौसला बढ़ गया है। मान्यवर, देवरिया में जंगल पार्टी के सहयोग और निर्देशन में एस0 पी0 काम कर रहा है। यदि अब भी वहां नियंत्रण नहीं किया गया तो सैकड़ों लोग वहां मारे जायेंगे। वहां का डी0 एम0 तीन दिनों के बाद घटनास्थल पर पहुंचा, इसलिये डी0 एम0 का वहां से स्थानान्तरण होना चाहिये और एस0 एस0 पी0 को सस्पेंड करे और मैं चाहता हूं कि सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस मामले पर आज ही चर्चा करायें।

श्री गौरी शंकर भइया---

मान्यवर, देवरिया में जंगल पार्टी की तरफ से आज के दो वर्ष पहले बच्चों और आदमियों को उठाकर ले जाने का काम किया जाता था और इसके पहले हत्या करने का काम नहीं किया जाता था लेकिन दो वर्ष पहले वहां जो स्थिति हुई थी उसके संबंध में बताना चाहता हूं कि रामबासी गिरोह के लोगों ने कुछ लोग जो नाव से खैरा लकड़ी ले जा रहे थे उनको लूटा और दूसरे किनारे पर पहुंचने पर गिरोह के लोगों ने तीन लोगों की हत्याएं कर दी और जब से यह हत्याओं का सिलसिला जारी है। मान्यवर, यह हत्याकांड भू-स्वामित्व और फसल जिन्होंने उगाई थी उनमें टकराव के कारण हुआ। भूतपूर्व ब्लाक प्रमुख यादव थे जिनको सैकड़ों एकड़ भूमि गांव के आस पास है और जो काइरी जाति के गरीब लोग हैं। उन लोगों ने वहां पर गन्ना बोने का कार्य किया है, यह अपने गुंडे लेकर वह फसल कटवाने का कार्य करना चाहते थे। इसके पहले हजारों गरीब किसानों की एक भारी बैठक हुई थी और उन्होंने उसके अनुसार ऊपर पत्रक दिया था कि कोई गम्भीर घटना होने वाली है, हम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हमारे जान माल की समुचित रक्षा की जाए। इसकी उन्होंने जिलाधिकारी को भी सूचना दी थी। किन्तु उनके जानमाल की परवाह नहीं की गयी और इसके चलते जंगल पार्टी के नेता ने यह लोमहर्षक कार्यवाही आकर की 13 लोगों की हत्या कर दी गयी।

दो वर्ष से जंगल पार्टी का नाम आंतक, लूटमार और हत्याकाण्ड के लिये उठ रहा था, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस दो वर्ष में उन्हें नियन्त्रित करने के लिये सरकार की ओर से कौन सा प्रयास किया गया। इसमें सीधे सीधे खैरा लकड़ी के स्मगलिंग का मामला है और उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे हुए कुछ लोग और मंत्री खैरा लकड़ी को लेकर उसकी स्मगलिंग नैपाल और दूसरी जगहों पर करा रहे हैं। इसलिये उस जंगल पार्टी को अनियन्त्रित छोड़ रखा गया है। उस पर काबू पाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसके पूर्व, मान्यवर, आपने एक घंटे की चर्चा स्वीकार की है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन आज इस पर सदन कार्य रुकना ही चाहिये और इस पर यहां गंभीर विचार होना चाहिये इसको आप नियम 56 में स्वीकार करें। हम यह मानने के लिये तैयार नहीं है।

श्री रामशरण दास---

जंगल पार्टी का जिक्र गौरी भइया कर रहे हैं, किन्तु इस पूरे राज्य में जंगल राज्य है। यहां कोई राज्य चल रहा है तो वह जंगल राज्य है। यह सब (× × ×) बैठे हुए हैं। इनके कोई (× × ×) नहीं है। उन्होंने अपराधियों और गुन्डों को असलहा के लाइसेंस दे रखे हैं और भले व्यक्तियों के जान माल की इन्हें जरा भी परवाह नहीं है। यह उनके जान माल की रक्षा नहीं कर पा रहे है। अभी शाही जी ने जो मामला उठाया। मैंने उनसे पूछा था। इसमें मुठभेड़ फर्जी बताई गयी है। मुठभेड़ में तो एक 80 साल का आदमी था। वह कौन डकैत था? 80 वर्ष का आदमी क्या लाठी और बल्लम लेकर लड़ने जाता है? वहां का जो एस0पी0 है, सिपाही के लिये तो आपका कानून है कि वह अपने जिले में नहीं रह सकता है, बलिया का रहने वाला है और देवरिया में वहीं का वहीं बना हुआ है। वह किसी मंत्री का रिश्तेदार है, तभी उसे पूरी तरह छूट मिली हुई है। इसके अलावा वहां का एक नौरंग सिंह दरोगा है, वह लूट कर खा रहा है। इसलिये कहता हूं कि प्रदेश में कोई डेमोक्रेसी नहीं है

नोट:---(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जंगल राज्य है। इन के कार्यों की जितनी भी निन्दा की जाए सब कम है। इन 24 गांवों की 35 हजार आबादी की सुरक्षा के लिये आप जो कुछ कर सकें, करें। यह गृह मंत्री जो आपकी हैं, जिसको यहां आने में शर्म आती है, उसको तुरन्त हटाया जाए और उसका इस्तीफा लिया जाए और इस एस0 पी0 का भी इस्तीफा शीघ्र लिया जाए।

श्री सूर्य प्रताप शाही---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपसे यह अनुज्ञा चाहता हूं कि कार्य स्थगन के रूप में मेरे प्रस्ताव पर चर्चा कराने का आप कष्ट करें.....

श्री उपाध्यक्ष---

इसको तो पहले ही अस्वीकार कर दिया है। इसको मैं पहले ही अस्वीकार कर चुका हूं।

श्री सूर्य प्रताप शाही---

मान्यवर, यह तात्कालिक घटना है, 7 दिन के भीतर की है और इसमें सदस्यों के विचारों को आपने सुना है।

श्री उपाध्यक्ष

मैंने इसको सुन लिया है और बहुत पहले अस्वीकार भी कर चुका हूं.....

(व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाह्दी---

मान्यवर, यह किस नियम में व्यवस्था का सवाल उठा रहे हैं।

---(घोर व्यवधान")

श्री शारदानन्द अंचल---

वहां पुलिस नहीं जा रही है इस कारण यह घटना हुई है।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को बेनकाब कर रहा हूं 21 तारीख को 6 बजे यह घटना हुई, और इसमें कुछ नहीं हुआ है हम जानना चाहते हैं कि इसमें क्या सूचना सरकार के पास हैं? क्या--क्या राहत इसमें पहुंचाई गई यह मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं?

श्री कौशिक रमाशंकर---

सरकार की तरफ से कोई सही उत्तर नहीं आ रहा है इसलिये मैं सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री कौशिक रमाशंकर सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

इन्होंने इसमें कुछ नहीं किया है। इसलिये मैं भी सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री रामचन्द्र बख्श सिंह भी सदन त्याग कर चले गये।)

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

आपने एक घंटे की चर्चा स्वीकार की है इसका मैं स्वागत करता हूं। मान्यवर, अगर कल इस चर्चा को चार-पांच बजे रख दिया गया तो यह चर्चा नहीं हो पाएगी, तो मान्यवर इसको प्रश्नोत्तरकाल के तुरन्त बाद रख लें।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें जैसा कार्यमंत्रणा समिति का निर्णय होगा वही किया जायगा।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीशजी—

मान्यवर, यह दोनों गिरोह 24 गावों को अपना पनाह घर बनाए हुए हैं एक ग व अगर एक गिरोह को ठहरा देता है तो दूसरा गिरोह उसको मार देता है व ठहराने के लिये मजबूर है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह क्या व्यवस्था हो रही है?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर चर्चा कराने को बात तो अपनी जगह है लेकिन मान्यवर माननीय सदस्यों ने जो सूचना दी है, वह यह है कि वहां पर आतंक बना हुआ है, कोई सहायता वहां नहीं पहुंचाई जा रही है। अब तक कोई गिरफ्तारी भी वहां नहीं हुई है। शाही जी ने अभी एक ऐसी बात बताई कि इसका अभियुक्त दरोगा के साथ जाते हुए दिखाई दिया तो सरकार की तरफ से इसमें जानकारी मिलनी चाहिये। इसमें सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली। चर्चा जो है वह अपनी जगह है और हमारा अधिकार जो है वह अपनी जगह है। हम नियम 57 में कोई प्रस्ताव लाते हैं तो कार्यस्थगन की सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो हमें यह जानने का अधिकार है कि वहां पर क्या कार्यवाही हो रही है, हमें इस बात की सरकार से जानकारी मिलनी चाहिये।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, एक निवेदन है कि नारायणपुर कांड की एक मामूली सी घटना हुई थी उसको लेकर इस सरकार में जो लोग बैठें हैं इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को भंग किया गया था और आज इतनी नैतिकता भी नहीं है, यह लोग सामूहिक जिम्मेदारी पर बैठें हैं लेकिन कोई आदमी सूचना देने को तैयार नहीं है कि जो लोग मारें गये हैं उनको क्या राहत दी गयी है। यह सूचना यह नहीं दे रहे हैं, तो इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन से वाकआउट करता है।

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री अम्मार रिजवी—

पी0 ए0 सी0 वहां लगा दी गई है, ताकि इसकी पुनरावृत्ति न होने पाए। वहां रिहैबिटेट करन का प्रयास किया जा रहा है। वहां 3 कम्पनी पी0 ए0 सी0 लगायी गयी है।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

केवल 10 पी० ए० सी० के जवान वहां पर हैं।

श्री अम्मार रिजवी—

वहां 3 कम्पनी पी० ए० सी० लगायी गयी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार वहां पर पी० ए० सी० का बल नहीं है। इस घटना के 12 घंटे बाद वहां पर पुलिस कर्मी पहुंचे हैं। अभी किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी है। जिन लोगों को क्षति पहुंची है उनको कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गयी है और न वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था की गयी है। लोगों को राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। जंगलपार्टी के लोग नृशंश हत्यायें कर रहे हैं। सरकार के इस रवैये के खिलाफ मैं अपने दल के लोगों के साथ बहिर्गमन करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्य के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, चुनार थाने के अन्तर्गत मिर्जापुर जनपद में बनारस यूनीवर्सिटी से पी० एच० डी० किये हुये डा० शिवबालक सिंह की निर्मम हत्या कर दी गयी। 28 सितम्बर को एक ऐसे व्यक्ति की हत्या कर दी गयी जो हमारा बहुत अभिन्न व्यक्ति रहा है। हार्टी-कल्चर से पी० एच० डी० किये हुये व्यक्ति की जिस तरह से हत्या हुयी उससे मैं निश्चित रूप से महसूस करता हूं कि किसी साजिश का इसमें हाथ है। इस घटना के बारे में मुख्य मंत्री, गृह मंत्री और राज्य गृह मंत्री को बताया गया, सारी स्थिति को बताया गया लेकिन अभी तक हत्यारों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि कोई ला–एंड–आर्डर नहीं रह गया है। आज (×××) कायम है। मैं काफी समय से वहां एम० एल० ए० हूं, 8–9 साल से वहां कोई हत्या नहीं हुयी है। लेकिन इस हत्या से वहां के जनमानस में दुःख पैदा हो गया है। उनके हत्यारों का आजतक पता नहीं लगाया जा सका है। किसी तरीके से पुलिस ने उनके भाई को बुलाकर एक नाम जद रिपोर्ट करवा ली कोर्ट और सही हत्यारों का पता नहीं लगाया जा रहा है। चूंकि इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है इसलिये मैं यह कार्य स्थगन का प्रस्ताव लाया हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हार्टीकल्चर में पी० एच० डी० किये हुये डा० शिव बालक सिंह की शव यात्रा मे 10 हजार से ज्यादा लोग शामिल हुये। सब लोगों की भावनाओं को देखते हुये इस मामला की जांच कम से कम सी० बी० आई० से कराइये। इस हत्याकांड का पता लगाने के लिये पुलिस कोई कार्य नहीं कर रही है। वहां थाने के इंचार्ज शिव शंकर सिंह को बदला गया उसके बाद दीनानाथ शर्मा को बदला गया। एक महीने में दो बार थानाध्याक्षों को बदलने से पुलिस संदेह के घेरे में है। वहां जनता के लोग जगह जगह सभायें कर रहे हैं और लोगों में रोष व्याप्त है। डा० शिव बालक सिंह जैसे व्यक्ति की हत्या होना मैं समझता हूं कि शासन को इसमें गंभीर रुख अपनाना चाहिये और शासन को इस पर वक्तव्य देना चाहिये।

नोट:—(×××) यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)--

माान्यवर, इस मामले की जांच करायी जा रही है और मुलजिमों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायगी। अगर इस जांच से माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं होंगे तो सी० आई० डी० से जांच कराने पर विचार कर लिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है।

श्री यदुनाथ सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, जांच से यदि मैं संतुष्ट होता तो कार्यस्थगन प्रस्ताव क्यों लाता ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य, सी० आई० डी० जांच की मांग कर रहे हैं कि सी० आई० डी० इन्क्वायरी करा दीजिये।

श्री सईदुज्जमा--

मान्यन्वर, इसमें जरा परीक्षण करने का मौका दीजिये।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, अगर आपके निर्देश हों तो करा दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

मेर निर्देश नहीं हैं, उन्होंने मांग की है।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर निवेदन यह था कि पुलिस की जांच हो रही है। उसको हो जाने दीजिये। उसके बाद माननीय यदुनाथ सिंह यदि चाहेंगे तो सी० आई० डी० की जांच करा ली जायगी।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर आपके निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कह रहे हैं कि उस जांच से संतुष्ट नहीं होंगे, तो सी आई० डी० से जांच करा लेंगे।

श्री नरेन्द्र देव--

मान्यवर, उसमें माननीय सदस्य कह रहे हैं कि गलत एफ आई० आर० हुई है, इसलिये सी० आई० डी० की जांच अत्यन्त आवश्यक है।

श्री अम्मार रिजवी--

ठीक है मान्यवर, सी० आई० डी० से जांच करवा ली जायगी।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, निचले स्तर से लेकर हाईस्कूल, इन्टरमीडिएट तथा उच्च शिक्षा की विभिन्न परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर सामूहिक नकल तथा ठेके पर नकल कराने की घटनाओं में प्रदेश व्यापी वृद्धि हो रही है। समस्या का सर्वाधिक व दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि इस कार्य में

शिक्षा विभाग के अधिकारियों, प्रबन्धतंत्र और प्रशासनिक अधिकारियों और बहुत बड़े पैमाने पर स्वयं अभिभावकों की समान रूप से भागीदारी रहती है। जनपद फर्रुखाबाद में हाई स्कूल की परीक्षा में नकल करने वालों व फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ने की कोशिश में एक अप्रैल, 1989 को प्रातः परीक्षा की पहली पाली में सचल दस्ते के सदस्यों द्वारा जिसमें परगनाधिकारी, सह जिला विद्यालय निरीक्षक व अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी भी शामिल थे परीक्षार्थियों के परिचय पत्र व फोटो आदि का मिलान करने पर छात्रों ने सचलदल के लोगों पर हमला बोल दिया, जिसके परिणामस्वरूप बाद में गोली चली, और परगनाधिकारी सदर का चपरासी, एक अमीन तथा एक अध्यापक गोली लगने से गम्भीर रूप से घायल हो गये हैं। इस घटना से समूचे जनपद फर्रुखाबाद में क्षोभ व आतंक व्याप्त हो गया है और प्रदेश के अन्य भागों में भी परीक्षा निरीक्षकों में भय एवं असुरक्षा की भावना पैदा हो गयी है। अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस निश्चित विषय पर सदन में काम रोको प्रस्ताव उपस्थित करने हेतु मान्यवर, आपकी अनुज्ञा चाहता हूं।

मान्यवर, शिक्षा विभाग में शिक्षक एवं आचार्य की जिम्मेदारी होती है वे छात्रों के जीवन को सफल बनावें। आज समाज को विकसित करने में उनकी अग्रणीय भूमिका सुनिश्चित करें, परन्तु इसके ठीक विपरीत ये लोग छात्रों से पैसा लेकर सामूहिक नकल कराने तथा उनकी कापी बाहर लिखवाने का काम करते हैं। इसमें प्रबन्ध समिति के लोग तथा इन्सपेक्टर आफ स्कूल के साथ ही शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी भी शामिल हैं। एक-एक लड़के से 5 हजार, 10 हजार रुपये लेकर नकल कराने का काम कराया जा रहा है। इसमें जो लड़के सम्पन्न होते हैं तथा धनी परिवार के होते हैं, तो वे पैसा देकर नकल करके पास हो जाते हैं और जो लड़के निर्धन परिवार के होते हैं और तेज होते हैं, तो वे इस अव्यवस्था में न लिख पाते हैं और न ही अपनी पूरी योग्यता को प्रदर्शित कर पाते हैं, इसलिये अधिकांशतः लड़के फेल हो जाया करते हैं। इससे छात्रों में भी दो वर्ग, गरीब और धनी की परम्परा की शुरुआत शिक्षा विभाग में हो रही है; जो अत्यन्त ही गलत है। इसी के परिणामस्वरूप अभी 1 अप्रैल को फर्रुखाबाद जनपद में सचल दस्ते ने परीक्षा केन्द्रों पर जांच प्रारम्भ किया, वहां के आचार्य तथा प्रबन्ध समिति के लोगों ने मिल कर जो पैसे से नकल करवा रहे थे, उस पर जबरदस्ती हमला करवाया गया, जिसमें लाठी-डंडे के अलावा अंधाधुंध फायरिंग की गयी। इसमें एस0 डी0 एम0 का चपरासी तथा ड्राइवर घायल हो गया, तथा एस0 डी0 एम0 को स्वयं चोटें आईं। इसमें एस0 डी0 एम0, जिला विद्यालय निरीक्षक, सह जिला विद्यालय निरीक्षक स्वयं मौजूद थे। अभी कलही उन्नाव जिले में भी सचल दस्ते पर फायरिंग की घटना घटी है विभाग के शिक्षक, आचार्य तथा शिक्षा अधिकारियों से जनता और निरीह छात्रों का विश्वास उठता जा रहा है। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है। अतः मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि इस सदन की शेष कार्यवाही आज रोक कर इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

श्रीमन्, आज जो यह नकल का प्रकरण है, यह पक्ष और विपक्ष की समस्या नहीं है। आज हमारे प्रदेश की यह समस्या हो गयी है और श्रीमन् सभी लोग जानते हैं कि जुलाई से ही इसकी व्यवस्था शुरू हो जाती है कि किस तरह से नकल का अवसर मिले, कहां से फार्म भरना होगा, कौन सा सेन्टर होगा, जहां से नकल करने की सुविधा होगी ? मान्यवर, वहां से लेकर प्रबन्ध समिति तक की इसमें भागीदारी होती है। अब तो परीक्षा

केन्द्रों में आपके गार्जियन भी मिलते हैं, जो वहां पर अपने बच्चे और बच्चियों को नकल करवाने के उद्देश्य से जाते हैं। आज इस मसले पर सारे लोगों को चिन्तन करना होगा। जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट और हायर एजूकेशन तक यह बातें हो रही हैं। इसके कारण ये जो विद्या के मंदिर थे, ये अराजकतत्व के केन्द्र बिन्दु बन गये हैं। आज सूबे के हर जिले में यह घटनायें हो रही है। नकल करने से रोकने का जो प्रयास कर रहा है, उनका जीवन खतरे में है। मैं चाहता हूं कि इस मामले में आज की सदन की कार्यवाही रोक कर दोनों पक्ष मिल कर कोई समाधान निकालें कि आज की स्थिति में किस तरह से परिवर्तन लाया जाय। वह परिवर्तन जो गुणात्मक हो, जिसमें इस पर काबू पाया जा सके।

(कुंवर मानवेन्द्र सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

मानवेन्द्र सिंह जी, आपके 2 सूचना पर दस्तखत है तो एक को स्वीकार कर दिया और एक को छोड़ दिया गया है।

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)---

मान्यवर, जहां तक परीक्षा केन्द्रों का सम्बन्ध है इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे विद्यालय एवं हमारे परीक्षा केन्द्र यह एक मंदिर के समान हैं, ज्ञान के केन्द्र हैं, प्रकाश के केन्द्र हैं यहां का वातावरण सम्पूर्ण रूप से पवित्र, सुन्दर, स्वच्छ एवं निर्मल होना चाहिये इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों एक मत हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे विद्वान सदस्यों ने इस बात के ऊपर ध्यानाकर्षण किया है लेकिन मैं उनको यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि शासन इस संबंध में कटिबद्ध है कि हमारे विद्यालयों एवं शिक्षा केन्द्रों का वातावरण पवित्र एवं स्वच्छ हो और हम उन केन्द्रों से किसी प्रकार की अपवित्रता या भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये कटिबद्ध हैं। मान्यवर, इसके लिये मैं आपको आश्वासन देती हूं कि इसके लिये शासन पूरी तरह से व्यवस्था कर रहा है और जो हमारी वर्तमान परीक्षाएं हो रही है उनके सम्बन्ध में कि इनमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो समय समय पर निर्देश दिये गये हैं। एक तो 18 फरवरी, 1989 को विस्तृत निर्देश मंडलीय उप शिक्षा निदेशक को दिये गये और उसकी प्रतिलिपि जिला विद्यालयों निरीक्षकों तथा बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दी गयी। इसी प्रकार 4 मार्च, 89 को टैलेक्स द्वारा सभी अधिकारियों को सूचित किया गया इसमें केवल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ही नहीं बल्कि पुलिस के अधिकारियों को टैलेक्स द्वारा उनके सहयोग लेने की आकांक्षा की गयी। मान्यवर, मैंने स्वयं कई शिक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया और जो मुझे वहां पर अनुभव हुआ, वह मैं बता रही हूं यह करना कि सामूहिक नकल बड़े पैमाने पर हो रही है इसका मैं खंडन करती हूं। मैं यह मानती हूं कि कहीं कहीं पर बच्चे करते हैं।

(श्री गोपीनाथ वर्मा द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

मान्यवर, मुझे बात तो कहने दें। मैंने कई बार परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया। हमारे सचल दस्ते भी हैं और हमारे प्रत्येक परीक्षा केन्द्र में इस प्रकार कहीं कहीं पर नकल लड़के करते हैं तो लड़के पकड़े भी गये हैं। मान्यवर, जहां 20-22 लाख के लगभग बालक और बालिकाएं परीक्षा दे रहे हैं उसमें से केवल अब तक 19530 बालकों को जो एक प्रतिशत भी नहीं है वह नकल के बारे में संदिग्ध केसेज में पाये गये हैं। मान्यवर, जहां 20-22 लाख के करीब परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे हों, वह बिना अध्यापकों के, प्रधानाचार्यों के अभिभावकों के सहयोग के नहीं हो सकती है। उनके सहयोग से हम इतनी बड़ी परीक्षा जो पूरे विश्व में इतनी बड़ी परीक्षा कहीं न हो, वह हमारे अध्यापक वर्ग के सहयोग से करायी जा रही है। यह जो आपके सुझाव आय हैं उनको मैं गौर करूंगी आप सुझाव दीजिये,

हमें अपना सहयोग दीजिय। सारे पक्ष विपक्ष और अभिभावक सहयोग दें ताकि हमारे बालक, बालिकाओं का नैतिक स्तर ऊंचा हो पवित्रता स भगवान को साक्षीकर अपनी परीक्षा दें। फर्रुखाबाद के विषय में कहा गया, मैं उसके विषय में कार्यवाही करूंगी।

श्री उपाध्यक्ष—

अब छोड़ दीजिये।

श्री ओसान सिंह—

मा0 उपाध्यक्ष महोदय, जिस घटना को लेकर मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव आपके माध्यम से दिया है, वह मान्यवर, इटावा क इतिहास में सबसे क्रूर मानी जायेगी। यह हृदय विदारक घटना है। मान्यवर 28 तारीख की शाम को आगरा से कानपुर रोड पर, जिस पर हमेशा दूर चलने वाले ट्रक माल लेकर जाते हैं, उन ट्रकों को 28 तारीख को सशस्त्र बदमाशों द्वारा रोड पर पेड़ काट कर रोक कर लूटा गया और 28 ट्रकों को लूटा गया। इससे एक ट्रक ड्राइवर की घटना स्थल पर मृत्यु हो गयी। और कई ट्रक ड्राइवर और परिचालक घायल हो गये। जब 27 ट्रकों को बदमाश लूट चुके और अट्ठाइसवें ट्रक के ड्राइवर को, ट्रक का नम्बर 6177 है, उसके ड्राइवर को अन्दर से खींचा और उसके रुपये ले लिये। इसके बाद और ज्यादा रुपया मांगने पर ड्राइवर और मालिक दोनों ने कहा कि और रुपया नहीं है, तो उनको मारने लगे और बन्दूक से फायर कर दिया जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी। इस घटना से मान्यवर, सारे क्षेत्र में दहशत व्याप्त है। इसी बीच में बदमाशों ने इटावा से औरैय्या जाती हुई एक टोयोटा नम्बर 8440 को भी लूटा। आप देखें कि इसमें पूरा पुलिस का हाथ है। टोयोटा नं0 8440 को बदमाशों ने लूटा और उसके बाद लूट का माल भी वापस कर दिया, क्योंकि वह डी0 सी0 एम0 टोयोटा गाड़ी लोकल इटावा की थी। निश्चित रूप से उस टोयोटा के मालिकों की बदमाशों से सांठ-गांठ थी। उसके मालिकों ने बदमाशों को पहचान लिया था, इसलिये बदमाशों ने लूट का सारा पैसा वापस कर दिया। इतनी हृदय विदारक घटना की पुलिस द्वारा रिपोर्ट भी नहीं लिखी गयी। 28 ट्रकों की लूट हो गयी, बकेवर और अजीतमल थानों के बीच में, अनन्तराम और मुहारी गांवों के बीच में कुंजीपुरा गांव के पास में अजीतमल और बकेवर थाना पास में पड़ता है। वहां कई घंटों तक लूटपाट होती रही। बीस किलोमीटर तक रोड जाम हो गयी, लेकिन कोई पुलिस का सिपाही तक नहीं पहुंचा। इसमें वहां के पुलिस कप्तान का हाथ है।

इटावा जनपद में आग लगी हुई है। प्रकाश सिंह, वरिष्ठ पुलिस कप्तान केन्द्र के एक वरिष्ठ मंत्री का रिश्तेदार है और उनके संरक्षण में पल रहा है। चोरी, डकैती और राहजनी से पूरा जनपद जल रहा है। सटे पड़े जुआघरों और शराब ठेकों से लाखों रुपये माहवार वरिष्ठ पुलिस कप्तान वसूल करता है और थानों को नीलाम करता है। मेरी सरकार से मांग है कि अभी एक घटना देवरिया की हुई, यदुनाथ सिंह जी ने मिर्जापुर का मामला आपके सामने रखा। इटावा में भी ऐसा ही एक बड़ा काण्ड होने जा रहा है। निश्चित रूप से भविष्य में काण्ड हो जायगा। विधूना में लोगों ने होली नहीं खेली। वहां होली के दिन दहाड़े एक व्यक्ति की हत्या हो गयी। एक दूसरे व्यक्ति पर सिनेमाघर में कातिलाना हमला हुआ। दो व्यक्तियों की हत्या हुई। मेरा क्षेत्र जल रहा है। मैं प्रार्थना करूंगा कि यह तात्कालिक विषय है। इसी 28 तारीख की घटना है। इस पर काम रोक कर चर्चा करावें। मैं आपके माध्यम से मा0 गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग करता हूं। मा0 नारायण दत्त तिवारी को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है।
आज हमारे उत्तर प्रदेश में जंगल का राज्य है। डकैतों का राज्य है। कानून का राज्य नहीं है। पुलिस और गुण्डों का राज्य है। मान्यवर, गांव गांव, जगह जगह लोग इस तरह

से असुरक्षित हैं, भयभीत हैं और परेशान हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं। कि इस पर काम रोक कर चर्चा कराई जाय और इतनी बड़ी घटना की जांच कराई जाय। ताज्जुब की बात है कि इतनी बड़ी घटना पर रिपोर्ट तक नहीं लिखी गयी। सारे ट्रक ड्राइवर, कोई उदयपुर का है, कोई राजस्थान का है, अब उनको बहलाकर, फुसला कर रवाना कर दिया गया है। अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हो रहा है। पुलिस के संरक्षण म लूट हो रही है.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

औसान सिंह जी अब आप कह चुके, सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय औसान जी, आप बैठें। माननीय सईदुज्जमा जी खड़े हो गये हैं।

श्री औसान सिंह—

उस डो० सो० एम० टोयोटा गाड़ी में कौन था, उसकी जांच करवाये। मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि इस प्रकरण पर सदन में चर्चा करायी जाय।

श्री सईदुज्जमा—

मान्यवर, मामल की गंभीरता को देखते हुए जांच तत्परता से करायी जा रही है। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मामले की गंभीरता को नहीं देखा जा रहा है। मामले की एफ० आई० आर० भी नहीं लिखी गयी है, औसान सिंह जी ने अभी इस पर काफी प्रकाश डाला।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने इसे गंभीर बता दिया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इसकी 10 बजे सूचना मिल गयी थी अब ढाई बज रहे हैं। हाटलाइन लगा हुआ है। राज्य मंत्री जी को मामले की पूरी जानकारी नहीं हो पायी। इससे बड़ी निर्लज्जता की बात दूसरी और क्या होगी। मान्यवर, यह कैसी स्थिति है? माननीय औसान जी ने आरोप लगाया है कि वहां पर एक टोयटा गाड़ी थी जो षडयंत्रकारियों से मिली हुई थी। मामले की एफ० आई० आर० नहीं लिखी गयी। मान्यवर यह गंभीर मामला है।

श्री सईदुज्जमा—

मान्यवर, हाटलाइन और टेलीफोन से कोशिश की गयी। लेकिन सूचना अभी तक नहीं प्राप्त हुई है। गंभीरता से इसको कराया जायेगा, आपको संतुष्ट किया जायेगा। इसमें कार्यवाही सख्त की जायेगी।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिये प्रधानमंत्री बहुत जोर दे रहे हैं। पर पंचायती राज के चुनाव हुए, ब्लाक प्रमुख के चुनाव हुए, जिलापरिषद् के

चुनाव हुए। चेयरमैन चुने गये सदस्य चुने गये। सरकारी कार्यालयों में जनता के कार्य के लिये उन्हें जाना पड़ता है। राज्यमंत्री सहकारिता ने लिखा सचिव के स्थानान्तरण के सबंध में। हाथरस के ब्लाक प्रमुख सत्यपाल सिंह....

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य शांति बनाये रखें।

श्री सरदार सिंह—

वे ए0 आर0 के पास गये। माननीय दलबीर सिंह ब्लाक चन्दौस के जो हैं और एक सदस्य जिला परिषद के वहां बैठे हुए थे।उनको ब्लाक प्रमुख हाथरस को बेइज्जत ए0 आर0 ने किया, गाली गलौज किया। उनसे कहा गया कि भद्र व्यवहार करिये। उनके पास जो पेपरवेट रखा हुआ था, उन्होंने वह प्रमुख जी को मार दिया। वह लहूलुहान हो गये। ए0 आर0 ने अपने यहां के अन्य कर्मचारियों को बुलवाया, कुछ बदमाश टाइप कर्मचारियों को बुलवाया और उनकी पिटायी करायी, कार्यालय में रिपोर्ट लिखी गयी बड़ी मुश्किल से। ब्लाक प्रमुख को किसी तरह से बचाया गया, वहां जिलापरिषद के चेयरमैन आ गये थे, नहीं तो इनकी हत्या हो जाती। इस घटना को लेकर वहां बहुत असंतोष है।

मान्यवर, अब तक उनके खिलाफ तो कार्यवाही हो जानी चाहिये थी। पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी गयी। अब तके ए0 आर साहब को बन्द नहीं किया गया है।मैं निवेदन करूंगा कि इस पर चर्चा करवायें। या तो सरकार स वक्तव्य दिलवा दें। ए0 आर0 के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही शीघ्र करायें वहां 10 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 10 तारीख तक कार्यवाही नहीं होगी तो जनता अनशन व प्रदर्शन करेगी। मान्यवर, यह एक संवेदन शील जिला है। माननीय गृह मंत्री जी इस पर अपना प्रकाश डालें। दोषी लोगों को गिरफ्तार कराके कार्यवाही की जाय।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, यह जो सूचना माननीय सरदार सिंह जी ने दी थी, माननीय सरदार सिंह जी ने जो कहा है, इसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, चर्चा करा दें या वक्तव्य दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब चर्चा और वक्तव्य कुछ नहीं आयेगा, अब 2–3 दिन रह गये हैं।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, वक्तव्य करवा दीजिये 6 तारीख को।

श्री उपाध्यक्ष—

वक्तव्य कहे देते हैं।

(व्यवधान), (व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, माननीय सरदार सिंह जी ने जो कहा, उसके अनुसार कार्यवाही करने की बात कही है।

श्री सरदार सिंह—

अब तो वक्तव्य के लिये माननीय उपाध्यक्ष जी ने कह दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

आवश्यक कार्यवाही, जैसा माननीय सरदार सिंह जी ने कहा है, होनी चाहिये।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, उनकी गिरफ्तारी का आश्वासन दिलवा दें। माननीय गृह मंत्री जी से। इसमें वक्तव्य दिलवा दें, 6 तक आ जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

वक्तव्य कर दिया।

(श्री शारदानन्द अंचल, श्री गोपीनाथ वर्मा, श्री हृदय नरायन दीक्षित, श्री राज किशोर सिंह द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं किसी सुनूंगा नहीं। आप लोग यह बता दें कि चाहते क्या हैं?

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले ग्राम बोड़रा लछिरामपुर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ के राजा जयमल सिंह के खानदानी मन्दिर से मूर्ति रखे जाने वाला अष्ट धातु का बना सिंहासन चोरी हो गया।

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो पूरा भाषण करने लगे, आप सिर्फ इतना बता दें कि आप चाहते क्या हैं?

श्री गोपीनाथ वर्मा—

हम इस मामले में सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी चाहते हैं।

(श्री मुहम्मद आजम खां, श्री मूलचन्द्र आदि सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री सईदुज्जमा—

मान्यवर, यह बहुत अहम् मामला है, इसको हम खुद अपने स्तर से दिखवा रहे हैं और दिखवाने के बाद जो भी कार्यवाही उचित होगी, उसको कर दिया जायगा।

श्री मुहमद आजम खां—

मान्यवर, 1857 की आजादी की लड़ाई में इस परिवार के लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उस घर के कई लोग मारे भी गये हैं, यह उनके लिये केवल सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी भी नहीं करा सकते।

श्री सईदज्जमा—

मान्यवर, मैं कह तो रहा हूं कि अपने स्तर से दिखवा लेगें और कार्यवाही हो जायगी।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, यह कह रहे हैं कि हम दिखवा लेगें। एक सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी की बात कही, उससे भी बच रहे हैं। मैं आज तक खुद यह समझ नहीं पाया हूं कि इनका स्तर क्या है?

श्री सईदुज्जमा---

मान्यवर, यह मामला अहम है। पुलिस के उच्चाधिकारियों के जरिये इसको दिखवया जायागा और जरूरत पड़ेगी तो सी0आई0 डी0 इन्क्वायरी करा ली जायगी।

(श्री शारदा नन्द अंचल, श्री मूलचन्द्र, श्री मुहम्मद आजम खां आदि माननीय सदस्यों द्वारा पुनः खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष ---

मंत्री जी ने कह तो दिया कि इस मामले को दिखवा लेंगे और सुनिश्चित करा लेंगे कि क्या मामले की स्थिति है ?

श्री गोपीनाथ वर्मा---

मान्यवर, यह बड़ा ऐतिहासिक और गम्भीर मामला है इसमें इनको सी0 आई0 डी0 जांच कराने में क्या दिक्कत है ?

श्री उपाध्यक्ष---

शाम को स्पीकर के चैम्बर में बैठकर इसका निर्णय हो जायगा। उसमें अधिकारियों को भी बुलवा लिया जायगा और वहीं तय हो जायगा।

(श्री मुहम्मद आजम खां तथा श्री शारदा नन्द अंचल द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)।

श्री मुहम्मद आजम खां---

मान्यवर, निवेदन यह है कि पुलिस ने ही चोरी करवाई है और रपट तक तो लिखी नहीं, इंक्वारी करे कैसे इंसाफ है ?

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने कहा कि चैम्बर में बैठकर इस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री अम्बार रिजवी---

मान्यवर, माननीय सदस्यगण ने जो यह मामला उठाया है और राज्य गृह मंत्रीजी नें जो यह बात कही कि जांच करवा रहे हैं, आज शाम तक का मौका दे दिया जाय, यदि उससे माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं होते हैं तो जैसा माननीय सदस्य चाह रहे हैं, हम वह जांच भी करवा लेंगे।

श्री हृदय नरायन दीक्षित ---

मान्यवर, उन्नाव के असोहा थाने से कौशल किशोर नामक एक व्यापारी को गायब कर दिया गया है। जब उनके परिवार के उमांकति जी ने उन्नाव के पुलिस अधीक्षक से शिकायत की तो असोहा के थानाध्यक्ष ने अपने ऊपर गोली मारने का आरोप लगा दिया। मैं वहीं पर था। मैं कहना चहता हूं कि यदि थानाध्यक्ष पर गोली चलाई गई है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा सारे व्यापारी आज वहां दहशत में हैं। इसलिये आप इस पर सरकार की ओर से वक्तव्य दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय गृह मंत्री जी आप इसे दिखवा लें।

श्री सईदुज्जमा---

मान्यवर, जैसा आपने कहा है, इसे दिखवा लिया जायेगा।

श्री राज किशोर सिंह---

मान्यवर इस प्रदेश में लाखों की संख्या में असंगठित मजदूर हैं जो प्राइवेट फर्मों, निगमों आदि में कार्यरत हैं। अपनी जायज मांगों के संबंध में आज विधान भवन के सामने धरना देना उनका तय था। उनकी मांग थी वेतन के संबंध में महंगाई भत्ते के संबंध में और अन्य एलाउन्स के संबंध में। वे कानपुर और इलाहाबाद से आ रहे थे। रेलवे स्टेशन पर उतरकर उन्हें रेलवे इन्स्टीट्यूट पर एकत्र होना था, परन्तु उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका यह धरना बहुत ही शान्तिपूर्ण था। पहले से भी उनका यह धरना तय था। अखबारों में भी यह बात आयी थी। मेरा कहना यह है कि जो लोग गिरफ्तार किये गये हैं, उन्हें रिहा किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप कृपा करके बैठ जांय। माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान इस पर आकृष्ट कर दे रहा हूं।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह---

मान्यवर, प्रदेश में असंगठित मजदूरों की कोई न्यूनतम मजदूरी नहीं हैं। उनके लिये कोई ट्रेड यूनियन कानून नहीं है यह लोग तमाम उद्योगों में जैसे कालीन उद्योग, बीड़ी उद्योग आदि में कार्यरत हैं। उनको कोई अधिकार नहीं है। आज इससे 30 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस गम्भीर मामले पर या तो आप चर्चा करवा दें या फिर वक्तव्य दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष---

चर्चा और वक्तव्य कुछ नहीं होगा। गृह मंत्री जी इसे देख लेंगे।

(मद संख्या-17 पुकारे जाने पर)

श्री राज किशोर सिंह---

मान्यवर, उत्तर दिलवा दीजिये।

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर आप स्वयं जानते हैं, सदस्य गण भी जानते हैं कि सरकार की नीति है कि मजदूरों की जायज मांगें मानी जांय, उन पर कोई जुर्म न हो। इस नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। सरकार इस नीति पर अडिग है। अगर गलत तरीके से कोई कार्यवाही हुई है तो देखेंगे कि कैसे इसे दूर किया जाय।

उत्तर प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता विधेयक, 1989 (क्रमागत)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 1989 पर विचार प्रारम्भ करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

यह विधेयक, हिन्दुस्तान की एकता और अखण्डता को अक्षुण्य रखने के लिये और सर्व धर्म समभाव सिद्धान्त को आगे बढ़ाने के लिये, साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रहे और राष्ट्रीय एकता रहे, इसके लिये इस विधेयक का पुरःस्थापन किया है। भारतवर्ष की गौरवमय परम्परायें हैं। शुरू से अभी तक परम्पराओं के अनुसार कभी राज्य का कोई विशिष्ट धर्म नहीं माना गया है।

एकम् सत् विप्राः बहुधा वदन्ति

अलग-अलग विद्वान इसको अलग-अलग तरह से परिभाषित करते हैं। हमारे यहां कहा गया है कि व्यक्ति को उपासना स्वातन्त्रय का यह अधिकार इसलिये प्राप्त था कि प्रत्येक के लिये अपनी विष्शिट आध्यात्मिक प्रकृति के अनुकूल आध्यात्मिक भोजन चुनने का स्वातंत्रय हो इसके दो लक्ष्य हैं–भौतिक और पारलौकिक। पारलौकिक वह जिसमें आत्मा के विस्तार को परमपिता परमात्मा तक के जाने की बात कही गयी है। अलग-अलग रास्ते अपना लें ईश्वर एक ही है। यह भारतवर्ष की अपनी मान्यता और परम्परा है। कहा गया है––

यं शैवा: समुपासते शिव इति ब्रमेति वेदान्तिनो
बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणवत्व: कत्तान्ति नैय्यायिका :।
अर्हन्नित्युत जैनशासनरता: कर्मेति मीमांसका :
सोऽयं वो विद्धातु वांछितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि:।

इसका हिन्दी अनुवाद यह है कि वह, जिसकी उपासना शैव शिव मानकर करते हैं, बेदान्ती जिसे ब्रह्म मानकर उपासते हैं, बौद्ध जिसे बुद्ध और तर्क-पटु नैयायिक कर्ता मानकर आराधना करते हैं एवं जैन लोग जिसे अर्हत मानकर तथा मीमांसक जिसे कर्मबता कर उपसना करते हैं वही त्रिलोकीनाथ हरि हमारी इच्छाओं को पूरा करें। (इस समय 2 बजकर 37 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए) परमतत्व एक है लेकिन अलग–अलग नामों से उपासना की गयी है और भी उदाहरण दिये गये हैं धार्मिक ग्रन्थों में कि जैसे अलग-अलग नदियां अलग-अलग रास्तो से जाकर एक ही समुद्र में मिलती हैं उसी प्रकार विभिन्न धर्मो का लक्ष्य एक ही है।

महिम्न स्त्रोत में इसका अत्यन्त सुन्दर चित्रण है। कहा गया है कि जिस प्रकार सभी जलों का गन्तव्य समुद्र ही होता है वैसे ही हे ब्रह्मा सभी मनुष्यों के तुम एक मात्र लक्ष्य हो। मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार तुम्हारी पूजा के लिये भिन्न-भिन्न मार्गो का अनुसरण करते हैं चाहे वह रास्ता सीधा हो या टेढ़ा। यह विचार करते हुए कि जिन विभिन्न मार्गो जैसे वेद, सांख्य, योग शैव और वैष्णव के विश्वासों में वही मार्ग श्रेष्ठ या पूर्ण है।

हमारे यहां पुनर्वतार की बात कही गयी है। बौद्ध और जैन न इसको विकसित रूप देने की चेष्ठा की। जब संविधान बनाने का मौका आया। हमारे यहां दो राष्ट्र-वाद की चर्चा चल रही थी, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान विभाजन, हिन्दू इण्डिया और मुस्लिम इण्डिया पाकिस्तान बना लेकिन पाकिस्तान के कुरान के हिसाब से इस्लामी कण्ट्री कर दिया लेकिन जहां तक हिन्दुस्तान का ताल्लुक है, यदि अशोक के काल को छोड़ दिया जाय तो राज्य न किसी मजहब को मजहब घोषित नहीं किया। इस बात को ध्यान में रख कर जो हमारे संविधान को बनाने वाले थे उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 25 में इस बात का साफ प्राविधान किया है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। महात्मा गांधी ने सर्व धर्म सम्भाव की बात कही थी कि हमारा एक सेकुलर जामा रहेगा। लेकिन एक बात समझने की है कि हमारे देश में इस तरह की कुछ बातें पैदा हो गयी हैं जिससे देश को खतरा पैदा होने की सम्भावना होने लगी है। हमारा सर्व धर्म सम्भाव का नारा और सेकुलरिजम को खतरा पैदा हो रहा है।

ईसवी 52 में ईसा के महान सन्त थामस भारत आये और यहां आकर वे गोआ में रहे और गोआ में उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया। फिर पुर्तगाल के सेन्ट जेवियर आये जिन्होंने भी ईसाई धर्म का प्रचार किया था लेकिन उन्होंने धर्म के, प्रचार के साथ ही साथ धर्मान्तिरण का भी प्रचार किया जिसके परिणामस्वरूप गोआ में आज लाखों लोग ईसाई दिखायी दे रहे हैं। हमारे देश में मिजोरम और नागालण्ड में जो बातें पैदा हुई और उनके

परिणाम भी सामने आये कि गरीबों को अशिक्षितों को मोहरा बनाकर वह लोग उनको लोभ से, प्रताड़ना से उनके धर्मान्तरण की बात उनमें पैदा कर रहे हैं। देश ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया और इसी बात को ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश ने इसकी जांच के लिये एक आयोग का गठन किया जो कि नियोगी आयोग के नाम से जाना जाता है। नियोगी आयोग की सिफारिश पर ध्यान देने की जरूरत इस कमेटी के अध्यक्ष श्री नियोगी एक अति सम्मानीय, अवकाश प्राप्त उच्चन्यालय के न्यायाधीश थे जो किसी भी गुट या दल के व्यक्ति नहीं थे। समिति के सदस्यों ने सम्पूर्ण मध्य प्रदेश का प्रवास किया और धनान्तरित ईसाइयों, ईसाई धर्म प्रचारकों तथा अन्यान्य लोगों से भेट की। वे अनेक गिरजा घरों में गये। उनकी जांच रिपोर्ट आयी जिसका सार यह है :—

"ईसाई धर्म प्रचारकों के सभा औदार्यपूर्ण कार्य उनकी धर्मान्तरण की गतिविधियों को चलाने के लिये एक आवरण मात्र है। भोले—भाले लोगों को कभी त्रस्त करके और कभी प्रलोभन द्वारा आकर्षित कर अपना उपर्युक्त कार्य करते हैं। इन गतिविधियों के मूल में उनकी यह महत्वाकांक्षा है कि उनकी संख्या को शक्ति के आधार पर अपने लिये एक अलग ईसाई राज्य बना लिया जाय। वे इसी उद्देश्य से करोड़ों रुपये व्यय कर रहे हैं।"

इस कमीशन की रिपोर्ट को ध्यान में रख कर मध्य प्रदेश सरकार सामने आयी। मैं यह नहीं कहता, आज कोई हिन्दू है और अगर कल उसके मन में यह बात पैदा हो जाती है कि मैं ईसा मसीह के चरणों में बैठ कर अध्यात्मिक उन्नति करूं, तो यह उसके लिये अच्छा होगा क्योंकि वह अपने मन से ऐसा सोंचता है। लेकिन यदि लोभ में आकर या प्रताड़ित होकर उसके धर्म को परिवर्तित किया जाय तो यह हमारी स्वतंत्रता के विरुद्ध आचरण होगा।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है जिसमें अंत:करण की और धर्म के अबाध रूप से मामले, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का समान हक होगा। लेकिन धर्म परिवर्तन की बात कहीं नहीं कही गयी है। यह बात संविधान सम्मत है। माननीय उच्च न्यायालय ने परिभाषित किया है जिसे मैं आपकी अनुमति से यहां सदन में बतलाना चाहूंगा कि प्रचार के मामलों में दूसरों का धर्म परिवर्तन कराने की कितनी सीमा है, इस संबंध में बड़ा विवाद रहा है। कुछ राज्यों ने इस संबंध में कानून भी बनाये हैं। उड़ीसा फ्रीडम आफ रिलीजन ऐक्ट, 1967 मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1968 के अनुसार बल, धोखे व लालच के आधारपर दूसरों का धर्म परिवर्तन अवैध व दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। फिर यह मामला मान्यवर उच्च न्यायालय में गया और जब यह मामला उच्च न्यायालय उड़ीसा में गया तो उन्होंने उसे अवैध घोषित कर दिया, और कहा कि यह मामला विधान मण्डल की अधिकारिता में नहीं आता है, परन्तु मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इसका समर्थन किया। फिर यह यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया तो सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना जिसमें ईसाई पक्ष ने यह कहा कि हमारे यहां धर्म प्रचारण जायज है, इस पर सर्वोच्य न्यायालय ने यह कहा कि धर्म प्रचार तो अपनी जगह है, लेकिन धर्मान्तरण करना उचित नहीं है।

परन्तु मान्यवर, आज यह बीमारी नैपाल व मलेशिया की भांति यहां भी सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में चल रही है, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से सीतापुर, हरदोई, मैनपुरी, मेरठ, सहारनपुर, बरेली तथा शाहजहापुर को केन्द्र बनाकर ईसाई मिशनरियों द्वारा बड़े पैमाने पर ईसाई धर्म में धर्मान्तरण कराने की गतिविधियां चल रही है। यह समस्त कार्य मुख्य रूप से टफ्रिबिल—पेंस्टिस्ट चर्च आफ इण्डिया

द्वारा किया जा रहा है। इसी चर्च के एक पादरी श्री फ्रोसिस जेवियर ने यह साधिकारिक रहस्योद्घाटन किया कि इन सक्रीय ईसाई मशीनरियों का मुख्य उद्देश्य सेवा भावना और गरीबों को किसी प्रकार की प्रगति की ओर ले जाना नहीं है बल्कि धर्मान्तरण ही करना है, विदेशों से धन तो शिक्षा तथा सेवा के नाम पर ही मंगाया जाता है। यह जेवियर पहले पूर्वान्चल में थे। अब उन्हें मेरठ केन्द्र बनाकर रहने को कहा गया है साथ ही हर दशा में 40 सवर्ण हिन्दुओं का धर्मान्तरण करने का लक्ष्य रखा गया। मान्यवर, आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले भी मैंने एक मामला भोगनी, मैनपुरी का उठाया था, जहां पर बड़े पैमाने पर यह कार्य हो रहा है, मैनपुरी में स्थित इमेन्युल स्कूल इन गतिविधियों का केन्द्र हैं, जहां का उत्तरदायित्व श्री धर्मेन्द्र भारती को सौंपा गया है, जिनको इस धर्मान्तरण के कार्य के बराबर निर्देश सोएल कंजरवेशन रोड, कोटा के चर्च के एक पादरी पास्टर एम0 ए0 थामस असिस्टेन्ट पास्टर एल0 एल0 डायलनियल द्वारा दिए जाते हैं, इन्होंने एक पत्र दिनांक 10-7-88 में लिखा है कि "प्रिय धर्मेन्द्र भारती प्रभु यीशु के पवित्र नाम में हमारा आपको नमस्कार।"

दीगर हाल यह है कि तुम अपने कार्य में सफलता पा रहे होंगे। भाई यदि आप 500 लोगों के धर्मान्तिरण हेतु तैयार हैं, तो हम आपको 50 हजार रुपये एवं एक अच्छा वाहन देंगे। हमें आशा है कि आप यह कार्य अवश्य करोगे।

परमेश्वर आपको अशीश दें। प्रभु की महान सेवा में डा0 एम0 ए0 थामस" तो मान्यवर इस प्रकार से तो गतिविधियां चल रही हैं, इसी तरह से बहराइच में भी हो रही चरमसीमा पर यह कार्य हो रहे हैं, जिसकी सूचना मान्यवर इस सदन को पहले दे दी गयी है आज फिर आपकी अनुमति से यह जानकारी देना चाहूंगा कि यहां के इस कार्य के जो जिम्मेदार थ, मिस्टर राबर्ट्स नेचर, इन्हें इसी कारणवश भारत छोड़ने के आदेश भी दे दिए गये थे, परन्तु इन्होंने जब नहीं छोड़ा तो वहां एस0 पी0 श्री मलिक पहुंचे, उन्होंने यह कार्यवाही की कि उनको भारत से वापस कर दिया और जब उनके यहां घर की तालाशी ली गयी तो बहुत सी संदिग्ध चीजें पायी गयीं, देशी विदेशी शराब पायी गयी, कपड़े व अन्य चीजों के साथ-साथ एक रिवाल्वर का लाइसेंस भी पाया गया जो मान्यवर, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि ऐसे आदमी को यह लाइसेंस हमारे अधिकारियों द्वारा दिए गए जो यहां का निवासी नहीं था, विदेशी था, यह बहुत ही सोचने की बात है। इसी प्रकार से रुपईडीहा जो नेपालगंज से मिला हुआ है, वहां पर एक हेलमेट टिन जो असामाजिक तत्यों का साथी था, सरकार ने उसके खिलाफ कार्यवाही की यह बहुत ऐसा मामला है। मैंने मेरठ का मामला दिया, वहां पर क्या देखा गया कि सिक्ख उपासना के लोग थे, उन पर दबाव डाला गया, दबाव का क्या कारण था और आखिर वह क्यों किया गया? मैं कहना चाहता हूं कि लोभ और लालच अपनी जगह पर है, लेकिन जब वह समाज के भीतर अपमानित होता है, उसका उत्पीड़न होता है और सरकार से उसका संरक्षण नहीं मिलता है, तो मजबूरन उसको ऐसा कदम उठाना पड़ता है। गांव प्रधानों को चार्ज नहीं दिया गया, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी इसलिये उन लोगों ने जान-बूझकर फैसला किया कि धर्मान्तिरण किया जाये। मैं यहीं लखनऊ की बात बताता हूं, ऐशबाग औद्योगिक क्षेत्र है, कुछ लोगों को लेकर मैं नरेश चन्द्र जी के यहां गया, उन्होंने बड़ी तत्परता के साथ और मामले की गम्भीरता को समझकर, उस पर कार्यवाही की और लोगों को धर्मान्तरण से बचाया, नहीं तो वह शिवरात्रि का काला दिन होता कि लखनऊ में लोग धर्मान्तरण करते। तो मान्यवर, यह खतरा बढ़ रहा है। अभी रहस्योद्घाटन हुआ है कि और लोगों द्वारा भी धर्मान्तरण का षड़यन्त्र किया जा रहा है, यह बात बहुत ही गम्भीर है और आवश्यकता इस बात की थी कि इस प्रकार का बिल सरकार की ओर से आता। मेरी जानकारी है कि केन्द्र सरकार ने प्रदेश सरकारों को गृह विभाग के माध्यम से एक परिपत्र

भेजा है और सलाह दी है कि इस तरह का कानून बनाया जाये। मैं उम्मीद करता था कि इस तरह के कानून बनाने की बात आपकी ओर से आयेगी और जब आप इसको नहीं लाये, तो मजबूरी में मुझे लाना पड़ा है। मेरे मन में एक दूसरी भावना पैदा हुई, जब पंडित नेहरू थे, सरदार पटेल थे तो उस समय राष्ट्रीयता की धार बहती थी। राष्ट्र से बढ़कर कोई चीज नहीं था, राष्ट्र पहले था, उसकी सुरक्षा पहले थी। यह बात लोगों के हृदय में भरी हुई थी। भारत की जो संस्कृति है, उसमें कहीं पर भी बलात धर्मान्तरण की बात नहीं कहीं गयी है। सत्ता में बैठे हैं, नाम उनके सामने धर्म निर्पेक्षिता का है लेकिन जो आचरण किया जाता है वह धार्मिक बिद्वेश का है।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में कानून बनाया गया और उड़ीसा में भी कानून बनाया गया और अरुणांचल प्रदेश में कानून बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन पार्टी के दबाव के कारण वहां पर कानून नही बन सकता। पूर्व में चुनाव हुए, तो सत्ता दल के लोगों ने घोषणा की थी कि हम वहां पर किसी एक मजहब विशेष के हितों का संरक्षण करेंगे। यह बात मेरी समझ में आती है, आर्टिकल 30 है, अल्प संख्यक हैं, उनके हितों का संरक्षण का मैं विरोधी नहीं हूं, उनके हितों का संरक्षण होना चाहिये। जो अल्प संख्यक हैं, उनको आजादी के साथ जिन्दगी जीने का मौका मिलना चाहिये, इसमें कोई मतभेद नहीं है, लेकिन सरकार एक मजहब की बात करे, तो वह सही नहीं होगा। मैं पुस्तकालय में तलाश कर रहा था कि मिजोरम का घोषणा पत्र मिल जाये, लेकिन वह देखने को नहीं मिला, समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा था, लेकिन वह अंग्रेजी में है, मैं उसका हिन्दी में अनुवाद कर दूंगा, यह मान्यवर, हिन्दुस्तान टाइम्स का प्रकरण है--

पिटीशन सीम्स डिसमिसल आफ मिजो मिनिस्ट्री--थ्री अपोजीशन पार्टीज इन मिजोरम हेव फील्ड ए पिटीशन इन दि गुवाहाटी हाई कोर्ट, चैलेंजिंग द विक्ट्री आफ दि कांग्रेस-आई पार्टी इन दि जनवरी 21 एसेम्बली पूल्स इन दि स्टेट एण्ड सीकिंग डिसमिसल आफ दि गवर्नमेन्ट हेडेड बाई मि0 ललथनवाला।

इसका तात्पर्य यह हुआ कि वहां पर विपक्षीय दलों ने उच्च न्यायालय में एक पिटीशन दायर किया है कि चुनाव अवैधानिक हुए हैं क्योंकि "दि रुरल डेवलपमेन्ट मिनिस्टर रोकमलोवा सैड हेयर टुडे दैट दि अपोजीशन पार्टीज दि मिजो नेशनल फ्रन्ट, पिपुल्स कांफ्रेन्स एण्ड मिजो नेशनलिस्ट यूनियन हैड आलिज्ड इन देयर पिटीशन दैट "दि कांग्रेस--आई एक्सप्लाएटेड दि रिलीजस सेन्टिमेंट्स आफ दि मिजो पिपुल विद दि प्रामिज आफ मेकिंग मिजोरम ए क्रिश्चियन स्टेट इन दि पार्टीज एलेक्शन मेनिफेस्टो" उन्होंने वहां की धार्मिक भावनाओं को एक्सप्लोयट करने की चेष्टा की है और यह कहा है कि हम इसको एक इशाई स्टेट बना देंगे। मान्यवर, संविधान कहता है। मैं आर्टिकिल 29, 28 और 27 की यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता जिसमें लिखा हुआ है कि हमारे यहां के धर्म में किसी प्रकार के टकराव की बात नहीं होगी। लेकिन मान्यवर, इनमें साहस नहीं है। अगर साहस होता तो इस तरह का विधेयक ये स्वयं ले आते लेकिन राजनीति वोट के लिये नहीं बल्कि सिद्धान्तों के लिये होती है, आदर्शों के लिये होती है।

आज राष्ट्र को आवश्यकता इस बात की है कि हमारे प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द होना चाहिये, भाईचारा होना चाहिये, एकता होनी चाहिए। भारत माता के विकास में हमें एक समरस समाज बनाने की आवश्यकता है। इस समाज की पहली शर्त यह है कि हर व्यक्ति को इस बात की आजादी होनी चाहिये कि जो हमारे फंडामेन्टल राइट्स में दिया हुआ है कि हमें जीवित रहने का अधिकार है। जहां हमें अनेक प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं उनमें एक अधिकार यह भी है कि जो मजहब हमें मिला हुआ है उस पर हम आजादी से रह सकें, उसमें किसी प्रकार का खतरा नहीं होना चाहिए। इसलिये आज राष्ट्र इस बात की आव-

श्यकता समझता है । इसी उद्देश्य से यह विधेयक रखा गया है । इसमें किसी प्रकार के मतभेद का सवाल नहीं है । यह एक राष्ट्रीय आवश्यकता है । मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से इसके उद्देश्य और कारण जो हैं उनको पढ़कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मैं प्रार्थना करूंगा कि हमें अपने राजनीतिक भेदों को भुलाकर राष्ट्रीय एकता को समझते हुए किसी व्यक्ति के धर्म पर कुठाराघात और अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं होना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं अपने इस विधेयक के उद्देश्य के और कारण आपके सम्मुख पढ़ना चाहता हूं---

"भारत का संविधान के अन्तर्गत नागरिकों को धर्म सम्बन्धी मूल अधिकार प्राप्त है । उसके अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने तथा पालन करने का अधिकार है । यह देखा जा रहा है कि कुछ धर्म के अनुयायी बल-पूर्वक, प्रवंचना द्वारा, प्रलोभन द्वारा तथा अन्य कपटपूर्ण उपायों द्वारा भारत के गरीब और असहाय नागरिकों, विशेषत: अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों का धर्म-परिवर्तन कर रहे हैं या करा रहे हैं । ऐसा भी देखा गया है कि चिकित्सालय चालू किये गये हैं तथा अन्य संस्थान खोले गये हैं जिनमें पहल गरीब और असहाय नागरिकों को नि:शुल्क चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराने तथा अन्य सेवाओं के प्रलोभन से भरती किया जाता है और उसके उपरान्त विभिन्न प्रकार के कपटपूर्ण प्रलोभनों या बल-प्रयोग से उनका धर्म-परिवर्तन किया जाता है । धर्म-परिवर्तन के ऐसे मामलों को रोकने के लिये यह विधेयक पुर: स्थापित किया जा रहा है ।" मान्यवर, इसमें एक प्राविधान और किया गया है . . . . . .

श्री अधिष्ठाता---

वह तो आपके विधेयक में दिया हुआ है जो आपने इन्ट्रोड्यूस किया है । अब उसे दुबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ---

इसमें यह प्राविधान किया गया है कि यदि कोई इस तरह से धर्म-परिवर्तन करेगा या करायेगा तो उसे सजा दी जायगी और यदि ऐसा कोई अनुसूचित जाति के वर्ग या महिला के साथ किया जाता है तो उसे और ज्यादा दंडित किया जायगा । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं और इस सम्मानित सदन से अनुरोध करता हूं कि यह मेरे इस विधेयक को पारित करें ।

श्री नरेन्द्र देव---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत संक्षेप में, अपनी बात रखूंगा । सम्मानित राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी एक विद्वान व्यक्ति हैं । उन्होंने अपनी बात को इस तरह से पेश किया है कि ऐसा लगता है कि उनसे असहमत होना विदेशी मिशनरियों या विदेशी ताकतों का समर्थन करना होगा । मैं कहना चाहता हूं कि दूसरा तात्पर्य उनके भाषण का यह था कि यदि कोई मेरे भाई को शराब पिलायेगा तो मैं उसे 5 साल के लिये जेल में डलवा सकूं इस प्रकार का कानून बनाया जाना चाहिये । अधिष्ठाता महोदय, आज किसी हिन्दू को किसी क संरक्षण की जरूरत नहीं है । हिन्दू एक महान धर्म है । लेकिन हमारे धर्माचार्यों ने, धर्मगुरुओं ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया यह कहने में मुझे जरा भी संकोच नहीं है । आज सवाल कहां से उठता है कि अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग धर्मान्तिरण कर लें यह सिर्फ इसलिय है कि आज धर्माचार्यों ने, चन्द धर्म के ठेकेदारों ने हिन्दुओं के एक बहुत बड़े वर्ग को दबा कर रखा है उस बात को स्वीकार करने में माननीय सदस्य हिचकिचा रहे हैं । आपको कहना चाहिये कि हर हिन्दू बराबर है अगर हिन्दू धर्म की रक्षा करनी है तो यह आवाज उठाइये, अगर हिन्दू धर्मान्तिरण को बचाना है तो आपको उनको सम्मान देना होगा । आज आप इतने भयभीत होकर इस सदन में खड़े हो गये कि धर्मान्तिरण हो रहा है,आपने अपने भाई को सुधारने की बात

नहीं कही, अपने भाई पर विश्वास नहीं किया और कानून बनाने की बात की कि मेरे भाई को जो शराब पिलाये उसे सजा दी जाय । म कहना चाहता हूं मानव अधिकार में यह स्वतंत्रता है अगर नरेन्द्रदेव कल यह सोचें कि फलां धर्म अच्छा है तो मुझे स्वतंत्रता होनी चाहिये उस धर्म को ग्रहण करन की । यह कतई मानव अधिकार के खिलाफ है कि उसे रोकने के लिये काला कानून बनाया जाय और उसे किसी ईश्वर की उपासना करन की स्वतंत्रता न हो । मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको काम करना है तो गांवों में जाकर कहें इस तरह भेदभाव करने से धर्मान्तिरण हो रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने से या जाति विभेद करने से धर्मान्तरण नहीं रुकेगा । आज शूद्र को इतने दिनों से कानूनी संरक्षण देने के बावजूद, हरिजनों को इतने दिनों से रिजरवेशन देने के बावजूद जगह जगह उनके खिलाफ अपमानजनक कार्य हो रहे है, उस पर दूसरे वर्ग के भाई कमेंट करते हैं यह हमारी असली कमजोरी है इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा । यदि हिन्दू धर्म को बचाना है तो आप सबसे पहले कम से कम शंकराचार्य से कहिये कि जिम्मेदारी से जातिविवाद को समाप्त करें और हिन्दू धर्म को एक करें। कहिये कि हमारे धर्म में सब एक है तब से आपकी बात से सहमत है। लेकिन आज के इंसान इंसान के खिलाफ बात करता है (लाल बत्ती होने पर) एक मिनट में समाप्त करता हूं । आज यह भेदभाव की बात क्यों हो रही है ? आप धर्माचार्यों से कहिये जो वातानुकूलित स्थानों में बैठे रहते हैं जो विदेशी गाड़ियों में घूमते-फिरते हैं और वातानुकूलित व्यवस्था में प्रेसकान्फ्रेस करते है उनसे कहिये कि वह जाति व्यवस्था को ठीक करें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ऐसे धर्माचार्यों के निर्देश पर कोई धर्म नहीं चल पायेगा । दूसरी बात मैं इसका सबसे बड़ा विरोधी हूं कि, इस विधेयक का, कि आप एक मानव मात्र के इस अधिकार को कि हम किस तरीके से पूजा करेंगे इस अधिकार को आप छीन नहीं सकते है ।

धन्यवाद ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता हूं कि मा0 सदस्य ने विधेयक को सम्भवत: पढ़ा नहीं है ।

श्री नरेन्द्र देव--

पढ़ा है ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

मैं इनके कहने की स्वतंत्रता का स्वागत करता हूं और मेरा मत है विचार में प्रकट कर सकूं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता विधेयक, 1989, इसमें साफ है कि संविधान में जिस धर्म की स्वतंत्रता हमें दी है उस पर आंच न आने पाये । इसलिये श्री गुप्त जी ने विधेयक को यहां प्रस्तुत किया । संविधान न हमें इस बात की स्वतत्रता दी है कि हम जिस धर्म को चाहें मानें, पूजा का जो प्रकार हम चाहें उसकी हमको स्वतंत्रता है । आज प्रश्न यह खड़ा हो गया है कि स्वतंत्रता पर किसी न किसी तरीके से आंच आ रही है । हमारे देश की बड़ी विशेषता है और ऐसी विशेषता दुनिया में कहीं नहीं मिलती है क्योंकि यहां पूजा के अनेक प्रकार हैं, अनेक पथ, विश्वास और सम्प्रदाय के लोग यहां रहते हैं और इस भिन्नता के बावजूद भी एक ही आबादी में रहते हैं और सद्भाव से रहते है । सद्भावना की परम्परा है और सदभावना ही नहीं एक दूसरे के समादर की भावना इस देश में रही है और संविधान में इस पर मोहर लगाया है और सुरक्षा दी है, यही इस विधेयक को लाया गया है ।

मान्यवर, मैंने सुना है कि विदेशों में चमड़ी के अन्तर पर दो आदमी एक साथ नहीं रह पाते हैं । गोरी चमडी वाला जहां रहता है वहां काली चमड़ी वाला नहीं और जहां काली चमड़ी वाला व्यक्ति रहता है उसके बीच गोरी चमड़ी वाला नहीं रहना पसन्द करता है । लेकिन यहां मान्यवर, मान्यता है कि विभिन्न धर्म सम्प्रदाय, पंथ, पूजा प्रकार के व्यक्ति होते हुये भी एक आबादी में लोग रहते हैं और उनमें आपस में सम्मान की भावना रहती है फिर चाहे वह पूर्व का हो, या पश्चिम का हो या दक्षिण का ही रहने वाला क्यों न हो ? वह एक दूसरे

का स्वागत और सम्मान करेंगे । लेकिन आज इस परम्परा पर आंच आ रही है इसलिये यह विधेयक लान का औचित्य है ।

मान्यवर मेरा आपसे निवेदन है कि इस देश में बड़ी गरीबी है और 40 सालों की कोशिश के बावजूद भी गरीबी दूर नहीं हुई है । आंकड़े अलग हैं । कोई कहता है कि 37,40,45 और 50 प्रतिशत गरीबी है । इसलिये आंकड़े में नहीं जाना चाहता हूं । कोई कहता है कि यहां बड़ी शिक्षा है परन्तु यह सत्य नहीं है किसी प्रदेश में 16, कहीं 20 प्रतिशत शिक्षा है और मात्र केरल में 40 प्रतिशत शिक्षा है । लेकिन इसके बावजूद बड़ी भारी अशिक्षा है । तो जहां इतनी बड़ी अशिक्षा और गरीबी हो वहां संविधान द्वारा निर्धारित धर्म और पूजा की कदापि सुरक्षा नहीं हो सकती है । मान्यवर, मेरी भेंट नेपाल के तत्कालीन मंत्री श्री तुलसी गिरी से हुई थी । मैंने कहा कि धर्म परिवर्तन पर रोक क्यों लगायी ? उन्होंने कहा कि हम बेवकूफ नहीं हैं । हमारे यहां गरीबी और अशिक्षा है, इसलिये धर्म परिवर्तन की आजादी दे देंगे तो जिनका इस धरती से प्यार है और अगर वह प्यार छूट गया तो नेपाल में तो वह लोग रहेंगे लेकिन नेपाल के होकर नहीं रहेंगे ।

इसलिये मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इसके पीछे बड़ा भारी षड़यंत्र है, मजहबी राज्य बनाने का षड़यंत्र है । सभी जानते हैं कि हिन्दुस्तान में कभी मजहबी राज्य नहीं रहा, आज और कल भी नहीं होना चाहिये । षड़यंत्र यह है कि मजहबी राज्य बनाने का । थोड़े लोगों ने मजहब के नाम पर देश का बंटवारा कराया था और उन्होंने ही हमारे जीवन में प्रश्न खड़ा कर दिया मजहब का । इसलिये देश का दूसरा बंटवारा न हो जाये इससे देश और प्रदेश को सतर्क रहना होगा । मजहब के नाम पर दबा देना और संख्या बल के नाम पर देश बांट देना ऐसी घटना हो गयी है,जिससे सारा हिन्दुस्तान दुखी है । इसी तरह दूध देकर, दाम देकर, पैसा देकर, लालच और प्रलोभन देकर एक मजहब के नाम पर गोल बना लिया गया है । मजहबी राज्य का षड़यंत्र रचा गया, तो इस दश में हर मजहब का, हर पूजा-प्रकार और धर्म का विश्वास टूटेगा, परम्परा टूटेगी और देश बंटेगा । इस सम्बन्ध में कर्नाटक में कानून बना लिया गया, उड़ीसा जाग गया वहां कानून बना लिया गया, मध्य प्रदेश जाग गया, तो वहां कानून बन गया और जब हिमांचल प्रदेश जाग गया तो वहां कानून बनने जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कानून बन जाये तो लोभ, लालच और दबाव से किसी का धर्मपरिवर्तन नहीं किया जायगा । इसमें किसी को आपत्ति क्या है ? मैं कमा सकूं इसकी स्वतन्त्रता है तो मुझे लूटा भी नहीं जाना चाहिए । यदि धर्म मिला है तो उसकी सुरक्षा हो । यदि कोई प्रलोभन, दबाव या भय दिखाकर धर्म परिवर्तन करता है तो वह गलत है, उसको कोई छीन लेना चाहता है तो यह संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षा की गारन्टी के विपरीत है । इसे पास कर दिया जाये, जिससे सबके धर्म की रक्षा हो सके । हर एक का धर्म सुरक्षित रह सके । इस सदन में बैठे हुए लोगों को कोई बतावे कि जो मोहम्मद को पूजता है, मोहम्मद को पूजेगा, जो शिव को पूजता है, शिव को पूजेगा, पूजता रहेगा, लेकिन जो गरीब, अशिक्षित और तबाही में बैठे हुए लोग हैं, वह तो नहीं सोच पाते हैं, वह भौतिक जीवन की परेशानी में उलझे हैं । इसके पीछे बहुत भारी षड़यंत्र है । इसलिये मैं चाहूंगा कि इस विधेयक को माननीय सदस्य स्वीकार करें, ताकि धर्म की स्वतंत्रता कायम रह सके कोई किसी का धर्म परिवर्तन न कर सके और यह सदभावना और परस्पर सम्मान का जीवन बना रहे । इसके लिए विधेयक का औचित्य है और मैं चाहता हूं कि सदन इसको कृपया स्वीकार करे ।

*श्री लाल प्रताप सिंह---

सम्मानित अधिष्ठाता महोदय, मैंने इस बिल को बहुत ही गौर से स्टडी किया है । सम्मानित गुप्त जी और हरीश जी के विचारों को भी मैंने सुना है । इस तरह के बिल की कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भी आवश्यकता नहीं है और मेरे विचार से जो नान सेक्युलर व्युज से एक्टीवेट होते हैं, वही इस तरह का बिल प्रस्तुत करने की चेष्टा करते हैं। जिनके विचारों में सेक्युलरिज्म की भावना नहीं है, वह इस तरह का बिल प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। अभी सर्वप्रथम कांस्टीट्यूशन की बात कही गयी। कांस्टीट्यूशन में धर्म की स्वतंत्रता और उसके प्रचार की और उसे अख्तियार करने की सबको स्वतन्त्रता प्राप्त है और कानून में यह भी है कि कोई भी काम फ्राड तरीके से या लालच देकर किया या कराया जाये तो वह गैर-कानूनी है। फिर किसी तरह के, इस तरह के कानून बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। किसी धर्म के सम्बन्ध में यह बात अपनी जगह पर है ही। दोनों बात हैं अपनी जगह पर। यह हर व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि समझने-बूझने के बाद कहीं भी कोई धर्म स्वीकार करे और उसके ऊपर कोई दबाव अथवा लालच न हो और पूरी तरह से जिस उपासना पद्धति को अख्तियार करना चाहता है, करे। यह भी सही है कि हकीकत एक ही है, सत्य एक ही है, उसके रास्ते अलग-अलग हैं। आज जो गुरुद्वारे में, मस्जिद में या फिर मन्दिर में जाते हैं, वह बात एक ही हो रही है। क्योंकि यह सभी मानते हैं कि हकीकत एक ही है। यह तो अपनी जगह पर सही है। लेकिन कौन शख्स कौन तरीका पसन्द करता है यह उसकी मरजी के ऊपर है। कभी-कभी यह बात उठाई जाती है, बी० जे० पी० के भाइयों की तरफ से कि कभी यहां कोई धर्म या राज्य रहा ही नहीं। आजकल कोई मीटिंग करते हैं तो कहते हैं कि रिनासा कर रहे हैं, नवजागरण कर रहे हैं। आज यह जो युग आया है, आज एक नया युग आया है,एक नव जागरण आया है आर्ट, कल्चर, लिट्रेचर में एक नयी भावना आयी है जिसका आपको स्वागत करना चाहिये। लेकिन आप कह रहे हैं कि बेगम हजरत महल पार्क और लाल किले का नाम बदल दो। पांच सौ साल पहले जो बातें हुई हैं मेरा निवेदन है कि उसके एंटी-स्टेट्स को, आप वैसे ही रहने दीजिये। इफ वी इण्टर इनटू क्वेरल एबाउट पास्ट, वी विल बाउन्ड टु लूज द फ्यूचर। अगर हम 15वीं शताब्दी की बातें करेंगे तो उससे तरक्की नहीं होगी।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

श्री लाल प्रताप सिंह--

जिन लोगों ने तलवारों के बल पर बहुत से कार्य ऐसे किये हैं, जिनको आफ डिफेंडर आफ दफेथ कहते हैं, गाजी कहते हैं तो वह हमारे लिये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि संसार में कोई समाज ब्रह्मा के मुंह से नहीं पैदा हुआ है और छोटे तथा बड़े की तकसीम चलती रही है समाज में।

श्री अधिष्ठाता--

आप संक्षेप करें।

श्री लाल प्रताप सिंह--

मान्यवर, इस तरह के बिल की कोई आवश्यकता नहीं है। ह्यूमन नीड इज ग्रेटर दैन द नीड आफ द गाड। जो आर्गनाइज्ड सिस्टम आफ रिलीजन है उससे अलग होकर व्यक्तिगत धर्म की बात करेंगे तो उचित नहीं होगा और हमारा जो आर्गनाइज्ड रिलीजन है वह खत्म हो जायगा। हमारा जो क्रियेटर है जिसने हमें बनाया है हम उसको देखें, हमें उससे मतलब है। अगर इंसान इस तरीके की बात मानेगा तो सब लोग, हिन्दू मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई किसी में कोई झगड़ा नहीं रहेगा। अब मैं यही निवेदन करूंगा कि इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं है इसको रिजेक्ट होना चाहिये।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, आज सदन दस मिनट बाद से शुरू हुआ है आपका एजेन्डा जो है उसमें आपने एक-एक घंटे का दस वक्तव्यों को रखा है, उसके बाद कई चर्चाएं लगी हुई हैं । हमारे श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो मामला उठाया है वह भी बहुत गम्भीर है इसमें आप समय निर्धारित कर दें ।

श्री अधिष्ठाता

यही बात मैं खुद भी कह रहा था कि समय बहुत कम है मंत्री जी कम समय में अपनी बात कहें ।

*खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

माननीर अधिष्ठाता जी, जो विधेयक माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने प्रस्तुत किया है और उस पर विचार करने का जो प्रस्ताव आया, उस पर जो उनका भाषण हुआ उसको देखते हुये मैं कहीं यह नहीं समझ पाया कि क्या आवश्यकता इस प्रदेश में ऐसे कानून की है? जो इस विधेयक में परिभाषायें दी गयीं है उनको मान्यवर, आप देख लें । धारा 2 (ख) में बिल की परिभाषा दी है । अगर आई0 पी0 सी0 की और सी0 पी0 सी0 में बल की धारा 508 तथा 352 को पढ़ लें तो यह सारे के सारे प्राविधान भारतीय दंड विधान में है। धारा ग--में कहा गया है कटुतापूर्ण तो मान्यवर, धारा 417 को पढ़ लें इसी तरह से धारा--घ में प्रलोभन की बात कही गयी है तो आप धारा 506 को पढ़ लें । मेरे कहने का मतलब यह है कि जो इसमें प्राविधान किये गये है वह हमारे कानूनों में पहले से हैं । अगर इस कानून के होते हुए कोई ऐसी घटना घट गयी जिसको हम रोक नहीं पाये तो वैसी किसी घटना का आपने यहां उल्लेख नहीं किया कि प्रदेश में कहीं और जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन हुआ हो । 20--30--40 साल हो गये, एक घटना भी आपने नहीं बतायी जिसमें जोर जबरदस्ती से किसी का धर्म परिवर्तन किया गया हो और मौजूदा कानून उपयुक्त सिद्ध न हुये हों। अगर ऐसा होता तो विचार किया जा सकता था, ऐसी घटनायें नहीं हुयीं इसलिये इस विधेयक की आवश्यकता नहीं है । हां, 2--4 बातें जो और आपने कहीं है उसके बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा ।

इस प्रदेश में धर्म और राष्ट्रीयता दोनों भिन्न-भिन्न हैं । धर्म राष्ट्रीयता से उपर नहीं है राष्ट्रीयता सबसे ऊपर की चीज है, राष्ट्रीयता किसी धर्म विशेष की धरोहर नहीं है । आज अगर माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, या माननीय लाल प्रताप सिंह या मान्यवर हमारे अम्मार साहब इनके नाम से हम इस प्रदेश की राष्ट्रीयता तय नहीं कर सकते । हमारे इस देश में सिराजुद्दौला भी हुये हैं तो साथ-साथ मीरजाफर भी हुये है । इस देश में पृथ्वीराज चौहान हुये हैं तो जयचंद भी हुये हैं । तो किसी समाज या किसी धर्म विशेष के अनुयायी ही केवल देश प्रेमी हो सकते हैं यह कहना उचित नहीं होगा ।

मान्यवर, हमारे सामने मौजूदा इतिहास भी है उसको अगर हम देखें तो असली बात समझ में आ जायगी । मान्यवर, आपके आर्शीवाद से कुछ दिनों मुझे सेना में सेवा करने का मौका मिला । संयोग से भारत और पाकिस्तान की लड़ाई 1965 की लड़ाई में मुझे फ्रन्ट पर रहने का मौका मिला । पाकिस्तान के खिलाफ जब लड़ाई हो रही थी तो हमारी सेना की टुकड़ी में अगर हुकुमसिंह थे और समरपाल सिंह.....जैसे आदमी थे तो साथ-साथ अब्दुल हमीद जैसे आदमी थे जिन्होंने अपने प्राणों को देश के लिये न्योछावर कर दिया; उनके ऊपर किसी मजहब या धर्म का कोई प्रभाव नहीं हो सका ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, आप देखें बंगलादेश की लड़ाई हुई जिसकी आपको जानकारी होगी। उसमें सबसे ज्यादा वीरता का काम किसने किया ? जब एक पनडुब्बी डूबने लगी तो उसका जो कमांडर था उसने सबसे कहा कि तुम सब लोग सुरक्षा के साथ घर जाओ कमांडर जहाज के साथ डूबता है। सब लोग निकल गये और वह पनडुब्बी के साथ डूबता रहा। वह बहादुर जवान अधिकारी कौन था वह अधिकारी न हिन्दू था, न मुसलमान था वह अधिकारी एक ईसाई था जिसके ऊपर आपने सबसे ज्यादा आक्रमण किया है। मैं कहना चाहता हूं कि हमने अपनी कुरीतियों के कारण यह दीवारे पैदा की है। हमने वर्षों समाज का शोषण किया है। किसी धर्म विशेष को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। क्यों हरिजन ईसाई बन गये ? गरीब आदमी के अन्त:करण में आप झांकें। आज 1989 में भी एक प्रदेश के मुख्य मंत्री को पुलिस के साथ में हरिजनों को दर्शन हेतु मंदिर में ले जाना पड़े और कुछ लोग रोकने का प्रयास करें और वही शिकायत करें कि क्यों ईसाई बन रहे हैं ? आप उनको ठुकरायें और फिर शिकायत करें कि क्यों ईसाई बनें ? कौन है वह लोग जो आज भी आम इस बात का एलान करते है कि जिस महिला के पति का स्वर्गवास हो जाये उसको जीने का अधिकार नहीं है। सती उनके धर्म के अनुरूप है। क्यों नहीं आपने एक शब्द में भी उस आदमी के खिलाफ कहा कि वह हिन्दू धर्म का उपहास कर रहे है। खुले आम जब ऐसे वक्तव्य होंगे, खुलेआम जब ऐसे भाषण होंगे, तो गरीब आदमियों को देखने वाला नहीं होता है, उसको यह आजादी है, उसको जहां सुरक्षा मिलती है, वहां पर वह जायगा। मदर टेरेसा कौन हैं, किस देश से आई हैं ? क्या उनके देश प्रेम या राष्ट्रीयता प्रेम पर कोई प्रश्न-चिन्ह है ? समाज में जो कुछ उन्होंने किया है, उसकी जानकारी किसको नहीं है।

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जिस मंतव्य की प्रकट करने के लिये खड़े हुए थे, वह शिकायत आज नहीं होनी चाहिये, क्योंकि हमारी पार्टी की संस्कृति और उद्देश्य चाहें गांधी जी हों, चाहे मौलाना अबुल कलाम आजाद हों, चाहें पंडित नेहरू हों, चाहे रफी अहमद किदवई हों, चाहे स्वगीय श्रीमती इंदिर गांधी हों, और आज हमारे सम्मानित प्रधान मंत्री माननीय राजीव गांधी है, सभी ने धर्म नि पेक्षता की बात की है, राष्ट्र को धर्म के ऊपर माना है, धर्म राष्ट्रीयता के सामने गौण हैं। धर्मनिरपेक्षता के गौरव के बारे में कुछ पक्तिया आपके समक्ष कहना चाहूंगा, जिसमें लिखा है—कटटर पंथियों और आतंकवादियों की शरारतें, अंगभंग तथा हत्या करने की बारदातों के बावजूद स्वतन्त्र भारत का धर्मनिरपेक्षता का सिद्धान्त गौरवशाली है। हमारे देश के ज्यादातर लोगों की, अपने पूर्वजों के उपदेश "सर्व धर्म समभाव" के प्रति गहरी आस्था है। धर्म निरपेक्षता के प्रति जनता की गहरी आस्था के कारण ही पंजाब मे उग्रवादियों और अलगाववादियों द्वारा साम्प्रदायिक आग को भड़काने के प्रयास पूर्णता विफल हो गये हैं। पंजाब में उग्र ताकतों के होते हुए भी वहां पर सैकड़ों घरों, हजारों गांवों, फार्मों, शहरों में रह रही जनता ने देश और दुनिया के सामने भाई चारे और सौहार्दता की नेक मिसाल कायम की है। हमारे देश में जाति के आधार पर दुराग्रह और पूर्वग्रहों के देखते हुये भारत ने समूचे विश्व को सदियों से आ रहे दुराग्रहो और पूर्वग्रहों, दमन और शोषण से निपटाने के लिये सकारात्मक कार्यवाही करने की प्रेरणा दी है। हमारे देश में जाति के आधार पर कभी न संगठन बने है और न पार्टी बनी है। समस्त विश्व को हमने भाई-चारे की सीख दी है। यह है हमारा आदर्श, जिस आदर्श पर हमारीपार्टी और हम चल रहे है। अगर अपने छोटेपन के कारण, हम यह सोचते है कि यह धर्म किसी परिवार में जन्म लेने के कारण है, तो यह हमारी भूल है। हिन्दूको, सिख को, मुसलमान को, ईसाई को, सबको देश में रहने का समान अधिकार है और सभी ने देश प्रेम के उदाहरण समाज के सामने रखे हैं। इन्हीं संस्कारों में तमाम जातियां है और वे फलती-फूलती रहीहै, कौन मैजारिटी में रह रहा है, मैजारिटी में रहने का यह अधिकार नहीं हो जाता है कि दूसरे को बल पूर्वक किसी धर्म विशेष को मनवाने का अधिकार है। इस विधेयक के पीछे यही षडयंत्र है और मैं क्षमा चाहूंगा यह कहते हुए कि यदि यह विधेयक इतना मासूम होता, तो मैं

इसका विरोध न करता, परन्तु इसके पीछे एक दल विशेष की संकुचित मनोवृत्ति एवं उसकी संकुचित विचारधारा है। आपकी जो संकीर्णता है, उसी को यह विधेयक प्रतिपादित करता है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। उत्तर प्रदेश में ऐसा उदाहरण नहीं है कि वहां कोई बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराया गया हो। जो सामान्य कानून है, उसके अन्तर्गत है आदमी किसी को धर्म बदलने के लिये दबा नहीं सकता और न दबाया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त——

मान्यवर, मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करूंगा, जिन्होंने मेरे इस विधेयक पर अपने मूल्यवान विचार व्यक्त किये। मैंने जो मंत्री जी का भाषण सुना, उससे बड़ी निराशा हुई। मैंने बहुत ही गम्भीर बिन्दु लेकर इस मासले को उठाने का प्रयास किया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि राजनैतिक ढंग से सरकार की ओर से कोई बात लेकर जबाव दिया जायगा। वर्ग विद्वेष, जातिगत लाभ उठाने, साप्रदायिक विद्वेष पैदा करना यह आज सत्तारूढ़ दल के काम करने का तरीका है वह विशेष मन से प्रकट हो गया और वह प्रकट होकर आरोप मेरे ऊपर लगाने लगे।

मैंने यह कहा कहा था कि धर्म और राष्ट्र का टकराव होना चाहिये मैंने स्वयं कहा था कि राष्ट्र हमारी आस्था का बिन्दु है और उपासना पद्धतियां हमारी अलग अलग हो जाती है। सर्वधर्म सदभाव में हम विश्वास करते है लेकिन वह मुझे कमिट है कि इसमें कितने मतभेद है यह जो आपके मन में एक विशेष नफरत की बात पैदा है उसको लेकर आपने बात का बतगड़ बनाने की चेष्टा की है। मैंने स्वयं यह कहा था कि हजारों वर्ष तक इसमें धर्म की मूल भावना प्रवाहित होगी उसका धर्म है कि उसमें सामाजिक कार्य बराबर हो। यह बात मैंने स्वीकार की थी लेकिन जहां पर उसको दूर करने की जरूरत है मान्यवर, में एक उदाहरण देना चाहता हूं कि गौतम जी के पास एक व्यक्ति एक भिखारी को ले गया और कहा कि इसको दीक्षा दे दीजिये तो गौतम जी ने कहा कि आज वह बिश्राम करें उसको कल दीक्षा देगे जब दूसरे दिन कहा गया तो उन्होंने फिर वही दुहरा दिया कि आज विश्राम करें कल इसको दीक्षा देगे जब तीसरे दिन फिर उनसे कहा गया कि इसे दीक्षा दे तो उन्होंने उसको दीक्षा दी। जब उनसे पूछा गया कि आपने इतने बार कहने के बाद इसको दीक्षा दी इसका क्या कारण है तो उन्होंने कहा कि यह भूखा पेट था, निरीह गरीब भिखारी था आप हमारे यहां लाये थे पहले इसका पेट भरने की जरूरत थी तो इसका पहले पेट भरा गया है अब इसके बाद इसके, बात समझ में आयेगी।

तो मान्यवर, आज हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग कठिनाई का अनुभव करता है उसके कारण उसके गुलबुलाहट पैदा है। क्या इसकी वजह है जो उसका धर्म है जो उसका परमात्मा को पाने का उसका तरीका है, जो निश्चय है उसे उसको परिवर्तित करने का मौका दिया जायेगा? अभी भी समय है, नहीं दिया जायेगा, यही हमारा संविधान भी कहता है है कि नहीं दिया जायगा हमारे अपने धर्म के विषय की आजादी का ऐसा कहीं भी मतलब नहीं है कि इसमें परिवर्तन की आजादी दें। मै खुद सहमत हूं कि हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन यह सब हमारे देश की जो इन्द्रधनुषी हैं,

श्री नरेन्द्र देव——

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता——

कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

श्री नरेन्द्र देव——

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी विद्वान सदस्य है मैं उनसे कुछ सीखना चाहता हूं। मेरा मात्र एक प्रश्न है कि धर्म नाम की इकाई की स्वतंत्रता ज्यादा महत्वपूर्ण हैं या मानव नाम की इकाई ज्यादा महत्वपूर्ण है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, क्या इनको समझाया जाय आप यह समझ लीजिए कि मानव तो सिर्फ एक व्यक्ति है उस व्यक्ति का विकास मानवीय में उस परम्परा को मानने वाला है। (व्यवधान) आपकी समझ में यह बात नहीं आयेगी। मान्यवर, मैं एक अंतिम बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय हुकुम सिंह जी सिद्धान्ततः मेरी बात से सहमत नहीं थे उन्होंने कहा कि कानून बनाने की क्या जरूरत थी? मान्यवर, यह मैं जानता चाहता हूं कि संवैधानिक चाइल्ड लेबर पर रोक लगती है लेकिन कौन नहीं जानता कि पापी पेट की वजह से न जाने कितने काम करते हैं क्या हम यह कह कर उनको काम करने का मौका देंगे या उनका शोषण करने वाले व्यक्ति को क्षमा कर देंगे। कानून यह भी देखता है। इन बच्चों का संरक्षण मिलना चाहिये इसीलिये हमने चाइल्ड लेबर के खिलाफ यह कानून बनाया। यह जानते हुए भी मिनिमम वेजेज बनाया कि न जाने कितने गरीब बेचारे 2–3 रुपये पर काम करते हैं क्या इसमें आप उसका चालान करेंगे? अगर आदमी स्वेच्छा से परिवर्तित करता है तो आपत्ति नहीं है वह तो अपनी उपासना पद्धति है, लेकिन जोर जबरदस्ती से और प्रलोभन से ऐसा किया जायगा तोमैं समझता हूं कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी बुद्धि अपनी जगह है लेकिन संविधान, कानून और उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट इसका समर्थन नहीं करते। राष्ट्रीय आवश्यकता को हम भी समझते हैं। चलनी में दूध निकल जाय तो किसको दोष देंगे? दोनों बातें हैं। समाज में समता का वातावरण पैदा करने की जरूरत है, लेकिन समाज के द्वारा तिरस्कृत होने के कारण, संरक्षण न मिलने के कारण कोई धर्मान्तरण करता है तो ऐसे धर्मान्तरण की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसीलिये यह विधेयक पेश है।

मा0 खाद्य मंत्री जी ने पार्टी की बात कही, तो दिल्ली की सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिये हैं कि इसके खिलाफ कानून बनावें। मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, आपकी पार्टी की सरकार है, तो उत्तर प्रदेश की आपकी इस पार्टी के मन में यह बात कैसे पैदा हो गयी? इसलिये पैदा हो गयी क्योंकि आपके कौम में संकुचित भावनाएं हैं और हर बात को राजनीतिक रूप देकर सोचते हैं। इसी रूप से राष्ट्रहित की न सोचते हुए कोई बात कहनी है, इसका प्रतिफ,ल उनके भाषण में दिखाई पड़ता है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई साम्प्रदायिकता की बात नहीं है। मेरा यह विधेयक लाने का उद्देश्य राष्ट्र में सर्वधर्म समभाव में आस्था व्यक्त करने के लिये आया है। इसीलिये यह विधेयक पास होना आज राष्ट्र की और समाज की आवश्यकता है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिये मैने यह विधेयक दिया है। उनकी पार्टी की रीति नीति ऐसी है जो हर चीज में साम्प्रदायिकता की गन्ध देखती है। यह अच्छी बात नहीं है। इसलिये मैं अपने इस विधेयक पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता विधेयक, 1989 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

वन (संरक्षण) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता—

मद संख्या 18 की आवश्यकता नहीं है। आज का एजेंडा इतना लम्बा है कि मेरा ख्याल है कि इसी तरह से बैठे रहे तो कल सुबह 11.00 बजे बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यही जारी रहेगा। इसलिये 5 मिनट में आप अपनीबात कह दीजिये और 2–4 मिनट में और लोग बोल लेंगे।

[समय 3 बजकर 40 मिनट]

श्री काशी सिंह ऐरी—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से वन (संरक्षण उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार किये जाने का प्रस्ताव करता हूं।

माननीय, इस विधेयक के समर्थन में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सम्मानित सदन के समक्ष जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में केन्द्र सरकार द्वारा पारित किया गया और जिसमें इस बात का प्राविधान किया गया कि वह वन भूमि का उपयोग किसी भी गैर वानिकी प्रयोजन के लिये करने के पहले केन्द्र सरकार से अनुमति लेना आवश्यक होगा। माननीय, मैं महसूस करता हूं कि यह सही है कि इस अधिनियम के बनाने के पहले जो भावना रही है, वह यह रही है कि हमारे जो तेजी से काम होते जा रहे, वन हैं तेजीसे कम होती जा रही वन भूमि है, उस पर रोक लगे, ताकि जो हमारी वन रीति 1952 में बनी, और जिसके तहत यह सिफारिश की गयी कि कम से कम 33 प्रतिशत वन क्षेत्र मैदानों मेंऔर 66 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र में होने चाहिये, उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। माननीय, यह भावना बहुत अच्छी है। हमने तो हमेशा इस प्रदेश की जनता ने और खासकर पर्वतीय क्षेत्र की जनता ने सरकार से हमेशा ही मांग की कि जंगल का जो अंधाधुन्ध विनाश है जंगलों का जो कामर्शियल उपयोग के लिये जिस तरह से विनाश किया जाता रहा है, उस पर रोक लगे हमेशा मांग की है और आज भी करते हैं। लेकिन उसको ठीक करने के लिये, जंगलों को बढ़ाने के लिये, बनाने के लिये, जो प्रयत्न किये जाने चाहिये थे, जो नीति अपनायी जानी चाहिये थी, जो संकल्प होना चाहिये था हमारा, वह नहीं रहा, न उत्तर प्रदेश सरकार का और न भारत सरकार की सरकार का और हमने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे, बिना इस बात को देखे हुये कि इस अधिनियम को पारित करने के बाद हमारे इन क्षेत्रों में लोगों को कितनी कठिनाई होगी, क्या तकलीफ होगी, हमने वन संरक्षण अधिनियम पारित कर दिया और , बिडम्बना है, कि मैं माननीय, इस बात को आपकी जानकारी में लाना चाहता हुं, इस बात की जानकारी देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने 1980 में विधेयक को खुशी खुशी पास किया था, हमारे सांसद हैं हमारे क्षेत्र के, वे आज परेशान हैं, माननीय प्रधान मंत्री जी को पात्र लिख रहे हैं, ग्राम प्रधानों से पत्र लिखा रहे हैं कि आप प्रस्ताव करके माननीय प्रधान मंत्री जी से कहिये कि आवश्यक संशोधन किया जाय। उत्तर प्रदेश सरकार को लिख रहे हैं कि इससे हमारे यहां बड़ी कठिनाइयां पैदा हो रही हैं इस अधिनियम के कारण, इसका सरलीकरण होना चाहिये इसमें आवश्यक कार्यवाही हेतु केन्द्र सरकार को लिखें।

तो माननीय, बिडम्बना यह है अधिनियम की जो आज हमारे सामने है। आज खास कर पर्वतीय क्षेत्र में ही नही पूरे प्रदेश में कठिनाई है लोगों को इससे। वन विभाग के बजट के दिन भी माननीय सदस्यों को इस पर आपने सुना था। सारे सदस्यों ने शिकायत की थी और इससे उत्पन्न कठिनाइयां सरकार के सामने रखी, सदन के समक्ष रखी थी। उससे यह साफ हो गया था कि सभी लोग इससे परेशान थे खासकर पर्वतीय क्षेत्र मे तो तो माननीय, हालत यह थी, नियम 56 के अन्तर्गत भी सूचना देकर सदन के माध्यम से सरकार सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था, वहां हालत यह थी कि हजारों योजनायें, जिनमें पैसा स्वीकृत है, जिनमें बहुत सारा काम हो चुका है, बहुत पैसा जिन पर खर्च हो चुका है, लेकिन बीच में कुछ पेड़ों को काटने की इजाजत न मिलने के कारण कुछ वन भूमि का इस्तेमाल करने की इजाजत केन्द्र सरकार से न मिलने के कारण हमारी सभी योजनयें बंद पड़ी हैं। हालत यह है कि 1980–81 के बाद से विकास के कार्य वहां लगभग ठप से हो गये हैं। एक ओर यह दिक्कत है कि दूसरी ओर हालत यह है कि वन संरक्षण अधिनियम के होने के कारण दैनिक जरुरतों की चीजें भी प्राप्त करने में बहुत कठिनाई हो रही है। कठिनाई ही रही है कि जलाने के लिये लकड़ी चाहिये। लकड़ी लाने के लिये लोग जंगल में

जाते हैं। वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वह चीज आती है हमको लकड़ी नहीं मिल सकती अगर जबरदस्ती लकड़ी लेते हैं तो मुलजिम हैं हमारे ऊपर केस चल सकते हैं। हमारी मातायें बहनें घास लेने जाती हैं।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय ऐरी जी अब बाद में कह लीजियेगा।

श्रीकाशी सिंह ऐरी---

उन औरतों की बेइज्जती होती है ग्रामीण महिलाओं की। बहुत सी औरतें तो जंगलात विभाग के लोगों के भय के कारण पेड़ से गिर गयी और मर गयी। यह सब कठिनाइयां सामने आयी वन संरक्षण अधिनियम के कारण। इसमें आवश्यकता महसूस की गयी है आवश्वक संशोधन इसमें किये जाने चाहिये कुछ रियायतें दी जानी चाहिये चाहिये ताकि वन संरक्षण भी बना रहे वन बढ़े संरक्षण हो।

श्री अधिष्ठता---

उत्तर भाषण में कह दीजियेगा ऐरी अब बाद में कह लीजियेगा। ऐरी जी आप जो चाहते हैं उसे जल्दी संक्षेप में कहें।

श्री काशी सिंह ऐरी---

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि इतनी कठिनाई हमारे समक्ष आयी, तो हम लोगों ने, वहां की जनता ने भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि इस अधिनियम में रियायत कर दूं, संशोधन कर दें। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ होती है, इस बात कों कहते हुये यह जो वन अधिनियम बनाया जागया, जिस विषय वस्तु के अन्तर्गत, यह विषय समवर्ती सूची में आता है और भले ही इसे केन्द्र सरकार ने बनाया हो, लेकिन राज्य सरकार को इस कानून में सशोधन करने का पूरा अधिकार है। लेकिन इस प्रदेश की सरकार ने हमारे दुखदर्द को नहीं समझा, हमारे विकास के कार्यक्रम का जो इतना बड़ा अवरोध है, उसको नहीं देखा और पर्वतीय क्षेत्र की जनता की तकलीफ को नहीं देखा और आज यह तक यह प्रदेश सरकार कान में तेल डाले बैठी रही और इसमें कोई सशोधन नहीं किया और उल्टे जो प्रस्ताव यहां से जाते हैं, उसके सबध में मुझे जानकारी मिली है कि यहां के अधिकारी द्वारा भी उसको सही और सुव्यवस्थित नहीं भेजते जिसका नतीजा यह हुआ कि हमारासारा विकास कार्य अवरुद्ध हो गया है। इसलिये मैंने यह सोचा कि उत्तर प्रदेश सरकार के सामने यह मामला रखूं और यह निवेदन करूं, आपके माध्यम से कि सरकार पर्वतीय क्षेत्र की जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिये वन संरक्षण को भी बनाये रखे और वहां के विकास कार्य अवरुद्ध न हों, इस बात को ध्यान में रखते हुये मेरे संशोधन को स्वीकार करें और उसमें संशोधन करें।

मान्यवर, मैं यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे यहां उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के तत्वाधान में उसकी लीडरशिप में बहुत बड़ा आन्दोलन चल रहा है और लोगों में जबरदस्त विद्रोह व्याप्त है।जिस तरह से पहले ब्रिटिश शासनकाल में हमारे हक-हकूकों को कम करने केलिये, चेक करने के लिये जंगलात के कानून बनाये गये थे, जिस पर उस समय लोगोंने आन्दोलन किया और विद्रोह किया, उसी तरह की स्थिति आज उत्तराखण्ड में है, लोग आन्दोलन कर रहे हैं। मान्यवर, ब्रिटिश शासन काल में इस आन्दोलन में हमारे स्वनामधन्य पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त जी ने भी शिरकत की थी और ब्रिटिश शासन को इस बात के लिये विवश किया कि वह लोगों की बात को सुनें, और उनकी तकलीफ को दूर करे। आज उसी किस्म का आन्दोलन आज पहाड़ की जनता करने को मजबूर हुयी है और हमारे 11 साथी जेल में भी बन्द हैं। लोग जगह-जगह आन्दोलन कर रहे है और मांग कर रहे है कि वन

अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया जाय ताकि वहां के विकास के कार्यों में बाधा न पड़े। मान्यवर, लोगों की दैनिक आवश्यकता की चीजों को प्राप्त करने के लिये और पहाड़ की जनता की भावनाओं को देखते हुये यह जरुरी हो गया है कि इस वन अधिनियम में संशोधन किया जाय । हम हिमालय की रक्षा करेंगे, तो देश की रक्षा होगी और इस प्रदेश की रक्षा होगी और यह कर्त्तव्य हमारे पर्वतवासियों का है, जिसे हम स्वीकार करते हैं। किस कीमत पर हिमालय का संरक्षण कर रहे हैं, किस कीमत पर जगलों का संरक्षण कर रहे है और किस कीमत पर वहां के लोगों को आप सारे अधिनियमों में बांधे दे रहे हैं, आज इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मेरा निवेदन है कि इस पर सरकार विचार करे और इस अधिनियम में संशोधन को स्वीकार करे।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं मा0 काशी सिंह ऐरी जी द्वारा जो वन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है, उसी के संबंध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं भी पहाड़ी क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति हूं और काफी समय से अपने जनपद टिहरी गढ़वाल के वनों को देख रहा हूं। टिहरी गढ़वाल में, मेरी यादगार में बहुत अच्छ जंगल थे। एक बार एक जर्मन वैज्ञानिक टिहरी आये थे, और उन्होंने इन टिहरीगढ़वाल के पहाड़ों के संबंध में कहा था कि, "देयर आर रिचेस्ट पाइन फारेस्ट इन दी वर्ल्ड।" लेकिन आज मैं देखता हूं कि वह सब समाप्त हो रहे हैं। जैसे वन पहले थे अब नहीं रहे। वन गायब हो रहे हैं। आज जिस समय और समाज में हम रह रहे हैं और जब से यह दुनिया बनी है, सबसे नवीन समय है ये सब पेड़-पौधे बने हैं हम बने हैं ये सब गत इतिहास में बने हैं आने वाला जो समय है वह हमारे लिए नवीनतम समय है। हम पीछे भागने वाले नहीं हैं, हम सुखद भविष्य की ओर आगे जाने वाले पर आज हम देखते हैं कि प्रकृति व पर्यावरण का व जंगलों का विनाश हो रहा है। ऐसा करके मानव सभ्यता खुद के लिये अपना विनाश प्रस्तुत कर रही है।

मनुष्य बहुत ही संकीर्ण दायरे से सारी दुनिया को देखता है। प्रकृति ने या भगवान ने जो ये पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, हवा, पानी, ये सब जो बनाये हैं इन सब चीजों का इस्तेमाल आदमी अपने स्वार्थ के लिये ही करना चाहता है इनके अस्तित्व के लिये नहीं। अगर लकड़ी है तो उसे जलाने व घर बनाने के लिये चाहिये, घोड़ा है तो उसे सवारी के लिये चाहिये, पानी अगर है तो उसे इकट्ठा कर वह बांध बना लेता है, इसी प्रकार प्रकृति में जो और सब चीजें हैं, उन्हें आदमी सिर्फ अपने प्रयोग में ही लाना चाहता है। आदमी को सादी प्रकृति की तरफ वन सम्पदा की तरफ बहुत ध्यान देना चाहिये। हमारे जिले में कुछ सड़कें बहुत ही घने जंगल में स्वीकृत हुई। केन्द्र सरकार का जब वन अधिनियम बना तो कुछ सड़कें रद्द हो गई। मुझे ही खुशी है। इसका कारण यह था कि एक तो वह घने जंगल में बननी थी, जिसकी वजह से वन तो कट जाता ही दूसरा, उसका कोई सार्थक जनोपयोग नहीं था। वहां की जनता ने भी इसको उचित ही समझा। आज हम दो पाटों के बीच में पिस रहे हैं। एक ओर तो वनों की रक्षा करो, दूसरा कि पर्वतीय क्षेत्र का विकास समाप्त हो रहा है। वन भी रहे और विकास भी हो कि व्यवस्था है पर हमारे जो अधिकारी हैं, वे समुचित ध्यान नहीं देते हैं। जनता के हित में किस तरह से काम होना चाहिये, इसे उन्हें देखना चाहिये कि वे जल्दी हो। पर मूल बात यह है कि सरकार के पास अन्य निर्माण कार्य कराने के लिये पैसा नहीं है। हमारे यहां एक इन्जीनियर कह रहे थे---काम न कराने का वन अधिनियम अच्छा बहाना है। पैसा तो है नहीं।

श्री अधिष्ठाता---

जो तर्क वाली बात थी, वह आपने कह दी। जो अब आप यह कह रहे हैं, यह कोई तर्क नहीं है। कृपा करके आप बैठ जायं।

*श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, वन (संरक्षण) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 को माननीय श्री काशी सिंह ऐरी जी ने इस सदन के समक्ष प्रस्तुत कर पूरी प्रदेश की जन भावना ओं के प्रति आदर व्यक्त किया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में केन्द्र सरकार ने बनाया। मान्यवर, वन समवर्ती सूची में आता है। केन्द्र सरकार ने अधिनियम बनाकर पुराने सब कानूनों को समाप्त कर दिया है। इस अधिनियम को बनाकर पूरे प्रदेश की जनता के गले में एक फंदा जैसा डाल दिया है। पर्वतीय क्षेत्र की जनता बुरी तरह से पीड़ित है। न वहां की जनता विकास के कार्यों को देख सकती है, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें मुहैया नहीं कर सकती। चौखुटिया में उनकी नाक के नीचे पत्थर की स्लेटें हैं लेकिन काटकर अपने काम में नहीं ला सकते। मध्य प्रदेश से जब स्लेटें आयेंगी तब मकान बनेंगे और उसका इस्तेमाल होगा। अगर एक टहनी ईधन के लिये जरूरत पड़े, अगर घास की जरूरत हो तो भी उनके हाथ बंधे हैं। केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बाद घास, टहनी, स्लेटें, ये छोटी-छोटी चीजें हैं उनके लिये केन्द्र सरकार की तरफ देखना पड़ता है। केन्द्र सरकार ने आज तक वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी योजना के लिये कोई भी जमीन अनुमोदित करके नहीं दी होगी।

एक पार्क है नेशनल कार्बेट पार्क, वहां पर एक समिति के साथ मुझे भी जाने का मौका मिला था। एक गांव छोटा सा है चारों तरफ वन से घिरा हुआ। उस गांव के लोग चाहते हैं कि उनको कहीं और जगह दे दी जाय ताकि शेर चीतों से उनको निजात मिल सके, लेकिन वे लोग एक दर्दनाक जिन्दगी जीने के लिये मजबूर हैं। वन संरक्षण अधिनियम के नाते कहीं पर जमीन नहीं दी जा रही है। एक कम्भीर संकट पैदा कर दिया है, इसने। पर्वतीय क्षेत्र के लोग विशेष रूप से पीड़ित हैं, मैदानी क्षेत्र के लोग भी पीड़ित हैं। जो संशोधन विधेयक यहां मा0 काशी सिंह ऐसी जी ने रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं और धन्यवाद देता हूं माननीय ऐरी जी को जिन्होंने प्रदेश की जनता की भावना के अनुकूल यह विधेयक सदन के सामने रखा है।

(श्री राम शरण दास द्वारा अपनी सीट पर बैठे-बैठे आंखें बन्द कर लेने पर)

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

मान्यवर, लगता है मा0 राम शरण दास जी को ट्रेन में सोने की जगह नहीं मिली।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, बख्शी दीदी कह रही हैं कि माननीय राम शरण दास जी सो रहे है!

श्री राम शरण दास--

मेरी आंखें जरूर बन्द थीं लेकिन मैं देख-सुन सब रहा था।

श्री अम्मार रिजवी--

मेरा अनुरोध है कि कृपया इसी मुद्रा में रहा करें क्योंकि सदन में शान्ति रहती है।

(हंसी)

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीया बख्शी जी की नजर हमेशा रही है माननीय राम शरण दास जी पर!

(हंसी)

(श्री अधिष्ठाता द्वारा उत्तर देने के लिये मा0 मन्त्री जी को पुकारे जाने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह---

मान्यवर, मुझे भी दो मिनट का समय दे दें ।

श्री अधिष्ठाता---

मा0 मन्त्री जी के बोलने के बाद भी आप बोल सकते हैं, आप बाद में बोल लीजियेगा ।

वन उप मंत्री (श्री शैलेन्द्र कुमार)---

मान्यवर, अभी जैसा कि इधर और उधर के सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं वन संरक्षण अधिनियम के संशोधन के विषय में ।यह कहना चाहूंगा कि जैसा कई बार माननीय ऐरी साहब ने संशोधन पर अपने विचार रखे, आपको भी विदित होगा और माननीय सदस्य को भी विदित होगा कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 भारत सरकार द्वारा लागू हुआ है। ऐरी साहब ने पहले भी वक्तव्य और चर्चा में इस सम्बन्ध में कहा । जहां तक विकास की बात है, सरकार जागरूक है । हम कोशिश कर रहे हैं कि विकास सम्बन्धी कोई भी कार्य रुक न पाये । वन विभाग के कार्य क्षेत्र में भारत सरकार की अनुमति के बाद ही विकास संबंधी कार्य जैसे ऊर्जा, परिवहन और सड़क के मामले देखते हैं । वन संरक्षण अधिनियम को संशोधन करने का औचित्य नहीं है ।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह---

मान्यवर, मैं माननीय ऐरी जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । अभी माननीय सदस्यों ने आपके सामने ठंढे पहाड़ों की बातें रखीं, अब मैं आपके सामने बुन्देलखण्ड के गर्म पहाड़ की बात रखने जा रहा हूं । विन्ध्य श्रेणी से घिरा हुआ हमारा बुन्देलखण्ड है और वहां पर भी इसी प्रकार की समस्यायें आ रही हैं वहां के सारे विकास कार्य अवरुद्ध हो चुके हैं । वहां पर हमारे गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हुआ था, लेकिन सारी भूमि वनों में चली जाने के कारण अब वहां ऐसा कोई स्थान नहीं बचा है जहां कि वह स्वास्थ्य केन्द्र खोला जा सके ।

मान्यवर, हमारे यहां महुआ गुली बीन कर लोग अपना जीवन यापन करते हैं । वहां पर वनों के अधिकारी, यदि वे अब एक दिन भी जंगल में घुस जाते हैं तो उनको वह घुसने नहीं देते हैं । इसी प्रकार से सूखी लकड़ी बीनने के लिये वह लोग जंगल में घुस जाते थे लेकिन अब यह अधिनियम बन जाने से उनको प्रताड़ित किया जाता है घुसने नहीं दिया जाता है । हमारे यहां जंगली जानवर बहुत ज्यादा हैं और उनके द्वारा जो नुकसान किया जाता है, उसकी कोई भरपाई नहीं होती है । हमारे मवेशी जो हमेशा चारे के लिये जंगलों में जाते थे, अब उनको रोक दिया जाता है ।

हमारे गांव में दो मन्दिर हैं उनकी हम लोग वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं आज वे वन विभाग के अन्तर्गत पहुंच गये हैं तो हम लोग उस मन्दिर में अब पूजा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों को अब वहां पर घुसने नहीं दिया जाता है । इसलिये मान्यवर ऐरी जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को अवश्य स्वीकार करेंगे ।

श्री काशी सिंह ऐरी---

मान्यवर, मैंने सभी सम्मानित सदस्यों के विचार सुने । हमारे पर्वतीय क्षेत्र के माननीय सकलानी जी की भी बात मैंने सुनी और मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब उन्होंने कहा कि वन संरक्षण अधिनियम उतना कठिन नहीं है । माननीय मंत्री जी तो अभी नये-नये हैं, हो सकता है कि उनको इस सम्बन्ध में उतनी जानकारी न हो किन्तु सकलानी जी ने जो भाषण दिया तो उससे मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई कि रोड नहीं बन रही है तो कोई बात नहीं । जंगल

बचे रहे यह ठीक है । मैं जानना चाहता हूं कि अपने क्षेत्र में आप जाते अवश्य होंगे, ऋषीकेश में तो बैठे नहीं रहते होंगे तब भी आपको वहां की जनता की तकलीफ का पता नहीं है ?

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी---

मैंने कुछ सड़कों के बारे में कहा था कि घने जंगल के कारण वह रद्द कर दी गयी, वह सड़क नहीं बनी इससे मुझे भी खुशी हुई और वहां की जनता को भी खुशी हुई । मैंने सब सड़कों के बारे में नहीं कहा था ।

श्री काशी सिंह ऐरी---

खैर, आपके कहने का मतलब तो यही है कि वन संरक्षण अधिनियम सही है । मान्यवर, इस अधिनियम के तहत पहाड़ों पर आन्दोलन चल रहा है और सकलानी जी के जिले में कम से कम दो जगहों पर हजारों की संख्या में लोगों ने आन्दोलन किया है । यदि आप जनभावना का आदर करते जनमानस को समझने की कोशिश करते तो आप ऐसी बातें यहां पर न करते ।

मान्यवर, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो वन का विषय है उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिये तो यह था कि अपने अधिकारों में कटौती न करके केन्द्र सरकार को उस पर अधिनियम बनाने की इजाजत न देती । और जब यह अधिनियम बन ही गया था तो उत्तर प्रदेश सरकार अपनी ओर से इसमें संशोधन पेश करती । लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सारे अधिकार केन्द्र सरकार के हवाले कर दिये हैं । हमारा यह संशोधन लाने का मकसद यह था कि उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार पर जोर डाले कि हम लोग जंगल का विनाश करने वाले नहीं हैं । जनहित में जो हमारे अधिकार हैं उसके तहत हमें इतना अधिकार हो कि हम अपना फैसला आप ले सकें, हमारा मकसद तो यह था । लेकिन यहां तो जो केन्द्रीय सरकार इनके बारे में सोच रही है, इनके बारे में जो राय रखती है वह अच्छी नहीं है,वह यह समझती है कि राज्य सरकारें वनों की दुश्मन हैं और मान्यवर यह है भी दुश्मन यहां इस मामले में कोई दो राय नहीं है, इनके क्षेत्राधिकार में जो वन आते हैं, इनके द्वारा, वन अधिकारियों व पुलिस द्वारा वनों का जो कटान हो रहा है, और वन भूमि पर जो कब्जा हो रहा है, वह इसी बात का द्योतक है जिससे साफ जाहिर होता है कि इन्हें वनों से कोई लगाव नहीं है, पर्यावरण से कोई लगाव नहीं है । अगर इनको लगाव है तो अपने लोगों से है और अपने ही लोगों को आगे बढ़ाने से है चाहे वह चोरी से बढ़ावें या किसी अन्य रास्ते से और इन्हें लोगों की समस्याओं से उनकी विभिन्न परेशानियों से कोई संवेदनशीलता नहीं है । इस प्रकार से यह सरकार अपनी संवेदनशीलता को खो चुकी है । इसलिये मान्यवर मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जो हमने यहां पर आपके समक्ष लाखों व करोड़ों जनता की आवाज को रखने के प्रयास किये हैं, जिस पर माननीय मंत्री जी ने बड़े ही सहज भाव से कह दिया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आपका इसी तरह की संवेदनहीनता का रवैया आगे भी रहा तो भविष्य में आने वाले समय में जब जनता अपने हकूक के लिये, अपने विकास के लिए विद्रोह करेगी और आपसे निपटेगी, तो जनता से निपटना तो आपके लिए आसान है,क्योंकि यह लाठी डंडे वाली सरकार है, फिर भी हर चीज की एक सीमा होती है,जब यह समस्याग्रस्त जनता अपने विकास के लिये अपने हकूक के लिये नीचे उतरेगी और फिर ऐसे समय में जो भी घटना दुर्घटना होगी, उस सब की जिम्मेदारी आप पर होगी । इसके लिये आप तैयार रहिये, हमने तो अपने फर्ज को अदा कर दिया मा0 सकलानी जी भी और शासन भी इसे सुन ले.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

मा0 ऐरी जी अब अपनी बात को समाप्त करें ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी---
(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

नहीं मा० सकलानी जी आप बगैर अनुमति के बोल रहे हैं, कुछ कुछ भी नहीं लिखा जायगा कृपया बैठ जाइए.....(शोर).....

श्री शैलेन्द्र कुमार---

मान्यवर, माननीय सदस्य, ऐरी साहब ने जो संशोधन विधेयक रखा है, यह विषय यहां का नहीं है, यह विषय भारत सरकार के अन्तर्गत वन अधिनियम में आता है आप स्वयं देखें कि इसमें कितनी दिक्कतें हैं ? एक तो पर्यावरण प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या है, दूसरे वर्षा के लिए अच्छी जमीन हो, वन भूमि को कटाव से रोकने की समस्या है । अतः इन सब समस्याओं से वनों की रक्षा करना आवश्यक है । इसलिये यह संशोधन भारत सरकार ही कर सकती है ।

श्री अधिष्ठाता---

अब प्रश्न यह है कि वन (संरक्षण) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ) ।

उत्तर प्रदेश समान बेसिक शिक्षा, पाठ्य क्रम उपकरण एवं शुल्क विधेयक, 1989 (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता---

अब मद संख्या-20 का तो प्रश्न ही नहीं उठता है मद संख्या 21 ली जाती है, श्री सूर्य-प्रताप शाही, पहले विधेयक को विचार के लिए प्रस्तुत करें ।

(समय 4 बजकर 12 मिनट)

*श्री सूर्य प्रताप शाही---

मान्यवर मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश समान बेसिक शिक्षा पाठ्यक्रम एवं शुल्क विधेयक, 1989 पर विचार किया जाये ।

मान्यवर, वह जो विधेयक मैंने प्रस्तुत किया है, उसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश की नाकामयाबी । मैं आपके सामने भारत के संविधान के उद्देश्यों को पढ़ना चाहता हूं, जिसमें लिखा है-सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोक तंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता की प्राप्ति के लिये राज्य की स्थापना की गयी है । भारत के संविधान की धारा 41, 45 और 46 में इस चीज का प्राविधान किया गया है कि देश और प्रदेश में पैदा होने वाले बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी । इसका उल्लेख किया गया है और संविधान निर्माताओं की अपेक्षा थी कि इसका पालन किया जाये और इसीलिये नीति निर्देशक तत्व बनाये गये और अनुसूची 41 में यह व्यवस्था की गयी है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी प्रबन्ध करेगा । अनुसूची 45 में है कि राज्य इस

नोट---(* * *) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिये उपबन्ध करन का प्रयास करेगा और अनुसूचो 46 में है कि राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टितया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अथ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करगा और सामाजिक अन्याय और सभो प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा ।

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि राज्य अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं कर पा रहा है, सरकार को 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिये, लेकिन वह इसमें असफल रही है और जिसके कारण पूंजीपति, व्यापारिक संस्थायें और व्यापारियों ने इसका लाभ उठाकर शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की है और भारी शुल्क लना शुरू कर दिया है । फीस पर कोई नियंत्रण नहीं है । यह संस्थायें 5 सौ रुपय स लेकर डढ़ हजार तक फीस वसूल करती हैं दून स्कूल है, लामार्टीनियर और सेंट फ्रान्सिस जैसे स्कूल हैं, जो भारी फीस चार्ज करते हैं और दूसरी ओर जो प्राइमरी पाठशालायें हैं, जो शिक्षा परिषद् के तहत आती हैं, उनकी हालत यह है कि वहां पर कोई मास्टर नहीं जाता है, वहां पर ब्लैक बोर्ड नहीं है, बैठने का स्थान नहीं है, पढ़ाने का कोई उपकरण नहीं है और वहां पर अध्यापक मनमाने ढंग से जाता है, भवन नहीं है और बच्चे पेड़ के नीचे लू में बैठते हैं, छत गिरने वाली रहती है और बरसात में तो स्कूल बन्द ही कर दिय जाते हैं । सरकारी तंत्र के कारण यह स्कूल निष्क्रिय हैं और सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रही है, देहात में बच्चों के लिये बहुत मुसीबत खड़ी हो गयी है, इसका कारण यह है कि सरकार उनके लिये धन की व्यवस्था नहीं कर पाती है । सरकार जो खर्च करती है वह एक बच्चे पर 5 रुपये का खर्च आता है, तो कैसे काम चलेगा । भारत सरकार ने जो प्रतिवेदन दिया है, 7वीं पंचवर्षीय योजनय में शिक्षा पर जो परिव्यय है वह 1.5 प्रतिशत है । 63 प्रतिशत छात्र प्राइमरी पाठशालाओं मे पढ़ते हैं अगर वह अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं पढ़ाई छोड़ेंने वालों में 73 प्रतिशत तो ऐसे हैं,जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, इसलिये वह स्कूल छोड़ कर चले जाते हैं । मान्यवर, मैं यह विधेयक इसलिये लाया हूं, इसके पीछे यह मंशा रही है कि यह सरकार 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क और अनिवाय शिक्षा करने में फेल हो गई है जिसका कारण यह है कि प्रदेश के अन्दर कहीं सिटी मांटेसरी स्कूल चल रह हैं, कहीं कान्वेन्ट स्कूल चल रहे हैं और लखनऊ का जो सिटी मांटसरी स्कूल है जो करोड़ों-करोड़ों रुपया एक-एक साल में गरीबों के बच्चों से अर्जित करने का काम करता है उसक साथ इस सरकार की भी साजिश रही है और सरकार ने अधिकतम कितना शुल्क रखा जाय इसके ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है जिसका नतीजा यह हुआ कि जहां मुख्य मंत्री जी उद्घाटन करन के लिये जाते हैं, भारत सरकार के लोग जाते हैं, लखनऊ में ही इस राजधानी में आप दे खेंगे, करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष ये संस्थायें गरीबों के बच्चों से लूट लेते हैं और अध्यापकों को वेतन तक नहीं दिया जाता है । ये उनका शोषण करते हैं, पढ़ाई का शोषण होता है , अध्यापकों का शोषण करते हैं और पूरे प्रदेश में लाखों की तादाद में आज ऐसे प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल चल रहे हैं जहां जनता का और उनके बच्चों का षोषण होता है और अध्यापकों के श्रम का शोषण होता है । इसको रोकने के लिये इस सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया है। एक तो इस विधेयक को लाने का यह उद्देश्य था ।

मान्यवर, दूसरा उद्देश्य इसके पीछे यह था कि मैंने बताया कि आज इन प्राइमरी पाठशालाओं की कितनी जर्जर स्थिति है जिनमें हमारे डेढ़ करोड़ बच्चे पढ़ते है दूसरी तरफ दून स्कूल हैं जहां पर एक बच्चे के ऊपर पांच हजार रुपये खर्च होते हैं । लखनऊ में लारेटो कन्वेन्ट स्कूल है, सेंट फांसिस स्कूल, ला-मार्टीनियर स्कूल हैं जहां पर एक बच्चे के ऊपर हजारों रुपया खर्च होता है । सिटीमांटेसरी स्कूल वहां पर कक्षा 4 में एक बच्चे से 150 रुपये फीस ली जाती है । इसका नतीजा यह होता है कि संविधान में जो व्यवस्था दी गई है कि सभी को समता का अवसर दिया डायेगा, इसका पालन नहीं होता । समता

का अवसर इन बच्चों को नहीं मिल पाता है। ग्रामीण इलाके से जो बच्चे आते हैं, उन्हें यह अवसर नही मिलता।

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 46 में यह व्यवस्था है, संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था उसमें की है कि "राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। यह बनाया था कि सभी को समता का अवसर प्रदान किया जायेगा लेकिन सरकार ने शिक्षा के माध्यम से उनमें आर्थिक विषमता की एक दीवार खड़ी करना शुरू कर दिया जो आकाश की ऊंचाइयां छूने लगी है। आज बेहतर कान्वेन्ट स्कूल, बेहतर प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूल, दून स्कूल खोले जा रहे हैं जिनमें मंत्रियों के बच्चे, प्रधान मंत्री के लड़के, मुख्य मंत्री के बच्चे, बीर बहादुर सिंह के बच्चे पढ़ने के लिये जाते हैं और आम आदमी के बच्चे उन्हीं टूटी हुई प्राइमरी पाठशालाओं में जो भवन विहीन हैं, अध्यापक विहीन हैं, पढ़ने के लिये मजबूर हैं। जब प्रतिस्पर्धा और कम्पीटिशन का मामला आता है तो ला-मार्टिनियर में सेन फ्रांसिस में और लारेटो कानवेन्ट में पढ़े हुए लड़कों के सामने वह कैसे आई0 ए0एस0 और पी0सी0एस0 की परीक्षा पास कर सकेगा? जमींदारी टूट गयी इसका थोड़ा श्रेय इनको है लेकिन एक नयी जमींदारी व्यवस्था शुरू कर दी गयी है आई0ए0एस0 जमींदारी। उनके बच्चे इन स्कूलों में पढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश के डेढ़ करोड़ बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ेंगे जहां कोई पढ़ाई का साधन नहीं होगा, उपकरण नहीं होगा। इन कानवेंट स्कूलों की फीस इतनी ज्यादा रखी गयी है कि आम आदमी का बच्चा वहां पढ़ नहीं पायेगा। इसलिये मैंने यह बात कही है कि बेसिक शिक्षा परिषद् के कानून में ऐसी व्यवस्था की जाय जिसमें 10 रु0 या 20 रु0 शुल्क रख कर अच्छी शिक्षा उसको दी जाय।

भारतीय संविधान में यह भी व्यवस्था थी कि हिन्दी को सम्मान दिया जायेगा और राज्यों को जिम्मेदारी दी गयी थी कि राष्ट्रभाषा के रूप में उसे विकसित किया जाय लेकिन यह सरकार पाश्चात्य सभ्यता में पली हुई अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देने वाली संस्थाओं को बढ़ावा दे रही है। देश आजाद होने के बाद भी आज इतने समय में भी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा को सम्मान नहीं दे रहें हैं। इन स्कूलों में आज भी पढ़ाई अंग्रेजी के माध्यम से दी जा रही है और हमारी 13 करोड़ जनता अपनी उस आकांक्षा से वंचित हो गयी है। इसलिये हमारा कहना है कि सरकार द्वारा कानून बनाकर इन अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों पर प्रतिबन्ध लगाया जाय और उनमें हिन्दी के माध्यम से पढ़ाई हो सके इसकी व्यवस्था इस विधेयक में की गयी है। जहां इसमें शिक्षा शुल्क में समीकरण की बात कही गयी है वह भाषा का माध्यम एक करने की बात भी इसमें कही गयी है और हिन्दी के माध्यम से पढ़ाई की बात की गयी है। इसी के साथ उपकरण और साज-सज्जा भी एक तरह के होने चाहिये। गांवों में कोई नर्सरी स्कूल नहीं है वहां बच्चा कक्षा एक में पढ़ने जाता है तो उसे "क" लिखना सिखाया जाता है लेकिन शहरों में जो बच्चे नर्सरी स्कूल में पढ़ते हैं वह जब कक्षा एक में जाता है तो वह शब्दों को लिखना शुरू करता है और गणित के सवाल करने लगता है। तो गांव का बच्चा उन बच्चों से जब मुकाबला करता है तो वह फेल हो जाता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि तमाम देश में शिक्षा एक समान होनी चाहिये। लेकिन गांधी के नाम पर वोट लेने वाली इस सरकार के इरादे पाक नहीं हैं यह शिक्षा का समान अवसर देना नहीं चाहते हैं और उसमें व्यवधान डाल रहे हैं। इसलिये मजबूर होकर मुझे यह विधेयक लाना पड़ा है क्योंकि यह जिम्मेदारी इनकी थी।

इस विधेयक में एक अंश छूट गया, अल्पसंख्यक वाले जो विद्यालय हैं वह लोगों का शोषण कर रहे हैं और अपने अल्पसंख्यक स्थिति का नाजायज लाभ उठा रहे हैं। अभी विज्ञान परिषद् की 12 लाख की ग्रांट लखनऊ के सिर्फ 1 0स्कूलों को दी गयी है जनता की

गाढ़ी कमाई इन चन्द लरोटो, लामार्टीनियर, सिटी मांटेसरी अदि स्कूलों को दे दी गयी है । इस प्रकार यह अपनी स्थिति का नाजायज फायदा उठा रहे हैं । मेरे देवरिया में लार में एक इंटरमीडिएट कालेज है वहां कर्मचारियों के साथ ज्यादती हो रही है , मनमाने ढंग से वह कर्मचारियों को रखते हैं, मनमाने ढंग से कार्यक्रम निर्धारित करते हैं और मनमाने ढंग से सिलेबस निर्धारित करते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश और प्रदेश में एक समान शिक्षा नीति लागू करायें जिससे सबको शिक्षा का समान अवसर मिल सके चाहे वह मिनिस्टर का बच्चा हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो सब एक साथ बैठ कर शिक्षा लें तब जाकर प्रतिस्पर्धा का आधार हो सकेगा तब कम्प्टीशन में अपनी क्षमता दिखा सकेंगे । आप जानबूझ कर नये गुलाम पैदा कर रहें हैं । इस पर रोक लगाने के लिये यह विधेयक लाया गया है जिसमें व्यवस्था है कि इसका उल्लंघन करने वाले को एक हजार रुपये का जुर्माना और तीन महीने की सजा या दोनों हो सकेंगे क्योंकि सरकार ऐसा करने में असफल हो गयी है इसलिये यह विधेयक मैंने रखा है । मुझे आशा है कि सरकार खुश होकर प्रसन्नता के साथ जो अपने को समाजवादी कहती है इसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करेगी । यही समझते हुये मैं अपनी बात पर बल देता हूं ।

*श्री लाल प्रताप सिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी मैंने सम्मानित शाही जी की बात को बड़े, गौर से सुना और उन्होंने शिक्षा के संबंध में नीति परिवर्तन की बात दोहराई । यह बात कहने सुनने में अच्छी लगती है कि समता समानता हो जानी चाहिये शिक्षा में लेकिन ऐसा संभव नहीं है । जो कुदरत का इंतजाम है, ऐसा है कि यह व्यवहारिक है भी नहीं और न हो सकता है कि पूरी यूनीफार्मिटी हो जाये . . . . ।

श्री भगौती सिंह के लखनऊ फैजाबाद रोड पर रास्ता जाम में फंसने के कारण सदन की कार्यवाही में भाग न लेने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अनुग्रह नारायण सिंह---

व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, भगौती सिंह जी जो विधान सभा के लखनऊ से सदस्य हैं, इस चर्चा में बोलना चाहते हैं लेकिन चिनहट, लखनऊ, फैजाबाद रोड, में रास्ता जाम हो गया है । (व्यवधान) आलू किसानों ने रास्ता जाम कर रखा है चूंकि कोल्ड स्टोर वाले ब्लेक में पैसा लेकर आलू रखना चाहते हैं, वाहन रुके हैं, इसलिये श्री भगौती सिंह जी सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिये यहां नहीं आ पा रहे हैं । इसलिये व्यवस्था चाहता हूं कि शासन को सूचित किया जाये कि कोई वहां जाकर इस मामले को हल करायें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री हरेन्द्र सिंह---

टेलीफोन पर सूचना श्री भगौती सिंह जी ने दी है ।

(व्यवधान)

श्री कौशिक रमा शंकर---

माननीय, श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने अभी सदन का ध्यान आकर्षित किया और कहा तो समस्या तत्कालिक है कि फैजाबाद रोड पूरा जाम है, वहा वाहन रुके हैं, श्री भगौती

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सिंह जी वहां फंसे हैं, इसलिये आप शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करें कि ऐसे व्यक्ति को वहां भेजें जो समस्या का निदान कर सके और रास्ता खुलवा सके । इस मामले में नियमों की परिधि में न बंधकर आप सरकार को निर्देश दें कि शासन स्तर पर किसी सक्षम व्यक्ति को वहां भेजें जो समस्या का निदान करा दे ।

श्री विजय सिंह राणा---

वहां हजारों की संख्या में किसान जमा हैं, पुलिस वहां पहुंच गयी, रास्ता जाम है और विधायक जी बीच में घिर गये हैं लाठी चार्ज की संभावना है । . . . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

इसमें व्वयस्था का कोई प्रश्न नहीं है लेकिन शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, सत्ता पक्ष, मंत्री जी इसको तुरन्त देखें ।

*श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त---

मान्यवर, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 110(6) को देखें नियम 110-बिना सूचना के प्रस्ताव इसका (6) में है---"किसी कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव" । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने नियम 110(6) में प्रस्ताव किया है कि कार्य को स्थगित कर दिया जाये । इसलिये कार्य जो चल रहा है उसको स्थगित कर दिया जाये और जो मुद्दा उठाया गया है उस पर विचार किया जाये । श्री भगौती सिंह रास्ता जाम के कारण फंस गये हैं, आलू किसानों ने रास्ता जाम किया है, आलू किसानों की पूरे प्रदेश की समस्या है, लाठी चार्ज की वहां संभावना है और श्री राणा जी की बात पर आपने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया उसके लिये धन्यवाद । लेकिन वरिष्ठ मंत्रि मण्डल के सदस्य श्री लोकपति त्रिपाठी जी मौजूद हैं इसलिये शासन की ओर से क्या कार्यवाही की जायेगी इसके संबंध में सदन को वह अवगत करायें ?

श्री अधिष्ठाता---

कार्य जो चल रहा है उसे चलने दिया जाये लेकिन सूचना यहां आ गयी है इसलिये मैंने सरकार से कह दिया है कि इसको देख लें । सरकार को कह दिया है कि वह इसको देख लें (व्यवधान) हमने कह दिया है . . . (व्यवधान) वह दे दिया है । यदि कोई जानकारी में आपके बात हैं तो जब तक उधर से बात न आ जाए, तब तक मै क्या कह सकता हूं ? आपने सूचना दी, उसके आधार पर निर्देशित कर दिया है । अब आप बात हमारी मानिये (व्यवधान) जो-जो हमारी कार्यवाही चल रही है, उसको आप चलने दीजिए ।

श्री रामशरण दास---

पूरा आपसे निवेदन यह है कि . . . . .

श्री अधिष्ठाता---

अब इस पर कोई चर्चा नहीं, जो आपने बात चाही थी, वह कर दी है ।

श्री रामशरण दास---

हमारे सदस्य भगौती सिंह जी वहां फंसे हुए हैं और किसानों पर लाठीचार्ज भी हो चुका है । चार-चार कैबिनेट मंत्री यहां बैठे हुए हैं-लोकपति त्रिपाठी हैं, माता प्रसाद हैं, दीदी जी हैं और बेनीबाई जी भी बैठी हैं, किन्तु सरकार की ओर से खड़े होकर किसी मंत्री ने नहीं कहा कि मामले को दिखवा लेंगे, तो आप कम से कम इतना तो इनसे कहलवा दें . . . . .

---

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपसे सहमत हूं, जो सूचना आपने दी है, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है, फिर भी निर्देशित कर दिया है कि वह सूचना मांगें और जो आवश्यक है वह उस पर कार्यवाही करें ।

उत्तर प्रदेश समान बेसिक शिक्षा, पाठ्यक्रम-उपकरण एवं शुल्क विधेयक, 1989 (क्रमागत)

*श्री लाल प्रताप सिंह—

तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस तरह की यूनीफार्मिटी शिक्षा समाज में नहीं लाई जा सकती है । यह तो सरकार बराबर प्रयास कर रही है और हमारे संविधान में भी इस चीज की पूरी व्यवस्था कि शिक्षा प्राप्त करना सबको अवसर दिया जायगा, और इस अवसर को देने के लिये जिस कदर कोशिश हो रही है, उसे हम सब अच्छी तरह जानते हैं । इसका पूरा प्रयास हो रहा है । लेकिन वह समानता जो ट्राबल टाईप की समानता है, वह समानता यहां सम्भव नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे समाज का इन्तजाम ही ऐसा है कि वह हो ही नहीं सकता है । यदि हम किसी सिद्धान्त को एक्सट्रीम पर ले जायें तो वह बिलकुल गलत और एबसर्ड हो जाता है । इसलिये मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि जहां प्रतिभाशाली बच्चे हैं. अच्छे लड़के हैं, उनके लिये अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होना कोई अनुचित बात नहीं है । यदि कोई अच्छा इंस्ट्यूशन है और हमारे बच्चे वहां पढ़ना चाहते हैं, जो आउटस्टेंडिग है और प्रतिभाशाली है, तो उसकी व्यवस्था वहां पर है और होना भी चाहिये इस तरह के स्कूल सबके लिये खुले हुए हैं । एक व्यक्ति की तो है नहीं । सारी दुनियां में इस तरह के इंस्टीट्यूशन हैं जहां अच्छ लड़के इम्तहान के द्वारा, टेस्ट से जाते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं । तो यह कोई बात नहीं हुई । एक तरह से ही कर दिया तो सारे की सारी व्यवस्था बदल जायेगी, और हमारे समाज की प्रगति जो एक्सीलेंस में है बेहतर तालीम और अच्छे लड़के, अच्छे साइन्टिस्ट, अच्छे इंजीनियर्स उच्चकोटि के हों, इस एक्सीलेंश में ही हमारी तरक्की सम्भव है । दूसरे तरीके से हमारी तरक्की संभव नहीं हो सकती है । यदि हम दुनियां के साथ उठकर खड़े होना चाहते हैं तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये । हमारी जो प्राईमरी एजूकेशन है, उसका स्तर ऊंचा उठाना चाहिये । यह सबके लिये खुले हुए हैं । अच्छी पढ़ाई की व्वयस्था पूरी की पूरी होनी चाहिये, इसमें कोई सन्देह नहीं है। पूरी की पूरी व्यवस्था की जा रही है और किए जाने का प्रयास किया जा रहा है । संसाधन सीमित होने के बावजूद आपकी तरफ से यह बात कही गई, अंग्रेजी मीडियम के इंस्टीटयूट हैं, आप कहते हैं कि एक मीडियम की शिक्षा होनी चाहिये । मैं कहना चाहता हूं कि थ्री-लैंगुएज फार्मुला होना चाहिये । हिन्दी अंग्रेजी और दक्षिण भाषा का पठन-पाठन अनिवार्य रूप से होना चाहिये । अंग्रेजी भी बहुत जरूरी है । किसी भाषा को पढ़ने से अवनति नहीं होती है न पीछे जाते हैं किसी ने सही कहा है "वड हैज बीन रिड यूज्ड टू दि इण्टर डिपेन्डेन्स" आने जाने के लिहाज से दुनिया बहुत छोटी है । यह कहना कि किसी एक भाषा को हम पढ़ते हैं तो ऊपर उठते हैं या यह कहना कि अंग्रेजी को न पढ़ा जाए, किसी दूसरी भाषा को न पढ़ा जाए, यह ठीक नही है । इससे हम पीछे चले जाएंगे और नये-नये अविष्कार की परिधि को जान नहीं पाएंगे । समझ नही पाएंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

श्री लाल प्रताप सिंह—

हमारे इन्सटीट्यूशन खोलने की जगह, वहां हमारे स्लेवस के मुताबिक पढ़ाई हो, अंग्रेजी की पढ़ाई हो साइंस की पढ़ाई हो, तो शिक्षा का स्तर तो ऊपर उठना ही चाहिये,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अच्छे-अच्छे इन्सटीट्यूशन होने चाहिये। शिक्षा का प्रचार प्रसार पूरी तरह होना चाहिए। शिक्षा सेश लगाया जाए जिससे हर व्यक्ति को शिक्षा मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के बिल की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री हरेन्द्र सिह—

माननीय अधिष्ठाता जी, सूर्य प्रताप शाही जी ने जो सामान्य शिक्षा के संबंध में विधेयक रखा है म उसका समथन करता हूं। मान्यवर, स्वतन्त्रता प्राप्त के इतन वर्षो बाद, जहां प्रत्येक नागरिक को सामान्य शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये, वहां शिक्षा में इतना सौतेलापन हो गया है शिक्षा के सौतेलेपन की वजह से दो तरह का समाज पैदा हो रहा है। एक समाज के गरीब लोग टाट-पट्टी पर बैठते हैं। एक गांव के स्कूल के बराबर एक रईस के बच्चे पर धन खर्च हो जाता है। मान्यवर, गांव मे टाट–पट्टी नहीं है बच्चों के लिये तख्ती की व्यवस्था नहीं है गरीबों के बच्चे घर सें फटे बोरे लेकर आते हैं वहां धनवान के बच्चे उतना पैसे तो जूते की पालिश पर ही खर्च कर देते है और इसके बाद जब वह पढ़ लिखकर बड़े होते हैं तो आई0 ए0 एस0 और आई0 पी0 एस0 के कम्पटीशन में बैठते हैं, तो जो हमारे सेन्ट्रल और पब्लिक स्कूल के बच्चे है वह उनकी तुलना कैसे कर पायेंगे? तो इसके लिये सामान्य शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिय। या तो कानून सामान्य शिक्षा बनाये अन्यथा पांच फीसदी कोटा उनका फिक्स कर दें जो पब्लिक स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे हैं। दोहरी व्यवस्था के चलते गांव के बच्चों का विकास नहीं हो पा रहा है। जहां धनाड्य लोगों के बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों को यह जानकारी नहीं रहती है कि शिक्षा का स्तर कितना गिरा है। इससे यह हो रहा है कि बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है लेकिन जो गांवों के गरीब बच्चे है? उनकी उपेक्षा की जा रही है। मेरा अनुरोध है कि इसमें कौन सी आपत्ति है आप समाज के गरीब वर्ग की दुहाई देते हैं तो आप इस विधेयक को क्यों नहीं स्वीकार कर लेते हैं? और प्रदेश में समान शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? आप इस विधेयक को स्वीकार करें और प्रदेश भर के नागरिकों के बेटों को समान शिक्षा देने की व्यवस्था करें ताकि गरीब, किसान, मजदूरों के बच्चों को शिक्षा मिल सके। लेकिन यह सरकार धन्नासेठों की सरकार है और उन्हीं का हित साधन कर रही है। अन्त में मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को सहर्ष स्वीकार करें।

*श्री हरदेव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वास्तव में जब अध्यापकों का वेतन बढ़ा दिया गया है तो जनता और गारजियन की यह मांग हो रही है कि हमारे छात्र पढ़ें लिखें। मान्यवर, तीन महीने बरसात होती है, तीन महीने गर्मी पड़ती है और 2 महीने त्योहार में चले जाते हैं जिससे पढ़ाई नहीं हो पाती है। इसलिये हमारे बच्चे नकल नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? इसके साथ यह भी विषमता है।क अध्यापक पूरा काम भी नहीं कर रहे हैं जिससे बच्चों को पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती है

श्री अधिष्ठाता—

हरदेव जी विधेयक पर बोलिये। यह सीमित चर्चा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरदेव--

मान्यवर, मेरी विशेष बात सुन लीजिये। मान्यवर, जब अध्यापकों का वेतन बढ़ाया गया है तो काम उनको करना चाहिये। एजूकेशनल डेवलपमेंट होने चाहिये। हमारे बच्चे ट्यूशन की फीस कहां से देंगे इसलिये मैं इस विधेयक पर बल देता हूं। जो बेसिक एजूकेशन है, हायर एजूकेशन है उसके सुधार की आवश्यकता है उस पर काम करने की आवश्यकता है। अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो जो हमारे बच्चों का जो भविष्य है नौनिहालों का भविष्य है वह खराब हो जायगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, शाही जी ने विधेयक रखा है वह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और आज इसकी बहुत आवश्यकता है। समान शिक्षा, समान पाठ्यक्रम और बढ़ी हुयी फीस पर कंट्रोल लगाने की आवश्यकता है। आप देखें प्राइमरी एजूकेशन का गावों में क्या स्तर है? गांव में एक प्राइमरी स्कूल है उसी गांव में कुछ लोगों ने प्राइवेट स्कूल खोल दिया है। आजकल प्राइमरी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना लोग पसंद नहीं करते हैं और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। प्राइमरी शिक्षा देने की सरकार की नीति है वह शत प्रतिशत विफल हो गयी है। जब यह देश आजाद हुआ तो गांधी जो ने कहा था खास स्तर तक अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा और समान शिक्षा की व्यवस्था करें।

मान्यवर, 1977 में जब आप हम लोगों के साथ थे उस समय सदन में मांग हुयी थी कि इंटरमीडियेट तक समान शिक्षा अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाय उसको सरकार ने नहीं माना। देश को इतने दिन आजाद हुये हो गये, अभी तक कुछ नहीं हुआ। प्राइमरी शिक्षा में दो वर्ग में लड़कों को बांट दिया गया है। एक तरफ तो वह लड़के हैं जिनको पढ़ने के लिये टाट पट्टी भी नहीं है दूसरी तरफ वह लड़के हैं जो टाई लगाकर पैंट बुर्शट पहन कर कुर्सी पर एयरकंडीशंड कमरों में बैठकर पढ़ने का काम करते हैं। मेरी आपके माध्यम से यह मांग है कि सरकार कम से कम इतना भी नहीं कर सकती कि प्राइमरी स्कूल तक सभी लड़कों की एक स्तर और एक समान शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाय। इसमें इनके विधेयक मे सरकार को कहां अड़चन पैदा हो रही है? यह अत्यन्त आवश्यक है और जनहित में है और उत्तर प्रदेश सरकार के ही हित में है। अगर इनमें थोड़ा भी विवेक है और जनता के हित की बात करना जानते हैं और कहते हैं, तो निश्चित रूप से इनके विधेयक को सरकार स्वीकार कर ले और उत्तर प्रदेश मे कम से कम प्राइमरी स्कूल में एक पाठ्यक्रम निःशुल्क और एक समान शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये, चाहे कोई गरीब का लड़का हो, चाहे कोई पूंजीपति का लड़का हो, चाहे कोई खेतिहर मजदूर का लड़का हो, चाहे जिस किसी का लड़का हो, सबको एक तरह की शिक्षा दी जानी चाहिये। अगर इसकी व्यवस्था नहीं करते हैं, तो माननीय सूर्य प्रताप शाही का जो विधेयक है, इसको स्वीकार करें।

श्री बसन्त सिंह गहलौत--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, यह जो विधेयक विरोधी पक्ष की ओर से लाया गया है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि सबको

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सी शिक्षा दी जाय, लेकिन प्रश्न यह गम्भीरता से विचार करने का है। एक तरफ हम चाहते हैं कि हम फ्री एजूकेशन दे, आठवीं तक हमने फ्री एजूकेशन की व्यवस्था कर रखी है। हमने संविधान में यह भी कहा है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जायेगी। लेकिन प्रश्न यह है कि हम सड़कें भी बनाये, अस्पताल भी खोले, और बढ़ती हुई जनसंख्या की जो गति है, उसके लिये स्कूल भी खोले, दसरी जरूरते भी पूरी करें इस पर हमें गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि इन सब जरूरतों के लिये धन की व्यवस्था कहां से हो। नि:शुल्क शिक्षा और अच्छी शिक्षा यह दोनों काम साथ-साथ नहीं चल सकते। मैं विरोधी पक्ष से कहना चाहता हूं कि इसके लिये एक एजूकेशन सेस की मांग करें, अच्छे स्कूल हों, अच्छे अध्यापक हों, और अच्छा वेतन हो यह हम चाहते है, लेकिन इसके साधन कहां से आयेंगे। मैं यह चाहता हूं कि शिक्षा बहुत अच्छी हो, बेसिक शिक्षा बहुत अच्छी हो, मैं हायर एजूकेशन पर ज्यादा बल नहीं देना चाहता हूं। जब तक मूल शिक्षा जो है, वह ठीक नहीं होगी, तब तक आगे की शिक्षा अच्छी नहीं होगी। शिक्षा में बहुत कुछ कमियां हैं, उनको हम पूरी करने में लगे हैं, शिक्षा के उपकरणों की व्यवस्था, शिक्षकों की व्यवस्था विद्यालयों की व्यवस्था आदि में हम लगे हैं, लेकिन साधन कहां से आये। मेरा सुझाव है कि एक एजूकेशन सेस के नाम से अलग कर लगाया जाय। मान्यवर, इस विधेयक को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार पहले से ही इन बातों को कर रही है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, माननीय सदस्य बार-बार कह रहे हैं कि अपोजीशन की ओर से यह विधेयक लाया गया है। श्रीमन् आप जानते हैं कि यह प्राइवेट मेम्बर बिल है। यह जो बार-बार कहा जा रहा है कि अपोजीशन की तरफ से बिल आया है, इसको आप बता दें, वरना भ्रांति होगी।

श्री अधिष्ठाता--

इसको देख लेंगे।

श्री राकेश धर त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं माननीय शाही जी के, बेसिक शिक्षा एक समान उत्तर प्रदेश में की जाय, के विधेयक पर बल देने के लिये, आपने जो अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, आबादी के हिसाब से शायद सबसे बड़ा यह उत्तर प्रदेश है लेकिन हिन्दुस्तान को अगर शिक्षा स्तर पर देखा जाय तो हमारे प्रदेश की जो गिनती पड़ती है वह सबसे अधिक सोलहवें सत्तरहवें स्थान पर आता है। जबकि इसमें सबसे छोटा प्रदेश केरल आगे हैं। अभी हमारे पूर्व के माननीय सदस्य बोल रहे थे।

हम लोगों का कहना है कि प्राइमरी शिक्षा जिसका इन्तजाम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है यह दोहरी शिक्षा दे रही है यह प्राइमरी शिक्षा एक कर दी जाय लेकन यह काम उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर रही है। शहर के रहने वाले लोगों को नम्बर एक का नागरिक बनाने का काम कर रही है और गांव के रहने वालें लोगों को नम्बर 2 का नागरिक बनाने का काम यह सरकार कर रही है, यह बन्द होना चाहिये। इसका परिणाम यह है कि जब देहात के रहने वाले लड़के पर 74 पैसा खर्च करते है और देहरादून में रहने वाले लड़के पर 1,600 रूपये प्रतिमाह खर्च किया जाता है तो यह कैसे समान शिक्षा की बात करते हैं इसके सुधार के लिये तमाम जगह अवाज उठती है और कई आयोग बनाये गये और यह भी कहा गया कि सस्ता राशन सस्ती शिक्षा,प्रजातंत्र की यही परीक्षा। इसकी

व्यवस्था करने की सरकार की जिम्मेदारी है जब तक सही इसकी रूपरेखा नहीं दी जायेगी तो चाहे हम अध्यापक हो जायं, इंजीनियर हो जायं या किसी ट्रेड में चले जायं लेकिन हम इस लायक नहीं रहेंगे कि हम वहां पर योग्य साबित हो सके तब तक हमारी प्राइमरी की शिक्षा उचित नहीं होगी। जो 15 साल पहले की शिक्षा व्यवस्था रही है उसको ही वापस लाने पर आज व्यवस्था अच्छी होगी। जब तक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को एस0 डी0 आई0 वगैरा को अधिकार नहीं दिये जायेंगे तब तक यह विद्यालय नहीं चलेगें। एक बेसिक शिक्षा अधिकारी कहीं दौरा करने नहीं जाता है न स्कूलों का इंतजाम देख पाता है। इसमें 2 राय नहीं है इसकी जिम्मेदारी अध्यापकों की सबसे अधिक होती है लेकिन वह अनुपस्थित बहुत रहते हैं इससे शिक्षा बिगड़ रही है।

श्री अधिष्ठाता--

आप विषय में बोले दो मिनट आपको इसीलिये दिये थे कि विधेयक के बारे में आप कोई नई बाते कहेंगे।

श्री राकेश धर त्रिपाठी--

यह बेसिक शिक्षा पर ही है उसके सुधार का सुझाव है मान्यवर जब तक समान शिक्षा की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर पायेगी तब तक सुचारू रूप से बेसिक शिक्षा समान रूप से सम्भव नहीं है। मेरा अनुरोध है कि बेसिक शिक्षा पर ऐसे लड़कों को कुछ अनुपात में तैयार करने के लिये व्यवस्था करनी चाहिये। मान्यवर, जिला परिषद् का गठन हुआ है तो पूर्व की तरह शिक्षा विभाग की देख रेख परिषद् को करनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं शाही जी के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, शिक्षा का सम्बन्ध तो अशिक्षितों से है प्रिन्सिपलों से है नहीं, हरदेव जैस लोगों को मौका दीजिए।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मान्यवर, समान शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये मुझे बड़ा आश्चर्य है कि हमारे सामने बैठे हुए सत्ता पक्ष के लोग इससे सहमत नहीं हैं। श्रीमान् जब संविधान बनाया गया था उस समय इसकी व्यवस्था की गयी थीं। 14 वर्ष तक के बच्चों की नि:शुल्क व्यवस्था और अनिवार्य व्यवस्था का प्राविधान किया गया था। उस समय यह जब सोची गयी थी कि कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी एक पूर्व वक्ता कह रहे थे कि अभी मैं कहूंगा कि शिक्षा नाम से कोई टैक्स लगे तो विपक्ष के लोग इसका विरोध करते हैं। श्रीमन्, आज से ठीक 2 दिन पूर्व राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का प्रश्न था कि असहायता प्राप्त विद्यालयों को ग्रान्ट एड दिया जाय और उनका यह भी सुझाव था अगर आवश्यकता पड़े तो इसके लिये बड़े लोगों पर टैक्स लगा दें। शिक्षा के विकास के लिये अगर आप आवश्यक समझते हैं अगर आपके पास साधन की कमी हैं तो बड़े लोगों पर टैक्स लगायें तो माननीय सदस्य का यह कहना कि टैक्स लगायेंगे तो विपक्ष के लोग विरोध करेंगे, सत्य से परे बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यह कहेंगे कि हमारे पास साधन की कमी है, मैं कहना चाहता हूं कि साधन किस चीज पर खर्च किया जाय इसकी एक प्राइरिटी तय

होनी चाहिये समाज के लिये कौन सी चीज आवश्यक है इसकी प्राथमिकता तय होनी चाहिये। मुझे बड़ा दुख है कि प्राथमिकता तय करते समय सत्ता पक्ष में बैठे लोग शिक्षा को तीसरे चौथे नम्बर पर रखते हैं और भवन निर्माण, नाली निर्माण को पहले नम्बर पर रखते हैं। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि देश को आगे बढ़ाना है राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो पूरे प्रदेश में आप एक प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करें। मैं पूरे विपक्ष की ओर से निवेदन करता हूं कि इसके लिये आवश्यक हो तो टैक्स लगाएं। इन शब्दों के साथ मैं शाही जी के विधेयक का समर्थन करता हूं।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैंने इसी विधेयक पर संशोधन लिख कर भेजा है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका संशोधन अस्वीकार हो गया है।

श्री राम सिंह एडवोकेट--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि यह जो शाही जी द्वारा रखा गया विधेयक है, उस पर बोलने का मौका दिया। इसमें प्रश्न यह है कि बेसिक शिक्षा के रूप में किस प्रकार से सुधार किया जाय। इस विधेयक की आवश्यकता नहीं है मैं बताना चाहता हूं कि इस योजना के तहत हाल ही में आपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्कीम सरकार द्वारा चलाई गयी है। इसमें व्यवस्था की गयी है कि प्राइमरी स्कूलों में चाक से लेकर ब्लक बोर्ड और टाट पट्टी सबकी व्यवस्था की जाय। यह इसलिये मैंने बताया है कि सरकार स्वयं चिन्तित है कि किस तरह से बेसिक शिक्षा को अच्छा किया जा सके, इस पर विचार किया है। श्रीमन्, वैसे तो हम लोग बेसिक शिक्षा सुधारने की बात करते हैं लेकिन विडम्बना यह है कि ज्यादातर दायित्व प्राइमरी अध्यापकों का है इनमें अधिकांश पढ़ाते नहीं हैं। उस व्यवस्था के लिये दोषी हम ही लोग हैं। चाहे इधर के हों या उधर के यदि प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का ट्रान्सफर कर दिया जाता है तो किस तरह से सिफारिश करते हैं और चाहते हैं कि वह वहीं बना रहे। वह अपने घर पर काम करता है, पढ़ाता नहीं है। इसलिये ऐसी व्यवस्था की जाय कि प्राइमरी स्कूल का अध्यापक पढ़ाने लगे, तभी सुधार आएगा। मैं मानता हूं कि इन अंग्रेजो स्कूलों में अंग्रेजी का स्तर अच्छा हो सकता है और विषयों में बेसिक शिक्षा के स्कूलों में लड़कों का स्तर अच्छा होता है।

श्री अधिष्ठाता--

आप विधेयक पर बोलेंगे जनरल डिस्किशन नहीं हो रहा है।

श्री राम सिंह एडवोकेट--

मान्यवर, मैं समझता हूं कि इस स्टेज पर इस विधेयक को लाने का कोई औचित्य नहीं है। हम सब लोगों को बैठकर सोचना है कि बेसिक शिक्षा में सुधार कैसे किया जाय? मैं माननीय सूर्य प्रताप शाही जी के इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शाही जी के सामान बेसिक शिक्षा सम्बन्धी विधेयक पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर जहां पर भारतीय संविधान में तमाम राजनीतिक मूल अधिकार दिये हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्वों के भाग में आर्थिक और

सामाजिक लोकतंत्र का अधिकार दिया है और उसी के अन्तर्गत अनुच्छेद-45 में अनिवार्य, नि:शुल्क और समान शिक्षा का प्राविधान किया गया है। लेकिन मान्यवर, दुख की बात है कि आज 42 वर्षो के बाद मा0 शाही जी को यह विधेयक यहां पर लाना पड़ा।

आज हमारी शिक्षा का प्रदेश में जो औसत है 27.2 प्रतिशत लोग ही शिक्षित हैं। बाकी को अक्षर का ज्ञान नहीं है, अर्थात लगभग 72 प्रतिशत लोगों को अक्षर का ज्ञान नहीं है। वे शिक्षा ज्ञान-विज्ञान के विषय में नहीं जानते वे लोग समाज में व्याप्त अंध विश्वासों और रूढ़ियों से सीखते हैं। यह विषय प्राइमरी शिक्षा से सम्बन्धित है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि देश में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके मन कच्चे घड़े के समान हैं, जो जैसे देख रहे हैं, वही सीख लेंगे। जैसे कच्चे घड़े में तेल डालिये तो वह तेल सोख लेगा, पानी डालिये तो वह पानी सोख लेगा। इस देश में पैदा होने वाले बच्चों को जो शिक्षा देंगे उसी के अनुसार मानसिकता बनेगी तथा वही संस्कार उनके मन में घर कर लेगी और आगे चल कर वे वैसा ही काम और आचरण करेंगे। हमारे देश का यह दुर्भाग्य रहा है कि अभी तक समान शिक्षा लागू नहीं हो पायी। इस समय जो शिक्षा की व्यवस्था आपने की है उससे असमानता की खाई बढ़ रही है और उनकी मानसिकता में गंभीर अन्तर आ रहा है। औपनिवेशिक शिक्षा को आजादी के लिये समाप्त करना होगा। मैं समान शिक्षा कहां हो, इसके 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। हम लोग भूगोल में पढ़ते थे कक्षा 6 की किताब में कि गंगा गंगोत्री से निकली है। यह भी कहा जाता था कि गंगा शंकर जी की जटा से निकली है। घर में तथा किताबों में ही बच्चों को बताया जाता है कि गंगा शंकर जी की जटा से निकली है। इसीलिये करोड़ों लोग कुंभ में स्नान करने आते हैं गंगा जी में, आपको सारी तैयारी करनी पड़ती है। अगर 21वीं सदी को देखना है, जो वैज्ञानिक आधार है, तो गंगा को गंगोत्री से निकलना पढ़ाया जाना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी, इस पर वह बातें नहीं कही जाती है जो पहले कही जा चुकी हैं, दूसरे सदस्य अगर कोई नयी बात हो, तो उसे कहते हैं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, बस समाप्त कर रहा हूं। जो वैज्ञानिक आधार है, उसी को पढ़ाया जाना चाहिये। प्राथमिक शिक्षाओं में, खेलकूद के माध्यम से चित्रों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

जो अंग्रेजी के प्राइमरी स्कूल हैं, जो बेसिक शिक्षा परिषद् है, जो आगंल परिषद् का गठन है, उसके पाठ्यक्रम समान करना चाहिये देश का संविधान समाजवादी है। कल्याणकारी राज्य का अस्तित्व है। इसलिये शिक्षा को अनिवार्य करके इसे शासन को अपने हाथ में लेना चाहिये। इस देश के प्रत्येक बच्चे को, जो संविधान है धर्म निरपेक्षता की बात है समाजवाद है, इसके अन्तर्गत पाठ्यक्रम निर्धारित करके पढ़ाया जाना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठें।

(श्री फजलुल बारी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

बारी जी के बाद इसकी चर्चा को जारी रखेंगे, विधेयक पर काफी लोग रुचि रख रहे हैं।

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, माननीय शाही जी के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहना यह चाहता हूं कि.....

श्री अधिष्ठाता--

माननीय बारी जी से यह कहूंगा कि जब विधेयक का असरकारी दिवस होगा उस दिन आप बोल लीजियेगा। आपका नाम पुकार लिया गया है, आप को ही उस दिन लरू कर दिया जायेगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, यह ठीक रहेगा।

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, दो शब्द इस पर कहना चाहता हूं, ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

अच्छा अध्ययन कर लीजियेगा, उस दिन बोल लीजियेगा।

न्यायालय फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक-1989

न्याय एवं विधायी कार्य राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछरिया)--

(समय 5 बजकर 5 मिनट)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि न्यायालय फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह कोर्ट फीस की मामला है, बहुत छोटा सा विधेयक है। 50 दशक से मोटर वेहिकिल्स के परमिट के लिये जो फीस निर्धारित की गयी थी उसकी फीस की राशि बढ़ायी जा रही है। पहले थो राशि की गई 5 रु0 यी आर0 टी0 ए0 में और स्टेट ट्रान्सपोर्ट अथारिटी ए0टी0ए0स0में 10 रु0 थी इसको बढ़ाकर 100 रु0 और 200 रु0 किया जा रहा है। माननीय सदस्यों को यह जिज्ञासा होगी कि इतना ज्यादा एकदम से क्यों बढ़ाया जा रहा है? मान्यवर यह फीस काफी दिनों से बढ़ायी नहीं गयी थी। पहले जो रूट्स, निर्धारित रुट्स निकलते थे, जो प्रकाशन होता था वह केवल गजट के प्रकाशन के बाद ही मान लिया जाता था। लेकिन इसकी जानकारी आम लोगों को नहीं हो पाती थी। माननीय सदस्यों की भी यह निरंतर मांग चली आ रही थी कि इसका विधिवत प्रकाशन अखबारों मे विज्ञापन देकर करवा दिया जाय। इससे विभाग के ऊपर एकाएक काफी वर्डन आया। चूंकि यह कई सालों से, संभवतः जब से यह यह ऐक्ट बना है तब ही से संशोधित नहीं हुआ था, इसलिये यह संशोधन प्रस्तावित किया गया है। इसको आदरणीय सदन स्वीकृत प्रदान करेगा।

*श्री सूर्यप्रताद शाही--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हुं कि न्यायालय फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।) मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक को रखते हुये स्वयं स्वीकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया है कि गत वर्षों में जो शुल्क लगाया जाता रहा है, उसमें 5 रुपये के स्थान पर 10 रुपया लेंगे और 10 रुपये के स्थान पर 200 रुपये लेंगे। मैं समझता हूं कि दुनिया के भीतर कोई भी ऐसी सरकार नहीं होगी, जिसने इस तरीके से किसी भी शुल्क में बढ़ोत्तरी की हो कि 5 रुपये के स्थान पर 100 रुपये और 10 रुपये की जगह 200 रुपये कर रहे हों। मान्यवर, 20 गुने की बढ़ोत्तरी करने वाली, जनविरोधी यह सरकार, दुनिया भर की अकेली उत्तर प्रदेश की यह सरकार है। जिस बात के लिये जनता ने इनको चुनकर भेजा है, जिसके लिये मैनडिक्ट किया है, उस कुर्सी पर बैठ कर सत्ता का दुरुपयोग करने वाली, भ्रष्टाचार में लिप्त होकर भ्रष्टाचार की गंगोत्री में स्नान करने का संकल्प इस सरकार ने लिया है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार जितना सत्ता का दुरुपयोग कर सकती है। कर रही है। लखनऊ में प्रधानमंत्री (***) आये और हजारों बसें रोडवेज की पार्टी के आयोजन के लिये यहां लगायी गयीं, इसलिये यह निगम घाटे में चलता है और जब (***) की बात तेजी से आती है, तो शायद इन्हें दर्द होने लगता है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपनी रैलियों के लिये रोडवेज की बसों का खूब प्रयोग करती है और साधनों का दुरूपयोग करती है। सूचना विभाग से पोस्टर छपवाती है, और चुनाव में रोडवेज की टैक्सियां का इस्तेमाल किया करती है तथा उपचुनाव में रोडवेज की टैक्सियों का भुगतान तक नहीं किया जाता है तथा बसों के ठेके में कमीशन लिया जाता है मान्यवर, जनता की बात को यह सुन नहीं सकते लेकिन जनता की पीठ पर टैक्सों के बोझ बढ़ाने का इन्होंने संकल्प लिया है, इसलिये मुझे मजबूर होकर यह प्रस्ताव लाना पड़ा कि इस सदन की प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो इस बात का विवेचन और परीक्षाण करने के बाद अपना प्रतिवेदन दे। मान्यवर, माननीय मंत्री जी को छोड़कर, हमारे सभी मित्र जनता के लिये, जनता के हितों के संरक्षण करने के लिये हमारे इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे और उस पर बल देंगे।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह जो शाही जी ने इस विधेयक को, प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव किया है; मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हुं। जब रिछारिया जी जवाब देने के लिये खड़े होंगे, जो कहेंगे कि यह बहुत छोटा मामला है और 5 रुपये के स्थान पर 100 रुपये ही तो कर दिया तथा 10 रुपये के स्थान पर 200 रुपया कर दिया। मान्यवर, मैं तो केवल सुझाव देना चाहता हूं कि यह जो परमिट सिस्टम है, यह परमिट सिस्टम ही भ्रष्टाचार की जननी है और आप इसे बिल्कुल फ्री कर दीजिये। हमारे सामने कुछ माननीय सदस्यगण बैठे है आ0 टी0 ए0 कमेटी के मेम्बर है। यह खुद जानते है और परेशान रहते हैं। जब बसों के परमिट का मामला आता है, तोयह खुद करते हैं कि इतने रुपये ले लिये उतने रुपये ले लिये। तो मैं यह करना चाहता हूं कि संदेह और भ्रष्टचार का आरोप ही क्यों लगें इसके बारे में सभी को सोचना चाहिये।

मेरी मांग है कि मैं इसीलिये विधयक के सयर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हुं कि परमिटसिस्टम समाप्त कर देना चाहिये और मान्यवर, मैं यह कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं। वर्ष 1969 में जिस समय इस प्रदेश में सम्मिलित सरकार थी और इधर से बहुत से लोग उधर सरकार में बैठे थे उन्हीं ने फैसला किया था और आपनी पुरानी पत्रावालियां देखें तो पायेंगे कि पत्रावालियों मे यह मामला कैबिनेट तक पहुच गया था। मान्यवर, जो बेईमानी है, सत्ता के दलाल है वह इसका हमेसा विरोध करेगें। श्री राम प्रकाश जी उस समय परिवहन मंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने फैसला किया और परमिट सिस्टम को समाप्त करने की बात कहीं, तो उनके सचिवों ने सलाह दी कि आप इसे समाप्त नहीं कर सकते हैं।

नोट:-(***) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह कैसे कर देंगे ? यह तो सट्रल एक्ट है । स्टेट, संशोधन कैसे कर सकता है ? ट्रकों के परमिट में यह कैसे कर दिया जाय । स्टेट की परिस्थितियों के हिसाब से जब हम ट्रकों के लिये कर सकते है तो बसों के लिये न करने का क्या कारण है । आप यदि परमिट को फ्री कर देंगे कहने का मतलब परमिट को समाप्त कर देंगे तो यह भ्रष्टाचार का आरोप स्वत: समाप्त हो जायेगा । सरकार को सिर्फ यह देखना है कि उसका दुरुपयोग न हो और कहीं अव्यवस्था न उत्पन्न हो जाय । एक रूट पर जहां 5 बसें चलती थी, यदि वहां 15 बसें चल रही हों तो उसमें जो बेकार बसें होंगी, वे अपने आप पीछे हो जायेंगी । अर्थशास्त्र के मुताबिक जहां परफेक्ट कम्पीटीशन होता, वहां पर प्राफिट का मार्जिन कम होता है । यात्रियों को सुविधायें अच्छी मिल जायेगी और सरकार को भी सुविधा होंगी इन्हीं शब्दों के साथ श्री शाही जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हुं ।

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्री शाही जी ने जो प्रस्ताव प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने का रखा है, उसका मैं सर्थन करता हूं । वो आवेदन पत्र देगे, उसे आर0 टी0 ओ0 या उसके समकक्ष अधिकारी उसे गजट में प्रकाशित करेगा। इसके लिये आपने यह आवश्यक समझा कि 5 रु ये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया जाय और 10 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपया दिया जाय । यह कितने हास्यास्पद बात है । श्रीमन्, एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम बैंकों से लोन लेकर बेरोजगार लोगों को काम देने का काम करते ह । ऐसे लोग जो बस टैक्सी व जीप आदि खरीदने के लिये बैंक से लोन लेते है, जब वे परमिट के लिये लिये जाते है तो पहले आर0 टी0 ओ0 महोदय उनसे एक परमिट पर 5 हजार से लेकर 20 हजार तक मांगते, और आपने भी 20 गुना कर दिया है । इतना ही नहीं जब वह गाड़ी लेकर सड़क पर आता है तो आर0 टी0 ओ0 महोदय चैकिंग पर जाते है, फिर उनसे पैसे लेते हैं । पुलिस विभाग को प्रति ट्रक से प्रति दिन 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक लेते है । तब जाकर वे गाड़ियां सड़कों पर चलने का काम करती हैं । एक तरफ आप लूट रहे हैं, दूसरी तरफ आपका आर0टी0ओ0 लूट रहा है और तीसरी तरफ आपका पुलिस विभाग लूट रहा है । तीनों मिलकर लूटने का काम कर रहे है ।

मैं कहना चाहता हूं और जैसा कि श्री गुप्ता जी ने सुझाव दिया कि परमिट बिल्कुल समाप्त किया जाय, पुलिस का कंट्रोल समाप्त किया जाय या फिर आर0 टी0 ओ0 को समाप्त किया जाय, आप एक ही विभाग रखें ताकि एक ही विभाग लूटे सके, ये 3–3 विभाग न लूटे इसलिये इन तमाम असमानताओं को देख ते हुए इस पर विस्तृत अध्ययन व विचार हो सके और जनता इस पर विचार कर सके, फिर यह यहां पर विधेयक के रुप में आये, इस प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता––

श्री शाही जी आप भी जो कुछ कहना है, अभी कह लें । एक-दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें ।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, यह सरकार इतनी ज्यादा शुल्कों में वृद्धि कर रही है कि उत्तर प्रदेश की जनता कैसे उन शुल्कों को दे सकेगी, यह एक प्रश्न चिन्ह है माननीय राम गोविन्द चौधरी जी ने जोभ्रष्टाचार की चर्चा की है, उसे रोकने का कोई उपाय नहीं निकाला है। एक ही रास्ता सरकार के पास बचा है कि शुल्क में वृद्धि करते रहें। सम्पूण स्थिति पर विचार करने के लिये यह आवश्यक है कि इससे प्रवर समिति को सौंप दिया जाय जो यह देख ले कि वृद्धि करना आवश्यक है या नहीं उचित है या नहीं। मैं समझता हुं कि टैक्स का बोझ सहन की सार्मथ्य अब जनता में नहीं है।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, जब मैंने संशोधन प्रस्ताव पर नाम देखा कि शाही जी रख रहे है तो निश्चित था कि आलोचना करेंगे, निश्चित था किरिलीवेंट बात करेंग, लेकिन विषय कुछ और है शाही जी बोले किसी और विषय पर। सबसे मजेदार बात रही कि गुप्ता जी, जो सीनियर सदस्य है, उन्होंने भी वही बात कही। इसमें जसा मैंने कहा मोटर वेहिकल्स ऐक्ट, 1940 जो है,उस वक्त जो इसकी फीस लगायी गयी थी, जैसा शुरू में ही कहा 50 रुपये के दशक में 5 रु0 और 10 रु0 थी। गुप्ताजी हमेशा अर्थशास्त्र पर वित्त पर बोलते है। अगर उस समय के रुपये की वैल्यू को देखा जाय तो यह बढ़ोत्तरी ज्यादा नहीं है। उन्होंने जनता का नाम लिया। यह अलग बात है कि राणा जी किसानों के मामले को लेकर वाक-आउट कर गये तो गुप्ता जी भी उनके साथ चले गये, लेकिन जनता के नाम पर ये बड़े लोगों की ही मदद करते हैं ऐसा मैंने सुना था, लेकिन आज लग रहा है कि सही है। जो लोग बसों के परमिट के लिये प्रार्थना-पत्र देंगे, उन्हीं की फीस बढ़ाई गयी है। जो 5 लाख रु0 की गाड़ी रखेगा, तो वह इस सरकार को, जिसके पास संसाधनों की कमी है, अखबार में छपवाने के लिये, ऐसे लोगों के लिये जो गजट नहीं पढ़ सकते हैं, 100 रु0 और 200 रु0 फीस ज्यादा नहीं है। जैसा माननीय शाही जी ने कहा वैसी स्थिति नहीं है। अतः मैं चाहूंगा कि इस सम्मानित सदन से कि इस बिल को पास करने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि न्यायालय फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि न्यायालय फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

न्यायालय फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989

न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रतर संशोधन करने के लिए,

विधेयक

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम न्यायालय फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1989 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

अधिनियम संख्या 7सन् 1870 की अनुसूची 2 का संमोधन

2—न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की अनुसूची 1 2 में, जैसा कि उसे उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधित किया गया है, अनुच्छेद 1 (आवेदन या अर्जी) में खंड (च) में,

(क) उपखंड (1) में शब्द "पांच रुपये" के स्थान पर शब्द "एक सौ रुपये" रख दिये जायेंगे, और

(ख) उप खंड (2) में शब्द "दस रुपये" के स्थान पर शब्द "दो सौ रुपये" रख दिये जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड—1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हुं कि न्यायालय फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि न्यायालय फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1989

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री समरपाल सिंह)—

माननीय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार किया जाय।

मान्यवर मै आज एक ऐसा महत्वपूर्ण संशोधन माननीय सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें इधर के पक्ष और उधर के पक्ष को कुछ भी कहने की गुंजायश नहीं है। मान्वर, हमारे प्रदेश में भारी संख्या में जनता गांव में रहती है और गांववासियों में कुछ लोग भूमि के स्वामी हैं और कुछ लोग भूमिहीन है। उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक केवल भू-स्वामियों को ही कर्जा दे सकता था। भू-स्वामी खेती संबंधित व्यवसाय पर कर्जा ले सकते थे, अन्य किसी बात के लिये नहीं। लेकिन यह सरकार जो समग्र नागरिकों के आर्थिक विकास के लिये प्रयत्नशील है और चाहती है कि उनका आर्थिक विकास हो, उसको इस बात का ख्याल रहता है कि जो बहुत से लोग गांवों में रहते है, जिनके पास भूमि नहीं है, जो भूमिहीन हैं, उनको भी भूमि विकास बैंक से कर्जा मिले। इसलिये यह संशोधन आज पेश किया गया है।

इस संशोधन के बाद भू-स्वामियों को कृषि के लिये तो ऋण प्राप्त होगा किन्तु अगर वे भवन का निर्माण करना चाहते है तो उनको उसके लिये भी ऋण मिलेगा। इसके साथ ही साथ जिनके पास भूमि नहीं है, उनको व्यक्तिगत जमानत के आधार पर मकान बनाने तथा धंधा करने के लिये ऋण मिल जाया करेगा।

मान्यवर, चूंकि इसका वास्तविक नाम था उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक, इसके कार्यकलापों को भविष्य में और विस्तृत किया जाय, इस बात का परिचय इसके इस नाम से नहीं होता था। इसलियें इसके नाम में भी अब परिवर्तन कर दिया गया है और भविष्य में अब इसका नाम होगा "उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक" यह अब इसका नाम हो गया है जो उसके कार्य-कलापों को शतप्रतिशत प्रदर्शित करेगा कि इस बैंक की भूमि का क्या है ?

मान्यवर, एक बात और है कि आगे कुछ कहने के पहले इस बात की ओर मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस संशोधन के पेज 2 पर धारा 21 (ग) में छपाई की अशुद्धि रह गयी है यह शब्द "अनन्तर्णीय" है। इस शब्द को हटा कर इसके स्थान पर शब्द "अन्तर्णीय" पढ़ा जाय क्योंकि यह शब्द "अनतर्णीय" नहीं है। भविष्य में यह भूमि विकास बैंक सरकार से और जितनी भी ऋण प्रदान करने वाली संस्थायें हैं, सबसे ऋण प्राप्त कर सकता है। अभी भूमि विकास बैंक डिबन्चर जारी करता था केन्द्र सरकार के माध्यम से, नाबार्ड से, केन्द्रीय सरकार ही उन ऋण प्रपत्रों में अपना पैसा लगाया करती थी, लेकिन भविष्व से यह सरकार भी ऐसा ऋण दे सकेगी, वह संशोधन में प्रस्ताव किया गया है। इसमें किसी को भी कोई आपत्ति करने की गुंजायश नहीं है और न गुंजायश रहेगी इसलिये इसको पास किया जाय।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1989 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

समिति के सदस्यों के नाम भी मैं बताये देता हूं कि श्री ओसान सिंह श्री रामगोविन्द चौधरी तथा श्री हर्ष वर्द्धन के लिये मैं प्रस्ताव करता हूं। मान्यवर माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है इसे बहुत पहले ही आना चाहिये था। अफसोस मुझको इस बात का है कि जो कार्यक्षेत्र अब दिया है यह तो पहले ही इन भूमि विकास बैंकों में जुड़ जाना चाहिये था इस ओर हमारी सरकार सोयी रही और इसे सोये रहने का नतीजा यह निकला कि जो 100 करोड़ रुपया रिजर्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय कृषि उत्पादन बैंक को पहले ही मिल जाना चाहिये था वह नहीं प्राप्त हो सका। इस लिये मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि सरकार अपने दायित्वों को समय से निर्धारित नहीं कर सकी।

वैसे यह सही है कि इन्होंने व्यक्तिगत रूप में गारन्टी के आधार पर ऋण दिलाये जाने की सुविधा की है जिसमें कई अनुदान हैं, उन्हीं में गृह अनुदान भी होगा व अन्य शिल्पकारों को विकसित करने की योजना है लेकिन किसी प्रकार के कोई नियम कानून व कायदे निर्धारित नहीं किये गये हैं जिससे भ्रष्टाचार का दरवाजा खुला है क्योंकि इससे पहले प्रायः इम्परसोनेट के भ्रष्टाचार के अनेकों मामले प्रकाश में आये हैं कि एक दूसरे के नाम पर लोग ऋण वसूल कर रहे हैं। इस तरह के तमाम फर्जी कामों के लिये मैंने पत्र भी लिखे, लेकिन वह उसे नियंत्रित नहीं कर सके। इसलिये इस विधेयक का कोई मानक तैयार न होने के कारण, नियमावली न होने के कारण इस बात का खतरा बना हुआ है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा

मिले क्योंकि इधर 10-12 वर्षों में कर्मचारी भ्रष्टाचार में बहुत रूढ़ हो रहे हैं। इसलिये इस पर कोई सही ढंग सही तरीका अवश्य निर्धारित होना चाहिये वैसे माननीय मंत्री जी जनता में कुछ यदि देना ही चाहते हैं, उनके विकास के लिये और उनको लाभ पहुंचाने के लिये जो सदाशयता के साथ मा0 मंत्री जी ने इस विधेयक को लाने की कोशिश की है, वह इसमें पूरी तरह से पराजित हो जायेंगे इसलिये इसमें कोई ठोस प्रक्रिया होनी चाहिये ताकि इस ओर होने वाली घूसखोरी, कमीशन खोरी में सुधार ठीक ढंग से किया जा सके।

माध्यवर, आपको और यहां पर बैठे तमाम माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि स्वत: ऋण योजना इन्हीं सहकारी बैंकों द्वारा चलाई गयी थी तो इस योजना में 60 प्रतिशत लोगों को कोई लाभ नहीं मिल सका था। अगर आप चाहते हैं कि इन बैंकों द्वारा जनता को, गरीब किसान को कोई लाभ मिले, हालांकि आज बैंकों में भी भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा व्याप्त हो गया है, अगर सभी बातों को दूर करना आप वास्तव में चाहते हैं कि यह बैंक भी जो हमारे लिये गति अवरोधक बने हुए हैं हालांकि इन सहकारी बैंकों में आपका हस्त-क्षेप है, इनमें आपको पूरे-पूरे सहयोग की गुंजायश है, तो यदि हम चाहते हैं कि आई0 आर0 डी0, एन0 आर0 ई0 पी0, व इ0 एल0 जी0 पी0 आदि में गरीब काश्तकारों को ठीक ढंग से लाभान्वित कराना ही चाहते हैं तो आपका यह जो नियंत्रण है, सही न होने की वजह से, सही परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, घूस खोरी, कमीशन खोरी आज आपकी चरम सीमा पर है और यह "इंजिन" की खरीद में 1-1 हजार व डेढ़-डेढ़ हजार रुपयों की लेन-देन चल रही है।

माननीय मंत्री जी आपकी शक्ल तो बहुत साफ नजर आ रही है और वेश-भूषा भी आपकी किसी हद तक साफ नजर आ रही है। अगर आप वास्तव में यह चाहते हैं कि वह योजना भी आपकी हर समस्या व भ्रष्टाचार से साफ हो तो यदि आप इसको ठीक ढंग से लाये होते और इस पर कुछ परीक्षण व अध्ययन पहले से किये होते जिसमें यह स्पष्ट होता कि भ्रष्टाचार को कैसे रोकेंगे और अभ्यर्थियों को जो लाभ देने जा रहे हैं, वह उन्हें उसी रूप में मिल सकेंगे तो आपकी मंशा कुछ पूरी हो सकती थी, लेकिन इस पर जो अब तक अध्ययन नहीं किया गया और बगैर देखे और अध्ययन किये हुए जो विधेयक प्रस्तुत किया है, वह उचित नहीं है, इसलिये मैंने इसे चाहा कि प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जिसे मैने माननीय औसान सिंह साहब की अध्यक्षता में किया है जिसे मैं समझता हूं कि सरकार स्वीकार करेगी।

श्री वंशीधर राज—

माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन पेश किया है वह अत्यन्त ही जनहितकारी और उसको माननीय शाही जी ने हृदय से स्वीकार किया है लेकिन उनको केवल इस बात पर सन्देह है कि उसमें भ्रष्टाचार न आ जाये, इसीलिये उन्होंने कुछ बातें कह दी है। भूमि विकास का नाम बदल कर कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक रखा गया है, तो इससे उसमें कहां पर भ्रष्टाचार आ जायेगा। दूसरी बात यह कही गयी है कि कृषकों को आवास निर्माण हेतु ऋण देना है आप जानते हैं कि 80 प्रतिशत जनसंख्या हमारे देश की और प्रदेश की गांवों में रहती है और वह खेती में लगी है और जो भूमिहीन लोग है, जिनके पास खेती नहीं है, उनको मकान बनाने के लिये कहीं से ऋण नहीं मिलता था और वह बिना मकान के रहते हैं। यह संशोधन बड़ा क्रान्तिकारी संशोधन है। यह उन भूमिहीन किसानों और मजदूरों के लिये है जो बिना पैसे के अपना मकान नहीं बना सकते है, अब वह बैंक से कर्जा लेकर मकान बना सकेगा। इसलिये मै समझता हूं कि प्रवर समिति में भेजने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। यह ग्रामीणों के लिये बड़ा लाभप्रद संशोधन है।

*श्री अशोक बाजपयी--

मान्यवर, मैं शाही जी द्वारा कही गयी बात पर बल देते हुये कहना चाहता हूं कि जब किसी फर्म में घाटा होता है बदनाम हो जाती है, तो उसका नाम बदल कर दूसरा नाम रख दिया जाता है, तो इसी प्रकार से माननीय मंत्री जी ने इस बैंक का नाम बदल दिया है। मान्यवर, सभी लोग जानते हैं कि यह बैंक भूमि विकास बैंक नहीं है, बल्कि भूमि विनाश बैंक है। अभी तक जिस किसी व्यक्ति ने इस बैंक स कर्जा ले लिया वह भूमिहीन हो गया, और अब अगर कोई व्यक्ति कर्जा लेगा तो वह मकानहीन भी हो जायेगा। अभी तक अगर वह भूमिहीन हो जाता था तो भी वह अपने मकान में रह लेता था, परन्तु अब वह सो भी नहीं पायेगा, ऐसा इस संशोधन के द्वारा होने जा रहा है। इससे किसी हरिजन, भूमिहीन, या मजदूर का भला होने वाला नहीं है, जब तक इसको जन भावना से नहीं जोड़ा जायेगा। इसीलिये मैं इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने का समर्थन करता हूं।

*श्री लाल प्रताप सिंह--

मान्यवर मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि वह इस प्रकार का रेडिकल चेन्ज लाये हैं। मैं केवल सेक्शन 9 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

"इन सेक्शन 16 आफ दि प्रिंसिपल एक्ट, आफ्टर सब सेक्शन (4) दि फालोइंग सब-सेक्शन शैल बी इसर्टिड, नेमली (5) ए सेल अण्डर दिस सेक्शन आफ एन एग्रीकल्चरल होल्डिंग आर अदर इमोबोबिल प्रापर्टी आर आफ एनी इन्टरेस्ट देयर इन शैल बी सब्जेक्ट टू दि प्रावीजन्स आफ सेक्शन 157-ए एण्ड 157-बी आफ दि उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलीशन एण्ड लैण्ड रिफार्म एक्ट, 1950"

तो जो डिसएबिल्ड है, वह आसामी हो जायेंगे और उनको भूमिधरी राइट मिल जायेगा। तो मैं समझता हूं कि इसको बड़ी सूझ-बूझ के साथ रखा गया है। जो कुछ है, वह सही जनकल्याण कारी है। इसका प्राविजन होना उचित है। इस पर किसी किस्म का विवाद होने की आवश्यकता नहीं है। जो विवाद ह वह केवल विवाद के लिये किया जा रहा है। इस लिये मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

आप एक-एक मिनट में अपनी बात कह लीजिये।

*श्री बालराम यादव--

मान्यवर, माननीय शाही जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव का जो लेविल बाहर है वह अन्दर नहीं है। इसीलिये मान्यवर, यह ग्रामीण बैंक खोला गया है और आई0 आर0 डी0 में जितने गरीब लोगों इनकी खाल खीची जा रही है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, मैं कहना चाहता हुं कि जो लोग भूमि विकास बैंक से सामान लेते है चाहे वह ट्रैक्टर हो, पम्पिग सेट हो मोटर हों जिस स्तर पर वे वहां से ऊपर नहीं पाये हैं। उनको तहसील हवालात में हवा खानी पड़ी है। जो संशोधन माननीय मंत्री जी लाये है उसमें कर्मचारियों को जो डिस्क्रशनरी पावर्स आप दिये है उनको खतम कर दें। अगर वे ऋण लेने के पात्र है तो आप यह सुनिश्चित कर दें कि उनको ऋण मिलें। उनकी खटिया बकरी सब नीलाम हो जाती है। लेकिन उनको कोई छूट नहीं मिल पाती है। इसके लिये यह जरूरी है कि प्रस्ताव

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय शाही जी ने इस प्रवर समिति में भेजने के लिये दिया है, वह आवश्यक है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इसको प्रवर समिति में भेजने पर वहां पर सारी चीजों के बारे में छानबीन कर गरीबों के हितों को संरक्षण मिल सकेगा।

श्री बसन्त सिंह गहलौत--

यह एक बहुत ही उत्तम विधेयक है इसलिये इसमें किसी कोई विवाद का प्रश्न पैदा नहीं होता। लेकिन एक बात मैं माननीय मत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हुं कि भूमि विकास बैंक द्वारा रेट आफ इन्टरेस्ट इतना हाई है कि लोगों की जमीन बिकती रहती है। उस ऋण क अधिक ब्याज के कारण ऋणदाता ऋण चुका नहीं पाते उद्योगों को कम रेट पर धन दिया जाता है और दूसरे लोगों को हाई रेट के सूद पर दिया जाता है। इसीलिये उनकी जमीन बिक जाती है। भूमि विकास बैंक के नाम को बदलकर आप कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कर रहे है लेकिन ऐसी व्यवस्था की जाय कि यह बैंक उस प्रकार, जिस प्रकार भूमि विकास बैंक साबित हुआ, यह ग्राम्य विनाश बैंक साबित न हो। यह तभी सम्भव है जब कम दर पर सूद लिया जाय। उद्योगों को 4 प्रतिशत पर दिया जाता है तो कृषकों और मजदूरों को भी इसी दर ऋण दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया बैठें।

श्री समर पाल सिंह--

मान्यवर, मुझे ऐसा लगा कि इस मासूम विधेयक में जो यह नाम जोड़ने की कोशिश की गई है.....

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी, पहले शाही जी कुछ कहना चाहेंगे। आप बाद में बोलेंगे।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आपके माध्यम से सरकार से कि वह एक सरकारी होस्टाइल गवाह हर बार खड़ा करती है और जब जब पेशेवर गवाह खड़ा किया जाता है तो अदालत उस गवाह के ऊपर विश्वास नहीं करती.....

श्री लाल प्रताप सिंह--

पेशेवर वकील कहिये.....

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, चोर की दाढी में तिनका।

श्री अधिष्ठाता--

पेशे का सही इस्तेमाल किया जाय।

श्री सुर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की है कि भूमि विकास बैंक जो है वह भूमि विनाश बैंक हो जायेगा और रेट आफ इन्टरेस्ट से लेकर भ्रष्टाचार का कारण, धांधली और फर्जी का कारण हो जायेगा। आप जिस मंशा स इस विधेयक को लाये है चिन्ता उसको लेकर नहीं है बल्कि चिन्ता उसकी प्रक्रिया और अनुपालन की है। उसको रोकने के लिये आपने कोई निदान नहीं निकाला है। यह एक आवश्यक मुद्दा है। यदि यह नहीं किया गया तो जो भूमि विकास बैंक वैसे ही चौपट है उसके ऊपर से विश्वास उठ गया है। उसको ठीक करने के लिये आपको एक सुनिश्चित प्रक्रिया बनानी होगी, सरल

प्रणाली बनानी होगी, उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकना होगा। इसलिये आप उसके नाम के बजाय उसकी व्यवस्था में परिवर्तन करें। आप ऋण प्राप्त करने के लिये और अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। इसलिये मान्यवर, इसको प्रवर समिति में जाना चाहिये जहां से विचारोपरान्त उसका प्रतिवेदन आना चाहिये।

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री समर पाल सिंह)--

शाही जी ने इसके नाम परिवर्तन से आपत्ति की है। इसका नाम भूमि विकास बैंक था। नाबार्ड (नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चर एन्ड रूरल डेवलपमेंट) की तरह ही हमने इसका नाम प्रस्तावित किया है। जो लोग गांवों में बसते हैं उनके विकास के नाम पर इस बैंक का नाम रखा है इसलिये माननीय सदस्य को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। शाही जी कह रहे थे कि बड़ी देर में यह संशोधन आया है। यदि उनकी बात मान ली जाय तो 4-6 महीने और देर हो सकती है। इसलिये मुझे कुछ कहना नहीं है क्यों कि वह स्वयं संतुष्ट है। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है, सर्वव्यापी है, कल्याणकारी है। रही बात, नियमावली उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन करने की वह जहां आवश्यकता होगी किया जायेगा। अब कुछ ही दिन विधान सभा बैठने वाली है इसलिये इसे रखना अतिआवश्यक होगा। और जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये है और जो कमजोरियां का जिक्र किया उन कमजोरियों पर नजर रखी जायेगी कोई शिकायत उसमें नहीं रहेगी। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इसे सर्वसम्मति से पास करेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1989 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकार हुआ)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 13 खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1989

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1989 कहा जायेगा। — संक्षिप्त नाम

2--उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, 1964 के, जिसे आग मूल अधिनियम कहा गया है, दीर्घशीर्षक में, शब्द "सहकारी भूमि विकास बैंकों" के स्थान पर शब्द "सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंकों" रख दिये जायेंगे। — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1964 के दीर्घ शीर्षक का संशोधन

प्रस्ताव का संशोधन

3--मूल अधिनियम की प्रस्तावना में, शब्द "उत्तर प्रदेश सहकारी राज्य भूमि विकास बैंक" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक" रख दिये जायेंगे और शब्द "सहकारी भूमि विकास बैंकों" के स्थान पर शब्द "सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंकों" रख दिये जायेंगे।

विभिन्न धाराओं का संशोधन

4--मूल अधिनियम की किसी भी धारा में जहां-जहां भी--

(क) शब्द "सहकारी भूमि विकास बैंक" या उनके व्याकरणिक रूप भेद आये हों, उनके स्थान पर यथास्थिति, शब्द "सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक" या उनके तत्सम्मान व्याकरणिक रूप भेद रख दिये जायेंगे;

(ख) शब्द "राज्य भूमि विकास बैंक" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "राज्य कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक" रख दिये जायेंगे;

(ग) शब्द "भूमि विकासबैंक" या उनके व्याकरणिक रूपभेद आये हों उनके स्थान पर, यथास्थिति, शब्द "कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक" या उनके तत्समान व्याकरणिक रूप भेद रख दिये जायेंगे;

(घ) शब्द "उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक" रख दिये जायेंगे।

धारा 2 का संशोधन

5--मूल अधिनियम की धारा 2 में, खण्ड (ग) में, शब्द "सामान्यतया भूमि के सुधार और कृषि से संबंधित अन्य उत्पादक प्रयोजनों के लिये के स्थान पर शब्द "सामान्यतया कृषि और ग्रामीण विकास के लिये, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय भवन निर्माण भी है" रख दिये जायेंगे, और शब्द "उस पर प्रभाव पर" के पश्चात शब्द "या चल सम्पत्ति की गिरवी पर" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 6 का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 6 में--

(क) उपधारा (1) में, अन्त में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा अर्थात्--

"प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऋण पत्र ऐसे निदेशों या अनुदेशों से, जैसा भारतीय रिजर्व बैंक या नेशनल फार एग्रीकल्चर" ऐण्ड रूरल डेवलपमेंट द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें, भिन्न रूप में नहीं जारी किये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में शब्द "दस वर्ष" के स्थान पर शब्द "बीस वर्ष" रख दिये जायेंगे।

(ग) उपधारा (3) में खंड (क) शब्द में, शब्द "गिरवी पर" के पश्चात शब्द "या राज्य सरकार द्वारा बिना शर्त प्रत्याभूति के प्रति किसी ऋण अग्रिम पर" बढ़ा दिये जायेंगे।

नई धारा 9-क का बढ़ाया जाना

7--मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

"9-क--उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि समिति अधिनियम, 1965 में किसी बात के होते हुए भी, मण्डल राज्य सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक या नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चर एण्ड रूरलर डेवलपमेंट या ऐसी अन्य वित्तीय संस्थाओं से जैसा न्यासधारी द्वारा अनुमोदित किया जाय, धन उधार ले सकता है।

धन उधार लेने की शक्ति

धारा 11 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 11 में, उपधारा (2) में, शब्द "कृषि जोत" के पश्चात और शब्द "भूमि" के पश्चात भी शब्द "या अन्य अचल सम्पत्ति" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 16 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (4) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

"(5) इस धारा के अधीन किसी कृषि जोत या किसी अन्य अचल सपत्ति या उसमें किसी हित का विक्रय उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 157-क और 157-ख के उपबन्धों के अधीन होगा।"

धारा 21 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 21-क में,—

(क) "शब्द चाहे वे अनन्तरणीय अधिकार वाले हों या नहीं" के पश्चात कामा और शब्द "असामियों" बढ़ा दिये जायेंगे;

(ख) शब्द "ऐसे भूमि धर" के पश्चात कामा और शब्द "असामी" बढ़ा दिये जायेंग।

नई धारा 21-ख और 21-ग का बढ़ाया जाना

11—मूल अधिनियम की धारा 21-क के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक या राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक के पक्ष में प्रभार का सृजन

"21-ख (1) कोई व्यक्ति जो किसी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक या राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक से अपनी चल सम्पत्ति को गिरवी रखकर वित्तीय सहायता प्राप्त करने का इच्छुक हो, सम्यकरूप से स्टाम्पित पत्र पर लिखित घोषणा कर सकता है कि वह उसके द्वारा ऐसे बैंक के पक्ष में ऐसी सम्पत्ति को गिरवी रखता है।

(2) जब किसी ऐसे व्यक्ति के पास, जो किसी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक या सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का इच्छुक हो ऋण प्राप्त करने के लिये पर्याप्त मूल्य की की सम्पत्ति न हो, तब उसे बैंक द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जैसी नियत की जाय, बैंक के संतोषानुसार प्रतिभूत प्रस्तुत करने पर वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जा सकती है।

इस अधिनियम के उपबन्ध गिरवी, पर लागू होंगे

21-ग— इस अधिनियम और इस अधिनियम के अधीन लिये गये प्रभारों और रखे गये बन्धकों के संबंध में बनाये गये नियमों के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस अधिनियम के अधीन गिरवी रखी गयी चल संपत्ति पर लागू होंगे।"

धारा 26 का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 2क 6 में, उपधारा (2) में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्—

"(ग) परिवार के लिये ग्रामीण निवास-गृहों का निर्माण।"

"13—मूल अधिनियम के धारा 28 के स्थान पर निम्नलिखित धारा 28 का दी जायेगी, अर्थात्— प्रतिस्थापन

"28 (1) उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1989 के प्रारम्भ के दिनांक से, किसी विधि या परिनियम संलेख में—

अन्य अधिनियमों में बैंकों के लिये किया गया अभिदेश किस प्रकार समझा जायगा।

(क) उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि बन्धक बैंक या उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक या उत्तर प्रदेश राज्य भूमि विकास बैंक के लिये किया गया कोई अभिदेश उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक के लिये किया गया अभिदेश समझा जायगा ;

(ख) किसी भूमि बंधक बैंक या किसी भूमि विकास बैंक के लिये किया गया अभिदेश किसी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक के लिये किया गया अभिदेश समझा जायगा।

(2) उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1989 के प्रारम्भ के दिनांक को विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक या किसी भूमि विकास बैंक का ग्राम निबन्धक द्वारा लिखित आदेश से उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक या, यथास्थिति, कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक के रूप में परिवर्तित कर दिया जायेगा और ऐसे बैंक का मूल प्रमाण-पत्र और उपविधियां तदनुसार संशोधित हो जायगी और निबन्धक के आदेश से किया गया ऐसा नाम परिवर्तन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन समिति द्वारा सम्यक रूप से नाम परिवर्तित किया गया समझा जायेगा।

(3) जहां किसी व्यक्ति द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक के पक्ष में कोई बन्धक सौंपे निष्पादित किया जाय, वहां धारा 14, 20, 22, 23, 26, और 27 में कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक के लिये किये गये सभी अभिदेश उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक के लिये किये गये अभिदेश समझे जायेंगे।"

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 13, खण्ड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री समर पाल सिंह—

माननीय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1989 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1989 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्राप्त नाम-निर्देशन पत्र एवं कार्यक्रम की सूचना

श्री अधिष्ठाता---

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों को निर्वाचन हेतु नाम-निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तथा समय अर्थात् 31 मार्च, 1989 को अपराह्न 4 बजे तक निम्नलिखित सदस्यों के नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त हुये :---सर्वश्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय, हरदेव, सुखपाल पांडेय, श्रीमती कमला साहनी, सर्वश्री अफसर यू0 अहमद, जय नारायण तिवारी, दिवाकर विक्रम सिंह, राम चन्द्र शर्मा, योगी नाथ वर्मा, अम्बिका सिंह, मैनेजर सिंह, मित्रसेन, माता प्रसाद पांडेय एवं शेर बहादुर सिंह ।

उक्त नाम-निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा दिनांक 1 अप्रैल, 1989 को अपराह्न 3.00 बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में किये जाने के उपरांत समस्त नाम-निर्देशन पत्र वैध पाये गये ।

उक्त निर्वाचन हेतु नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय 6 अप्रैल, 1989 को अपराह्न 4.00 बजे तक निर्धारित है । अतः यदि नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय अर्थात् 6 अप्रैल, 1989 को अपराह्न 4.00 बजे तक उक्त नाम-निर्देशित अभ्यर्थियों में से पूरणीय रिक्तियों की संख्या से अधिक अभ्यर्थियों ने अपने नाम वापस नहीं लिये तो निर्वाचन पूर्व निर्धारित कार्य के अनुसार डाक मतपत्र द्वारा होगा ।

यदि कोई वैध नाम-निर्देशित अभ्यर्थी चाहे तो दिनांक 6 अप्रैल, 1989 को अपराह्न 4.00 बजे तक सचिव, विधान सभा को लिख कर निर्वाचन से अपना नाम वापस लेने की सूचना दे सकते हैं, किन्तु ऐसी दशा में नाम की वापसी की लिखित सूचना 6 अप्रैल, 1989 को अपराह्न 4.00 बजे तक सचिव, विधान सभा को अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिये ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता---

नियम 51 के अन्तर्गत कुल 9 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें माननीय अध्यक्ष ने श्री हृदय नरायन दीक्षित की सूचना पर और श्री सूर्य प्रताप शाही की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है । शेष स्वीकार हैं ।

अलपट गोरखपुर में पुलिसकर्मियों द्वारा शासकीय आदेशों एवं सदन में मुख्य मंत्री द्वारा की गई घोषणा के विरुद्ध कार्य करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता---

मद संख्या 23 पर माननीय मंत्री जी का स्थगन के लिये पत्र आया है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही---

कब तक स्थगित रखा है, कब वक्तव्य आयेगा ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

निवेदन है कि इसे आज स्थगित कर दें और गृह मंत्री जी आ जायेंगी तो जो तिथि आप निर्धारित कर देंगे रख दिया जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, गृह मंत्री के आने पर रख दिया जायेगा।

दिनांक 22 मार्च, 1989 को जनपद एटा, थाना जसरथपुर के ग्राम पहाड़पुर में एक ही परिवार के 5 व्यक्तियों को जिन्दा जला दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

(गृह राज्य मंत्री के वक्तव्य को पढ़ने के लिये खड़े होने पर।)

श्री अधिष्ठाता—

सदन की अनुमति से इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)—

[प्राप्त सूचना के अनुसार इन्दल सिंह पुत्र घमण्डी लाल जो सेना में सेवारत था होली के अवसर पर अपने गांव आया हुआ था। दिनांक 22-3-89 को होली वाले दिन वह सायकिल से कहीं जा रहा था तो उसे रास्ते में ठाकुर राजवीर सिंह खड़ा हुआ मिला जिसे हटाने के उद्देश्य से इन्दल सिंह ने साइकिल की घण्टी बजायी। घण्टी सुनकर राजवीर हटने के बजाय इन्दल सिंह से भिड़ गया तथा दोनों में मारपीट व गाली-गलौज हुई। बाद में गांव के लोगों में दोनों को अलग-अलग कर दिया व दोनों ही अपने-अपने घर चले गये। राजवीर सिंह पर शराब के नशे का इतना जुनून सवार था कि वह पुनः घमण्डी लाल के घर पहुंचा व गाली गलौज कर हमला करने को तैयार हो गया। इस पर इन्दल सिंह ने आवेश में आकर अपने पिता की लाइसेंसी बन्दूक से 3 फायर करके राजवीर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त घटना की खबर मिलते ही मृतक राजवीर सिंह के परिवारजन तथा अन्य व्यक्तियों ने उत्तेजित होकर घमण्डी लाल के घर पर धावा बोल दिया तथा हमलावरों ने घमण्डी लाल, इन्दर सिंह, वीरपाल, राज कुमार व श्रीमती जनक कुमारी, जो अपने घर के कमरे में थे, उसमें आग लगा दी जिससे उक्त कमरे में बन्द सभी पांचों व्यक्ति जल कर मर गये। उक्त दोनों ही घटनायें 15 मिनट के अन्तराल में घटित हो गयी। पहली घटना सायं 7.00 बजे व दूसरी घटना उसी दिन सायं 7.15 बजे।

राजवीर सिंह की हत्या के प्रकरण में मु0 अ0 सं0—13/89, धारा 302 भा0 दं0 वि0 का अभियोग थाना जसरथपुर पर पंजीकृत किया गया। इस घटना के अभियुक्त इन्दल सिंह उर्फ इन्दर की आगजनी की घटना में हत्या हो जाने के कारण विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गयी। दूसरी घटना के संबंध में मु0 अ0 सं0 13-ए/89, धारा 147, 148, 149, 353, 436, 302 भा0 दं0 वि0 पांच नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। बाद विवेचना इस घटना के 11 अभियुक्तों की ओर नामजद पंजीकृत किया गया। इस प्रकार इस घटना में 16 अभियुक्तों के विरुद्ध, अभियोग पंजीकृत किया गया। इस अभियोग के 5 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। आठ अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। शेष तीन अभियुक्तों ने अदालत हाजिर होने का प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विवेचना अन्तिम चरण में है।

उक्त घटना के सम्बन्ध में लापरवाही/शिथिलता बरतने के दोषी पाये गये श्री जय पाल सिंह थानाध्यक्ष जसरथपुर को पुलिस लाइन हाजिर कर दिया गया है तथा श्री राम अमीन सिंह उप निरीक्षक थाना जसरथपुर को निलम्बित कर दिया गया है।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

यह सही नहीं है कि गांव के हरिजन घर छोड़कर भाग रहे है तथा उनमें भय व आतंक व्याप्त है। स्थानीय पुलिस व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा स्थिति पर कड़ी देख-रेख की जा रही है ग्राम में शान्ति व्यवस्था हेतु पी० ए० सी० की डेढ़ सेक्शन, 1 उप निरीक्षक व 2 आरक्षी नियुक्त कर दी गयी है]

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, जैसा वक्तव्य में लिखा है इन्दल सिंह और राजवीर सिंह की रास्ते में मारपीट व गाली-गलौज हुई थी फिर राजवीर सिंह इन्दल सिंह के घर गया और तब इन्दल सिंह ने गोली चला दी। मैं जानना चाहता हूं कि इस घटना में थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर किया और सब इन्सपेक्टर को निलम्बित कर दिया, तो किन कारणों से थानाध्यक्ष को निलम्बित नहीं किया जबकि दोनों की जिम्मेदारी बराबर थी, इसलिये थानाध्यक्ष को निलम्बित करेंगे ?

इसमें हरिजनों के साथ अत्याचार हुआ है जिसको देखते हुए लाईन हाजिर कोई दंड नहीं है इसलिये क्या थानाध्यक्ष को निलम्बित करेंगे ?

श्री सईदुज्जमा—

मान्यवर, इसमें पुलिस ने बहुत ही सूझबूझ से तफतीश कर रही है जिससे को 6 अभियुक्तों को बताया गया था उसकी जगह पर 11 आदमी दोषी पाये गये। सब इन्सपेक्टर मौके पर समुचित फोर्स लेकर नहीं पहुंचा वरना स्थिति कंट्रोल में हो जाती इसलिये उसे निलम्बित किया गया।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, इसमें 5 हरिजन लोग जिन्दा जला दिये गये और थाने से फोर्स समय से रवाना नहीं हुई जिसको आप स्वीकार करते हैं, इसलिये थानाध्यक्ष भी जिम्मेदार था, इसलिये अपराधों को नियंत्रित करने के लिये आवश्यक है कि थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही की जाये। 5 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और शेष अपने आप अदालत में हाजिर हुये, इसलिये त्वरित कार्यवाही थानाध्यक्ष और क्षेत्राधिकारी ने नहीं किया, इसलिये इन सभी के खिलाफ कार्यवाही आप करें ?

श्री सईदुज्जमा—

इसको देख लिया जायेगा।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

गृह राज्य मंत्री जी देखने की बात कर रहे हैं। जब आप स्वयं संतुष्ट हैं, तो ऐसे गंभीर मामले में थानाध्यक्ष को तत्काल सस्पेंड करना चाहिये, सी० ओ० के खिलाफ भी कार्यवाही करें और एस० एस० पी० को हटायें ? जिससे मालूम हो सके अपराधियों को कि शासन कड़ी कार्यवाही कर रहा है।

(उत्तर नहीं आया)

डाक्टर बंगाली सिंह—

मान्यवर, इस कांड में 5 हरिजन व्यक्ति जिंदा जला दिये गये। मौके पर फायर ब्रिगेड ने पहुंच कर आग दो घंटे में बुझायी लेकिन स्थानीय पुलिस नहीं पहुंची, तो वहां के थाना अध्यक्ष और सी० ओ० को भी सस्पेंड करना चाहिये था और साथ ही मृतकों के परिवार वालों को एक-एक लाख रुपये का मुआवजा मिलना चाहिये ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मैं यह जानना चाहता हूं कि पुलिस कितनी देर में पहुंची और जो पांच हरिजन मारे गये, उनका मुआवजा कितना-कितना आप देंगे ?

श्री सईदुज्जमा—

थानाध्यक्ष 3.15 पर वहां पहुंच गये थे और सहायता देने के संबंध में विचार कर लिया जायेगा।

दिनांक 15 फरवरी, 1989 को नैनीताल जनपद के जसपुर स्थित उत्तर प्रदेश राजकीय स्पिनिंग मिल्स की दो यूनियन के कर्मचारियों के बीच गोली चलने के फलस्वरूप 9 व्यक्तियों की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद नैनीताल के थाना जसपुर.....

डा0 बिनेश जोहरी—

वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाये ?

श्री अध्यिष्ठाता—

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाये ?

(वक्तव्य का शेष भाग पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सईदुज्जमा—

[कताई मिल श्रमिक यूनियन के एक गुट ने दिनांक 15-2-89 को प्रातः मुसाफिर यादव नामक श्रमिक, जो मिल के श्रमिक यूनियन के कार्यकारिणी का सदस्य था, को गोली से घायल कर दिया। श्री मुसाफिर यादव को गोली लगने की सूचना प्राप्त होते ही उनके गुट के लोगों द्वारा लेवर कालोनी में निवास कर रहे दूसरे गुट के लोगों पर आक्रमण कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना जसपुर की पुलिस, क्षेत्राधिकारी/परगनाधिकारी काशीपुर मौके पर पहुंच गये और घटनास्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 4 मृत व्यक्ति तथा 8 व्यक्ति घायल मौके पर पाये गये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से 4 की बाद में मृत्यु हो गयी। शेष घायलों को उपचार हेतु दिल्ली तथा जनपद नैनीताल के काशीपुर अस्पतालों में भेजा गया। इस घटना के संबंध में थाना जसपुर पर दो मुकदमे अपराध संख्या 44/89 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 302 एवं अपराध संख्या-44-ए/89 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 307, 302, 436 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुए तथा विवेचना से उक्त दोनों अभियोगों में कुल 22 अभियुक्त प्रकाश में आये, जिनमें से 14 को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

घटनास्थल का निरीक्षण जिला प्रशासन तथा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है। प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की ओर से मृतकों के आश्रितों को रुपये दस हजार तथा घायलों को रुपये ढाई हजार प्रत्येक को दिये जा चुके हैं। शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिये पी0 ए0 सी0 तथा पुलिस की समुचित व्यवस्था कर दी गयी है।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

माह अक्टूबर, 1988 में कथित मिल के यूनियन के गुटों के मध्य मारपीट की घटनायें घटित हुई थीं, जिनके संबंध में अभियोग पंजीकृत हुये तथा संबंधित अभियुक्तों का चालान भी न्यायालय किया गया। माह अक्तूबर, 1988 में मिल के दोनों गुटों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही भी की गयी थी इस प्रकार यह कहना कि जिला प्रशासन द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी सही नहीं है। इस घटना के जसपुर नगर के सामान्य जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है।]

डा0 दिनेश जोहरी—

मान्यवर, मंत्री जी ने अन्तिम लाइनों में कहा है कि वातावरण बिल्कुल शान्त है; सभी कुछ ठीक ठाक है, तो इस समय कितने मजदूर ऐसे हैं, जो फैक्ट्री छोड़कर भागे हुये हैं? क्योंकि वहां पर बड़ा आतंक है और बहुत ज्यादा मजदूर वहां से भागे हुये हैं वहां पर पूरब और पश्चिम बाद पूरी तरह से फैला हुआ है। इस झगड़े में केवल मजदूर ही नहीं हैं, बल्कि अधिकारी भी हैं—माहेश्वरी, शर्मा और मेहरोत्रा। तो इन अधिकारियों के विरुद्ध आपने क्या कार्यवाही की है?

श्री सईदुज्जमा—

मान्यवर, यह फैक्ट्री बन्द है। मजदूर कुछ वहां हैं, कुछ होली की वजह से अपने घर चले गये हैं और जो दोषी अधिकारी हैं, अगर किसी अधिकारी के खिलाफ कोई दोष पाया गया तो उसकी जांच कराई जाएगी।

डा0 दिनेश जोहरी—

मान्यवर, डेढ़ माह हो रहे हैं, यह 15 फरवरी की बात है और सारे के सारे मजदूर वहां बेकार हो गये हैं, उन्हें रोजी रोटी नहीं मिल रही है, तो इसको आप सीरियस्ली बतायें, हर बात को आप टालू तरह से बतलाते हैं। 8 लोग मारे गये और 14 लोग घायल हुये सैकड़ों मजदूर भूखों मर रहे हैं।

श्री सईदुज्जमा—

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है। जितनी भी सरकार की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से सतर्कता बरती जा सकती थी, वह बर्ती गई है और बर्ती जा रही है और जो व्यवस्था की जांच थी, शान्ति कायम करने के लिये करनी थी, हमने कर दी है और जो मुलाजिमान हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही कर दी गयी है।

श्री हरिशंकर तिवारी—

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि मंत्री जी ने बतलाया और उनके वक्तव्य से भी स्पष्ट है उस मिल में पहले से विवाद था यूनियन के चुनाव को लेकर मुसाफिर यादव और कोई शर्मा थे, उनके बीच विवाद था, तो इस विवाद को जानते हुये भी वहां के प्रशासन के लोगों ने कोई प्रिवेन्टिव मेजर्स नहीं लिये? यह नहीं किया तो क्या प्रशासन के लोगों को इसके लिये दंडित किया जायेगा? इतने दिनों से शासन की मिल बन्द है। तमाम लोग गांव छोड़ कर भागे हैं। सरकारी धन का नुकसान हो रहा है, आपने प्रिवेन्टिव मेजर्स पहले से लगाया होता तो यह समस्या पैदा ही न होती।

श्री सईदुज्जमा—

जहां तक निर्णयात्मक कार्यवाही का प्रश्न है इस वाकयात से पहले कार्यवाही की जा चुकी है। चालीस-चालीस लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जा चुकी है।

श्री हरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं जानकारी चाहूंगा इस घटना में जो लोग मारे गये उसमें यह कहा गया कि मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जायगी और उनके परिवार के एक-

एक सदस्य को कताई मिल में नौकरी दी जायगी। तो क्या इसकी व्यवस्था करेंगे। मेरे गांव का लड़का गजपसिंह मरा है क्या उसके परिवार को सरकार की ओर से दस हजार का अनुदान और दूसरा जो उसका भाई है, जो कताई निगम है जैसा कि मंत्री जी ने अपने पत्र द्वारा अवगत कराया है---

श्री अधिष्ठाता---

आप स्पष्ट पूछें।

श्री हरेन्द्र सिंह ---

क्या उन्हें दूसरी मिल में नौकरी देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री सईदुज्जमा---

मान्यवर, मरने वालों को दस-दस हजार रुपये और घायलों को ढाई-ढाई हजार रुपये दिये गये हैं।

श्री हरेन्द्र सिंह---

शासन और निगम अलग-अलग चीज हैं शासन की ओर से कुछ नहीं किया गया।

कुंवर रेवती रमण सिंह---

मान्यवर, इसमें यह आश्वासन क्यों नहीं देते हैं कि नौकरी दिलवा दी जाएगी।

श्री अधिष्ठाता---

मंत्री जी ने कहा कि दस-दस हजार मरने वालों को और घायलों को ढाई-ढाई हजार रुपया दिया जा रहा है।

कुंवर रेवती रमण सिंह---

नौकरी की भी व्यवस्था करा दीजिए।

श्री अधिष्ठाता---

हरेन्द्र जी ने जो कहा कि उनके गांव के आदमी के बारे में ऐसा हुआ, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं बता दें ?

श्री सईदुज्जमा---

इसमें जो प्रयास होगा वह कराया जा रहा है।

श्री हरेन्द्र सिंह---

माननीय मुख्य मंत्री जी के यहां से सूचना मिली है कि उस परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जायगी।

श्री अधिष्ठाता---

यह वक्तव्य के अन्दर नहीं है, केवल वक्तव्य के अन्दर का पूछें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा---

मान्यवर, माननीय हरेन्द्र सिंह जी ने पूछा कि क्या उस परिवार के एक आदमी को नौकरी में समायोजित करेंगे ?

श्री सईदुज्जमा---

इसमें विचार होगा।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, इस वक्तव्य में स्पष्ट है कि 22 अक्टूबर 88 को मारपीट हुई। मजदूरों का कथन यह है कि वहां पर संयुक्त प्रबन्ध निदेशक आर0 डी0 शर्मा और मैनेजर माहेश्वरी दोनों कर्मचारियों के वर्ग में विभाजन करके, शर्मा जो थे यह इंटक के अध्यक्ष बनना चाहते थे एक घटना अक्टूबर 88 में होती है और दूसरी 15 फरवरी को होती है, तो मैं जानना चाहता हूं कि मजदूरों ने जिस तरीके से संदेह व्यक्त किया कि वहां के संयुक्त निदेशक माहेश्वरी द्वारा उत्तेजित किये जाने पर ऐसा कांड हुआ तो उन अधिकारियों के आचरण और कार्यकलाप की जांच कराई जाए। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि पहली घटना हुयी थी तो उसको देखते हुये कि दूसरी घटना ऐसी न घटे उसकी रोकथाम के लिये आपने कौन से कदम उठाये थे। इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कि 15 फरवरी को जसपुर फैक्टरी के मिल एरिया में जो एस0 ओ0 था उसने आत्महत्या कर ली। चूंकि मुख्य मंत्री उस क्षेत्र के हैं तो क्या कोई उस पर नाजायज दबाव डाला जा रहा था कि वह अभियुक्त को गिरफ्तार न करे। किन परिस्थितियों मे उसनें आत्महत्या की, इस पर भी बताने का कष्ट करें।

श्री सईदुज्जमा--

मान्यवर जहां तक आर0 डी0 शर्मा का प्रश्न है उनका 10-8-80 को कानपुर तबादला किया जा चुका है। एम0 ओ0 की बात जो कही गयी तो वह बीमार थे 16/2/88 को रिवाल्वर से उन्होंने आत्महत्या कर ली।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

एस0 ओ0 ने जो खुदकशी की तो क्या उसके ऊपर नाजायज दबाव डाला जा रहा था, किन परिस्थितियों में उसने जान दे दी क्या इसकी जांच करायी गयी है।

श्री सईदुज्जमा--

मान्यवर, इस वाकये और उस बारे में कोई संबंध नहीं है। जहां तक एस0 ओ0 की बात है, जांच हो रही है, जांच के बाद आपको अवगत कराऊंगा।

श्री रामकिशोर सिंह--

मान्यवर, जसपुर में जो झगड़ा हुआ इसकी मुख्य जिम्मेदारी वहां के अधिकारियों की है। मुख्य बात यह थी कि जो वहां यूनियन थी उसका नेता कौन हो। मुसाफिर यादव वहां के उभरते हुये नेता थे और श्रमिक उनके पीछे चल रहे थे इसीलिये मिल के अधिकारियों ने उनकी हत्या की जिस समय उनको मारा जा रहा था सरियों से तो गेटमैन रामसिंह गेट बंद कर दिया जिससे मुसाफिर यादव भाग न सके और उनकी हत्या हो गयी और उसके बाद यह घटना घट गयी। मैं जानना चाहता हूं कि यह जो राम सिंह हैं उनके खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की गयी है, यदि वह गेट न बंद करते, तो मुसाफिर यादव की हत्या न हुई होती।

श्री सईदुज्जमा--

मान्यवर, सब बिन्दुओं पर जांच हो रही है। जांच आने पर अवगत करा दिया जायगा।

श्री हरिश्चन्द्र, (हरीश जी)--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य में है कि वहां मिल के क्षेत्र में शांति है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर मिल क्षेत्र में शांति है, तो मिल को बन्द रखने का क्या औचित्य है कब तक ये मिल आप चालू करवा देंगे ?

श्री सईदुज्जमा--

मान्यवर, मिल को शीघ्रातिशीघ्र चलाया जायगा और शान्तिव्यवस्था का पूरा प्रयास किया जा रहा है।

जनपद मथुरा , थाना राया के गांव कुन्हा में होली खेलती महिलाओं के साथ अशलील व्यवहार किये जाने एवं एक महिला की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एवं उ0 प्र0 बिहार सीमा पर बिहार सरकार द्वारा उ0 प्र0 के के हास्य नगर मौजे में बिहार मिलिट्री पुलिस और गुण्डों द्वारा 2601 एकड़ भूमि पर खड़ी फसल पर अवैध कब्जा कराने के फलस्वरुप जनता में व्याप्त भय एवं आक्रोश के सम्बन्ध में वक्तव्यों का स्थगन ।

(समय 6 बज कर 5 मिनट)

श्री अधिष्ठाता- -

मद संख्या- 31 व 32 स्थगित ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय- -

मान्यवर, यह यू0 पी0 और बिहार से संबंधित मामला है, आपसे अनुरोध करता हूं कि जिस दिन माननीय मुख्य मंत्री जी रहें, उस दिन आप इसको रखवा दें ।

(मद संख्या 33 के पुकार जाने पर)

श्री बिक्रमादित्य पाण्डेय--

मान्यवर, 3-4 दिन हाउस और चलेगा, आपने निर्देशित किया कि मद संख्या 32 स्थगित है । मने आपस अनुरोध किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब उपस्थित हों, उस दिन इसको रख दिया जाय । आपने जो एजेंडा दिया है, उसमें लिखा है कि मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य, मैं समझता हूं कि संयुक्त दायित्व है, लेकिन मान्यवर, सरकार इसको कितने हल्के से ले रही है, जो वक्तव्य आया है, वह श्रीमती सुशीला रोहतगी, गृह मंत्री जी की तरफ से आया है ।

श्री अधिष्ठाता--

उसमें ला एण्ड आर्डर का होगा, इसलिये वह गृह मंत्री जी की तरफ वक्तव्य आया है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्वर, मद संख्या-32 जो है, वह दो प्रदेशों से संबंधित है, इसलिये आपसे आग्रह है कि जिस दिन माननीय मुख्य मंत्री जी उपस्थित हों, उस दिन आप इसको लगवा दें और माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करलें कि उस दिन वह उपस्थित रहें ।

श्री अधिष्ठाता--

यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता ।

राजस्व मंत्री--(श्री माता प्रसाद)

4 तारीख को दिल्ली में बैठक है ।

(व्यवधान)

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)- -

मान्यवर, 4 तारीख को दिल्ली में इसकी बैठक है ।

श्री अधिष्ठाता--

सदन की भावना से अवगत करा दिया जायगा ।

कुमारी कटोरी देवी द्वारा पुलिस उत्पीड़न के विरुद्ध लगभग छब्बीस सौ तेरह दिन से विधान भवन के समक्ष किये जा रहे अनशन एवं धरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

मुख्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)--

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 9-12-81 को कु0 कटोरी देवी .....।

एक सदस्य--

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जावे।

श्री अधिष्ठाता--

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाये ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य का शेष भाग पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सईदुज्जमा--

[निवासी दलपत खिड़क जिला मथुरा ने पं0 बनवारी लाल के विरुद्ध उसे मारे पीटे जाने एवं अभद्र व्यवहार करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली मथुरा पर धारा-354 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत एक अभियोग पंजीकृत कराया। इस अभियोग में स्थानीय पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने के आरोप लगाते हुये कु0 कटोरी देवी ने एक प्रार्थना पत्र आयुक्त आगरा मण्डल को दिया। इस पत्र में यहभी आरोप लगाये गये थे कि दिनांक 4-1-82 को जब वह मथुरा कलेक्ट्री पर भूख हड़ताल पर बैठी थी तब उसी रात 9.00 बजे मथुरा कोतवाली के इंचार्ज श्री कौशिक ने बाल पकड़ कर घसीटते हुये उसे जीप में डाल दिया और कोतवाली में लाकर बलात्कार करने की असफल कुचेष्टा की तथा जबरन धारा 294 भा0द0 वि0 में चालान कर जेल भेज दिया।

दिनांक 4-1-82 को अश्लील हरकतें करते हुये हेड कान्सटेबिल सोहन लाल द्वारा थाना कोतवाली पर धारा 294 भा0 द0 वि0 का अभियोग कटोरी देवी के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था।

कु0 कटोरी देवी द्वारा पंजीकृत कराये गये उपरोक्त अभियोग धारा 354 भा0 द0 वि0 में जांचोपरान्त अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

कु0 कटोरी देवी द्वारा दिनांक 4-1-82 को थानाध्यक्ष कोतवाली श्री कौशिक के विरुद्ध बलात्कार सम्बन्धी आरोपों की जांच स्थानीय पुलिस एवं अपराध अनुसंधान विभाग से कराई गई और जांच से बलात्कार सम्बन्धी आरोप प्रमाणित नहीं हुये। कु0 कटोरी देवी द्वारा सी0 जे0 एम0 मथुरा को अपनी जमानत हेतु कारागार से जेलर के माध्यम से दिनांक 7-1-82 को भेजे गये एक प्रार्थना पत्र से भी आरोप की पुष्टि नहीं होती। इस प्रार्थना पत्र में इस बात का उल्लेख है कि वह पुलिस ज्यादतियों की शिकायत करने इन्सपेक्टर के पास कोतवाली गयी थी। मगर उसे जबरदस्ती बन्द कर दिया गया।

कु0 कटोरी देवी द्वारा पुलिस के विरुद्ध लगाये गये ज्यादती एवं अन्य मांग के सम्बन्ध में समय-समय पर आगरा कलेक्ट्री, आगरा कमिशनरी तथा विधान भवन के समक्ष धरना व अनशन किया गया।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कु0 कटोरी देवी के विरूद्ध समय-समय पर निम्नलिखित पांच मामले दर्ज किये गये।

1--धारा 294 भा0 द0 वि0 मुकदमा कु0 कटोरी देवी के सार्वजनिक स्थल पर अश्लील हरकत करने के सम्बन्ध में हेड कान्सटेबिल सोहन लाल द्वारा थाना कोतवाली मथुरा पर पंजीकृत कराया गया था।

2--अपराध संख्या 305/87 धारा 336 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत श्री शफीकुर्रहमान सदस्य विधान सभा द्वारा कु0 कटोरी देवी के विरुद्ध जनता पर पत्थर फेकने के सम्बन्ध में दि0 28-3-87 को थाना हजरतगंज पर पंजीकृत कराया गया।

3--अपराध संख्या 1361/83 धारा 309 भा0 द0 वि0 कु0 कटोरी देवी द्वारा अस्पताल में भोजन आदि न ग्रहण करने के सम्बन्ध में सिविल अस्पताल चिकित्साधिकारी द्वारा दिनांक 23-12-83 को पंजीकृत कराया गया।

4--दिनांक 25-10-85 एवं 15-5-86 को कु0 कटोरी देवी के विरुद्ध धारा 151 जाब्ता फौजदारी के अन्तगत कार्यवाही की गयी।

कु0 कटोरी देवी के दारूलशफा के पास कार नं0 यू0 पी0 डी0-1972 से दुर्घटना होने पर थाना हजरतगंज पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया जिसमें साक्ष्य के अभाव में दिनांक 29-4-84 को अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई।

अनशन स्थल से कु0 कटोरी देवी को जंगल में ले जाकर छोड़े जाने के आरोप सही नहीं पाये गये। उसके विरुद्ध पांच बा।र झूठे मुकदमें दर्ज किये जाने की बात भी सही नहीं पायी गयी।

कु0 कटोरी देवी के विरूद्ध पंजीकृत द्वारा 294 भा0 द0 वि0 का मुकदमा शासन द्वारा जन प्रतिनिधियों के अनुरोध पर वापस लिया जा चुका है।

कु0 कटोरी देवी सह अध्यापिका के पद पर अस्थाई रूप से कार्यरत थी परन्तु उनके द्वारा शिक्षण कार्य में रूचि न लेने के कारण दि0 16-1-82 को उनकी सेवायें समाप्त कर दी गयी। उनकी पुर्ननियुक्ति पुन: सह अध्यापिका के पद पर दिनांक 16-2-83 को की गई परन्तु कु0 कटोरी देवी द्वारा न तो आदेश लिये गये और न ही कार्यभार ग्रहण किया। उनके अवशेष वेतन के रू0 422.50 की धनराशि का भुगतान उन्हें दिनांक 6-6-85 को कर दिया गया है। दिनांक 29-7-85 को तत्कालीन मुख्य मंत्री जी द्वारा सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि कु0 कटोरी देवी को पुन: नियुक्त कर दिया जायेगा और नियुक्त पत्र की प्रतिलिपि मा0 विधायक श्री बदन सिंह को भेज दी जायेगी। तदनुसार बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कु0 कटोरी देवी की नियुक्ति के आदेश पुन: 16-8-86 को जारी किये गये तथा बेसिक शिक्षा परिषद् के उप सचिव श्री आर0 पी0 त्रिपाठी व्यक्तिगत रूप से इस आदेश को कु0 कटोरी देवी को देने के लिये विधान भवन के सामने अनशन स्थल पर गये किन्तु कटोरी देवी ने उक्त पत्र को लेने से इन्कार कर दिया। इस पत्र की प्रति मा0 विधायक श्री बदन सिंह को भेट दी गई थी।

कु0 कटोरी देवी के मामले में जो भी स्थानीय स्तर से हो सकता था हो चुका है और शासन स्तर पर जो जांच होनी थी वह भी हो चुकी है।]

नोट:--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, कटोरी देवी 7 वर्ष से सत्याग्रह कर रही है। इससे यह साबित हो जाता है कि इसके साथ में कोई बड़ा अत्याचार हुआ है, लेकिन यह जो वक्तव्य आया है, इसमें पुलिस के आधार पर सब बातें असत्य लिख दी गयी हैं। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि कु0 कटोरी देवी ने जो 354 का मुकदमा दर्ज कराया है, उस मुकदमें के सिलसिले में आपने उत्तर दिया है कि जो उसकी जांच कराई गयी, वह अपराध अनुसंधान विभाग से कराई गयी, तो क्या इस मामले में कटोरी देवी से भी पूछताछ की गयी ? यदि पूछताछ की गयी, तो कटोरी देवी ने अपने बयान में क्या कहा ? यह माननीय मंत्री जी मुझे बतावे। मान्यवर, कटोरी देवी ने 354 का मुकदमा दर्ज कराया था और उसकी जांच की गयी तो कटोरी देवी से अनुसंधान शाखा के द्वारा जब जांच हुई तो उसकी जांच तो हुई नहीं सब एकतरफा फैसला कर दिया गया तो कटोरी देवी से कोई पूछताछ की गयी या अपने आप जांच करके फाइनल लगा दिया ?

श्री सईदुज्जमा—

मान्यवर, पूरी तरह से नियमों के अन्तर्गत जांच की जाती है , जांच की गयी है और उसके अलावा जो यह केसेज थे यह खत्म हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद एनेक्शी में बुलाकर एक घंटे मीटिंग की उसके बाद दो दफे उनको बहाल किया गया नौकरी पर वापस आ जांय, दुबारा हमारे अधिकारी गण लेटर लेकर पहुचे उसको भी कबूल नहीं किया उसने 4 शर्तें रखी हैं और सबसे बड़ी गहरी शर्त है कि 50 लाख रूपये उनको दिलाये जांय तब वह वापस आयेंगी।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, कटोरी देवी का प्रकरण इस सदन में कई बार उठ चुका है माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी यहां पर इस सदन में इस बात को कबूल किया था कि वह दया की पात्र है और उसके समस्याओं को सुलझाने के लिये उन्होंने चिन्ता भी व्यक्त की थी। मान्यवर, समस्या केवल 3 ह पहली समस्या है कि जिन पुलिस कर्मियों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया मथुरा में या हजरतगंज कोतवाली में उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाई की जाय दूसरा जो उसको निलम्बित किया गया था निलम्बन के बहाली के बात और तीसरी बात है कि जो कार से उसको चोट पहुचायी गयी है उसके मुआवजे की बात इन तीन सवालों पर माननीय मंत्री जी अलग अलग उत्तर दे दें। उसको शारीरिक मानसिक यातानाए दी गयी हैं वह बेमिसाल लखनऊ जेल, आगरा का पागलखाना के बनारस का पागलखाना कोई जगह जो यातना से संबंधित हो सकती है, छोड़ी नहीं गयी है जहां उसको भेजा न गया हो।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय वर्मा जी, बहस नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं सिर्फ आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक ने इस बात को कबूल किया है कि दया की पात्र है। जब दया की पात्र है तो उसको निलम्बन की स्थिति के बहाल न किये जाने का क्या कारण है और निलम्बन के समय की अवधि का वेतन, एरियर दिये जाने से शासन क्यों मुकर रहा है, पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे ह इसका जबाव दे दें।

श्री सईदुज्जमा—

मान्यवर, यह 4 बिन्दु आपने उठाये हैं इसमें 394 का केस तो सरकार ने खुद वापस ले लिया और अधिकारियों के खिलाफ जो लिखा है, उसमें कोई दोषी नहीं पाया गया

और यह बिन्दु है कि 50 लाख रूपया दिलाया जाय इसके अलावा जो उनकी नौकरी के सम्बन्ध, में उनको 422.50 पैसे दिये जा चुके हैं और 16-3-83 को आदेश दिया गया नौकरी में जाने का उसके बाद 16-8-83 को दिया गया उसको भी उन्होंने प्राप्त नहीं किया इसक बाद 16-2-88 को दिया गया कुछ दिमाकी तौर से वह गड़बड़ हो चुकी हैं।

श्री राम आसरे वर्मा—

इससे तो ज्यादा पागलपन इस शासन के ऊपर सवार है साधारण सी समस्या को हल करने की क्षमता इनमें नहीं है।

श्री बदन सिंह—

यह मंत्री जी 50 लाख रूपये की बात करते हैं और फिर पूरे सवालों के उत्तर पर पानी फेरना चाहते हैं इन्होंने स्वयं अपने उत्तर में कहा है मुख्यमंत्री जी ने यह तय कर दिया था कि इसकी पुर्ननियुक्ति हो जायेगी और नियुक्ति पत्र की प्रतिलिपि हमारे पास भेज दी जायेगी। मैं स्वयं इस बात को अस्वीकार करता हूं कि इसका नियुक्ति पत्र न तो कटोरी देवी को दिया गया नियुक्ति पत्र बना तक नहीं था। क्योंकि कटौरी देवी 4-1-82 से अनशन कर रही है, 16-1-82 से उसकी सेवा समाप्त कर दी है। यह लगातार धरना दे रही है, तो अध्यापन कार्य में शिथिलता बरतने की बात से इसकी नौकर समाप्त नहीं की है। इस लिये सामाप्त की गयी है कि वह धरने पर रही। मैं आपके माध्यम से जनाना चाहता हूं कि असत्य वक्तव्य दिया कि नियुक्ति पत्र दिया गया और मेरे पास उसकी प्रतिलिपि भेजी गयी तो न तो प्रतिलिपि मेरे पास भेजी, न कटोरी देबी को अनशन स्थल पर नियुक्ति पत्र दिया गया। हालांकि नियुक्ति पत्र देना ही गलत है क्योंकि उसकी नौकरी उसी तारीख से बहाल रखनी चाहिये जिस तारीख से वह अनशन पर बैठी है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उसको उस तारीख से बहाल करेंगे जिस तारीख से अनशन पर बैठी है?

श्री सईदुज्जमा—

मान्यवर, 16-8-88 के शिक्षा परिषद् के उप सचिव खुद उनके पास नियुक्ति पत्र लेकर गये और उसके बावजूद अस्वीकार कर दिया और जहां तक है आपको भी हमने भेजा है। दोबारा आपको भेज देंगे, लेकिन जो नियमों के अन्दर कार्यवाही हो सकती है, पूरी की जायगी।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने कहा उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं हैं। श्रीमन् उसका दिमागी संतुलन तो ठीक नहीं रहेगा। वह निलम्बित है। सरकार उसको रोजी रोटी नहीं दे पा रही है। अगर मंत्री जी को कल मंत्रि-मण्डल से हटा दिया जाय तो असन्तुलित हो जाएंगे। क्या मा0 मंत्री जी यह घोषणा करेंगे कि जबसे उसको निलम्बित किया गया है, उसी डेट से बहाल कर दिया जायगा और पूरी तनख्वाह देकर उसको उस स्कूल में भेज दिया जायगा।

श्री सईदुज्जमा—

मान्यवर, यह प्रश्न शिक्षा से सम्बन्धित है और नियमों के अन्दर जो हो सकता है, सुनिश्चित किया जायगा।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने जो वक्तव्य में [× × ×] बयान दिया है और उसके बाद चुनौती दी है मा0 बदन सिंह जी ने, उस पर मंत्री चुप्पी साध गये । मान्यवर, इन्होंने कह दिया मा0 बदन सिंह के पास नियुक्ति पत्र लेकर गये, मा0 बदन सिंह जी ने इकार किया। इस पर मंत्रीजी चुप्पी साध गये । मैं जानना चाहूंगा कि उसको बहाल करके पुर्ननियुक्ति करेंगे, बहाल करके और उसके सारे एरिया का भुगतान करवाऐंगं या नहीं ।

दूसरी बात मा0 मंत्रीजी ने कहा कि 50 लाख रुपया मुआवजा मांग रही है, मा0 मंत्रीजी बता दें कि वह तो 50 लाख रुपया मुआवजा मांग रही है, यह खुद कितना देना चाहते हैं, बता दें ।

श्री सईदुज्जमा---

मान्यवर, मुझे बड़ा अफसोस है कि मा0 सदस्य ने कहा कि गलतबयानी से काम किया है । हमने जो सही बात थी, लिखी है । यह मैंने नहीं कहा कि कोई अधिकारी बदन सिंह जी के पास गया । हमारे उप सचिव उसके पास गये थे मा0 बदन सिंह जी को प्रतिलिपि भिजवा दी थी । जहां तक नौकरी का प्रश्न है, यह शिक्षा से संबंधित मामला है, उसको नियमों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायगा । उससे सरकार को हमदर्दी है । उसी को मद्देनजर रखते हुये मा0 मुख्य मंत्री जी ने उससे एक घंटे एनेक्सी में बात की और कोशिश की कि इनकी समस्या का समाधान हो जाय । इसके वावजूद नहीं कर रही हैं । लेकिन सरकार का प्रयास यही है कि इस मसले को तय कर दे । इसके बावजूद कोई बात हो तो मा0 बदन सिंह जी आ जाय पूरे प्रयास से इसको तय किया जायगा ।

श्री अधिष्ठाता---

अब हो गया । वह फिर बात करेंगे ।

श्री बदन सिंह---

मान्यवर, इस बात को सही मानते हुये कि न उसको नियुक्ति पत्र दिया गया, न प्रतिलिपि हमारे पास भेजी गयी, क्या मा0 मंत्री जी इस बात का सबूत दे सकते हैं कि हमारे पास प्रतिलिपि भेजी गयी, नहीं दे सकते हैं तो पूरा वक्तव्य झूठा है । आप इसमें साफ तौर पर जवाब दिलवांएं कि कटोरी देवी को बहाल करेंगे या नहीं ?

दिनांक 4 मार्च, 1989 को खतौली जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस द्वारा जनप्रतिनिधियों की निर्मम पिटाई एवं लाठी चार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य

एक सदस्य---

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता---

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाये ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

नोट:---[× × ×] यह अंश की अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)--

[प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 4-3-89 को समय करीब 16.50 बजे श्री सुबोध कुमार पुत्र श्री सुमेर चन्द अग्रवाल, निवासी जी0 टी0 रोड, कस्बा व थाना खतौली ने अपने कारखाने में दिनांक 3/4-3-89 की रात्रि में लोहे की चोरी होने तथा चोरी गया माल श्री खालिद नामक कबाड़ी की दुकान से बरामद होने की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना खतौली पर अंकित कराई और साथ ही बरामद माल व अभियुक्त खालिद को पुलिस के हवाले किया। उक्त सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या 71/89 धारा 380/411 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त खालिद की गिरफ्तारी के लगभग एक घंटे, के पश्चात् अभियुक्त के पिता श्री मोहम्मद अयूब, ग्राम प्रधान भूड़ श्री सोपाल भाटी, अध्यक्ष, जिला युवक कांग्रेस, मुजफ्फरनगर तथा 3-4 अन्य व्यक्तियों को साथ लेकर थाने आये और उन्होंने अभियुक्त खालिद को छोड़ने के लिये दबाव डाला। उपनिरीक्षक द्वारा अभियुक्त को छोड़ने में अपनी असमर्थता व्यक्त किये जाने पर श्री भाटी व उनके सहयोगियों ने थाना परिसर में ही उपनिरीक्षक के साथ दुर्व्यवहार व मारपीट की और थाने का घेराव तथा पुलिस से निपट लेने की धमकी देते हुए वे लोग थाने से चले गये।

उसी दिन लगभग 19.30 बजे श्री भाटी नारेबाजी करते हुये एक भीड़ का नेतृत्व करते हुए पुनः थाने पर पहुंचे और अभियुक्त को छोड़ने की मांग करते हुए भीड़ ने थाना खतौली के सामने दिल्ली-देहरादून मुख्य मार्ग पर यातायात अवरुद्ध कर दिया। पुलिस तथा परगना मजिस्ट्रेट द्वारा श्री भाटी एवं उनके सहयोगियों से यातायात खोलने तथा वार्ता करके समस्या का समाधान करने के लिये निवेदन किया गया परन्तु इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ और भीड़ द्वारा पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी देते हुए पत्थरबाजी प्रारम्भ कर दी गयी एवं श्री भाटी ने अपनी रिवाल्वर से फायर भी किया। इसके फलस्वरूप अपर तहसीलदार, प्रभारी निरीक्षक, खतौली तथा अन्य पुलिस कर्मियों को चोटें आयीं। घटनास्थल पर अपर जिलाधिकारी तथा अपर पुलिस अधीक्षक भी आ गये और भीड़ को वैधानिक चेतावनी देते हुए खदेड़ दिया गया। अवैध कार्य में सम्मिलित श्री सोपाल भाटी एवं श्री धर्मवीर सिंह आदि 11 व्यक्तियों को घटनास्थल से ही गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या-72/89 अन्तर्गत धारा 147/148/149/307/332/341/427 भा0 दं0 वि0, धारा 7 क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट ऐक्ट एवं धारा 3 प्रिवेन्शन आफ डैमेज टू पब्लिक प्रापर्टी ऐक्ट पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त प्रकरण में श्री सोपाल भाटी व अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी तथा पुलिस द्वारा उनके साथ थाने पर मारपीट किये जाने के आरोप के संबंध में, आयुक्त, मेरठ मण्डल से जांच कराई गई। उनकी प्रारम्भिक जांच से यह पाया गया कि पुलिस बल का प्रयोग उस समय करना पड़ा जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया तथा पुलिस एवं मजिस्ट्रेट के अनेकों बार समझाने के बावजूद भी यातायात अवरोध समाप्त करने से इन्कार किया गया। श्री सोपाल भाटी व उनके साथियों को उनके घरों से गिरफ्तार किये जाने तथा थाने पर मारपीट किये जाने की बात जांच से सही नहीं पाई गई, अपितु उक्त व्यक्तियों को घटनास्थल से गिरफ्तार किया जाना तथा उन्हें पथराव व गिरफ्तारी के दौरान चोटें आना ज्ञात हुआ।

शासन द्वारा उपरोक्त प्रकरण की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गयी है।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री हरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, यह जो माननीय मंत्री जी का वक्तव्य आया है, शायद माननीय मंत्री जी ने इसे पढ़ा नहीं, बिना पढ़े हुए इसे यहां ले आये । यह मामला मेरे व माननीय गृह राज्य मंत्री जी के जनपद का है । यह बिल्कुल तथ्यों से परे है । इसमें असली तथ्यों को छिपाया गया है तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है । माननीय मंत्री जी की मौजूदगी में, मैं भी था, पुलिस अधिकारी भी थे, फैसला एक हुआ था । उस फैसले का उल्लेख माननीय मंत्री जी के वक्तव्य में नहीं है । जो समझौता यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और हमारी जनता पार्टी के महामंत्री धर्म बीर सिंह, जो ब्लाक प्रमुख हैं जिला परिषद् के सदस्य हैं, केन के डायरेक्टर भी रह चुके हैं चेयरमैन थे, उनकी मौजूदगी में समझौता हुआ था । मगर उस समझौते का इसमें जिक्र नहीं है ।

श्री सईदुज्जमा---

मान्यवर, हमारा प्रयास है कि यह मामला आपस में बातचीत से ही बेहतर ढंग से निपट जाये । इस बात की पूरी कोशिश है । माननीय मलिक जी पूरे तथ्यों से अवगत है । वक्तव्य की जो बात उन्होंने कही, वक्तव्य अपनी जगह बिल्कुल स्थिति के अनुसार है । वह तथ्य वह सब आपके सामने है ।

श्री विजय सिंह राणा--

माननीय हरेन्द्र जी ने एक बात कही, आपकी मौजूदगी में कोई समझौता हुआ है, उस समझौते के संबंध में उसके परिपालन के संबंध में वक्तव्य में कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है । मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी केवल इतना बता दें कि आपकी मौजूदगी में कोई समझौता हुआ था अथवा नहीं हुआ था ? अगर समझौता हुआ था तो अभी आपने स्वयं कहा कि प्रयास कर रहे हैं समझौता कराने का अगर समझौता हो चुका है तो आगे और प्रयास करने की आवश्यकता कहां रही । आप स्पष्ट बता दें कि आपकी मौजूदगी में समझौता हुआ अथवा नहीं ? समझौता हुआ तो उसका उल्लेख क्यों नहीं हुआ ? उस समझौते के परिपालन के संबंध में अब आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री सईदुज्जमा--

मान्यवर, मलिक साहब इस पूरे प्रकरण से अवगत हैं भली प्रकार से वाकिफ हैं । प्रयास है हमारा कि आपसी की बातचीत से यह निपट जाये । मुझे उम्मीद है कि दोनों पक्षों को बिठाकर जब बात होगी तो इस मामले का हल निकल आयेगा ।

श्री लक्ष्मी नारायण--

मान्यवर यह जिस दिन की घटना घटित हुई थीं माननीय मंत्री जी मुजफ्फरनगर में मौजूद थे । युवक कांग्रेस के अध्यक्ष की पिटते पिटते टट्टी भी निकल गयी थी इस बात से भी माननीय मंत्री जी अवगत हैं । मैं जानना चाहूंगा कि हमारे धर्मवीर सिंह और सुखपाल भाटी जी ने जो एफ0 आई0 आर0 लाज कराने के लिये प्रार्थना पत्र दिया है वह एफ0 आई0 आर0 दर्ज की गयी या नहीं यदि दर्ज की गयी तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री सईदुज्जमा---

मान्यवर, माननीय सदस्य की सूचना गलत है कि मैं मौजूद था उस दिन, मैं वहां मौजूद नहीं था, दूसरे दिन, गया था । जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल है उनकी एफ0 आई0 आर0 जो है लाज करा दी गयी है । माननीय मलिक जी तथ्यों से पूरी तरह से अवगत हैं, उसके बावजूद यह क्वेश्चयन कराये जा रहे हैं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

जनप्रतिनिधियों की बात है, प्रदर्शन कर रहे थे प्रदर्शन के वक्त पथराव मारपीट की घटना हुयी है। आपका कथन है कि घटनास्थल पर पकड़े गये सारे लोगों का कथन है कि घरों में ढूंढ़ ढूंढ़ कर बाहर निकालकर पुलिस ने उनको बन्द किया। मामले की जांच आपने सी0आई0डी0 से करायी, समझौता किया दोनों में से कौन सी बात सत्य है सी0 आई0 डी0 जांच करा रहे हैं या आपका समझौता बहाल होगा, इन दोनों में से कौन सी बात सत्य है ?

श्री सईदुज्जमा--

मान्यवर, हम तो प्रयास करते हैं, बातचीत से निपट जाये। इससे जो बात हो रही है उसमें अवरोध न पैदा हो। मान्यवर, मलिक साहब क्वेश्चयन करके मामले में अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं और इससे दोनों पक्षों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इसको यही रहने दें और बैठकर आपस में मामला निपट जाय।

डा0 रजनी कान्त दत्त--

मान्यवर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता--

उसकी अनुमति नहीं दी जाती है। इस पर कोई व्यवस्था नहीं हो सकती।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, पुलिस पिटाई के भुक्तभोगी दत्त साहब विधायक वाराणसी हैं उनको आपको मौका देना चाहिये था। मैं जानना चाहता हूं कि स्वयं माननीय मंत्री जी ने पहल की थी और कहा था कि वातावरण को सुधारने के लिये प्रयास कर रहे हैं ऐसा आश्वासन दिया था। मैं जानना यह चाहता हूं कि जब वे स्वयं प्रयासरत हैं तो क्या गुप्तचर जांच वापस कर लेंगे और माननीय सदस्यों को बुलाकर एक साथ बैठ कर कोई रास्ता निकालेंगे ?

श्री सईदुज्जमा--

मान्यवर, जो आपने बात कही है, वह ठीक है।

डा0 रजनी कान्त दत्त--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि समझौते से ही सरकार काम चला रही है, या कोई शासन भी चल रहा है ?

श्री अधिष्ठाता--

दत्ता जी, आप बैठें।

विद्युत परिषद द्वारा सीमेन्ट के विद्युत खम्भों की खरीद में करोड़ों रुपये का घोटाला किये जाने के संबंध में वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता--

सदस्य संख्या- 35 स्थगित हो गयी।

दिनांक 27 फरवरी, 1989 को जनपद गोण्डा के इटियाथोक के थानाध्यक्ष द्वारा पूरे सिधारी के ग्राम प्रधान एवं एक किसान को पीटने एवं अपमानित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)--

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 27-2-89 को प्रातः साढ़े सात बजे उप निरीक्षक श्री ओ0 पी0 सिंह, अन्य कर्मचारियों के साथ मुकदमा अपराध संख्या 19/89 धारा 04/10 वृक्ष संरक्षण अधिनियम के वांछित अभियुक्त हनुमान उर्फ मुन्ने व केदार निवासी मजरा लौसिसा ग्राम पूरे सिधारी को गिरफ्तार.....

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाये ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य का शेष भाग पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री सईदुज्जमा--

[करके थाना इटियाथोक ला रहे थे, कि रास्ते में ग्राम पूरे सिधारी के प्रधान सूर्य पाल पांडेय तथा राम फेर वर्मा के नेतृत्व में एकत्र भीड़ ने उपरोक्त दोनों अपराधियों को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया। ये सभी व्यक्ति इंडियन पीपुल्स फ्रन्ट द्वारा बनाई गई किसान संघर्ष समिति से संबंधित है तथा कई बार सरकारी कार्य में व्यवधान डालने का प्रयास कर चुके हैं। उपरोक्त घटना के बाद उपरोक्त उ-नि0 ने अपना थाना-इंटिया थोक पर मु0 अ0 सं0 27/89 अन्तर्गत धारा 147/148/149/225-353/341 भा0 दं0 वि0 तथा 7 क्रिमिनल ला एमेन्डमेन्ट ऐक्ट पंजीकृत कराया। इस मुकदमें के संबंध में दिनांक 27-02-1989 को ही सूर्यपाल पांडेय एवं रामफेर वर्मा को गिरफ्तार किया गया ।

जांच के दौरान ग्राम पूरे सिधारी के प्रधान व रामफेर को सरे बाजार नंगा करके घुमाने, जूता सुंघाने व थूक चटाये जाने आदि की बात सामने नहीं आई और नहीं ऐसी कोई शिकायत ही मिली । यह कहना सत्य नहीं है कि श्री पांडेय व रामफेर द्वारा दिनांक 27/02/1989 को रानीपुर में पुलिस जुर्म का विरोध करने के कारण गिरफ्तार किया गया, वस्तुतः उनको अपराध संख्या 27 89 में गिरफ्तार किया गया था। यह सत्य है कि इंडियन पीपुल्स फ्रंट के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता जिलाधिकारी से मिले थे और उन्हें ज्ञापन दिया था जिस पर जिलाधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिये गये हैं जो प्रचलित है यह कहना असत्य है कि प्रश्नगत घटना के कारण पूरे जनपद में, आक्रोश एवं रोष व्याप्त है और दिनांक 02/03/89 से धरना, प्रदर्शन एवं गिरफ्तारी का सिलसिला चल रहा है वस्तुतः दिनांक 12/03/89 के प्रश्नगत घटना के संबंध में जिलाधिकारी निवास पर धरना देने के कारण निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर 50 व्यक्तियों को धारा 151 जा0 फौ0 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था।

जनता एवं पुलिस के व्यक्तियों के बीच तनाव बढ़ने तथा स्तिथयों विस्फोटक होने आने की बात सत्यता से परे है। ग्राम सिधारी सहित पूरे जनपद में स्थिति सामान्य है।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने बयान में कहा है कि श्री सूर्यपाल पान्डेय तथा रामफेर वर्मा को मु0 अ0 सं0 27/89 अन्तर्गत धारा 147/148/149/225/353/341 के तहत क्रिमिनल ऐक्ट में गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने यह भी कहा है कि इंडियन पीपुल्स फ्रंट के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता जिलाधिकारी से मिले थे और उन्हें एक ज्ञापन दिया था। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो जिलाधिकारी, गोण्डा को ज्ञापन दिया गया है, उस ज्ञापन का पूरा विवरण क्या है, और उसमें इंडियन पीपुल्स फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने क्या मांगे रखी है ?

श्री सईदुज्जमा—

मान्यवर, सवाल नहीं समझ आया। कृपया दुबारा बतवा दें।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

मान्यवर, सवाल यह है कि जो जिलाधिकारी, गोण्डा को ज्ञापन दिया गया है, उसमें इंडियन पीपुल्स फ्रंट के पदाधिकारियों ने क्या मांगें रखी हैं, तथा उस ज्ञापन का विवरण क्या है ?

श्री सईदुज्जमा—

मान्यवर, जो जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया था, उसकी मैजेस्टीरियल जांच चल रही है और यह उनका प्रार्थना-पत्र है। मान्यवर, यह उनका पूरा प्रार्थना-पत्र है। मैंने पूर्व में ही कहा कि मजिस्टेरियल जांच हो रही है। मान्यवर, इसकी जानकारी नहीं है।

श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा—

मान्यवर, उनकी मांगे क्या-क्या थीं, इसे तो माननीय मंत्री जी बता दें ?

श्री अधिष्ठाता—

उन्होंने कह तो दिया कि उसका विवरण उनके पास इस समय नहीं है। आप कोई दूसरा प्रश्न पूछ लें।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

मान्यवर, मजिस्टेरियल जांच को परिचालित हुए करीब डेढ़ महीने का समय हो गया है। इस जांच में इतने लोगों को साक्ष्य के लिये बुलाया गया है और उन्होंने क्या-क्या साक्ष्य दिये हैं ?

श्री सईदुज्जमा—

मान्यवर, इसकी जानकारी नहीं है।

श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को जानकारी है नहीं। दूसरा, यह वक्तव्य सत्य से परे है। इसलिये इसे स्थगित कर दिया जाय।

श्री रामपाल सिंह एडवोकेट—

मान्यवर, मेरे क्षेत्र का मामला है। मेरा निवेदन है कि गोंडा से संबंधित यह मामला था। यदि माननीय विधायक जी इस बात की जानकारी कर लेते तो यहां वह सवाल नहीं लाते। अगर कोई मुल्जिम लाया जा रहा हो और उसे छुड़ा दिया जायेगा

और फिर उसपर यहां चर्चा की जायेगी तो जो मजिस्टेरियल जांच चल रही है, उस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस मामले को यही पर समाप्त कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

आगरा स्थित राजा बलवन्त सिंह महाविद्यालय में चालू कृषि मूल्य लागत परियोजना को वाराणसी ले जाने के निर्माण से पश्चिमी जिलों में व्याप्त असंतोष के संबंध में वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता—

वक्तव्य, को पढ़ा हुआ मान लिया जाये ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

कृषि राज्य मंत्री (श्री शिव बालक पासी)—

[माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री जी को सम्बोधित तथा कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश को प्रति पृष्ठांकित, प्रधानाचार्य, राजा बलवंत सिंह कालेज, आगरा के पत्र दिनांक-15-11-88 में कहा गया है कि वाराणसी में एक संवाददाता सम्मेलन में केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री माननीय श्री श्याम लाल यादव ने कहा था कि केन्द्रीय कृषि मूल्य और लागत आयोग का एक नया केन्द्र शीघ्र ही हिन्दू विश्वविद्यालय कृषि संस्थान में खुलेगा, पहले वह केन्द्र आगरा में था। इस संबंध में दिनांक 14-10-88 को दैनिक जागरण (वाराणसी) में समाचार प्रकाशित हुआ था। उक्त समाचार के आधार पर प्रधानाचार्य, राजा बलवंत सिंह कालेज, आगरा ने अपने उक्त-पत्र द्वारा उक्त केन्द्र को राजा बलवन्त सिंह कालेज, आगरा से न हटाये जाने का अनुरोध किया है ।

2—कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन है और उसके द्वारा लिये गये निर्णय पर प्रदेश सरकार के स्तर पर कोई कार्यवाही संभव नहीं है। माननीय कृषि मंत्री जी भारत सरकार को संबोधित प्रधानाचार्य, राजा बलवन्त सिंह कालेज, आगरा के पत्र दिनांक 15-11-88 की प्रतिलिपि दिनांक 31 मार्च, 1989 को सचिव भारत सरकार, कृषि मंत्रालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु भेज दी गई है ।]

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में लिखा है कि प्रधानाचार्य, राजा बलन्त सिंह, कालेज, आगरा के पत्र दिनांक 15-11-1988 को दिनांक 31 मार्च, 1989 को सचिव, भारत सरकार को भेज दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस पत्र में उन्होंने क्या संस्तुति कर भेजी है ?

श्री शिव बालक पासी—

मान्यवर, प्रस्तुत वक्तव्य में स्थिति को बहुत ही अच्छी तरीके से स्पष्ट कर दिया गया है। लेकिन मुझ बड़ा अफशोस है कि हमारे सम्मानित सदस्य श्री बदन सिंह जी ने उसे शायद समझने की चेष्टा नहीं की है। प्रश्न यह है कि राजा बलवन्त सिंह कालेज में कृषि मूल्य और लागत आयोग की एक परियोजना चल रही है, उसे बनारस शिफ्ट किये जाने अथवा आगरा में ही रखे जाने का मामला है। मान्यवर, वक्तव्य के दूसरे पैराग्राफ को देखने का कष्ट करें। जिसमें बहुत अच्छी तरीके से इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन है और उसके

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

द्वारा लिये गये निर्णय पर प्रदेश सरकार के स्तर पर कोई कार्यवाही संभव नहीं है। माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्तुत पत्र पर क्या कार्यवाही की है, तो सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि शासन नें कानून की परिधि में रहते हुए भारत सरकार को अग्रेतर कार्यवाही के लिये अग्रसारित कर दिया है।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, संरक्षण दें और देखें। यह मामला है कि केन्द्रीय कृषि मन्त्री ने कोई बात कही और समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई। समाचार-पत्रों के माध्यम से जानकारी सबको मिली। उसके आधार पर प्रधानाचार्य, आर0 बी0 एस0 कालेज ने आपको भेजा आपका दायित्व बन जाता है कि केन्द्र सरकार से पूछ लेते पत्र के प्राप्त होने के बाद कि क्या केन्द्रीय कृषि मन्त्री ने जो वक्तव्य दिया है, उसमें सच्चाई है। उसके बाद अग्रिम कार्यवाही करनी चाहिये थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार के आधार पर प्रधानाचार्य, आर0 बी0 एस0 कालेज ने जो पत्र भेजा था, उस पर केन्द्रोय सरकार से पता लगाने का प्रयास किया कि केन्द्रीय कृषि मूल्य और लागत आयोग का नया केन्द्र खुलने जा रहा है या नहीं ? यदि किया तो बता दें?

श्री अधिष्ठाता--

आप वक्तव्य के दूसरे प्रस्तर को देखें। उसके अंत में यही लिखा है कि यह निर्णय वही लेंगे और पत्र को अग्रसारित कर दिया गया है।

श्री विजय सिंह राणा--

मैं अपना आशय स्पष्ट कर दूं। भारत सरकार, कृषि मन्त्रालय को अग्रेतर कार्यवाही के लिये भेज दिया गया है। ऊपर कहा है कि श्री श्याम लाल यादव, केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा था कि केन्द्रीय कृषि मूल्य और लागत आयोग का एक नया केन्द्र शीघ्र ही हिन्दू विश्वविद्यालय के कृषि संस्थान में खुलेगा। यह समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ वही प्रधानाचार्य, आर0 बी0 एस0 कालेज को पता चला। उसके आधार पर उन्होंने पत्र लिखा। जब आर0 बी0 एस0 कालेज के प्रिन्सिपल की सूचना इनको मिल गयी, इनका कर्तव्य यह बनता था कि सूचना अवगत हो जाने के बाद केन्द्र सरकार से यह पता लगाते कि अखबार की बात है इसमें सच्चाई क्या है ? मैं जानना चाहता हं कि आपने जानकारी की है या नहीं, अगर की है तो बता दें ?

श्री शिवबालक पासी--

मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है कि शासन कानून की परिधि में रहने के लिये बाध्य है। यह तो माननीय राणा जी ही कर सकते हैं कि गैर चीज को कउवा रोये; जो चीज प्रदेश सरकार के नियंत्रण में है ही नहीं....

(व्यवधान)

...कानून की परिधि में रहकर जो कार्यवाही की जा सकती है, वह की गयी है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

माननीय मंत्री जी। जब भारतवर्ष के कृषि मन्त्री ने बनारस में कोई बयान दिया; उससे गतिरोध आगरा में पैदा हो गया, विद्यालय में हड़ताल हो गयी, प्रधानाचार्य ने आपको पत्र लिखा, आपने कहा कि अग्रेतर कार्यवाही के लिये भेज दिया गया। यहां यह प्रश्न नहीं है। जानना चाहता हूं कि आपको जो प्रधानाचार्य ने लिखकर भेजा है, उस पर आपने क्या लिखा है ?

श्री शिवबालक पासी---

मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रण में नहीं है, इसलिये कोई अतिरिक्त कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

(घोर व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा- -

मान्यवर, मैंने यह नहीं पूछा था, मैंने पूछा था कि समाचर-पत्र म जो बात प्रकाशित हुई तो उसके बाद जब प्रधानाचार्य ने आपको पत्र लिखा तो आपने उनके पत्र में क्या संस्तुति करके उसे भारत सरकार को भेजा, यह बतला दें ?

सिंचाई मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

श्रीमन्, माननीय कृषि मंत्री, भारत सरकार से मेरी बात हुई और उन्होंने इस बात को समाप्त कर दिया है । अब यह राजा बलवन्त सिंह महाविद्यालय से ही सम्बद्ध रहेगा, यह उन्होंने कर दिया है ।

सिंचाई विभाग के इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के पदाधिकारियों द्वारा दिनांक 15 मार्च, 1989 से आम हड़ताल की धमकी दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य...

श्री अधिष्ठता--

वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाये ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

सिंचाई मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

[इले0 एण्ड मैक0 इन्जी0 सबार्डीनेट एसोसियेशन सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश ने अपनी मांगों के संबंध में दिनांक 14-2-89 से संघर्ष कार्यक्रम का नोटिस दिया था जिसमें दिनांक 14-2-89 से 20-2-89 तक क्रमिक अनशन तथा 9-3-89 से भूख हड़ताल एवं 15-3-89 से अनिश्चित कालीन हड़ताल का कार्यक्रम था । अवर अभियन्ता (यांत्रिक) संघ के प्रतिनिधियों से दिनांक 14-3-89 को प्रमुख अभियन्ता से वार्ता एवं समझौते के आधार पर संघ ने दिनांक 15-3-89 से आम हड़ताल पर जाने के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है तथा दिनांक 14-3-89 को रात्रि साढ़े दस बजे से भूख हड़ताल भी समाप्त कर दिया है ।

2--संघ ने अपनी मांगों में सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) संवर्ग में पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत रिक्त पदों पर पदोन्नति द्वारा भरेजाने का अनुरोध किया था जिसके बारे में प्रमुख अभियन्ता तथा संघ के प्रतिनिधियों से वार्ता के फलस्वरूप अवर अभियन्तागण को सहायक अभियन्ता के 90 पद उपलब्ध कराये जाने पर सहमति हुई। प्रमुख अभियन्ता द्वारा इस आशय का प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिया गया है जिसका परीक्षण किया जा रहा है । इसी प्रकार सहायक भंडार अधीक्षकों एवं अवर अभियन्ता (कार्यशाला) संवर्ग को अवर अभियन्ता (यांत्रिक) संवर्ग में संविलीनीकरण हेतु शासन स्तर पर सक्रिय कार्यवाही की जा रही है एवं तदर्थ नियुक्त अवर अभियन्ताओं एवं प्रोन्नति सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के विनियमितीकरण एवं स्थायीकरण के बारे में कार्यवाही की जा

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

रही है । जहां तक अवर अभियन्ताओं को समयबद्ध वेतनमान का लाभ शीघ्र उपलब्ध कराये जाने की बात है इस हेतु प्रमुख अभियन्ता द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों को निदेशित किया जा चुका है तथा अधिकांश प्रकरणों में क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत किये जा चुके है एवं शेष के बारे में कार्यवाही की जा रही है। अन्य विभागों में अवर अभियन्ता तथा सिंचाई विभाग में सहायक भंडार अधीक्षक के पद पर कार्य कर चुके हैं एवं सिंचाई विभाग में बाद में अवर अभियन्ता (यांत्रिक) के पद पर नियुक्त कर्मचारियों को उनके द्वारा पूर्व में की गई सेवा का लाभ समयबद्ध वेतनमान हेतु गणना करने के लिये जो प्रस्ताव शासन में प्राप्त होते है वित्त विभाग के परामर्श से गुणावगुण के आधार उनके बारे में कार्यवाही की जाती है ।

अवर अभियन्ताओं को खण्डीय एवं उपखण्डीय कार्यालयों में अलग से अवर अभियन्ताकक्ष का प्राविधान करने व उसे सुसज्जित करने के लिये क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को निर्देशित किया जा चुका है। राजपत्रित प्रतिष्ठा प्राप्त अवर अभियन्ताओं को रिक्त उपखण्डों का कार्यभार दिलाया जाना नीति विषयक मामला है और इस पर विचारोपरान्त ही निर्णय लिया जा सकता है। चरित्र पंजियों के उचित रख-रखाव प्रतिकूल प्रविष्टियों, सत्यनिष्ठा रोके जाने संबंधी प्रत्यावेदन एवं समय से चरित्र पंजी लिखने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को प्रमुख अभियन्ता द्वारा पुनः आदेश निर्गत किये जा चुके हैं। नलकूपों के रखरखाव हेतु आवश्यक सामग्री की समुचित व्यवस्था की जायेगी और अवर अभियन्ताओं के सेवा संबंधी समस्त समस्याओं के निस्तारण हेतु पूर्व के किये गये समझौते एवं निर्णयों को लागू किये जाने पर सक्रिय कार्यवाही की जा रही है।]

श्री कौशिक रमाशंकर--

माननीय अधिष्ठाता महोदय 15-3-89 को जो सिंचाई विभाग पर संकट आने वाला था अवर अभियन्ताओं और अन्य सिंचाई कर्मियों की मांगों को लेकर जो सिंचाई विभाग मे हड़ताल होने वाली थी उसको माननीय मंत्री जी ने समाप्त कर दिया है उसके लिये बधाई लेकिन समझौते के बाद जितनी भी बात पूरी हुई हैं यह सब पहले भी हो चुकी है। सिद्धान्त रूप से नीति के मामले में सरकार स्वीकार कर चुकी है कि अवर अभियन्ताओं की पदोन्नति की जायेगी उनकी चरित्र-पंजिका में प्रविष्ट में जो देरी होती थी, उसे ठीक किया जायेगा और उनकी चरित्र पंजिकायें ठीक से रखी जायेंगी यह नीतिगत प्रश्न था और यह हो गया। असली प्रश्न तो यह है कि सिंचाई विभाग में इन बातों का कार्यान्वयन नहीं होता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं लेकिन मैं पहले उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने आने वाले संकट को टाल दिया है लेकिन जो कमियां हैं सिंचाई विभाग की ओर से जो सिद्धान्त रूप से और नीति प्रश्न है उसके क्रियान्वयन में देरी क्यों होती है ? और इसको समाप्त करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जहां तक पदोन्नति का प्रश्न है, 7 अप्रैल से यह प्रक्रिया आरम्भ होने जा रही है। यह सबार्डिनेट कैडर में काम करने वाले लोगों का जब ऐडमिनिस्ट्रेटिव कैडर में प्रमोशन होता है तो पुनः लोक सेवा आयोग जाता है। कुछ सूची लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाल

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना जाय ।

दी गयी है, इस पर 7 अप्रैल से कार्यवाही प्रारम्भ होगी। जहां तक प्रशासनिक सेवा का प्रश्न है तो जितने जोनल के मुख्य अभियन्ता हैं, उन्हे कह दिया गया है कि उसे समय से ही किया करें। अब इसमें कोई संकट नहीं है शासन जागरुक है, उनके जो अधिकार हैं वह सुरक्षित रहेंगे।

शुगर मिल नबावगंज जिला गोण्डा के बन्द कर दिये जाने से लगभग 1500 मजदूरों के बेरोजगार हो जाने एवं गन्ना किसानों का बकाया भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति में चर्चा का व्यवगत किया जाना

(श्री सुखपाल पांडेय की अनुपस्थिति पर)

श्री अधिष्ठाता---

माननीय पाण्डे जी नहीं हैं इसलिये यह लैप्स हुआ।

बुन्देलखंड के समस्त जनपदों तथा इलाहाबाद एवं मिर्जापुर जनपद के कुछ भागों में सूखे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा

[समय 6 बजकर 45 मिनट]

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह---

मान्यवर. बुन्देलखण्ड के समस्त जनपद पिछले तीन वर्षो से लगातार सूखे की स्थिति के कारण से वहां के किसान तबाह हो रहा है। हमारा जनपद ललितपुर में पिछले तीन वर्षो से वर्षा की स्थिति वर्ष 85-86, 86-87, 87-88 व 88-89 में लगातार सूखा, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि से हमारे जनपद का किसान पूरी तरह से तबाह हुआ है ....

(व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय---

मान्यवर, शुगर मिल, नबावगंज जिला गोण्डा के बंद किये जाने से स्थिति बहुत ही गम्भीर बनी हुयी है, इसलिये इसे यदि चर्चा में ले लिया जाये तो वहां किसानों का जो बकाया है, श्रमिक भी परेशान है, अब हाउस 2-3 दिन और रहेगा, फिर बाद में आ नहीं सकेगा, इसलिये इसी सत्र में ही ले लिया जाये तो उचित रहेगी.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

जब प्रश्नकर्त्ता माननीय सदस्य स्वयं नहीं है तो आप क्यों चिन्तित है, जब पाण्डेय जी नहीं है ही नही इसलिये इसे व्यपगत किया जा चुका है....
कृपया बैठे।

(व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय---

मान्यवर, यह मेरे जनपद से संबंधित मामला है, इसलिय मुझे भी चिन्ता हो रही है; उठाया पाण्डेय जी ने जरूर है, लेकिन इससे संबंध हमारा भी है, क्योंकि दोनों आदमी तो इस कार्य-स्थगन में उठा नहीं सकते थे इसे लीजिये बाद में, वैसा आपका हुक्म सरआंखों पर; जो आप आदेश दें.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

नहीं यह तो अब व्यपगत हो चुका है .....

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

मान्यवर, वर्षा की जो स्थिति है हमारे यहां वह न देना चाह रहा था वर्ष 1985-86 में 931.00 मि0 मी0 86-87 में 748.3मि0 मी0, 87-88 में 578 मि0 मी0, तथा वर्ष 1988-89 में 574 मि0 मी0 वर्षा ही हुयी है , जबकि पिछले 3 वर्ष में लगातार यह जनपद सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, लकिन इस वर्ष प्रथम बार सबसे कम वर्षा हुयी है, जिसका विवरण भी इस प्रकार से है कि 15 जून, 1988 में 109.2 जुलाई में 241.1, अगस्त, 88 में 190.0, सितम्बर, 88 में 34.7, अक्तूबर में 2.4 तथा सितम्बर से मार्च 1988 तक कोई वर्षा वहां पर नहीं हुयी। जैसा कि मान्यवर, पहले कहा कि फसली सन 1396 में प्रथम बार लगातार वर्षा हुयी जिसके कारण खरीफ में किसान समय से बीज नहीं बो पाया तथा लगातार कई वर्षो से जनपद का अधिकांश भाग इस वजह से बोया ही नहीं गया, जिससे फसल बर्बाद हो गयी जबकि हमारे यहां जनपद की भूमि पथरीली व पहाड़ी होने से अधिक पानी की आवश्यकता होती है, और पानी पर्याप्त मात्रा में कभी भी न मिल पाने की वजह से खरीफ की फसल को काफी क्षति हुयी और यह क्षति लगभग 60 से 70 फीसदी तक हुयी। जिला प्रशासन को भी इसकी जानकारी तहसील प्रशासन तथा तथा जन प्रतिनिधियों व जनता द्वारा समय समय पर मिलती रही।जिला प्रशासन ने दिनांक 7-1-89 को इस बात से शासन को अवगत कराया कि निरन्तर आर्थिक नुकसान से किसान तबाह है। किसान की आर्थिक स्थिति भी चिन्ताजनक है और किसान अब ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह सरकारी माल गुजारी एवं विभिन्न देयों की वसूली का भुगतान कर सके।इसलिये इन वसूलियों को माफ किया जाये और काम एवं रोजगार दिलाने हेतु व्यवस्था की जाये। इससे मान्यवर, हमारे यहां जनपद ललितपुर के जिलाधिकारी ने मात्र 3-3-89 तक मालगुजारी व समस्त वसूली स्थगित कर दी और शासन के पास 6 महीने के लिये वसूली रोकने के लिये स्वीकृति मांगी थी, जो आज तक नहीं पहुंची है। हमारे ललितपुर जनपद में सबसे ज्यादा बांध है, उनकी संख्या 6 और उनकी दशा यह है कि आज उनके जल भराव क्षमता जो पिछले 10 वर्षो में थी, उससे कम है। इसी कारण से जो फसलों को पानी मिलना चाहिये वह नहीं मिल पा रहा है। केवल दो पानी ही मिल पाया है, एक पानी पलेवा के लिये और एक पानी सिंचाई के लिये मिल पाया है, जिसके कारण फसल सूख गयी है।

हमारे जनपद में 60-70 प्रतिशत फसल चौपट हो गयी है। असिंचित क्षत्र में किसानों ने फसल को काटने की बात ही छोड़ दी है। तालाबों में जानवरों को पीने के पानी नहीं बचा है और जो बचा है वह इतना गन्दा हो गया है कि उसमें तमाम प्रकार के संक्रामक रोग उत्पन्न हो गये हैं और जानवर पेय जल के न होने से लगातार मर रहे हैं। भूसे और चारे की व्यवस्था एवं पानी न होने के कारण न हो पा रहीं है और जानवर मर रहे हैं। मान्यवर, पानी न बरसने के कारण भू जल स्तर के काफी नीचे चला गया है। पिछले वर्ष 100 फिट जल स्तर था और इस साल दो सौफिट जलस्तर पहुंच गया है और जिसके कारण वहां के 180 हैण्ड पम्प सूख गये है, जिसके सम्बन्ध में जल निगम ने शासन को 27-2-1989 को अवगत कराया है और मांग की है कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाये और अधिक से अधिक हैण्ड पम्प लगाये जायं। मान्यवर, इस सम्बन्ध में कमिश्नर झांसी ने भी यह सूचना शासन को भेजी है कि माता टीला का जो जल स्तर है वह नीचे गिर गया है।

अब मान्यवर मैं कुछ मांग रखना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे जनपद ललितपुर के जिलाधिकारी ने 10 लाख 80 हजार रुपये का जो राजस्व होता है, उसकी छूट के लिये शासन को पत्र लिखा है। आप देखें कि 13798 हेक्टेयर भूमि पानी न गिरने के कारण बोई नहीं जा सकी है और रबी की फसल 80 प्रतिशत चौपट हो गयी है। मान्यवर, मैं मांग करता हुं कि हमारे जिले ललितपुर के जिले सूखा ग्रस्त घोषित किया जाये और कोई सूखा राहत योजना बनायी जाये, जिससे जो यहां के मजदूर है, वह जिला छोड़कर न जायें। तीसरी बात यह है कि पेयजल व्यवस्था हेतु गहरे ट्यूबवेल की व्यवस्था करायी जाये, क्योंकि जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। जानवरों के पीने के पानी की व्यवस्थाके लिये यह किया जाय कि जो नदी और नाले है उनके किनारे नलकूप लगाकर भर दिया जाय जिससे पीने के पानी की समस्या दूर हो सके, जो हैण्ड पाइप है, उनको और गहरा किया जाये, जिससे जो हजारों रुपया खर्च किया गया है, वह सुचारु रुप से चल सकें। मान्यवर, राजस्व की समस्त वसूलियों और अन्य देयों की समस्त वसूलियां माफ कर दी जायें, तो महती कृपा होगी। नदी नालों के किनार जो गन्दा पानी इस समय बचा हुआ है, उसमें दवायें डलवाई जायं ताकि वहां पर संक्रामक रोग पैदा न हो। भूमिहीन तथा 5 एकड़ तक के किसानों को प्रति व्यक्ति अहेतुक सहायता दिलावायी जाय। जनपद के समस्त गांवों में बोरिंग तथा ब्लास्टिग करके पानी निकाला जाय। सम्पूर्ण जनपद में पांच करोड़ रुपया तुरन्त सूखा राहत सहायता पहुंचाई जाय और सदन की एक कमेटी बना कर इसकी छानबीन करायी जाय। किसानों का जो उत्पीड़न हो रहा है उसको दूर किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

*श्री नरेन्द्र देव---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय पर आज सदन का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। मिर्जापुर में पिछले 10 वर्षों से औसत फसल का उत्पादन गिरा है और इस बार तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हु कि वहां पर जल स्तर इतना अधिक गिरा है कि सम्भवत- पिछले 50 वर्षों में इतनाकम जल स्तर कभी नहीं रहा। कुयें सूख चुके हैं और वह राजगढ़ ब्लाक हो, भद्दपुर सुकुत हो चाहे मड़ियान ब्लाक हो या सिटा ब्लाक हो इन ब्लाकों के सभी हिस्सों में जल स्तर गिरा है और इससे पानी पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है। मान्यवर, छत्तीसगढ़ इलाके में वहां पर पिछले तीन सालों में जल निगम ने जो टंकी बनायी थी उसका स्रोत भी सूख चुका है और वह योजना पूरी तरह से फेल चुकी है। जब कुओं में पानी नहीं रह गया है। नदियों और तालाबों में पानी नहीं रह गया है और इस बार तो यह हालत हो गई है कि पशुओं के लिये भी पानी नहीं रह गया है तो मनुष्यों को पीने के लिये कहां से पानी आयेगा। अधिष्ठाता महोदय मद्दपुर सुकुत इलाके में जिन कुओं से टंकी में पानी सप्लाई हो रहा था वहीं जब पानी नहीं मिल रहा है तो फिर टंकी से पानी कैसे मिल सकता है? मान्यवर, यही हालत कर्मा पेयजल योजना की है, खोराडीह पेयजल योजना तथा मड़ियान पेयजल में जहां हैण्ड पाइप द्वारा नीचे से पानी आने का स्रोत है, वही नीचे जा चुका है तो फिर कहां से आयेगा मैं निवेदन करना चाहता कि माननीय मंत्री जी जब खड़े हों तो वह हमें यह आश्वासन दें कि मिर्जापुर में जो इस सदी अभूतपूर्व सूखा पड़ा है उसके अध्ययन के लिये शीघ्रातिशीघ्र यहां से एक कमेटी भेजें जिससे आने वाले महीनों में जो लाखों पशुओं की पानी के अभाव में मौत होने वाली है, इन्सानों के लिये पीने के पानी के अभाव में मौत की आशंका हो गई है, इस समस्या से निपटा जा सकें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, भू-राजस्व के बारे में कहना चाहता है। पिछले तीन वर्षों में यदि आप उत्पादन के आंकड़ो को देखें तो आपको लगेगा कि वह भी काफी नीचे हो गये। इसलिये वहां पर भू-राजस्व माफ किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं कहना चाहता हुं कि सहकारी बैंक और कृषि का मिला-जुला कार्यक्रम जिसमें किसानों को बीमा दिया जाता है, बनाये जाय यह बड़ी छोटी सी बात है। फसल हुई नहीं है बीज का सवाया लेने के लिये नोटिसें पहुंच रही है और किसान जो कुछ सक्षम है वें कर्जा लेकर बाजार से खरीदकर सवाया भर रहे है। मान्यवर, बीज का सवाया कम से कम माफ होना चाहिये और यदि माफ नहीं कर सकते तो अगले साल उनसे लिया जाना। चाहिये। मान्यवर, कृषि से संबंधित कर्जे जो बैंक के हैं उनको भी स्थगित किया जाय और साथ ही साथ उस पर जो व्याज है उसको माफ करने के लिये शासन को व्यवस्था करनी चाहिये। मैं पुनः बल देते हुये कहना चाहता हूं कि मिर्जापुर में इस शताब्दी का भयंकरतम सूखा पड़ा है आज वहां इंसान और जानवरों के लिये पीने के पानी का संकट उत्पन्न हो गया है। उत्तर प्रदेश शासन को इस पर विचार करना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

(श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा का नाम पुकारने पर) 5 मिनट में आप लोग अपनी बात रख दें।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

माान्यवर, अगस्त, 88 से समस्त बुन्देलखंड यानी बांदा, हमीरपुर, जालौन; झांसी आदि में पानी न बरसने के कारण भीषण सूखा पड़ गया है और अकाल का साया पूरे बुन्देलखंड में खासकर बांदा में हो गया है। गत 5 वर्षो से वहां लगभग यही हालत लगातार हो रही है, बुन्देलखंड का किसान सूखे, ओला और बाढ़ से पीड़ित रहा हैं। जिससे वहां की आर्थिक स्थिति चरमरा गयी है। वहां के लोग इस स्थिति में नहीं है कि स्वयं का खाना चला सकें। खरीफ की फसल पहले ही सूख गयी और रबी की फसल भी जो बोई गयी थी वह भी सूख गयी है। हमारे बांदा जनपद के डी0 एम0 ने 75 से 100 फीसदी सूखा पड़ने की रिपोर्ट शासन को दी थी लेकिन इस समय 100 फीसदी सूखा बांदा में हो गया हैं। बांदा के किसान और मजदूर रोटी रोजी के लिये दूसरे प्रदेश में जा रहे है। अखबारों में भूख से मरने के भी समाचार प्रकाशित हुये है। छात्रों के पास पैसा न होने के कारण पढ़ाई बन्द कर दी है। इस तरह स्थिति दिन प्रति दिन भयावह होती जा रही हैं। इसके बावजूद सरकारी और सहकारी कर्जो की व्यापक वसूली की जा रही है। अमीन गांव गांव में जाकर किसानों और मजदूरों को प्रताड़ित कर रहे हैं और सरकारी देयों की वसूली कर रहे हैं।

मेरा अनुरोध है, कि सबसे पहले कर्जो पर ब्याज माफ कर दिया जाय किसान जो 10 वर्षो से सहकारी कर्जे का ब्याज देता आ रहा है उसका कर्जा दुगुना हो गया है। इस तरह के कर्जे खासकर को आपरेटिव के कर्जे माफ किये जायं।

पेय जल की स्थिति भी वहां भयंकर हो गयी है कुवें, नदियां और नाले पूरी तरह से सूख गये हैं। कुछ गंदा पानी बचा है जिसे पीने से बीमारियां फैल रही है तमाम बांदा जनपद के लोग बीमारियों से त्रस्त है। जो हैण्ड पम्प लगाये गये हैं उनका जलस्तर गिर गया है। (लाल बत्ती होने पर) मैं पांच मिनट और लूगा। बांदा में और बुन्देलखंड में आबादी छितरी है पूरे प्रदेश में जहां आप दो सौ पचास की आवादी पर एक हैण्ड पम्प लगाते हैं वहां बुदेलखण्ड के लिये 100 की आवादी में हैण्ड पम्प दिया जाय वहां की आबादी छितरी है तथा जमीन पथरीली है। बांदा पूरी तरह वर्षा पर निर्भर करता है, वहां सिंचाई बहुत कम होती है। जो बांध हैं भी वह पूरी तरह से सूख चुके हैं इसलिये बांदा जनपद के और नदियों बागैरज तथा केन से लिफट सिंचाई की व्यवस्था की जाय। बांदा में पानी नहीं रह गया है, सिंचाई व्यवस्था न होने से फसल सूख गयी है। इसलिये अनुरोध है कि जिस तरह से बाढ़ परियोजना का गठन किया गया है उसी तरह से बुन्देलखंड और बांदा के लिये सूखा परियोजना का गठन किया जाये

और गांव गांव में राहत कार्य किये जायं। भविष्य के लिये खाद बीज और कीटनाशक दवाईयों की व्यवस्था की जाये। सरकार बुन्देलखंड और बांदा के लिये करोड़ों रुपये राहत धनराशि देने की आज सरकार घोषणा करे और बुन्देलखंड एवं बांदा जनपद का पूरा क्षेत्र सूखाग्रस्त घोषित किया जाये।

*श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, वर्ष 1983 से लगातार मिर्जापुर जनपद में सूखे का असर पड़ रहा है। मंत्री जी बारबार वहां का दौरा कर रहे हैं और लिफ्ट कैनाल लगा रहे हैं लेकिन उसका कुछ असर नहीं दिखाई दे रहा है। हैण्डपम्पों का स्ट्रेटा नीचे हो गया है। इस लिये 80 प्रतिशत हैन्डपम्पों को आप दुरुस्त करायें और जर्बो जलाशयों से, टैकर से पानी उपलब्ध करायें।

मान्यवर, अनडिवाइडेड मिर्जापुर में सोनभद्र जिला हो गया है। इसलिये राबर्टस गंज, दुद्धी तहसील, मिर्जापुर सदर, चुनार तहसील का नारायणपुर ब्वाक व सीखर ; एक ब्लाक के कुछ गांवों को छोड़ कर, सभी बीसों ब्लाकों में सूखा है। वाराणसी का चकिया और नौगढ़ भी सूखे से प्रभावित हैं। इसलिये मंत्री जी यहां का लगान माफ करें और भूमि विकास बैंक वसूली न करे।

मान्यवर, यही स्थिति सूखे की बुन्देलखंड की भी है। लेकिन सरकार कोई द्रुतगामी व्यवस्था नहीं करती है तो मिर्जापुर में ओबरा तापीय परियोजना है, आनपारा तापीय परियोजना जो है, और हिंडालको जो बिजली पैदा करता है इनमें पानी के अभाव में विद्युत उत्पादन ठप्प हो जायेगा है। मिर्जापुर और सोनभद्र में जो तमाम परियोजनायें हैं वहां भूगर्भ जल नहीं है, इसलिये बाढ़ सागर परियोजना, सोन नदी का पानी, लिफ्ट कैनाल से चालू किया जाये। गंगा नदी से जलग्रिड बनायें। मैं यह भी चाहता हूं कि इस सूखे की स्थिति में भू-राजस्व और तकावी की इस साल कम से कम इनकी वसूली बंद की जायं।

मान्यवर, मंत्री जी के क्षेत्र और श्री भगवती चौधरी के 96 क्षेत्र में जहां 80 प्रतिशत खरीफ की फसल सूख गयी है, नारायणपुर सीखर, जमालपुर के हिस्से को छोड़कर जहां गंगा नहर का पानी जा रहा है, शेष सभी जगह सूखा पड़ गया है वहां तात्कालिक राहत कार्य चालू किये जायं।

मिर्जापुर का पानी दो रुपये लीटर पड़ जाता है। कल्याणकारी राज्य होने के नाते अप्रैल, मई और 15 जून तक जब तक अच्छी वर्षा न हो तब तक सरकार पानी देने की व्यवस्था करे।

*श्री जमुना प्रसाद बोस—

मान्यवर, मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, बांदा जिले की स्थिति के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां के डी0 एम0 ने स्वीकार किया है कि 1411 गांव मात्र राजस्व के हैं जो सूखे से प्रभावित हैं। रिपोर्ट के अनुसार वहां 50 से 75 प्रतिशत फसल सूखे से प्रभावित हुई है। ऐसी स्थिति में भी बांदा जिले की कल तक की रिपोर्ट बता रही है कि वहां वसूली अभी बन्द नहीं है और वसूली में लोग बन्द तक किये जा रहे हैं। मैंने कल जिलाधीश से कहा इस बारे में वहां के एक गांव में एक नाई जाति के व्यक्ति को सींच की वसूली के सम्बन्ध में बन्द कर दिया गया था, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी तक सरकार से कोई आदेश नहीं आये हैं कि राजस्व की वसूली रोक दी जाये। तो वहां राजस्व और सिंचाई की वसूली

बराबर हो रही है और हजारों आदमी उत्पीड़ित हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्व मंत्री और सिंचाई मंत्री दोनों यहां बैठे हैं। वह इसका सर्वे करा लें कि बांदा जिले के 20 लाख आदमियों में से कम से कम 2 लाख आदमी वहां से काम की तलाश में अब तक बाहर जा चुके हैं। जैसे पहले कहा जाता था--तुम चले मालवा हम जाब गुजरात। आज वही स्थिति वहां पैदा हो गयी है, लोग सूखे की मुसीबत में जिला छोड़ के रोजी रोटी के लिये इधर उधर शरण लेने जा रहे हैं। वहां के लिये 35 लाख रुपया केवल राहत कार्य के लिये दिया गया है, यह तो वहां के ब्लाकों के लिये प्रति ब्लाक 3-3 लाख रुपया भी नहीं आता है। यह हमारे 1411 गांव हैं, आप इनमें इससे एक-एक लाख रुपया भी नहीं दे पायेंगे। तो उस जिले के लिये आप कम से कम गिरी हालत में 10 करोड़ रुपया भेजें, समस्या का कोई समाधान हो पायेगा और लोग किसी तरह अपना जीव न यापन कर सकेंगे।

सूखा इस समय नहीं है, यह लगातार कई सालों से पड़ा है और जब पड़ते पड़ते किसानों की कमर बिलकुल टूट गई है। वहां पर सिंचाई के साधन मध्य प्रदेश से आते हैं और मध्य प्रदेश के लोग डैम में सेबांदा में पानी नहीं आने देते है। हम लोग इसके लिये कई बार अनुरोध कर चुके है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार आपस में बैठ कर इस जल विवाद को सुलझावें, जिससे हमेशा के लिये समस्या का कोई समाधान निकल सके। बांधों के 31 परसेंट पानी कायदे से मध्य प्रदेश ले जाता है और प्रातः फाटक गिराकर बकायदे भी वह काफी पानी ले जाता है। जब हमारी नहरें वहां पानी नहीं दे पाती हैं और मध्य प्रदेश रोक देता है तो वहां पर आप ट्यूबवेल बढ़ावें। उत्तर प्रदेश का सिंचाई का 96 अरब का बजट है।वहां के सूखे के लिये इसका एक परसेंट भी आप अगर दे दें तो वहां की समस्या का समाधान हो सकता है। बांदा जनपद ही नहीं वह पूरी बेल्ट सूखा पीड़ित है।ललितपुर में भी यही स्थति है। बुन्देलखंड में इलाहाबाद से मिर्जापुर तक एक बेल्ट है, वह पूरी तरह से सूखे से पीड़ित है.....

श्री अधिष्ठाता--

इसमें फतेहपुर को क्यों छोड़ दिया गया है।

श्री जमुना प्रसाद बोस--

तो आप बांदा में कम से कम ट्यूबवेल्स का जाल बिछवायें और जो सिंचाई और माल-गुजारी की वसूली हो रही है, उसको तत्काल रोक दिया जाये। इसके आप तुरन्त यहां से आदेश भेजिये। पीड़ित मानवता के नाम पर आप इन वसूलियों को बिलकुल रोक दे और जो, जितनी अधिक से अधिक राहत हो सके, वह वहां पर आप अवश्य दीजिये।

श्री मिही लाल--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं। जो आपने सूखे की स्थिति पर बोलने का मौका दिया। हमारे बुन्देलखंड में, पांचों जनपदों में इतना भयंकर सूखा पड़ा है कि जैसी परेशानी सन 1978 में बाढ़ आई थी और इस वर्ष वह सूखा पड़ने से है हमारे क्षेत्र की जनता के लिये पानी पीने के लिये भी नहीं है। मान्यवर,जिलाधिकारी महोदय को मैंने कई प्रार्थना पत्र दिये, माननीय राजस्व मंत्री को भी प्रार्थना-पत्र दिया और हमारी यह मांग है कि ऐसे भयंकर सूखे पाला व ओले से पीड़ित वहां की जनता को राहत देने के लिये, पीने का पानी देने के लिये और वहां के जानवरों को चारे और भूसे की व्यवस्था करने के लिये आप पूरा प्रबन्ध करें और जो सरकारी आपकी वसूली हो रही है वह सभी वसूलियां सभी स्तर की चाहे वह कोआपरेटिव की हों, चाहे किसी विभाग की हों वह बन्द की जानी चाहिये मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि बुन्देलखंड के पांचों जनपदों में जहां भयंकर सूखा है, वहां की विलपती हुई जनता पर ध्यान दें। वहां दस-दस करोड़ रुपया

प्रत्येक जनपद में राहत कार्य हेतु देने की कृपा करें ताकि वहां की जनता राहत की सांस ले सके। पानी का स्टेटा जो हमारे यहां है उसके बारे में कहना चाहूंगा कि क्षेत्र चरखारी में 120 फुट गहराई तक हैण्डपम्प लगे हैं पानी किसी भी हैण्डपम्प में नहीं आ रहा है चरखारी के कुओं का पानी खारी हो गया है। आप चाहे जिस माध्यम से सर्वे करा लें हजारों आदमी पेट के रोगी हो रहे है बीमारियां बढ़ रही हैं, माननीय मंत्रीजी से विशेष अनुरोध है कि बुन्देलखंड पर ध्यान दें यहां मेरी मंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना है।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह---

माननीय अधिष्ठाता जी आपने बुन्देलखंड के सूखे पर हो रही चर्चा में मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, बुन्देलखंड बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, पथरीला इलाका है यहां पिछले कई वर्षों से सूखा पड़ रहा है। इस पर विचार करना पड़ेगा कि हर साल बुन्देलखंड में सूखा क्यों पड़ता है। मान्यवर, इस साल अगस्त के बाद से पानी नहीं गिरा है मैं झांसी जिले से चुन कर आता हूं झांसी जिले में सूखा पड़ने के दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि वहां अगस्त के बाद से पानी नहीं पड़ा दूसरा कारण सिंचाई विभाग है। सिंचाई विभाग ने पूर्व में एक रोस्टर बना दिया कि नहरों में इस तारीख से इस तारीख तक पानी देंगे। किसानों ने मान्यवर, नयी उपज बो दी, उसके बाद मान्यवर, सिंचाई विभाग ने फरवरी माह में एक नया रोस्टर तैयार कर लिया और कहा कि फरवरी के अन्तिम सप्ताह तथा मार्च के प्रथम सप्ताह में जो पानी देने को पहले रोस्टर में कहा था वह नहीं दिया जायेगा। तो मान्यवर, जो पानी की आवश्यकता थी वह पानी की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकी, नये रोस्टर के कारण किसानों को पानी नहीं मिल पाया। और मान्यवर, नये रोस्टर की वजह से नहर के ऊपरी हिस्से के जिन लोगों को पांच दिन पहले पानी मिला था उनको दुबारा पानी मिल गया इससे गरौठा तहसील सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। अक्तूबर, नवम्बर से वहां पानी नहीं बरसा है।

मान्यवर, हमारे यहां माता टीला बांध बेतवा नदी पर बना है जिससे अधिक से अधिक सिंचाई का काम होता है इससे परीछा डैम को भी पानी जाता है। हमीरपुर जालौन जिले को भी बेतवा नदी से पानी दिया जाता है।गरौठा तहसील को भी इससे पानी दिया जाता है। मान्यवर, जब इसमें नये रोस्टर के बनने का कारण जाना गया तो यह मालूम हुआ कि माता टीला बांध में पानी की कमी थी इसलिये उसको बदल दिया गया, उसके बाद इसमें शासन से आदेश गये, बेतवा नहर से चार दिन तक हमीरपुर और जालौन को बाहर चला कर सिंचाई का पानी दिया गया, लेकिन इससे हमीरपुर व जालौन के किसानों को कोई लाभ नहीं मिल सका और बन्धे का पानी भी बर्बाद हो गया ?

मान्यवर, माता टीला बांध के संबंध में एक जानकारी मिली है कि पहले ही वहां के अधीक्षण अभियन्ता महोदय माता टीला बंधे से पानी निकलवा दिया। माता टीला बंधे का मछली मारने का ठेका दिया जाता है, इस तरह से मछली मारने का धन्धा माता टीला बंधे से हो रहा है सिंचाई विभाग के अधिकारी मछली मारने वाले ठेकेदारों से पैसा ले लेते हैं और बन्धों से पानी निकलवा देते हैं, जिससे बांध में पानी कम हो जाता है।

मान्यवर, माताटीला बांध से ही झांसी नगर को पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाता है लेकिन उसमें पानी की कमी हो गयी है। जिससे पानी की समस्या उत्पन्न होगी और झांसी नगर निवासियों को गर्मियों भर पेयजल उपलब्ध नहीं हो पायेगा। मई महीने में हमारे यहां नहरें चलायी जाती है ताकि तालाब वगैरह भर दिये जायं लेकिन माताटीला में पानी की कमी के कारण ऐसा करना संभव नहीं रह गया है। इसी तरह से बड़वार बांध के लिये गुरसहाय नहर से फीडर बनाया जाना अति आवश्यक है जिसके लिये वर्षों से प्रस्ताव चल रहा है उसको नहीं बनाया जा सका है। सिंचाई मंत्री जी झांसी गये थे तो उनसे वहां चर्चा हुई थी। जिले से पैसा देने की बात तय हुई थी लेकिन पता नहीं उस पैसे को कहां काट दिया गया

और बड़वार बांध के लिये फीडर नहर आज तक नहीं बन पाया है। हमारे यहां भूगर्भ जल बहुत गहराई पर है। मेरा निवेदन है कि उसके लिये विस्तृत सर्वेक्षण कराया जाय और उसके लिये यहां से कोई टीम भेजी जाय। हमारे यहां मांग चल रही है कि छोटी नहरें लिफ्ट सिंचाई की व्यवस्था की जाय। पहले इसमें 25 क्यूसेक की पाबन्दी थी जो अब समाप्त कर दी गयी है। इसी तरह से छोटी छोटी नदियों से लिफ्ट नहरें बनायी जायं। इसी तरह से कम पानी देने वाले 500 गैलन प्रति घंटा के ट्यूबवेलों को बड़ी संख्या में लगवाया जाय।

बुन्देलखण्ड के लिये आप एक विस्तृत योजना बनवायें। सपरार बांध से हमीरपुर को पानी दिया जाता है। झांसी जिले की गरोठा तहसील के 87 गांवों को सपरार बांध से पेयजल उपलब्ध कराया जाता है लेकिन मार्च 87 के बाद सपरार बांध से पानी नहीं दिया जा रहा है इन गांवों में हैन्ड पम्प भी नहीं लगे हैं। हमारा अनुरोध है कि इन सभी जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाय और इन जिलों में सहकारी तथा सरकारी कर्जों की वसूली को माफ किया जाय। सिंचाई विभाग की जो रोस्टर को बदलने की प्रक्रिया हो गयी है उस पर रोक लगायी जाय तथा इस सम्बन्ध में दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाय। इसके अलावा हमारे यहां राहत कार्य तत्काल शुरू करवाये जायं।

*श्री कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, कायदे से इस विषय पर सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिये, यदि सरकार में संवेदनशीलता होती तो इस चर्चा की नौबत न आती। लेकिन दुख का विषय है कि सरकार में कोई संवेदनशीलता नहीं रह गयी है। आज फसलें सूख गयी हैं। चाहे बुन्देलखण्ड का इलाका हो, मिर्जापुर का इलाका हो, इलाहाबाद का इलाका हो, हमीरपुर का इलाका हो या फतेहपुर, आगरा का इलाका हो, पानी के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पायी है। अभी लिखा पढ़ी में जिला मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट ही यहां पर प्रस्तुत की जा रही है। कायदे से यह होना चाहिये कि पूरे बुन्देलखण्ड में, मिर्जापुर, इलाहाबाद की मेजा, करछना और बारा तहसीलों को सूखाग्रस्त इलाका घोषित कर दिया जाता और वहां पर तत्काल काम शुरू कर दिया जाता। लेकिन इन्होंने न वहां पर कोई काम शुरू किया और न ही सरकारी देयों की जो वसूली हो रही उसको बन्द किया गया। सरकारी देयों की वसूली में वहां के किसान बन्द किये जा रहे हैं और वसूली जारी है। इतना अनुचित कार्य तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होता था। मेजा और करछना को देने के लिये पानी नहीं था तो नहर विभाग ने विज्ञप्ति क्यों नहीं निकाली कि आप गेहूं मत बोइये उन्नतिशील बीज मत डालिये हम पानी नहीं दे पायेंगे। ऐसा आप करते और पानी न दे पाने की सूचना देते तो किसान चना, जौ आदि बोता। लेकिन नहर विभाग ने ऐसा नहीं किया और पलेवा का पानी दिया। किसान ने यह सोचकर कि उसकी फसल को पानी मिलेगा उसने अपना बीज डाला, खाद डाली मजदूरी लगायी और उसके इतना सब कुछ करने के बाद आपने कह दिया कि अब हमारे पास पानी नहीं है। जैसा कि मानवेन्द्र सिंह जी ने कहा, सिंचाई मंत्री जी जांच करवा लें, मछलियों के लिये बांधों से इलाहाबाद, मिर्जापुर, आदि में पानी निकाल दिया गया नहीं तो पानी उस बन्धे में इतना कम न होता, और जब कम हो गया, तो सिंचाई नहीं हो पाई। यह तो मेजा तहसील में हुआ और करछना तहसील के बारे में वहां के इंजीनियरों का कहना है कि वहां के पानी का लेबिल नीचे चला गया, जिससे पानी लिफ्ट नहीं कर पाये। वहां पर आज भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी और आप अभी तक लिखा-पढ़ी में लगे हुए हैं। राजस्व मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, वहां पर वसूलियात चालू है, आप बार-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बार ऐलान करते हैं कि हमने यह आदेश कर दिया है कि कोई वसूली न की जाय, जोर-जबरदस्ती न की जाय। वहां पर जो तहसील में किसानों को बन्द किया जाता है, क्या जोर-जबरदस्ती नहीं है ? 14-14 दिन तक किसानों को बन्द किया जाता है। लेकिन सरकार में अगर संवेदनशीलता हो, तो मिर्जापुर के इलाके को और इलाहाबाद की तीन तहसीलों में बनारस की इनकी तहसील के बारे में यहां के बारे में सरकार को कुछ ठोस निर्णय लेने पड़ेंगे। एक तो जो आपका यह नियम बना हुआ है कि ढाई सौ एकड़ रकबा पर ही 'ट्यूबवेल लगायेंगे इसको अगर नहीं बदलेंगे तो इन इलाकों में जहां पर सिंचाई समुचित नहीं हो पा रही है और नदी और बांध पर आधारित है तो इसको बदल दीजिये। जहां पर छोटे-छोटे गांव हैं, जहां पर आज न ट्यूबवेल लग सकता है न नहर वहां पर बन सकती है वहां पर लिफ्ट कैनाल तो लगाइये। बाण सागर योजना का पानी इन क्षेत्रों में कभी पहुंच ही नहीं पायेगा।

माननीय सिंचाई मंत्री जी आप मध्य प्रदेश के सिंचाई मंत्री जी से और मुख्य मंत्री जी से इस पर वार्तालाप करें। मेरी मांग यह है कि पूरे बुन्देलखण्ड एरिया से फतेहपुर तक के इलाके में तत्काल एक तो ट्यूब वेल की व्यवस्था करवायें और ढाई सौ एकड़ की जो छूट है उसको कम करके डेढ़ सौ एकड़ कर दें और सर्वेक्षण कराकर जहां-जहां पर सिंचाई नहीं हो रही है वहां पर तत्काल सिंचाई की व्यवस्था करा दें, जितने में सरकारी देय हैं, उसको माफ करें, मुलतबी न करें, जैसे पानी, बिजली, कोआपरेटिव के ऋण विद्यार्थियों की फीस आदि इन सबको तत्काल माफी की घोषणा करें। इसी के साथ-साथ कुएं जो आज इस पूरे इलाके में सूख गये हैं और आज पानी पीने का संकट हो गया है, वहां पर अगर तत्काल नये कुएं नहीं बनवाये जा सकते हैं, तो हैंडपम्प की व्यवस्था करवायें। अगर 10 दिन के अन्दर व्यवस्था नहीं करवा देंगे, तो पानी पीने का संकट पैदा हो जायगा, क्योंकि नदियों के किनारे जितने कुए हैं, वे सब सूख गये हैं। माननीय मंत्री जी इसके सम्बन्ध में अगर बन्धा बना कर पानी को लिफ्ट कर खरीफ की फसल तक भी आप पानी दे दें, तो गंगा प्राधिकरण से आपको उसके लिए परमिशन भी लेनी नहीं पड़ेगी। माननीय मंत्री जी आप इसकी व्यवस्था तत्काल कर दें, ताकि वहां पर पानी तो मिल सके। पूरे इस इलाके में राहत कार्य की आज घोषणा कर दें, जिसमें तालाब की खनाई और सड़क बनाने का कार्य सम्मिलित है, उससे गरीब लोगों की दोनों वक्त की रोटी की व्यवस्था हो सकेगी।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर सरकार ने आज कोई ठोस घोषणा नहीं की तो मान्यवर, वहां का किसान वहां का मजदूर आन्दोलित है, कोई बड़े पैमाने पर आन्दोलन चला तो उसकी पूरी-पूरी जिम्मेदारी सरकार पर जायेगी क्योंकि इस बात की सूचना, इसकी गम्भीरता को आज हम लोगों ने आपके संज्ञान में ला दिया है। मुझे विश्वास है कि जो यह हुआ है जो ऐसे कामों की तत्परता होनी चाहिये वह नहीं हो पाई है, उसको देखते हुए आज जो भी एलान करेंगे, आप केवल कागजी एलान कर केवल कलेक्टर की रिपोर्ट को यहां नहीं पढ़ेंगे बल्कि पूरे इलाके की गम्भीरता को देखते हुए प्रभावी कदम अब क्या उठाने जा रहे हैं उसकी तत्काल घोषणा करेंगे और जैसा कि बोस जी ने कहा एक लाख 2 लाख रुपया देने से एक तहसील में कोई समस्या का समाधान नहीं निकलेगा इसका निदान तभी निकलेगा जब व्यापक तरीके से जब पूरे इलाके में टेस्ट वर्क का काम शुरू करेंगे और पानी पीने की समस्या का निदान आप हैण्ड पाइप में जो पानी का आवंटन करेंगे इस पूरे इलाके में अलग से हैण्ड पाइप के लिए पैसे का आवंटन करेंगे तभी इसका निदान हो सकेगा।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, 2 मिनट दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

अब नहीं हो सकेगा ।

सिंचाई मंत्री (श्री लोक पति त्रिपाठी)—

श्रीमन्, यह बात सत्य है कि इस वर्ष बुन्देलखण्ड, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर में वर्षा कम हुई यह बात भी सत्य है कि बन्धे सूखे मगर यह बात सत्य नहीं है कि मछली पालने के लिये पानी निकाला गया है मछली सिंचाई विभाग का दायित्व नहीं है सिंचाई विभाग के बन्धों में मछली पालन होता है, वह मत्स्य विभाग करता है मछली पालने के लिये पानी बहाया जाय, ऐसा नहीं है ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

जांच करा लीजिए ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जांच होती है, मैं अभी खुद घूमकर आया हूं अगर किसी बन्धे में मछली पालने के लिए पानी निकाला गया हो तो उसको बतायें । ऐसी कोई बात नहीं है मगर यह परेशानी है, समस्या है शासन इसके प्रति जागरूक है इसको दृष्टि में रखते हुए जो यह रोक लगी थी ऐसे पठारी क्षेत्र जहां नलकूप नहीं लगाये जा सकते वहां पर अगर जल उपलब्ध है तो नदियों से छोटी नदियां है, बड़ी नदिया हैं,उनकी कोई सीमा नहीं रखी गयी जहां तक निर्णय यह दिया गया कि ढाई क्यूसेक तक की जल उपलब्धता हो तो वहां से पानी उठाया जाय ।

स्वयं सिंचाई विभाग के कर्मचारी, मैं स्वयं इस बार दौरा कर रहा हूं और स्थान का चयन कर रहा हूं, डीजल के पम्प लगाकर वहां पानी देंगे और सूखे की स्थिति से निपट सकेंगे । जहां भी जल उपलब्ध होगा, नदियों में फ्लो नहीं है मगर नदियों में बड़े-बड़े कुन्ड हैं इन कुन्डों के जल का उपभोग कर लिया जायगा पानी पिलाने के लिये, खेती के लिए नहीं जहां जल है वहां पर पानी दिया जायगा ताकि क्षेत्रों में पानी पहुंच जाय । माननीय यदुनाथ सिंह जी के क्षेत्र में जल है जगों में, उसमें आज के दिन से 59 दिन नहर चलाने का जल है । जमालपुर के बाईपुर से छोड़कर उसकी समस्या निदान किया जा रहा है ताकि वहां पर सूखा न रहे । रेवती रमण सिंह जी के क्षेत्र में टोंस नदी सूख गयी उसमें जल बहुत कम हो गया लिफ्ट नहीं हो रहा है । अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहां आप ही ने एक बैठक करायी थी उसका जो निर्णय हुआ, उसका कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । मेरा यह प्रयास रहेगा कि 30 जून तक टोंस का पानी स्टोर रहे, वह बैराज तो 5 साल में बनेगा । मगर तत्काल इस वर्ष 30 जून तक वहां पर कोई रोक लगा दें, पक्की, जिससे कि पानी का स्तर रहे और भविष्य में आने वाले दिनों में यह परिस्थिति आए तो टोंस पम्प कैनाल चलती रहे । बांदा मैं इसी महीने पुनः जा रहा हूं स्थल देखने के लिये कि कहां कहां पानी उठाने की व्यवस्था कर रहे हैं । संवेदनशील शासन है । ऐसी बात नहीं है कि नहीं है ।

मिर्जापुर में दो जगह पानी उपलब्ध है । वहां पठार के 8 विकास खण्डों में पानी उपलब्ध है । जहां नहीं है वहां सोन पम्प कैनाल का काम चल रहा है । उसको अग्रनीत किया गया । प्रयास है कि पहली मई को पानी चला दें । नहर में पानी चलेगा तो पशुओं के पीने के लिये झटन में, तालाबों में पानी पहुंच जायगा । नहरों के किनारे के क्षेत्र के कुओं में पानी आ जायगा । किसी प्रकार से समस्या का समाधान हो जायगा । ललितपुर झांसी में पानी की समस्या बहुत कम है । बेतवा में इतना पानी है कि झांसी में जल की समस्या नहीं आएगी । इतना जल रुका है । गर्मी में दो दिन के लिये बेतवा नहर मई में चलावें और दो दिन के लिये जून में चलावें तो इस तरह की बात नहीं होगी कि जल के संकट से पशु मरें । इस तरह से पशु मरते हैं तो उसका असर मनुष्य पर पड़ता है । उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है ।

कुंवर मानवेन्द्र सिह—

5 दिन लगता है झांसी से पहुचने में ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जितना जल है, उतना ही डालते हैं । मृगशिरा के समय जल की आवश्यकता पड़ेगी । तो जितना जल है, बांट कर चलाते हैं । जल की मात्रा आज ही नहीं बढ़ाई जा सकती है । जितना जल है उसको ही संतुलित रूप से दिया जायगा ।

श्री देवेन्द्र कुमार सिह—

ललितपुर में सब सूख गया है । हमारे यहां कोई नलकूप नहीं है ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

आपके यहां नलकूप है और भविष्य में और लगेंगे । आज एक नलकूप है । आज तक तो नहीं लगा था । आप कहते हैं कि शासन सवेदनशील नहीं है । हमारे रेवती रमण जी ने कहा कि एरिया डेढ़ सौ एकड़ कर दिया जाय, ढाई सौ एकड़ से, इस इलाके में 5 हजार तक नलकूप स्वीकार कर लिया है । मिल जायगा तो 5 हजार को भी लगाया जायगा तो उससे तो 1500 एकड़ सींचा जायगा । संवेदनशीलता की कमी आपमें है, शासन में नहीं । हम तो क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, आप सीमित कर रहे हैं । हर समस्या से जूझना पड़ता है । स्थिति गम्भीर है लेकिन ऐसी नहीं है कि चिंताजनक है । शासन अपने दायित्व के प्रति जागरूक है । अगर ब्रिटिश शासन से तुलना कर रहे हैं तो सन् 45 में पता नहीं आप पैदा हुए या नहीं, 40 लाख लोग ब्रिटिश शासन में कलकत्ता में भूख से मर गये थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जल की कमी से एक भी नहीं मरेगा ।

राजस्व मंत्री (श्री माता प्रसाद)—

मा0 अधिष्टाता महोदय, सूखे के सम्बन्ध में मा0 सदस्यों ने जो चिता व्यक्त की है, उससे सरकार भी चिंतित है । अभी पेयजल के सम्बन्ध में और सिंचाई के सम्बन्ध में हमारे वरिष्ठ साथी लोकपति त्रिपाठी, सिंचाई मंत्री जी ने बहुत सी बातें बताई और मेरे भार को हल्का कर दिया है । मान्यवर, 1988 ईस्वी में झांसी मण्डल के जनपद बांदा, झांसी, ललितपुर में औसतन 100 से 200 मिलीमीटर पानी कम बरसा है । इसी तरह से वाराणसी, मिर्जापुर और इलाहाबाद में इसी तरह की स्थिति रही । इस प्रकार से 6 जनपद सूखे से पूर्ण रूप से प्रभावित हैं ।इसमें बांदा जनपद में खरीफ में एक लाख सतरह हजार हे0 जमीन है और जिसमें करीब 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत क्षति का अनुमान लगाया गया है । इसी तरह से झांसी में 73 हजार क्षेत्रफल में जिसमें 50 से 90 प्रतिशत इसकी फसल का नुकसान हुआ है । ललितपुर में 85 हजार हे0 में 60 से 75 फीसदी का नुकसान हुआ है ?

श्री देवेन्द्र सिह—

ललितपुर के बारे में बतायें क्या रिपोर्ट आयी है ?

श्री माता प्रसाद—

मिर्जापुर में 2 लाख 33 हजार हे0 जमीन में 60 फीसदी से 100 फीसदी का···

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य आपस में बात न करें ।

श्री माता प्रसाद—

नुकसान हुआ है। अन्य जनपदों में भी क्षति हुई है, उससे कम है । रबी में नुकसान हुआ है; इसी तरह से ।

कुंवर रेवती रमण सिंह---

इलाहाबाद में क्या है ?

श्री माता प्रसाद---

इलाहाबाद में कुल खरीफ का क्षेत्रफल 2 लाख 75 हजार 7 सौ 35 हे0 जमीन प्रभावित हुई है । इसी तरह से हर जिलों में है । मान्यवर, बांदा में औसत 75 से 100 प्रतिशत फसलों का नुकसान हुआ । बबेरू कर्वी मऊ में 783 गांव प्रभावित रहे हैं वहां से खरीफ की फसल में.....

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा---

नरेनी के बारे में भी बता दें ।

श्री माता प्रसाद---

75 सें 100 तक नहीं है, कम है वहां ।

मैं बता रहा था खरीफ की मालगुजारी में बांदा में रु0 8,59,144.3 पै0 के देय की, और सीलिंग लगान में 4520.40 रु0 छूट दे दी गयी है इसके लिये आदेश 13 मार्च 1989 को भेज दिये गये हैं । इसी तरह से रबी की फसल में भी मान्यवर, मालगुजारी में अभी प्रारम्भिक छूट के लिये जिलाधिकारी से 22,31,539.20 रु0 और सीलिंग लगान के लिये 7 हजार 2 सौ 35 रु0 29 पै0 की छूट का प्रस्ताव राजस्व परिषद् में आया हुआ है वहां से परीक्षण होकर जब यहां आयेगा तो उस सम्बन्ध में उस छूट को देने के लिये विचार किया जायगा । 31-3 तक मुख्य देयों की वसूली स्थगित करने के संबंध में जो चिन्ता व्यक्त की है आदेश जारी हो गये हैं ।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य आपस में बात न करें ।

श्री माता प्रसाद---

17 मार्च को यहां से आदेश भेज दिये गये हैं । 1-5-89 तक यह राजस्व देयों की वसूली में किसी प्रकार का उत्पीड़न न किया जाय और इसमें मुख्यत: भू राजस्व भूमि विकास कर सिचाई शुल्क जी0एम0एफ0 ड्यूज, एन0ई0एस0ड्यूज तकावी कृषि इत्यादि के संबंध में कह दिया गया है कि आसानी से कोई देता है तो उसे लिया जाय और इसके संबंध में कोई उत्पीड़न न किया जाय ।

श्री राकेशधर त्रिपाठी---

इसमें ट्रैक्टर भी जोड़ दें वह भी किसानों से संबंधित है ।

श्री माता प्रसाद---

वह तो बैंकों से लोन लिया है, वह राजस्व विभाग का पैसा नहीं है ।

श्री देवेन्द्र सिंह---

आपने कहा कि 13 मार्च को आदेश गये । 31-3-1989 को यह पर्चियां जारी की गयी हैं । यह मैं दिखा रहा हूं पर्चियां देख लें ।

(श्री देवेन्द्र सिंह पर्चियां दिखाने लगे)

श्री अधिष्ठाता---

पर्चियां नहीं दिखायी जा सकती इस तरह से माननीय सदस्य ।

श्री माता प्रसाद---

अगर ज्यादती हुई होगी तो उस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । कार्य शुरू करने के सम्बन्ध में कहा गया, प्रभावित जनपद हैं, उन सभी में लोगों को जो मजदूर हैं कृषि मजदूर हैं उनको काम देने के लिये मान्यवर, यह वहां पर, मैं बता रहा हूं अभी वहां पर काम देने के लिये ग्रामीण रोजगार योजना और भूमिहीन गारन्टी योजना के अन्तर्गत काम चल रहा है । बांदा जिले में 349 लाख 46 हजार रुपया दिया गया है, इसमें से अभी तक 111 लाख 73 हजार रुपया खर्च हुआ है, बाकी पैसा वहां पर है । इसी तरह से हमीरपुर में 193 लाख 41 हजार रुपया दिया गया है ।

(कुंवर मानवेन्द्र सिंह, कुंवर रेवती रमण सिंह श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री राकेश धर त्रिपाठी आदि सदस्य एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे, जिससे घोर व्यवधान हो गया) ।

कुंवर रेवती रमण सिंह---

माम्यवर, माननीय मंत्री जी जो आंकड़े आप पढ़ रहे हैं, वह आर0एल0जी0पी0 तथा आई0आर0डी0पी0 में पहले का पैसा आया हुआ है, उसी को आप पढ़कर बता रहे हैं । मैं चाहता हूं कि इन आंकड़ों को आप न बताइये, यह सड़क वगैरह का काम पहले से चल रही है । आपने अभी सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के बाद कितना- कितना पैसा कहां-कहां भेजा है, यह बताइये । और दूसरी बात कि अभी माननीय देवेन्द्र कुमार सिंह ने बताया और 31 मार्च की रसीदें भी दिखाई, जिससे प्रतीत होता है कि वसूली की जा रही है और आप कह रहे हैं कि उत्पीड़न नहीं हो रहा है । मान्यवर, किसान भूखों मर रहे हैं और वसूली जारी है । यह सदन में वाद-विवाद प्रतियोगिता तो हो नहीं रहे हैं । अभी सिचाई मंत्री कह रहे थे कि स्थिति गंभीर है, शासन में भी चिन्ता है तो चिन्ता और गम्भीरता का मतलब यही है जो आप सदन में बता रहे हैं ? अगर आप यही बताने को तैयार हों, तो हम लोग सदन से चले जायें । मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई नया काम हुआ, कोई तालाब आपने बनवाया हो तो बताइये । यह तो पुराने काम उसी को आप पढ़ दे रहे हैं ।

श्री माता प्रसाद---

मान्यवर, मैंने बताया कि पैसा जो दिया गया है, वह अभी खर्च नहीं हुआ है और सिंचाई विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, राजस्व विभाग, नगर विकास विभाग सभी की अलग-अलग योजनायें हैं और सभी के लिये आदेश है कि वह अपने स्तर से विभाग के जो काम हैं, उन कार्यों के लिये परियोजानायें बनायें । वह चाहे पेयजल की बात हो या और कोई हो ।

(पुन: श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री नरेन्द्र पाल वर्मा, श्री राकेशधर त्रिपाठी, कुंवर मानवेन्द्र सिंह आदि सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने लगे, जिससे घोर-व्यवधान हो गया) ।

श्री अधिष्ठाता---

पहले मंत्री जी की बात समाप्त होने दी जये । आपने अपनी बात कह ली, अब मंत्री जी को अपनी बात कहने दीजिये । आप लोग बैठें ।

श्री राकेश धर त्रिपाठी---

मान्यवर, जब से घोषणा की गयी सूखाग्रस्त होने की । उस तारीख के बाद कितना रुपया आवंटित किया गया, यही बता दीजिये

श्री माता प्रसाद---

मान्यवर, अगर कोई आसानी से दे सकता है, तो वह पैसा दे दें, जो नहीं दे सकता है, न दे, उसके खिलाफ कोई उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं की जायगी ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा---

मान्यवर, चर्चा का मतलब वाद-विवाद प्रतियोगिता है ?

श्री अधिष्ठाता---

चर्चा में आपने अपनी बात कह ली, अब मंत्री जी को पूरी बात तो कहने दीजिये ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा---

मान्यवर, जो प्रश्न किये गये हैं, उनका समुचित उत्तर आना चाहिए ।

कुंवर रेवती रमण सिंह---

मान्यवर, सामान्य योजनायें तो चल रही हैं । सूखा क्षेत्र घोषित होने के बाद आपने अलग से कौन-कौन पैसा अवंटित किया है, इसके बारे में आप जिलेवार ब्योरा दे दीजिये, जो आपने सूखाग्रस्त घोषित किये हैं । दूसरा, जो आपके देय हैं, न केवल राजस्व के बल्कि सिंचाई, बिजली बैंक आदि के बारे में आपने कोई यहां से निर्देश भेजे हैं, इसे बता दें ।

श्री माता प्रसाद---

मान्यवर, यहां पर संबंधित विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई । सभी विभागों से कहा गया है कि वे अपने विभाग से संबंधित जिन जिलों में सूखा पड़ा है, योजनायें बनायें । योजनायें बनकर हां आयेंगी ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा, कुंवर मानवेन्द्र सिंह आदि सदस्यों के खड़े होने पर---व्यवधान)

श्री लोकपति त्रिपाठी---

मान्यवर, जिन क्षेत्रों में सूखा पड़ा है, वहां काम हो । यही एक उद्देश्य है । चाहे राहत योजनाओं के लिए पैसा हो या विभिन्न कामों को किया जा रहा हो । यह आदेश है कि एक न्याय पंचायत में एक कार्य प्रारम्भ हो गया है । सूखाग्रस्त क्षेत्र के अन्तर्गत यह काम हर जगह हो रहा है । वसूली होगी, मगर किसी को सताया नहीं जायेगा । बिना वसूली के काम नहीं हो सकता है ।

(श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा, कुंवर मानवेन्द्र सिंह व श्री विजय सिंह राणा आदि सदस्यों के खड़े होने पर) ।

श्री लोकपति त्रिपाठी---

मान्यवर, जमुना नदी में इस समय जल है । आगरा नगर के लिए पेयजल की व्यवस्था कर ली गई है । कीठम लेक में से दो सौ क्यूसेक्स पानी प्रति दिन आवश्यकता रहेगी तो नहर से किया जायगा और जमुना जी में दो सौ क्यूसेक्स पानी रखा जायगा । फिरोजाबाद पर भी इसका असर पड़ेगा ।

श्री अधिष्ठाता---

इस पर चर्चा समाप्त हुई। सूखे की स्थिति को देखते हुए जिस तरह से गम्भीर चर्चा हुई है और माननीय सिंचाई मंत्री जी भी अपने भाषण में बताया है कि स्थिति चिन्ताजनक है और पूरा प्रयास किया जा रहा है फिर भी आज की चर्चा को देखते हुए और जो बातें कही गयी हैं उनके परिपेक्ष्य में जो भी कार्यवाही जैसा कहा गया है कि अब क्या-क्या स्कीमें हैं, उनको शीघ्रता से चलाने के लिये सरकार अपने स्तर से पूरा काम करेगी।

प्रदेश के बेरोजगार इंजियनरों द्वारा 3 नवम्बर, 1988 से विधान भवन के समक्ष दिये जा रहे धरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का स्थगन।

श्री अधिष्ठाता--

अब मद संख्या-41 स्थगित है।

टिहरी बांध के धंसने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा

(समय 7 बजकर 56 मिनट)

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

मान्यवर, बहुत ही थोड़े शब्दों में निवेदन करूंगा टेहरी बांध के सम्बन्ध में पहले से ही लोगों को शंका थी क्योंकि यह भूकम्प का क्षेत्र है। जो रिपोर्ट उपलब्ध है उसके अनुसार आज तक बड़े-बड़े आठ भूकम्प आ चुके हैं। अनेक छोटे भूकम्प आये हैं। रुड़की विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने भी कहा है 71, 74, 75 में 4-4 और 5-5 भूकम्प आये हैं। चिन्ता का विषय यह है कि टेहरी बांध का जो क्षेत्र है वह भूकम्प का क्षेत्र है, जो पठारी इलाका है वह भुरभुरी मिट्टी का है। अभी तीन सूचनायें आ गयीं। एक जो पावर हाउस बनाया जा रहा है, वहां से सुरंगों की खुदाई में मलबा गिर रहा है, दूसरा डीजल पावर हाउस से लेकर भागीरथ पुरम तक का मार्ग धंस रहा है। नई और पुरानी सड़कों से डिब्बन की धार तक दरार बढ़ गयी है। जो डैम पर मलबा है, धंसता जा रहा है। लोगों को चिन्ता हो गयी कि अगर भूकम्प का क्षेत्र है, अगर बांध टूट गया तो जो भयंकर विनाश लीला होगी, उससे लोग भयाक्रान्त हैं हमारे यहां के वैज्ञानिक अत्यन्त कुशल हैं, उन्होंने अवश्य ही इसका कुछ निराकरण किया होगा। इसका निराकरण शायद मन्त्री जी के उत्तर से हो पाये। अगर टूटा तो बिनाश लीला करेगा। टेहरी बांध जिसमें इतना रुपया लग रहा है। यह संकट जो लोगों के दिमाग में है, मन्त्री जी ने कुछ तो पता किया होगा, कुछ समाधान निकलेगा। सम्भवत: माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे।

*श्री सूर्य प्रताप शाही--

जानना चाहता हूं कि क्या मा0 मंत्री जी टेहरी बांध परियोजना का टंडीला लेकर उपस्थित हैं? अगर आपको जानकारी है, जो रंगीन दस्तावेजों में बंधा हुआ है। यदि आप कुछ ज्ञानार्जन कराते तो चर्चा में विशेष रुचि आती। तथ्य तो माननीय हरीश जी ने रख ही दिये हैं। इस बात की आशकायें जब से सदस्य चुनकर आया हूं तब से लगातार सामने आ रही है कि टहरी बांध परियोजना भूकम्प क्षेत्र के भीतर है जिसे वित्त राज्य मंत्री ने इसी सदन में स्वीकार किया है। मैं समझता हूं कि उससे अलग उत्तर माननीय सिंचाई मंत्री का नहीं आयगा। यदि टहरी बांध परियोजना भूकम्प क्षेत्र में है तो उत्तर प्रदेश की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनता को चिन्ता है। यह कहते हैं कि रुसी वैज्ञानिकों द्वारा ऐसी विधि ठाल ली गयी है कि भूकम्प को रोका जा सकता है जब कि रूस में आर्मीनिया में अभी भूकम्प से अतुलनीय क्षति हुई है।

मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन सी तकनीक है और उसके आधार पर टेहरी बांध को कैसे बचायेंगे? जानबूझकर कुछ आशंकायें आपके अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बनायी जाती हैं जिससे धन का शोषण किया जा सके। यह रह-रहकर छोड़ी जाती हैं। संयोग से एक बहुत ईमानदार इन्जीनियर जिसने गण्डक पर काफी रकम हजम कर ली है, उनको टहरी बाध परियोजना का मुख्य अभियन्ता बना दिया। उसने सामान को कलकत्ता से दून तक पहुंचाने का हर सिलसिला जारी कर रखा है। मैं यह कह रहा था कि इस संबंध में सिंचाई विभाग को पहले ही इन्तजाम कर लेना चाहिये था। पानी के दबाव से वहां पर चट्टानों में दरार पैदा हो गयी हैं तब जाकर अब सिंचाई विभाग को चिन्ता हुई है और उसकी सफाई के लिये मशीन आनी चाहिये। टेहरी बांध परियोजना के लिये बायोतकनीकी तरीके से इस पर विचार किया जाना चाहिये था, जो कि नहीं किया गया। वहां दरारें पड़ रही हैं, नदियों का दबाव पड़ रहा है, उसके टूटने की आशंका है। वहां से लेकर बरेली तक सारा इलाका जलमग्न हो जायेगा। इसमें माननीय मंत्री जी को तकलीफ नहीं होनी चाहिये, यदि यह सारी बातें सही हैं तो ईमानदारी से वे तथ्यों को यहां प्रस्तुत करें जैसा कि किसी प्रसंग में वित्त राज्य मंत्री ने एक प्रश्न के अन्तर्गत यहां स्वीकार किया है कि टेहरी बांध परियोजना के लिये भू-गर्भ-शास्त्रियों ने कहा है कि वहां की धर्मिता भूचाल की है, उसका रिकार्ड भी उन्होंने यहां पर कुछ प्रस्तुत किया था जो कि इस समय मुझे ठीक से याद नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या उपाय होने जा रहे हैं? दूसरी बात जो अरबों रुपये उस पर खर्च किये जा रहे हैं, आप कहेंगे कि यह बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है, तो यह जो रुपये का अपव्यय हो रहा है, इस पर भी नियंत्रण लगाया जाना चाहिये। मैं चाहूंगा कि इन सब बातों का माननीय मंत्री जी उत्तर दें।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, टेहरी बांध परियोजना के विचार के समय में वहां के पुनर्वास के संबंध में मैं इस समय बात नहीं करूंगा। टेहरी बांध हमारे देश के लिये जीवन और मरण का प्रश्न है। जीवन का इसलिये कि बांध बनता है और सफल होता है तो निःसंकोच कहा जा सकता है कि यह बहुत बड़ी बात हमारे देश के लिये होगी। स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू जी ने कहा था कि बांध हमारे देश के लिये आधुनिक मन्दिर हैं तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेहरी बांध के विषय में वहां के क्षेत्र के लोगों में चिन्ता है। मैं एक उदाहरण माननीय मंत्री जी को और इस सदन को देना चाहता हूं। हम अपने अजीज दोस्तों को दावत देना चाहते हैं और उस दावत के लिये बढ़िया से बढ़िया खाना, बढ़िया से बढ़िया पदार्थ इकटठा करके खाना बना लेते हैं और खाना बन कर टेबिल पर आ जाता है और सब लोग खाने के लिये आ जाते हैं तब पता लगता है कि इस खाने में विष मिला हुआ, तो क्या उस खाने को हम खायेंगे? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बांध को बनाने के लिये कहा गया है कि इसमें रूस के विशेषज्ञों ने राय दी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एसी स्थिति में, जिस क्षेत्र में टेहरी बांध बन रहा है, क्या रुस में इसी परिस्थिति में कोई बांध बना है? इस संबंध में क्या माननीय मंत्री जी ने कोई जानकारी की है? यह बांध मिट्टी और पत्थर का बन रहा है क्योंकि यह भूकम्प का क्षेत्र है। अगर भूकम्प आता है और बांध टूटता है तो इसके आस पास ही नहीं बल्कि दूर-दूर तक बिहार व प0 बंगाल तक विनाश होगा जहां टिहरी बांध बनेगा क्योंकि नदी के नीचे जमीन के अन्दर दरारें

हैं और जब इन दरारों में पानी जायेगा भाप बनेगी और भूकंप आयेगा और स्थिति भयावह होगी। मान्यवर, उस रिपोर्ट में जो सर्वेक्षण के दौरान भूगर्भ शास्त्रियों ने जबकि ऐसा कोई उस समय टिहरी बांध के बारे में विवाद भी नहीं था, कहा था कि अगर ऐसी स्थिति कहीं पर आती है तो 300 कि0मी0 दूर तक भूकंप का असर पड़ेगा..... (व्यवधान).....300 कि0 मी0 रेडियस के अन्दर हजारों गांव व नगर बसे हैं उनका क्या होगा ?

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य कृपया विराजें, आपके दो-तीन प्रश्न आ गये अब माननीय मंत्री जी क्या उत्तर दे रहे हैं, उनको मौका दीजिए कहने का हो सकता है कोई बात आपके सामने इसके हल की आ जाए इसलिये कृपया अब बैठें।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी---

मान्यवर, यह टेहरी बांध जो बन रहा है, यह अभी कुछ नहीं बना है, सिर्फ अभी टनल बनी हैं, जिससे अभी कोई खतरा नहीं है इसलिये उस समय पर सोचा जाना चाहिये गहन विचार किया जाना चाहिये लेकिन बन जाने के बाद यदि कोई दुर्घटना होती है तो कोई स्थिति फिर संभालने वाला नहीं होगा, इसलिये इस पर मा0 मंत्री जी को जानकारी लेनी चाहिये। धन्यवाद।

सिंचाई मंत्री (श्री लोक पति त्रिपाठी)---

श्रीमन्, आज की स्थिति में जो टेहरी बांध है और माननीय सदस्य जो बात उठा रहे हैं वह आने वाले कल की बात उठा रहे हैं कि अगर टेहरी बांध बन गया और भूकम्प आ गया, जिससे यदि टेहरी बांध टूटेगा या धंसेगा। जैसा कि माननीय सकलानी जी ने कहा कि उसमें नीचे-नीचे दरारें आ गयी हैं और उन दरारों में पानी भी चला गया है और इस पर यदि भूकम्प आ गया तो इस हालत में जो प्रलय आएगी, उसकी वजह से जो विनाश होगा, उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है यदि जब यह स्थिति हो गयी तो प्रलय और विनाश में कोई गुजाईश नहीं रहेगी, फिर यह जो शंकाए माननीय सदस्य व्यक्त कर रहे हैं, सही होंगी। फिर माननीय सकलानी जी ने आप कहा कि कि सोवियत रूस में भी ऐसी कोई जगह ली है, जहां पर ऐसी कोई परिस्थिति आयी हो, हां उनके दो बांध ऐसी ही परिस्थितियों मे बने हैं और शाही जी ने भी इसी रूस भूकम्प का हवाला दिया उस क्षेत्र का जहा पर विशाल भूकम्प आया, यह सही है कि वहां ऐसे दो बांध बने हैं एक का नाम है न्यूरेक जो लगभग 296 मी0 ऊंचाई पर बना है और दूसरा है टोमस जो 300 मी0 ऊंचा है और जब वहां पर भूकम्प आया तो काफी दूर तक आबादी पर असर हुआ, लेकिन बांध दोनो बचे रहे, बांधों पर कोई असर नहीं आया। उसी टेक्निक के आधार पर यहां भी बन रहा है और सोवियत रुस 140 करोड़ रू0 की सहायता हमें दे रहा है। यह भी सही है कि यह भूकम्प का क्षेत्र है, लेकिन हमारी जो टेक्निलाजी है, उस पर बराबर सर्वे हो रहे हैं और अब तक 12 सर्वे हुए हैं जो हमारे वैज्ञानिकों ने स्थिति बतायी है, उन वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के आधार पर हम उस स्कीम को ही लागू कर रहे हैं ताकि जब कभी भूकम्प आवे तो बांध पर कोई असर न होने पाये और रही दरारों की बात तो जहां पर पानी कटोरा जैसी स्थिति में होता है, खतरा वहां पर होता है और जहां पर पानी इस कटोरा जैसी स्थिति में नहीं होता है, सीधे रूप में होता है, वहां पर कोई खतरा नहीं होता है तो यहां पर स्थिति यही है।

दूसरे श्रीमन् जाड़ों के दिनों में पानी नदियों में कम हो जाता है, इसलिये गंगा व जमुना को प्रवाह देने के लिये लकवा के पानी की उत्तरी भारत के लिये बहुत आवश्यकता रहती है, हमारे शाही जी के पिता जी भी विद्युत् मंत्री रहे हैं.... उस समय टेहरी बांध का निर्माण चल रहा था, सर्वेक्षण हो रहा था। जो भी उत्तर प्रदेश में मंत्री आया, उसने इसको किया है। यह कहीं से भ्रम फैलाया गया है और यह साजिश है। श्रीमन् टेहरी का निर्माण होगा, तो काफी बड़ी मात्रा में बिजली बनेगी और यह उन लोगों के हृदय में दुख का कारण बन रहा है, जो इस प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं। सरकार जागरुक है। कोई ऐसी घटना होने का क्रम नहीं है। मैं बता दूं कि 1918 में भूकम्प आया था और उसके बाद से नहीं आया है। जो डिजाइन बनायी जा रही है, वह इन सारी बातो को ध्यान में रख कर बनायी जा रही है।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी---

मान्यवर, मैंने तीन बातों की सूचना दी थी एक तो यह कि जो सुरंग खोदी गयी है, उसमें मलवा जमा हो गया है, दूसरे बांध में दरार पड़ गई है और उसमें पानी भर गया है और बांध का क्षेत्र धंस रहा है, लेकिन माननीय मंत्री जी ने उनमें किसी का भी उत्तर नहीं दिया है, अन्यथा चिन्ता का कारण न होता। जो मैंने सूचना दी थी, उसकी जांच करा ली होती या उनको ऐसी कोई जानकारी मिली है, जिससे यह साबित हो कि जो चीजें हमने उठायी है, वह गलत है। माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि भूकम्प वाला क्षेत्र है और तथ्य भी यही कहते हैं, वह भूकम्प वाला क्षेत्र है। उससे नुकसान न हुआ हो, लेकिन मंत्री जी उसके प्रबन्ध की बात करते हैं, लेकिन जो तीन बातें कही गयीं हैं, उसके सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी है।

श्री लोकपति त्रिपाठी---

श्रीमन्, जहां तक भागीरथी के तट पर मलवा जमा होने की बात है, तो मलवा है। तो इस पर काफर डैम बनेगा और उससे पानी को डाइवर्ट किया जायेगा और जो सुरंग के मुंह पर मलवा है वह दूर हो जायेगा तो जो मलवा है, वह सारा हटाया जायेगा और 5 मीटर अप स्ट्रीम में मलवा डाला जायेगा और उस क्षेत्र में टेहरी डेम का जलाशय का हिस्सा होगा, उसमें मलवा चला जायेगा, तो जब डाइवरजन बांध बन रहा है, तो इस प्रकार की समस्या दूर हो जायेगी। आप जानते हैं कि हिमालय पत्थर और मिट्टी का पहाड़ है। बरसात में वह धसकता है, सड़क रुक जाती है, वह साफ होती है। वही स्थिति यहां पर भी है। आप देखेंगे कि जहां पर धसान होती है, वहां पर पक्का काम कर दिया जाता है। मिट्टी ऊपर से खिसकने की अब कोई सम्भावना नहीं है। यह भी कहा गया कि कलकत्ते से कोई मशीन मंगाई जा रही है। यहां पर गंगा मौर्डनाइजेशन स्कीम चल रही है कहां से यह मशीन मंगाई जा रही है--वहां से ड्रगलाइल शावर आ रहे हैं जो नदी की धारा बदलने के काम आयेगा।

श्री सूर्यप्रताप शाही---

मैं जानना चाहता हूं कि मलवे की आपने स्वीकार की है। यह भी आपने स्वीकार किया है कि सुरंगें बन्द हैं तो उनके बन्द होने से और मलवा इक्ट्ठा होने से पानी के दबाब के कारण चट्टानों में दरार पड़ी है। क्या यह सही है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

न दबाव ही वहां पर है और न चट्टानों में दरार ही है।

प्रदेश में आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस जारी करने एवं उनके नवीनीकरण में उत्पन्न जटिलताओं के विषय में चर्चा का स्थगन ।

श्री अधिष्ठाता—

मद संख्या 43 स्थगित है ।

इसलिए अब हम उठते है और कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 8 बजकर 20 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
3 अप्रैल, 1989 ।

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये ता0 प्र0 सं0 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 26 पर)

सूची

जांच आख्या के आधार पर निम्नलिखित दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही कर इन्हें जुलाई 1986 में निम्नानुसार दण्डित किया गया।

दोषी अधिकारी/कर्मचारी का नाम	दिया गया दण्ड
1—श्री बी0 के0 श्रीवास्तव, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता	सेंसर प्रविष्टि तथा एक वार्षिक वेतन वृद्धि स्थाई रूप से रोकी गई।
2—श्री आर0 एन0 शुक्ला, अधिशासी अभियन्ता, (तत्कलीन सहायक अभियन्ता)	सेंसर प्रविष्टि तथा दो वार्षिक वेतन वृद्धियां स्थाई रूप से रोकी गई।
3—श्री टी0 बी0 इ0 बैरियर, अधि0 अभि0 (तत्कालीन सहा0 अभि0)	कठोर चेतावनी जिसका अभिलेख चरित्र पंजिका में रखा गया है।
4—श्री एम0 सी0 रस्तोगी, सहा0 अभि0 (तत्कालीन अवर अभियन्ता)	सेंसर प्रविष्टि तथा दो वार्षिक वेतन वृद्धियां स्थाई रूप से रोकी गई।
5—श्री ए0 एल0 तनेजा, अधि0 अभि0 (तत्कालीन सहायक अभियन्ता)	सेंसर प्रविष्टि।
6—श्री जी0 आर0 ललानी सहा0 अभि0, (तत्कालीन अवर अभियन्ता)	सेंसर प्रविष्ट तथा एक वार्षिक वेतन वृद्धि स्थाई रूप से रोकी गई।
7—श्री एम0 एस0 प्रतिहार, अवर अभि0	—तदैव—
8—श्री ओ0 पी0 दलेला, अवर अभि0,	सेंसर प्रविष्टि।
9—श्री एम0 एस0 जैन, अवर अभियन्ता	सेंसर प्रविष्टि तथा दो वार्षिक वेतन वृद्धियां स्थाई रूप से रोकी गईं।
10—श्री के0 ए0 सैमुअल, अवर अभियन्ता	वे स्वेच्छा से सेवा निवृत्त हो चुके हैं, अतः वार्षिक वेतन वृद्धियां स्थाई रूप से रोकने के समतुल्य पेंशन में कटौती किये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं।

निम्नलिखित अभियन्ताओं को उनके नाम के समक्ष अंकित कारणों से दण्डित करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई :—

1—श्री एस0 पी0 गुप्ता, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता—यह दिनांक 30 अप्रैल, 1982 को सेवा निवृत्त हो गये थे।

2—श्री भागमल जैन, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता यह वर्ष 19 78 पूर्व ही (दिनांक 15 नवम्बर, 1970) को सेवा निवृत्त हो चुके थे।

3—श्री ओ0 पी0 मेन्दीरत्ता, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता—यह भी जांच पूर्ण होने से पूर्व ही सेवा निवृत्त हो चुके थे।

4—श्री यू0 एस0 भटनागर, तत्कालीन सहायक अभियन्ता—इन्हें दिनांक 3 जनवरी, 1986 से अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त कर दिया गया था।

5—श्री वृजमोहन, तत्कालीन सहायक अभियन्ता—इनकी वर्ष 1976 (16 अक्तूबर, 1976) में मृत्यु हो चुकी थी।

6—श्री मोहम्मद सईद तत्कालीन सहायक अभियन्ता—इनकी वर्ष 1983 में मृत्यु हो गयी।

विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये ता0 प्र0 स0 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38 पर)

सूची

क्र0 सं0	विकास खंड का नाम	ग्राम का नाम
1	पथरदेवा	1—कुर्थिया
2	कसया ..	1—कसया छितनवा
3	देसही देरिया ..	शून्य
4	पड़रौना ..	1—नौगांव इनरही 2—बलोचट्ठा 3—बादल छपरा 4—खरदेवा 5—रामबलिया 6—साड़ी खुर्द 7—मठिया पसी 8—लोकरिया 9—बांसदेवपुर 10 पकड़ी खुर्द 11—बढ़बलिया खुर्द 12—चौरा खास 13—दितन छपरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1989 के 5वें सोमवार हेतु निर्धारित श्री सुखपाल पाण्डे द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–13 के सम्बन्ध में नगर महापालिका लखनऊ से सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित है :—

कालोनी का नाम	अनाधिकृत अध्यासी का नाम	अगस्त 88 तक की अवशेष धनराशि
1	2	3
1—रीवर बैंक कालोनी ..	श्री सरवन कुमार अग्रवाल ..	रु0 360.00
2— ,,	श्री आर0 के0 गुप्ता ..	शून्य
3— ,,	श्री डी0 दयाल	शून्य
4—तुलसीदास मार्ग	श्रीमती कान्ता	रु0 585.00
5— ,,	श्री रतन कुमार ..	शून्य
6—भोपाल हाउस ..	श्री सी0 एल0 कुमार ..	रु0 1,494.00
7—महानगर विस्तार ..	श्रीमती सपना मेहरा ..	रु0 2,660.00
8—हजरतगंज मार्केट ..	श्री इन्दर राज सब्बरवाल ..	रु0 11,506.00
9— ,,	श्री आर0 एन0 अरोड़ा ..	रु0 21,150.00

लखनऊ विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित अनधिकृत कब्जेदारों की सूची–

क्र0 सं0	भवन संख्या	कालोनी का नाम	आवंटी का नाम	अनाधिकृत कब्जेदार
1	2	3	4	5
1	एफ–11	राजेन्द्र नगर कालोनी	श्रीमती शान्ती	श्री उमेश कुमार
2	सेवक म0 सं0 17	,, ,,	श्री नारायण	श्री कामता प्रसाद
3	सी–2	पाण्डे का तालाब	दरबारी	श्री सतीश चन्द्र
4	आई–4	,, ,,	श्री रामसरन तिवारी	श्री राजेन्द्र प्रासाद मिश्र
5	आई0 11	,, ,,	श्री कमल अहमद	,, दयाशंकर मिश्र
6	सी–9	बिल्लोच्चपुरा कालोनी	श्री वनवारी सिंह	श्री राम विलास

क्र0 सं0	भवन संख्या	कालोनी का नाम	आबंटी का नाम	अनाधिकृत कब्जेदार
7	ए–6/5	निराला नगर कालोनी	श्री बृज राज सक्सेना	श्री अमरेन्द्र सक्सेना
8	सी–2/1	,, ,,	श्री कामता प्रसाद	श्री सुरेश चन्द्र
9	सी–10/6	,, ,,	श्री लाल मुहम्मद	श्री इन्द्रदेव
10	सी–8/5	,, ,,	श्री के0 मोहन त्रिपाठी	श्री राम स्वरूप
11	ए–7	लारेंस टैरेंस	श्री माधव प्रसाद	श्री संजय त्रिपाठी
12	सेवा (5)	,, ,,	श्री श्याम लाल	श्री राम स्वरूप
13	बी–2	,,	श्री बी0 एन0 कपूर	श्रीमती निसी सेठी
14	एम–12	पेपर मिल कालोनी	श्री आर0 एस0 श्रीवास्तव	श्री डी0 के0 चौधरी
15	एम–14	,, ,,	श्री भवनेश चन्द्र मिश्र	श्रीमती मंजू शशी
16	एफ–3/6	,, ,,	श्रीमती जानकी नायर	श्री प्रमिला अग्रवाल
17	ई–2/2	,, ,,	श्री आर0 एस0 अग्रवाल	श्री एस0 सक्सेना
18	ई–2/3	,, ,,	श्री डी0 पी0 गर्ग	श्री अभिताभ कौशिक
19	ई–2/4	,, ,,	श्री ई0 बी0 स्मार्ट	श्री एस0 पी0शुक्ला
20	बी–6/4	,, ,,	श्री आर0 के0 जोशी प्रावीजनल आवंटी श्रीमती पूर्णिमा सिंह	श्री अजय दत्त शर्मा
21	डी–13/6	,, ,;	जे0 बेबलकर	गोपाल कृष्णनन
22	सी–33/4	,, ,,	सरवन सिंह	श्री के0 के0 सिंह
23	सी–6/8	,, ,,	श्री एम0 एस0 श्रीवास्तव	श्रीमती चिन्तादेवी
24	सी–23/10	,, ,,	श्री जे0 पी0 तिवारी	श्री मसरूर अहमद नबी
25	सी–45/5	,, ,,	श्री श्याम जी वर्मा	श्री सुभाष चन्द्र
26	ए–11/2	नैपियर रोड कालोनी	श्रीमती सुल्तान जहां	श्री मो0 इरफान अली
27	ए–8/4	,, ,, ,,	श्री वेद प्रकाश विश्नोई	श्री यू0 के0 मेहरोत्रा।
28	बी–2/2	,,	श्री डी0 पी0 एच0 पाण्डीवाल	श्री के0 पी0 मिश्रा

क्रम-सं0	भवन संख्या	कालोनी का नाम	आवंटी का नाम	अनाधिकृत कब्जेदार
29	बी- 7/1	नैपियर रोड कालोनी	श्री डी0 पी0 टण्डन	श्री आर0 पी0 मेहरोत्रा
30	सी- 1/1	,,	श्रीमती इम्तियाज बतनस	श्री लियाकत अली
31	सी- 1/2	,,	श्री श्कूर	श्री एम0 मसीह
32	सी- 1/8	,,	श्री राघे	श्री भगौती
33	सी-2/2	,,	श्री लेखराज अग्रवाल	श्री चन्द्र प्रकाश
34	सी-2/4	,,	श्री रशीद खां	श्री एम0 एस0 किदवई
35	सी- 2/5	,,	श्री माजिद	श्री विशाल
36	सी-2/3	,,	श्री जे 0 पी0 मिश्रा	श्रीमती मंजू टण्डन
37	सी-4/5	,,	श्री अब्दुल रज्जाक	श्री सुनील कुमार
38	सी-5/1	,,	श्री रतन कुमार गुप्ता	श्री मोहम्मद शारिफ खां
39	सी-6/5	,,	श्री इज्जत अली	श्री ओम प्रकाश गुप्ता
40	सी-7/11	,,	श्री देवी दयाल	श्री आर0 एस0 चौबे
41	सी-7/12	,,	श्री माहावीर	श्री जगत चौधरी
42	सी-8/9	,,	श्री मेढई	श्री कुलदीप खेड़ा
43	सी-8/10	,,	श्री कन्हई	श्री महेश प्रसाद
44	सी-9/2	,,	श्री पुत्तन नवाब	,, वेद प्रकाश अरोड़ा
45	सी- 9/5	,,	नन्हू	,, देश राज शर्मा
46	सी-9/8	,,	श्री निजामुद्दीन	श्री छोटे लाल
47	सी-9/11	,,	,, द्वारिका	आर0 पी0 शर्मा
48	सी-9/12	,,	श्री ओम प्रकाश	,, रमेश चन्द्र बडेरा
49	सी-5/1	,,	श्री महेश पन्त	श्री एच0 एस0 अग्निहोत्री

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1989 के पांचवें सोमवार हेतु श्री सुखपाल पाण्डे द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–13 की लखनऊ विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित संलग्न सूची—

क्रम-संख्या	कालोनी का नाम	अनाधिकृत अध्यासियों की संख्या	अगस्त 88 तक बकाया धनराशि रु0	दायर वादों की संख्या
1	कुतुबपुर, निरालानगर	4	13,472.25	3
2	पेपर मिल कालोनी	12	16,478.00	6
3	लारेन्स टेरेंस	3	6,545.53	2
4	नैपियर रोड कालोनी	24	47,500.00	2
5	राजेन्द्र नगर कालोनी	2	7,520.00	2
6	बिल्लोचपुरा	1	7,815,58	1
7	पाण्डे का तालाब	3	28,594.00	3
		49	1,27,926.78	19

नत्थी 'घ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 36 पर)

सूची

टाउन एरिया मौरावां से संबंधित मांगें	कृत कार्यवाही की आख्या
1---मौरावां की सड़कें पक्की बनायी जायं क्योंकि सन् 1947 से अब तक एक भी सड़क पक्की नहीं करायी गई ।	1---यह कथन असत्य है कि वर्ष 47 से अब तक सड़कें नहीं बनाई गइं, केवल वित्तीय वर्ष 85--86 में प्राप्त सड़क अनुदानों से निम्न कार्य कराये गये ।
	मेन रोड से (अस्पताल के पास भगवतीशंकर पाण्डेय के मकान तक, भीखा खां के मकान से लड्डन खां के मकान तक पानी की टंकी से विद्युत ट्रान्सफारमर तक मोहल्ला पटकी टोला के मकान तक तथा बदलू पासी के मकान से मैकू कुम्हार तक मो0 लोनियन खेड़ा के मकान तक तथा शिवकुमार त्रिपाठी के मकान से श्री नाथ यादव) मो0 पटकी टोला के मकान तक मिट्टी भराई है व खड़ंजे का कार्य कराया जा चुका है ।
2---हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जाय ।	अवशेष हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु विद्युत विभाग को जुलाई 88 में पत्र लिखा गया है तथा उक्त कार्यवाही सम्पादित करने हेतु चेयरमैन टाउन एरिया मौरावां द्वारा पुनः अनुरोध किया जा रहा है ।
3---स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाय ।	टाउन एरिया में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है जिसमें टूटे एवं फ्यूज हुए बल्ब आदि क्रय करके लगवा दिये गये हैं ।
4---पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु कोई बड़ी और स्थायी/ योजना बनाई जाय जैसा कि मान्यवर ने विधान सभा में स्वीकार भी किया है ।	कस्बे में एक ट्यूबवेल व टंकी जलापूर्ति हेतु उपलब्ध है परन्तु जलापूर्ति व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ करने हेतु एक नया ट्यूबवेल जल निगम द्वारा तैयार किया जा रहा है जिसके पूर्ण होने पर जलापूर्ति की क्षमता बढ़ जायेगी ।
5---सही नालियां बनाई जायं	यह कार्य धन उपलब्ध होने पर किया जा सकेगा ।
6---बक्शी की स्थायी नियुक्ति की जाय गत पांच साल से बक्शी नहीं नियुक्त हुआ है ।	टाउन एरिया मौरावां में बक्शी की स्थायी नियुक्ति दिनांक 25--5--88 को हो चुकी है और कार्यभार ग्रहण भी कर लिया है ।
7---जन संख्या को देखते हुए सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाय ।	कर्मचारियों की संख्या बढ़ाया जाना निकाय की आय पर निर्भर है । निकाय की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है कि कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जा सके ।

टाउन एरिया मौरावां से संबंधित मांगें	कृत कार्यवाही की आख्या
8--पेयजल संकट के तुरन्त समाधान के लिये हैण्ड पम्प लगाये जायें।	10 इण्डिया पार्क-2 हैण्ड पाइप पहले से ही लगे हैं।
9--(क) हौदा पर का नाला सड़क के किनारे खुदवाये जायं।	इस कच्चे नाले की खुदाई का प्रस्ताव टाउन जो एरिया मौरावां द्वारा तैयार कर लिया गया है निकट भविष्य में खुदवाया जाना सुनिश्चित है।
(ख) कसौड़ा नाले में सीमेन्ट के पत्थर ढक्कन के रूप में ढलवाये जायें।	इस नाले में दिनांक 25-7-88 को टाउन एरिया मौरावां द्वारा पत्थर रखवा कर समस्या का निदान किया जा चुका हैं।
(ग) मरहट का नाला खुदवाया जाय।	इस नाले में टाउन एरिया मौरावां द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।
10--काजीगढ़ी से मरहट के किनारे अर्ध बनी सड़क पूरी कराई जाय।	धन की व्यवस्था होने पर यह कार्य कराना सम्भव होगा।
11--सार्वजनिक शौचालय एवं पेशाब घरों का निर्माण कराया जाय।	टाउन एरिया के पास संसाधन उपलब्ध होने पर यह कार्य कराया जायेगा।

टा0ए0 कमेटी पुरवा से संबंधित मांगें	कृत कार्यवाही की आख्या
1--पेयजल की आपूर्ति करने वाली एक मात्र टंकी को ठीक करवाया जाय और अभी हाल में टंकी के ठीक कराने में हुए अनियमित कार्य की जांच कराई जाय इसके अतिरिक्त बढ़ी हुई आबादी की पेयजल की अतिरिक्त समस्या को हल करने हेतु टंकी का निर्माण कराया जाय।	पेयजल की आपूर्ति करने वाली टंकी ठीक है। पूर्व में (तत्कालीन) समय में जलापूर्ति वांछित होने पर नियमानुसार कोटेशन के आधार पर ऐफ्रन्ड कम्पनी से गया समर से कुल सेट क्रय करके लगवाया गया है जिसमें कोई अनियमितता नहीं है। नई टंकी बनवाये जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि योजना तैयार करते समय भविष्य में आबादी की बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए ही योजना तैयार की जाती है।
पेयजल की समस्या को हल करने हेतु वैकल्पिक तौर से 30 हैण्डपाइप कस्बे में लगाए जायं।	पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही (10) हैण्डपाइप इण्डिया मार्क पहले से लगे हैं।
2--कस्बे की निम्न सड़कों की मरम्मत कराई जाय व खड़ंजा बिछाया जाय---	
(अ) पुरवा-चमियानी रोड से बाजार जाने वाली सड़क	इस रोड पर 1/2 भाग पर खड़ंजा निर्मित है शेष 1/2 भाग पर खड़ंजा बिछवाने के टेण्डर स्वीकृत हो चके हैं निर्माण कार्य निकट भविष्य में पूर्ण होगा।

टा0ए0 कमेटी पुरवा से संबंधित मांगें	कृत कार्यवाही की व्याख्या
(ब) बस स्टेशन से बाजार जाने वाली सड़क वाया वजीरगंज ।	इस सड़क पर खड़ंजा लगा हुआ है ।
(स) दलीगढ़ी नहर से बाजार तक की सड़क ।	यह सड़क टाउन एरिया सीमा में पुलिस चौकी से लतीफ की चक्की दलीगढ़ी तक के निर्माण हेतु प्रस्तावित है ।
(द) शीतलगंज धर्मशाला से बाजार तक की सड़क ।	इस सड़क पर भी 1/2 भाग पर खड़ंजा लगा हुआ है शेष भाग पर खड़ंजा के टेण्डर स्वीकृत हो चुके हैं निकट भविष्य में कार्य पूर्ण किया जाना है ।
(य) पुरवा त्रिपुरापुर सड़क से कस्टोलवा होते हुए बाजार को जाने वाली सड़क ।	इस सड़क का निर्माण धन उपलब्ध होने पर किया जायगा ।
(र) पीरशाह बाबा से वजीरगंज चौराहा ।	धन उपलब्ध होने पर इस सड़क का निर्माण किया जा सकेगा ।
(ल) पुरवा–मौरावां मार्ग से शीतलगंज तक सड़क ।	धन उपलब्ध होने पर इस सड़क का निर्माण किया जा सकेगा ।
(व) चरहिया (पश्चिम टोला) से कसरौर को जाने वाली सड़क ।	धन उपलब्ध होने पर इसका निर्माण संभव होगा ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं० 65 का उत्तर, पीछे पृष्ठ, 54–55 पर)

विकास क्षेत्र, मथुरा—

1— प्रा० पा०—औरंगाबाद
2— ,, ,, कन्या औरंगाबाद
3— ,, ,, कोयला अलीपुर
4— ,, ,, दागोदरपुरा
5— ,, ,, तन्सूरा
6— ,, ,, करनावल
7— ,, ,, ऊमरी
8— ,, ,, कन्या ऊमरी
9— ,, ,, रामपुर
10— ,, ,, गुडेसी
11— ,, ,, उस्वार
12— ,, ,, क० उस्यार
13— ,, ,, ऊंचागांव
14— ,, ,, महोली
15— ,, ,, कन्या महोली
16— ,, ,, जर्यासहपुरा
17— ,, ,, घौरोरा
18— ,, ,, नरहौली
19— ,, ,, क० नरहौली
20— ,, ,, गोपालगढ़
21— ,, ,, नौगांव
22— ,, ,, गिरधरपुर
23— ,, ,, हकीमपुर
24— ,, ,, गोविन्दपुर
25— ,, ,, बाजना
26— ,, ,, मुकन्दपुर
27— ,, ,, सलेमपुर
28— ,, ,, पालीखेड़ा]
29— ,, ,, जैंत
30— ,, ,, कन्या जैंत
31— ,, ,, देवी आटस
32— ,, ,, कन्या पा० बैंत
33— ,, ,, नरायनपुर
34— ,, ,, धनगांव
35— ,, ,, कन्या धनगांव
36— ,, ,, नवीपुर
37— ,, ,, नगला माना
38— ,, ,, तारसी
39— ,, ,, समसपुर
40— ,, ,, चन्द्रनगर
41— ,, ,, मधेरा
42— प्रा० पा० छरौरा
43— ,, ,, छटीकरा
44— ,, ,, कन्या छटीकरा
45— ,, ,, सेहरा
46— ,, ,, राजपुर
47— ,, ,, कन्या राजपुर
48— ,, ,, तोष
49— ,, ,, कठौता
50— ,, ,, सतौंहा
51— ,, ,, कन्या सतोहा
52— ,, ,, गनेसरा
53— ,, ,, अरेहरा
54— ,, ,, हेचरी
55— ,, ,, न० बोहरा
56— ,, ,, बाटी
57— ,, ,, मौरा
58— ,, ,, सकना
59— ,, ,, न० मौरा
60— ,, ,, खामिनी
61— ,, ,, जुनसुटी
62— बवौंदा प्रा० पा०
63—प्रा० पा० कन्या बाटी
64— ,, ,, दतिया
65— ,, ,, नगला काशी
66— ,, ,, कुलेरिया
67— ,, ,, अड़ूकी
68—कन्या पा० प्रा० अड़ूकी
69—प्रा० पा० मिर्जापुर
70— ,, ,, नवादा
71— ,, ,, भैंसा
72—कन्या प्रा० पा० भैंसा
73—प्रा० पा० बाद
74—प्रा० क० पा० रासताल
75— ,, ,, ऊमरी
76— ,, ,, जैंत
77— ,, ,, धनगांव
78— ,, ,, धैलीप्याऊ
79— ,, ,, जू० हा० अड़ूकी
80—जू० हा० भैंसा
81— ,, ,, चन्द्रनगर
82— ,, ,, कन्या छटीकर
83— ,, ,, धनगांव

84--जू0हा0 क्रमोत्तर जैत
85--कमोत्तर अड्डूकी
86--कन्या क्रमोत्तर औरंगाबाद

विकास क्षेत्र फरह--

1--जू0हा0 स्कूल बरारी फरह
2--प्रा0पा0 बरारी
3--प्रा0पा0 थाना तेजा
4--प्रा0पा0 आंवला सुलतानपुर
5--कन्या प्रा0पा0 बरारी

विकास क्षेत्र राया:--

1--प्रा0पा0 अडडा करब
2-- ,, इटौली
3-- ,, राना
4-- ,, खिरारी
5-- ,, क0 खिरारी
6-- ,, न0 हरी
7-- ,, गढीरामप्रसाद
8-- ,, तारापुर
9-- ,, गई रामपुर
10-- ,, अब्दुलनवीपुर
11-- ,, ककरेटिया
12-- ,, मीयरा
13-- ,, ढकू
14-- ,, करैला
15-- ,, गौना
16-- ,, अचरु
17-- ,, ईसापुर
18-- ,, भोंसारा
19-- ,, सारस
20-- ,, खप्परपुर
21-- ,, कास्व
22-- ,, लोहवन
23-- ,, लोहनव
24--कं0प्र0 करब
25-- ,, राया
26-- ,, राया
27-- ,, सिहोरा
28-- ,, इस्लामियां राया
29-- ,, सिहोरा
30-- ,, गौसना
31-- ,, पिलुखनी
32-- ,, लक्ष्मीनगर
33-- ,, न0 चीता
34--जू0हा0 लारापुर
35-- ,, लक्ष्मीनगर
36--जू0हा0 लोहवन
37-- ,, कारव
38-- ,, राया

विकास क्षेत्र माट--

1--प्रा0पा0 इहरुआ
2-- ,, पानीगांव
3--कन्या प्रा0पा0 पानीगांव
4--प्रा0पा0 भूतिया
5-- ,, सूरज
6-- ,, कल्यानपुर
7-- ,, दीवाना कलां
8--क्रमोत्तर कन्या वि0 दीवाना कलां
9-- ,, पानीगांव
10--प्रा0 कन्या पाठशाला दीवाना कलां

विकास क्षेत्र बल्देव--

1--प्रा0पा0 गोकुल
2-- ,, कन्या बल्देव
3-- ,, पा0 जगदीशपुर
4--प्रा0पा0 नगला पोला
5--प्रा0पा0 अलीपुर
6-- ,, किशनपुर
7--कन्या किशनपुर
8--प्रा0पा0 खानपुर
9--प्रा0पा0 नगला काजी
10-- ,, नूरपुर
11--प्रा0पा0 मुजाहिदपुर
12-- ,, नबीपुर
13--प्रा0पा0 मनोहरपुर
14-- ,, महावन
15-- ,, रावल
16-- ,, स्लामपुर
17-- ,, हयातपुर
18-- ,, प्रा0प्रा0 हयातपुर
19-- ,, हबीबपुर
20--प्रा0पा0न0 चमारान
21--प्रा0पा0 बदी
22-- ,, कन्या बन्दी
23--प्रा0पा0 मदनपुर
24--जू0हा0 किशनपुर
25-- ,, बन्दी
26-- ,, मनोहरपुर
27-- ,, गोकुल

मकान किराया भत्ता के सम्बन्ध में नगर क्षेत्र वृन्दावन के विद्यालयों की सूची:—

कन्या जूनियर हाई स्कूल नगर क्षेत्र वृन्दावन बालक प्राइमरी विद्यालय:—

1—कन्या प्रा0 पा0 कस्तूरबा
2— ,, लक्ष्मीबाई
3— ,, निताईचरण
4— ,, योग माया
5— ,, कमला नेहरू
6— ,, राधारानी
7—कन्या जू0 हा0 स्कूल नगर क्षेत्र वृन्दावन बालक प्राइमरी विद्यालय

1—प्रा0 पा0 महात्मागांधी
2— ,, लालबहादुर
3— :, गोस्वामी छबीलेलाल
4— ,, प्रा0 पा0 गोविन्द
5— ,, वीर शिवाजी
6— ,, ऋषि वाल्मीकि
7— ,, श्यामाप्रसाद
8— ,, बांके बिहारी
9— ,, बृजमोहन

———

नत्थी 'च'

(देखिये अता० प्र० सं० 69 का उत्तर पीछे पृष्ठ 56 पर)

सर्वश्री सिद्धूराम, अहेरवार, छेदीलाल वर्मा, श्याम लाल, बाबूलाल, व अच्छेलाल निषाद जेल रोड बांदा की जिलाधिकारी बांदा को दी गई नोटिस दिनांक 17 जून, 1988 द्वारा की गई मांगों एवं उनके बार में अब तक की गई कार्यवाही का विवरण

क्रम सख्या	मांग	कृत कार्यवाही
1	जेल रोड के पास बनी हरिजन कालोनी के पीछे वाले नाले का निर्माण एवं टट्टीघर पर बिजली सफाई की भी तत्काल व्यवस्था करायी जाये ।	हरिजन कालोनी का चयन नहीं किया गया है । नाले व टट्टीघर के निर्माण कराये जाने की कोई योजना नगरपालिका बांदा में लागू नहीं है । यद्यपि उक्त क्षेत्र में रु 1,20,000 की विशेष सड़क अनुदान की धनराशि से खड़ंजा व नाली निर्माण का कार्य कराया जा रहा है ।
2	बिजली खेड़ा सुतरखाना अम्बेदकर नगर बंगालीपुरा वाले पुल में नाले का निर्माण कराया जाये ।	प्रस्तावित कार्य को कराये जाने पर भविष्य में बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रख कर विचार किया जायेगा । यदि इस मद में किसी प्रकार का अनुदान प्राप्त होता है तो इस कार्य को तुरन्त कराया जायेगा ।
3	बंगालीपुरा में हरिजन बस्ती के घरों के सामने से गन्दे पानी की नाली को पक्की करायी जाये और नाले में जोड़ा जाये और बिजली टट्टी घर एवं 2 हैण्ड पंप की व्यवस्था की जाये ।	बंगालीपुरा क्षेत्र की मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत बंगालीपुर मलिन बस्ती के नाम से शासन द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है । प्रोजेक्ट स्वीकृत हो चुका है । शासन से अनुदान की धनराशि अवमुक्त होने पर कार्य कराया जायेगा ।
4	चीरघर के लिये जमीन दी जाये	अभी उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी है ।
5	मर्दन नाका कोतवाली वाले नाले का निर्माण शीघ्र ही कराया जाये ।	प्रस्तावित कार्य को कराये जाने हेतु भविष्य में बोर्ड की बैठक पर विचार हेतु रखा जायेगा ।
6	कु० सुमनलता से क्रमवार कांड की जांच सी० बी० आई० द्वारा कराई जाये ।	जी० आर० पी० बांदा से प्राप्त सूचनानुसार मामले की जांच सी० बी० आई० को सौंपने का औचित्य नहीं पाया गया । हत्यारे का पता चल गया है उसे जेल भेजा जा चुका है ।
7	जी० आर० पी० थानाध्यक्ष एम० पी० सिंह के द्वारा कुलियों के ऊपर हुये अत्याचार की जांच की जाये और उसे निलम्बित किया जाये ।	जी० आर० पी० बांदा से प्राप्त सूचनानुसार मामले की जांच श्री सुखबीर सिंह पुलिस उपाधीक्षक रेलवेज झांसी द्वारा की गई । आरोप के समर्थन में साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी बाद में श्री एम० पी० सिंह, थानाध्यक्ष को थानाध्यक्ष के पद से हटाकर झांसी में अफसर डोयम बना दिया गया था इसके बाद उनका स्थानान्तरण लखनऊ हो चुका है और अब वे लखनऊ में हैं ।

क्रम-संख्या	मांग	कृत कार्यवाही
8	त्रिवेनी में हुई हरिजनों के ऊपर सामूहिक बलात्कार की जांच की जाये और पक्षपात करने वाले थानाध्यक्ष को तत्काल निलम्बित करें। और जो हरिजनों को धमकियां दी जा रही हैं जान से मारने के लिये उनकी तत्काल सुरक्षा व्यवस्था की जाये।	यह प्रकरण पुलिस विभाग से सबन्धित है। पुलिस अधीक्षक, बांदा की आख्या प्राप्त नहीं हो पाई है।
9	बबेरू में 9 वर्षीय बालिका श्री गायत्री देवी के साथ हुये सामूहिक बलात्कार की जांच की जाये और दोषी बलात्कारियों व हत्यारों को तत्काल बन्द किया जाये।	पुलिस अधीक्षक, बांदा से प्राप्त सूचना अनुसार इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है।
10	जिले में हुये हरिजनों के ऊपर अत्याचारों की जांच करायी जाये और दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाये।	यह प्रकरण पुलिस विभाग से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक, बांदा की आख्या प्राप्त नहीं हो पाई है।
11	श्रीमती राधामणि, ए0 एन0 एम0 पी0 एच0 जौरही को जनपद से बाहर ट्रांसफर किया जाये और दिनांक 23-10-87, 8-4-88, 24-3-88 23-3-88, 2-1-89 की जांच की जाये और इसके द्वारा श्रीमती रानी पत्नी महाबीर का गर्भपात किया गया है; जिसकी सूचना दिनांक 13-6-88 को दी है।	मुख्य चिकित्साधिकारी, बांदा की आख्यानुसार स्थानान्तरण की आवश्यकता नहीं है।
12	श्री गामा बाबू गीता वार्ड आया जिला चिकित्सालय से तत्काल हटाया जाये उसके बाद दिनांक 23-10-87 15-11-87, 8-1-88, 13-2-88, 1-4-88, 1-5-88 पूर्व एस0 एम0 एस0 पाण्डे ने इसके खिलाफ लिखा था मैटरन काण्ड में गामासिंह चौहान का पूर्ण हाथ है।	मुख्य चिकित्साधिकारी, बांदा की आख्यानुसार कार्यालय रिकार्ड में को ऐसा अभिलेख नहीं है जो पूर्व एस0 एम0 एस0 द्वारा गामा सिंह के विरुद्ध लिखा गया है। उनके स्थानान्तरण की आवश्यकता नहीं है।
13	हिन्दी अधिनियम राज्य कर्मचारी संहिता के विपरीत एक पत्नी के जीवित होते हुए दूसरी पत्नी किसी बेवा को पत्नी बनाकर हिन्दू आचार संहिता के विपरीत है। इसके संबंध में कई बार गामा बाबू की शिकायत की जा चुकी है।	मुख्य चिकित्साधिकारी, बांदा की आख्यानुसार इस संदर्भ में दोनों कर्मचारियों से पूछ-ताछ की गई। दोनों के कोई संबंध नहीं हैं और न ही एक दूसरे को रखे हैं।

क्रम-संख्या	मांग	कृत कार्यवाही
14	गामा सिंह चौहान जहां से ट्रांसफर होकर आया है वहां से चार्ज सर्टीफिकेट नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र कार्यालय में सम्मिलित नहीं किया है जिससे उन्हें कोई चार्ज नहीं मिलना चाहिये। इनकी एल0 पी0 सी0 भीं नहीं आयी है बिना एल0 पी0 सी0 के वेतन नहीं दिया जाना चाहिये। इनसे तुरन्त चार्जखींचकर सरकारी पद से मुक्त किया जाये।	मुख्य चिकित्साधिकारी, बांदा की आख्यानुसार चार्ज सार्टीफिकेट तथा एल0 पी0सी0 कार्यालय में है। नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है।
15	जिला चिकित्सालय की पुताई व टेण्डरों में हुई धांधली की जांच की जाये। क्योंकि पुताई के पहले ही भुगतान निकाल लिया गया है जिसके सबंध में 13-6-88 को टेण्डरों में व पुताई में हुई अनियमितता का उल्लेख 13-6-88 को किया गया है।	मुख्य चिकित्साधिकारी, बांदा से प्राप्त आख्यानुसार कथन पूर्णतया निराधार व गलत है।
16	मुख्य चिकित्साधिकारी, बांदा का स्टोनों आर0 एन0 वर्मा को जनपद से बाहर हटाया जाये व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का चार्ज खींचा जाये एवं स्वीपर, वार्ड ब्वाय, धोबी, चपरासी आया का चुनाव का चार्ज वर्मा स्टेनों से खींचकर किसी दूसरे बाबू को दिया जाय।	मुख्य चिकित्साधिकारी, बांदा से प्राप्त आख्यानुसार श्री वर्मा के स्थानान्तरण की आवश्यकता लिपिक की कमी के कारण नहीं है।
17	स्वीपर का चुनाव कैंसिल किया जाये व एक ही साथ किया जाये, हुई अनियमितताओं के बारे में 13-6-88 में उल्लेख किया गया है आप देख लें और 16-6-88 को जो आप द्वारा चयनित स्वीपर लिस्ट प्रकाशित की गई वह गलत है जिसकी अनियमितताओं के बारे में हम पहले ही सूचित कर चुके हैं।	मुख्य चिकित्साधिकारी, बांदा से प्राप्त आख्यानुसार आरोप निराधार है। विभागीय/चयन समिति द्वारा ही चयन किया जाता है।
18	शासनादेश का उल्लंघन करके उनके द्वारा मार्च 87 व मार्च 88 के बीच में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती की गई है जिसकी सूचना 14-7-87 को संबंधित अधिकारियों को दी जा चुकी है। अभी तक कार्यबाही क्यों नहीं की गई?	मुख्य चिकित्साधिकारी, बांदा से प्राप्त आख्यानुसार आरोप निराधार है।

क्रम-सं0	मांग	कृत कार्यवाही
19	कु0 रामा पाल की अशकालिक लिपिक की नियुक्ति में भ्रष्टाचार के तरीके अपनाना तथा राकेशसिंह, ग्रा0 पा0 पिपरगवां द्वारा 14-5-88 को दी गई रिपोर्ट की जांच की जाये।	मुख्य चिकित्साधिकारी, बांदा की आख्यानुसार आरोप निराधार है। यह पद केवल 60 रु0 प्रतिमास परिलब्धि का है। नियमित रूप से इसका चयन किया गया है।
20	श्री राधे श्याम वर्मा स्टेनो मुख्य चिकित्साधिकारी, बांदा के संबंध में शिकायत श्रीमन् श्यामसूरी सचिव, उ0 प्र0 शासन चिकित्सा स्वा0 परि0 कर्मचारी विभाग लखनऊ को समस्त स्वास्थ्य विभाग के फील्ड स्टाफ कर्मचारी जनपद बांदा द्वारा 18-12-86 को की गई थी उसकी भी जांच की जाये।	मुख्य चिकित्साधिकारी, बांदा की आख्यानुसार आरोप निराधार है।

नत्थी 'छ'

(देखिये अता० प्र० सं० 95 का उत्तर पीछे पृष्ठ 65 पर)

राजा राम मोहन राय फाउन्डेशन कलकत्ता द्वारा पुस्तकीय सहायता हेतु सार्वजनिक पुस्तकालयों की सूची ।

क्र०सं० पुस्तकालय का नाम व पता

1--तिलक रीडिंग रूम एंड लाइब्रेरी नगरपालिका, रुड़की, सहारनपुर ।
2--मोहम्मद अली पुस्तकालय , रवनीबाग, सहारनपुर ।
3--जनता सेवा दल पुस्तकालय, सरवटगेट, मुजफ्फरनगर ।
4--जाकिर पुस्तकालय, निकट तहसील, कैराना नगरपालिका, कैराना मुजफ्फरनगर ।
5--गांधी पुस्तकालय, खेखड़ा, मेरठ ।
6--पटेल पुस्तकालय, फरीदनगर, मेरठ ।
7--मुखर्जी पुस्तकालय, गांधी नगर, मिलखुआ, मेरठ ।
8--सार्वजनिक तीर पुस्तकालय, अतिथि भवन बड़ौत, मरठ ।
9--पब्लिक पुस्तकालय, नगरपालिका, गाजियाबाद ।
10--श्री अम्बेदकर लाइब्रेरी, चण्डी रोड, हापुड़, गाजियाबाद ।
11--गांधी लाइब्रेरी, हिन्दी साहित्य परिषद भवन मोतीबाग, बुलन्दशहर ।
12--गांधी म्युनिसिपल पुस्तकालय, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर ।
13--गोखले पुस्तकालय, बरसाती बाजार, हाथरस, अलीगढ़ ।
14--मालवीय पुस्तकालय, जी० टी० रोड, रसलगंज, अलीगढ़ ।
15--सरस्वती सदन पुस्तकालय, कोसीकलां, तहसील हाता, मथुरा ।
16--भारती भवन पुस्तकालय, गली लिक भवन, फिरोजाबाद, आगरा ।
17--आनन्द पुस्तकालय, आर्य समाज मंदिर, शिकोहाबाद, मैनपुरी ।
18--अम्बेदकर पुस्तकालय, अम्बेदकर नगर, मैनपुरी ।
19--माथुर चतुर्वेदी पुस्तकालय, सन्त तुलसीदास मार्ग, मैनपुरी ।
20--मेहता पुस्तकालय, नगरपालिका, एटा ।
21--यू० पी० एस० ई० इंजनियरिंग पुस्तकालय, 108 सिविल लाइन्स, कमला नेहरू रोड, बरेली ।
22--निकहत पुस्तकालय, 564 सूफी टोला पुराना शहर, बरेली ।
23--बिलोबी मेमोरियल पुस्तकालय, खीरी।
24--सुधा पुस्तकालय, रोशनगंज, शाहजहांपुर ।
25--शहीद पुस्तकालय, आर्य समाज, शाहजहांपुर ।
26--गांधी पुस्तकालय, चौक, शाहजहांपुर ।
27--युवक संघ पुस्तकालय, जे० पी० रोड, निकट तहसील, पीलीभीत ।
28--नगरपालिका लाइब्रेरी, मुरादाबाद ।
29--ब्रजरतन हिन्दी पब्लिक लाईब्रेरी, अमरोहा गेट, मुरादाबाद ।
30--ज्ञान मन्दिर पुस्तकालय, मिस्टनगंज, रामपुर ।
31--सौतल पब्लिक लाईब्रेरी, पुरानी तहसील, रामपुर ।
32--सरस्वती पुस्तकालय, नजीबाबाद, बिजनौर ।
33--प्रेम पुस्तकालय, नगीना, बिजनौर ।
34--बीर पब्लिक पुस्तकालय, बाजार सभा, बिजनौर ।
35--पब्लिक पुस्तकालय, रेलवे रोड, पटेल पार्क रेलवे रोड, फर्रुखाबाद ।
36--श्री कालेश्वर नाथ पुस्तकालय एवं वाचनालय, चन्द्र मुखी देवी मार्ग, फर्रुखाबाद ।

37--पब्लिक पुस्तकालय, पीलीखुद, इटावा ।
38--गया प्रसाद पुस्तकालय, मेस्टन रोड, कानपुर ।
39--राम कृष्ण मिशन लाइब्रेरी, भुभुटी, कानपुर ।
40--कानपुर पब्लिक लाईब्रेरी, गांधी भवन फूलबाग, बिरहाना रोड, कानपुर ।
41--डा 0 राजेन्द्र प्रसाद पुस्तकालय, हरवेन्दर नगर, कानपुर ।
42--कमला श्रीवास्तव पुस्तकालय, म्युनिसिपल बोर्ड, फतेहपुर ।
43--रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम पुस्तकालय, विजय आनन्द 0 मार्ग, 534, मुट्ठीगंज, इलाहाबाद ।
44--बीसेन्ट मेमोरियल पुस्तकालय, आनन्द लाज, 27 लाउदर रोड, इलाहाबाद ।
45--भारती भवन पुस्तकालय, सिटी रोड, इलाहाबाद ।
46--अलोपीबाग पुस्तकालय एवं वाचनालय, 120 मटियारा अलोपीबाग, इलाहाबाद।
47--बाघम्बरी क्षेत्र पुस्तकालय, एवं वाचनालय 23/47/55, किदवईनगर, अल्लापुर, इलाहाबाद ।
48--नागरी प्रचारक पुस्ताकालय एवं वाचनालय, सिविल लाइन्स, बांदा ।
49--श्री लक्ष्मी बिग्रेड पुस्तकालय, नयी बस्ती, झांसी ।
50--सार्वजनिक पुस्तकालय, नगरपालिका, ललितपुर ।
51--सेवा समिति व्यास पुस्तकालय, कालपी, जालौन ।
52--अध्यात्म सत्संग पुस्तकालय, राजमार्ग, उरई जालौन ।
53--खोजवां आदर्श पुस्तकालय खोजवा बाजार, वाराणसी ।
54--श्री गोवर्धन राष्ट्रीय पुस्तकालय, स्टेशन रोड, भदोही, वाराणसी ।
55--कारमाइकेल लाईब्रेरी, एसोसियेशन ज्ञानवाणी, वाराणसी ।
56--लाजपतराय मेमोरियल पुस्तकालय, मिर्जापुर ।
57--आल इण्डिया शफीक मेमोरियल पुस्तकालय, शाहमदान, जौनपुर ।
58--शिया लाईब्रेरी, जौनपुर ।
59--तिलक पुस्तकालय, हिन्दी भवन, जौनपुर ।
60--कवीन्द्र रवीन्द्र पुस्तकालय, गौराबाजार पीरनगर, गाजीपुर ।
61--लोक सेवा मण्डल पुस्तकालय, मलिकपुरा, गाजीपुर ।
62--श्री सुभाष पुस्तकालय, सुभाष नगर, बलिया ।
63--आदर्श पुस्तकालय, अगरौली, बलिया ।
64--श्री होम्स कल्लन पुस्तकालय, नगरपालिका, गोरखपुर ।
65--किसान पब्लिक लाईब्रेरी सिविल लाइन्स, बस्ती ।
66--सब हितकारी पुस्तकालय, डा 0 श्याम प्रसाद मुखर्जी मार्ग, सब्जी मंडी, 72, सदावती, आजमगढ़ ।
67--मेहता पब्लिक पुस्तकालय, सिविल लाइन्स, आजमगढ़ ।
68--नागरी प्रचारिणी सभा पुस्तकालय, तिलक रोड, देवरिया ।
69--पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रौढ़ शिक्षा संघ पुस्तकालय, देवरिया ।
70--विजय पुस्तकालय, नैनीताल ।
71--श्री दुर्गा शाह पुस्तकालय, नगरपालिका, तल्लीताल, नैनीताल ।
72--नैनीताल पर्वतारोहण क्लब पुस्तकालय, सी 0 आर 0 एस 0 टी 0 कालेज, बिल्डिग, नैनीताल ।
73--हिन्दी प्रेम सभा पुस्तकालय, काशीपुर,नैनीताल ।
74--श्री रघुनाथ मन्दिर पुस्तकालय, अल्मोड़ा ।
75--म्युनिसिपल पुस्तकालय, अल्मोड़ा ।
76--स्वामी विवेकानन्द पब्लिक लाइब्रेरी लोहाघाट, पिथौरागढ़ ।
77--ग्राम सुधार पुस्तकालय, नौटी, चन्दनपुर, चमोली ।

78—गांधी सार्वजनिक वाचनालय एवं पुस्तकालय, उत्तरकाशी।
79—श्री नेहरू लाईब्रेरी, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नरेन्द्र नगर, टेहरी गढ़वाल।
80—श्री गौरी पब्लिक लाईब्रेरी, नगरपालिका, कोटद्वार, पौढ़ी।
81—महात्मा खुशीराम पब्लिक पुस्तकालय, 12 महात्मागांधी मार्ग, देहरादून।
82—तिलक मेमोरियल लाईब्रेरी, मंसूरी देहरादून।
83—साक्षरता निकतन आलमबाग, लखनऊ।
84—रामकृष्ण मिशन लाइब्रेरी, विवेकानन्द पुरम निरालानगर, लखनऊ।
85—अमीरुददौला पब्लिक लाईब्रेरी, कैसरबाग, लखनऊ।
86—महात्मागांधी, कमला भवन, उन्नाव।
87—शारदा सदन पुस्तकालय लालबाग, सीतापुर।
88—समाज सेवा संघ पुस्तकालय, लालबाग, सीतापुर।
89—श्री सरस्वती सदन पुस्तकालय, हरदोई।
90—रसलीन पुस्तकालय बिलग्राम, हरदोई।
91—बदायूं पुस्तकालय, बेदों टोला, चौक, बदायूं।
92—हरिश्चन्द्र पुस्तकालय, मठईच, चौक, बदायूं।
93—श्री बुद्ध देव वर्मा मेमोरियल पुस्तकालय आर्य समाज, बदायूं।
94—श्री अनीस चकबस्त मुगलपुरा, फैजाबाद।
95—डा0 लोहिया यादगार पुस्तकालय, नगरपालिका, अकबरपुर फैजाबाद।
96—महाराजा दिग्विजय सिंह पुस्तकालय सिटी पैलेस, बलरामपुर, गोंडा।
97—विनायक मेहता पुस्तकालय, सिविल लाइन्स, सुल्तानपुर।
98—महात्मा गांधी मेमोरियल पुस्तकालय, नगरपालिका, रामपुर, प्रतापगढ़।
99—विश्राम सदन धार्मिक पुस्तकालय एवं वाचनालय, नवाबगंज, बाराबंकी।
100—हिन्दी पुस्तकालय निकट, घनश्वर चौराहा, बाराबंकी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 178 का उत्तर पीछे पृष्ठ 95 पर)

अनुलग्नक

उत्तर प्रदेश पंचायत सामान्य लाभ निधि नियमावली के नियम–5 के अधीन निधि के निम्नलिखित कर्तव्य हैं:–

(क) राज्य डिवीजन या जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं की गोष्ठियां सम्मेलन तथा अधिवेशन आयोजित करना।

(ख) राज्य मुख्यालय, डिवीजन मुख्यालय तथा जिला मुख्यालय पर पंचायत भवनों का निर्माण, अनुरक्षण तथा उनकी मरम्मत करना।

(ग) पंचायती राज संस्थाओं के लाभार्थ विभिन्न स्तरों पर पुस्तकालय खोलना।

(घ) स्वतंत्र रूप से या शोध छात्रों या संस्थाओं के माध्यम से शोध कार्य का संचालन।

(ङ) राज्य के भीतर या बाहर पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों के लिये अध्ययन, पर्यटन।

(च) प्रदर्शनियों का आयोजन।

(छ) पंचायती राज संस्थाओं के उपयोग तथा मार्ग-दर्शन हेतु साहित्य का प्रकाशन।

(ज) पंचायती राज संस्थाओं के लाभ तथा शिक्षा हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था।

निधि में जमा धनराशि उपरोक्त उल्लिखित कर्त्तव्यों से संबंधित कार्यों पर व्यय किये जाने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त कोई युक्तियुक्त धनराशि पंचायती राज संस्थाओं को लाभान्वित करने वाले किसी भी विषय पर खर्च की जायेगी। यदि राज्य सरकार इस संबंध में निदेश दे।

आय के स्रोत––

(क) पंचायती राज संस्थाओं से प्राप्त अंशदान।

(ख) केन्द्रीय या राज्य सरकार से अनुदान।

(ग) स्वैच्छिक संगठनों तथा शोध संस्थाओं से प्राप्त अंशदान।

(घ) राज्य सरकार की अनुज्ञा से कोई निधि।

निधि के खाते में 31 मार्च, 1984 को निम्नलिखित मदों की धनराशियां उपलब्ध थी––

	रु0	पै0
1––पंचायत राज संस्थाओं से प्राप्त अंशदान ..	844684.	41
2–– राज्य सरकार की अनुज्ञा से प्राप्त धनराशि- –		
(क) राज्य स्तरीय पंचायत भवन ..	3629139.	13
(ख) खाली बोरों की धनराशि ..	367394.	54
योग ..	4841218.	08

1 अप्रैल, 1985 से 30 नवम्बर; 1988 के मध्य उपर्युक्त उल्लिखित तथा तदोपरान्त प्राप्त धनराशि से निम्नलिखित व्यय किये गये हैं:—

	रु0	पै0
1—क—राज्य डिवीजन या जिलास्तर पर पंचायती राज संस्थाओं की गोष्ठियों सम्मेलन तथा अधिवेशन आयोजित करना । ..	19301.	89
ख—पंचायती राज संस्थाओं के उपयोग तथा मार्ग-दर्शन हेतु साहित्य का प्रकाशन । ..	5,89,901.	45
ग—राज्य मुख्यालय पंचायत भवन निर्माण ..	3,483.	28
2—शासन के पंचायती राज तथा ग्राम्य विकास विभाग के आदेशान्तर्गत व्यय की गई धनराशि—		
क—वाहन तथा अन्य पर व्यय ..	6,32,485.	55
ख—ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के विपरीत जिलों को स्थानान्तरित तथा अन्य व्यय की धनराशि ।	6,03,161.	83
योग ..	18,48,334.	00

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 21 विधान सभा—(2146)—1989—813 (प्रो0) ।